वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

सत्यमेव जयते

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

इसमें **क्या** है !

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

01 प्रस्तावना

04 वर्षभर - एक नजर में

21 सागरमाला कार्यक्रम

31 पत्तन

54 पोत परिवहन

66 संगठन

120 अंतर्देशीय जल परिवहन

131 परिवहन अनुसंधान स्कंध एवं विकास स्कंध

133 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

144 प्रशासन और वित्त

150 राजभाषा

153 अनुबंध सूची

प्रस्तावना

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया और 27-31 अक्तूबर, 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित आईएमडब्ल्यू, 2025 में ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता की

1.1 पोत परिवहन मंत्रालय का गठन 2009 में तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था। इसके बाद, 9 नवंबर, 2020 को मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएसएंडडब्ल्यू) कर दिया गया।

1.2 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत पत्तन और नौवहन क्षेत्र आते हैं, जिनमें महापत्तन, पोत निर्माण और पोत मरम्मत एवं अंतर्देशीय जल परिवहन भी शामिल हैं। मंत्रालय को इन क्षेत्रों पर नीतियां और कार्यक्रम बनाने और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.3 समुद्री क्षेत्र के समक्ष आने वाले विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यापक नीति पैकेज आवश्यक है। पत्तनों के बर्थ और कार्गो हैंडलिंग उपकरणों के संबंध में पत्तनों की क्षमता, विदेशी व्यापार की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

1.4 ऐतिहासिक रूप से, समुद्री क्षेत्र में, विशेष रूप से पत्तनों में, निवेश राज्य द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें मुख्य कारण बड़े पैमाने पर संसाधनों की जरूरत, लंबी जेस्टेशन अवधि, अनिश्चित लाभ और अवसंरचना के साथ जुड़े हुई कई बाहरी तत्व है। हालाँकि, संसाधन की बढ़ती आवश्यकताओं और प्रबंधकीय दक्षता और उपभोक्ता की प्रतिक्रियाशीलता के सरोकारों से हाल के दिनों में अवसंरचना में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी हुई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, महापत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

कार्य

1.5 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के लिए आबंटित विषयों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

संगठनात्मक संरचना

1.6 श्री सर्बानंद सोणोवाल पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। श्री शांतनु ठाकुर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (पीएसएंडडब्ल्यू) राज्य मंत्री हैं।

1.7 सचिव (पीएसएंडडब्ल्यू) की सहायता के लिए विशेष सचिव (पोत परिवहन), वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, अपर सचिव (एसएम, डीजीएलएल, विकास), संयुक्त सचिव (पोत परिवहन, पोत निर्माण और पीपीपी), संयुक्त सचिव (प्रशासन और पीएचआरडी), संयुक्त सचिव (पत्तन, आईटी और ई- जीओवी), संयुक्त सचिव (समन्वय और संसद), सलाहकार (सांख्यिकी), निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव स्तर के अधिकारी और अन्य सचिवालय / तकनीकी अधिकारी है।

1.8 वित्त स्कंध के अध्यक्ष अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं, जो वित्तीय निहितार्थ वाली सभी नीतियों और अन्य प्रस्ताव बनाने और संस्थापित करने में सहायता करते हैं।

1.9 लेखा स्कंध के अध्यक्ष प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक हैं, जो अन्य कार्यों के साथ-साथ लेखांकन, भुगतान, बजट, आंतरिक लेखापरीक्षा और रोकड़ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

1.10 सलाहकार (सांख्यिकी), मंत्रालय से संबंधित परिवहन के विभिन्न मोड पर नीतिगत नियोजन, परिवहन समन्वय, आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों को आवश्यक डाटा सहायता प्रदान करते हैं।

1.11 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सोसायटी/एसोसिएशन आदि कार्य कर रहे हैं:-

अधीनस्थ कार्यालय:

1. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई।
2. अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, पोर्ट ब्लेयर।
3. दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा।

स्वायत्त निकाय:

1. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण
2. पारादीप पत्तन प्राधिकरण
3. विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण
4. चेन्नै पत्तन प्राधिकरण
5. वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण
6. कोचीन पत्तन प्राधिकरण
7. नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण
8. मुरगांव पत्तन प्राधिकरण
9. मुंबई पत्तन प्राधिकरण
10. जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण
11. दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

12. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
13. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
14. महापत्तन न्यायनिर्णायिक बोर्ड
15. नाविक भविष्य निधि संगठन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:

1. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, मुंबई
2. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, मुंबई
3. इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड, कोलकाता (एससीआई की सहायक कंपनी)
4. एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड, गुजरात (एससीआई की सहायक कंपनी)
5. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि।
6. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हावड़ा
7. उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मालपे
8. सागरमाला वित्त कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
9. इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई।

एसपीवी एवं अन्य:

1. कामराजर पत्तन लिमिटेड (चेन्नै पत्तन प्राधिकरण की कंपनी)
2. इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल), मुंबई
3. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टणम
4. सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै

सोसायटी/ संघ :

1. भारतीय पत्तन संघ, नई दिल्ली
2. नाविक कल्याण निधि सोसायटी, मुंबई।

उत्कृष्टता केंद्र

- राष्ट्रीय पत्तन, जलमार्ग एवं तट प्रौद्योगिकी केंद्र, आईआईटी मद्रास
- समुद्री और पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र, विशाखापट्टणम
- अंतर्देशीय और तटीय समुद्री केंद्र, आईआईटी खड़गपुर
- समुद्री अर्थव्यवस्था एवं संपर्कता केंद्र, आरआईएस, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय हरित पत्तन एवं पोत परिवहन उत्कृष्टता केन्द्र, टीईआरआई, नई दिल्ली

1.12 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-II** में दिया गया है।

वर्षभर- एक नजर में

पृष्ठभूमि

2.1 भारत की 11098 किमी लम्बी तटरेखा है जो मुख्यभूमि के पश्चिमी और पूर्वी छोरों सहित द्वीपों के किनारे में भी फैली हई है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।

2.2 भारत के समुद्री क्षेत्र में पत्तन, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली शामिल हैं। भारत में, केन्द्र सरकार के स्वामित्व के 12 महापत्तन और महापत्तन के अलावा अन्य लगभग 217 गैर-महापत्तन एवं मध्यवर्ती पत्तन के अलावा अन्य पत्तन हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री क्षेत्र की मत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश का लगभग 95% व्यापार मात्रात्मक रुप में तथा मूल्य द्वारा 68% व्यापार समुद्री परिवहन से संचालित होता हैं। अतएव, उभरते हुए परिदृश्य के संदर्भ में पोत परिवहन तथा समुद्री संसाधन, पोत डिजाइन और निर्माण, पत्तन और बंदरगाह, मानव संसाधन विकास संबंधी मामले, वित्त, आनुषंगी और नई प्रौद्योगिकियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। पोत परिवहन निर्विवाद रूप से विश्व के सबसे कुशल परिवहन साधनों में से एक बना हुआ है और हमें इस उद्योग के भीतर पहचान प्रदान करने, पुरस्कृत करने और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी संभव हो, करने की आवश्यकता है।

2025-26 के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) परिव्यय

2.3 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, मंत्रालय की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का बजट अनुमान 3470.58 करोड़ रुपए था। हालांकि, संशोधित अनुमान (आरई) के स्तर पर इसे बढ़ाकर 2899.11 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2899.11 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान आवंटन की तुलना में, 31 दिसंबर, 2025 तक वास्तविक व्यय 2057.11 करोड़ रुपए था। 2025-26 के लिए आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) (पीपीपी सहित) के तहत बजट अनुमान 7123.46 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 के पुनरीक्षण अनुमान में बढ़कर 13899.64 करोड़ रुपये हो गया है। 2025-26 के लिए जीबीएस और आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) परिव्यय का सार नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	ब.अ. 2025-26		सं.अ. 2025-26		वास्तविक व्यय (31.12.2025 की स्थिति अनुसार)	
	जीबीएस	आईईबीआर	जीबीएस	आईईबीआर	जीबीएस (2025-26)	आईईबीआर (2025-26)
पत्तन और दीपस्तंभ	1322.71	6624.18	1245.19	12232.18	665.18	6508.05
पोत परिवहन	300.62	499.28	300.71	1591.90	201.07	1615.97
आईडब्ल्यूएआई	1767.31	0	1226.5	0	1158.69	0
अन्य	79.94	0	126.71	75.56	32.17	0.44
कुल	**3470.58**	**7123.46**	**2899.11**	**13899.64**	**2057.11**	**8124.46**

2025-26 के लिए परिव्यय

2.4 2026-2027 के लिए कुल जीबीएस और आईईबीआर परिव्यय का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्षेत्र	2026-27 (ब.अ.) (निवल आधार पर करोड़ रुपए में)	
	जीबीएस	आईईबीआर
पत्तन और दीपस्तंभ	841.74	11944.07
पोत परिवहन	2406.32	664.19
आईडब्ल्यूएआई	1841.50	0
अन्य	75.24	94.68
कुल	**5164.80**	**12702.94**

*एसबीएफ़एएस, एसबीडीएस और एमडीएफ़ के तहत प्राप्त वित्त पोषण को पिछले वर्षों के पत्तन क्षेत्र के विपरीत, 2026-27 से पोत परिवहन क्षेत्र के तहत माना जाएगा।

**एसएमपीए के अंतर्गत वित्तपोषण को पिछले वर्षों के अन्य क्षेत्र के विपरीत, 2026-27 से पत्तन और दीपस्तंभ क्षेत्र के तहत माना जाएगा।

परियोजनाएं

2.5 सागरमाला कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2035 तक कार्यान्वयन के लिए लगभग 5.79 लाख करोड़ रु. के निवेश की 839 परियोजनाओं हैं। इनमें से लगभग 1.41 लाख करोड़ रु. की 277 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और लगभग 1.62 लाख करोड़ रु. की 209 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं। इनके अलावा, लगभग 2.75 लाख करोड़ रु. की 353 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

इन परियोजनाओं को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, महापत्तन प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इनकी नियमित निगरानी संबंधित मंत्रालयों और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के साथ एक प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (एमआईएस) टूल के माध्यम से की जा रही है

2.6 **ग्रेट निकोबार द्वीप पर मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट:** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, 'ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास' के हिस्से के रूप में 'गलाथिया की खाड़ी' में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विकसित कर रहा है। इस परियोजना को नवंबर 2022 में पर्यावरण मंजूरी, अगस्त 2023 में व्यय विभाग से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन, और अगस्त 2024 में 77वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में इस परियोजना की सिफारिश की गई थी। आईसीटीपी भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पत्तन होगा, जिसे सबसे बड़े कंटेनर जलयानों को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे दो चरणों में विकसित किया जाएगा (स्तर1 – चरण 1 और 2; स्तर 2 – चरण 03 और 04), जिसकी कुल क्षमता 20.4 मिलियन टीईयूएस होगी और 35 वर्षों की अवधि में इसकी अनुमानित लागत 99,000 करोड़ रुपये होगी। प्रारंभिक चरण में, अनुमानित यातायात वृद्धि, वित्तीय व्यवहार्यता और चरणबद्ध क्षमता वृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पहले दो चरणों के विकास का प्रस्ताव है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) द्वारा गलाथिया की खाड़ी के आईसीटीपी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु, पीपीपीएसी की बैठक आयोजित करने के लिए 31 दिसंबर 2025 को आर्थिक कार्य विभाग को एक प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है।

2.7 आईसीटीपी की विशेषता इसकी प्राकृतिक जल गहराई है, जो व्यापक ड्रेजिंग के बिना बड़े कंटेनर जलयानों के लिए उपयुक्त है। मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित होने के कारण, आईसीटीपी का लक्ष्य बंगाल की खाड़ी के पत्तनों और पड़ोसी देशों को जोड़ने वाले एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करना है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के तहत साउथ बे पोर्ट की सीमा को 'डी-नोटिफाई' (अधिसूचना रद्द) कर दिया है और 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित गैलाथिया की खाड़ी को महापत्तन के रूप में अधिसूचित किया है। आईसीटीपी परियोजना को एक संयुक्त उद्यम मॉडल के तहत विकसित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित आईसीटीपी का मास्टर प्लान

2.8 **वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल):** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को महाराष्ट्र में दहानू के पास वधावन में 76,220 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक नए महापत्तन की स्थापना को मंजूरी दी। यह परियोजना वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जिसमें इनकी इक्विटी हिस्सेदारी क्रमशः 74% और 26% है। वधावन पत्तन को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में हर मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को पालघर जिले में वधावन पत्तन परियोजना सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

एनएचएआई के माध्यम से 24 गाँवों को कवर करते हुए सड़क और रेल संपर्क के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में है। खदान और संपर्कता कार्यों के लिए वन मंजूरी महाराष्ट्र सरकार के स्तर पर अनुमोदन लिया जा रहा है। तटवर्ती कार्यों के लिए निर्माण-पूर्व गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, ब्रेकवाटर निविदा को सुरक्षा मंजूरी मिलना बाकी है, और अपतटीय पुनर्ग्रहण की बोलियाँ 17 फरवरी 2026 को बंद होंगी।

2.9 **समुद्री विकास कोष:** केंद्रीय बजट 2025-26 में निवेश को प्रोत्साहित करने, अवसंरचना संवर्धन और भारत को एक वैश्विक समुद्री नेता के रूप में स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में समुद्री विकास कोष (एमडीएफ़) की स्थापना की घोषणा की गई, जिसे 24 सितंबर 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ इसके संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

एमओपीएसडब्ल्यू 25,000 करोड़ रु. के कोष के साथ एक एमडीएफ़ स्थापित करने की परिकल्पना करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य दीर्घकालिक इक्विटी और ब्याज प्रोत्साहन प्रदान करके भारतीय समुद्री क्षेत्र को बेहतर बनाना है, ताकि भारत के टनभार, पोत निर्माण, महापत्तनों, तटीय/अंतर्देशीय पोत परिवहन आदि को बढ़ावा दिया जा सके। एमडीएफ़ में दो घटक शामिल हैं:

i. समुद्री निवेश कोष (एमआईएफ़): इसे 20,000 रु. करोड़ के कोष के साथ एक 'वैकल्पिक निवेश कोष' (एआईएफ़) के रूप में स्थापित किया जाना है, जिसमें केंद्र सरकार से 49% इक्विटी निवेश होगा और शेष हिस्सा महापत्तनों, वित्तीय संस्थानों, निजी निवेशकों और सम्प्रभु कोष सहित अन्य निवेशकों से प्राप्त होगा। यह कोष निम्नलिखित समुद्री उप-क्षेत्रों में इक्विटी निवेश के माध्यम से समुद्री उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी और दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुंच सक्षम बनाएगा।

   क. नई परियोजनाओं और विस्तार के लिए शिपिंग कंपनियां, शिपयार्ड, पत्तन और समुद्री अवसंरचना।

   ख. ग्रीन ट्रांजिशन और स्थिरता के लिए समुद्री उद्यम।

   ग. पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण, लॉजिस्टिक्स पार्क और संपर्कता अवसंरचना।

   घ. एमएकेवी 2047 और एमआईवी 2030 के अनुरूप अन्य समुद्री क्षेत्र के उपयोग के मामले

ii. ब्याज प्रोत्साहन कोष (आईआईएफ़): भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकों और संस्थानों से लिए गए ऋणों पर 3% तक का

ब्याज प्रोत्साहन प्रदान करके भारत के पोत निर्माण क्षेत्र को समर्थन देने के लिए 5,000 करोड़ रु. का कोष। यह सहायता सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी, जो कुल कोष तक सीमित होगी, और इसे सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएफ़सीएल) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

2.10 **पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफ़एएस) और पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस):** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24.09.2025 को आयोजित अपनी बैठक में, भारत में पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडबल्यू) की दो योजनाओं को मंजूरी दी, अर्थात् (क) पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफ़एएस) और राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन योजना (एनएसबीएम) और (ख) भारत में पोत परिवहन के लिए क्षमता और सक्षमता विकास तथा क्रेडिट जोखिम कवरेज योजना – पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस)।

पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफ़एएस) का उद्देश्य निर्मित प्रत्येक जलयान के लिए शिपयार्ड को लक्षित पूंजीगत सहायता प्रदान करना है, जिससे लागत का बोझ कम हो और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े। इसके अतिरिक्त, यह योजना पूरे देश में पोत निर्माण पहल के समन्वय और संचालन के लिए राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन (एनएसबीएम) की स्थापना करती है। एसबीएफ़एएस का बजटीय परिव्यय 31 मार्च, 2036 तक 24,736 करोड़ रुपये है।

पोत निर्माण विकास योजना का उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय पोत निर्माण अवसंरचना का निर्माण करना है। यह तीन प्रमुख घटकों पर केंद्रित है: ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार, ग्रीनफील्ड क्लस्टर विकास और क्रेडिट जोखिम कवरेज। आधुनिक बुनियादी ढांचे और एक कुशल कार्यबल के निर्माण के साथ, भारत की वाणिज्यिक पोत निर्माण क्षमता 2047 तक लगभग 4.5 मिलियन सकल टनभार प्रति वर्ष तक बढ़ने का अनुमान है। 31 मार्च, 2036 तक ₹19,989 करोड़ के बजटीय परिव्यय वाली एसबीडीएस दीर्घकालिक क्षमता और सक्षमता निर्माण पर केंद्रित है। यह योजना ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टरों के विकास, मौजूदा ब्राउनफील्ड शिपयार्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण, और अनुसंधान, डिजाइन, नवाचार और कौशल विकास का समर्थन करने के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के तहत एक भारतीय पोत प्रोद्योगिकी केंद्र की स्थापना का प्रावधान करती है। एसबीडीएस के तहत, ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टरों को 50:50 केंद्र-राज्य विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से सामान्य समुद्री और आंतरिक बुनियादी ढांचे के लिए 100% पूंजीगत सहायता प्राप्त होगी, जबकि मौजूदा शिपयार्ड महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे कि ड्राई डॉक, शिपलिफ्ट, फैब्रिकेशन सुविधाओं और ऑटोमेशन सिस्टम के ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए 25% पूंजीगत सहायता के पात्र होंगे। संवितरण उपलब्धि पर आधारित होंगे और स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। योजना में एक क्रेडिट जोखिम कवरेज ढांचा भी शामिल है, जो परियोजना की बैंकयोग्यता और वित्तीय लचीलेपन में सुधार के लिए शिपमेंट-पूर्व, शिपमेंट-पश्चात और विक्रेता-चूक जोखिमों के लिए सरकार समर्थित बीमा प्रदान करता है।

उपरोक्त योजनाओं को लागू करने के लिए एमओपीएसडबल्यू द्वारा 26.12.2025 को निम्नलिखित अनुमोदित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देश एमओपीएसडबल्यू की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं:-

1. पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफ़एएस) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश।
2. पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के तहत पोत निर्माण जोखिम कवरेज के लिए दिशानिर्देश।
3. पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के तहत ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टर विकास के लिए दिशानिर्देश।
4. पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के तहत ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार के लिए दिशानिर्देश।

2.11 **सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं:** यह मंत्रालय पत्तनों को न केवल कार्गो-हैंडलिंग केंद्र, बल्कि आर्थिक विकास का इंजन बनाने के लिए पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, 'व्यवसाय करने की सुगमता' में सुधार करना और उद्योगों को पत्तनों के निकट स्थापित करके उन्हें सहायता प्रदान करना है।

हाल के वर्षों में (वित्त वर्ष 2019-20 से), सरकार ने 51,093 करोड़ रु. के कुल निवेश वाली 49 पीपीपी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 13,355 करोड़ रु. मूल्य की 25 परियोजनाएं सफलतापूर्वक प्रदान की जा चुकी हैं। केवल वित्त वर्ष 2025-26 में, 23,784 करोड़ रु. की नौ (09) पीपीपी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, और 1,260 करोड़ रु. की दो (02) परियोजनाएं प्रदान की गई हैं। वर्तमान में, 42,235 करोड़ रु. के कुल मूल्य वाली 57 पीपीपी परियोजनाएं प्रचालनरत हैं, जो महापत्तनों पर लगभग 660 एमटीपीए की अतिरिक्त क्षमता में योगदान दे रही हैं, जबकि शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। भविष्य की दृष्टि से, 2030 तक महापत्तनों पर कुल कार्गो का लगभग 80% पीपीपी और कैप्टिव प्रचालकों द्वारा संभाले जाने का अनुमान है। इसके अलावा, पत्तन

क्षमता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 के दौरान कार्यान्वयन के लिए लगभग 23,000 करोड़ रु. (वधावन पत्तन परियोजना को छोड़कर) के अनुमानित निवेश वाली 48 पीपीपी परियोजनाओं की एक पाइपलाइन की पहचान की गई है।

संक्षेप में, संपर्कता में सुधार और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके, मंत्रालय पत्तनों को विकास केंद्रों में बदल रहा है जो रोजगार पैदा करते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं।

2.12 **राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास:** भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसके तहत दिसंबर 2025 तक 32 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) क्रियाशील हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही वित्त वर्ष 2013-14 के 18.07 एमएमटी से तेजी से बढ़कर 2024-25 में 146 एमएमटी हो गई है, और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिसंबर 2025 तक ही 160.8 एमएमटी कार्गो की आवाजाही हो चुकी है। इन 32 क्रियाशील जलमार्गों में से 29 पर कार्गो का परिवहन होता है, जिसमें लगभग 85% यातायात पांच प्रमुख जलमार्गों—रा.ज.-100, रा.ज.-91, रा.ज.-10, रा.ज.-1 और रा.ज.-97—पर केंद्रित है। ये जलमार्ग मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, स्टील, फ्लाई ऐश और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे प्रमुख सामग्रियों को हैंडल करते हैं।

यात्री यातायात में भी भारी उछाल आया है, जो 2023-24 के 1.61 करोड़ रु. से बढ़कर 2024-25 में 7 करोड़ रु. से अधिक हो गया है। नदी क्रूज़ पर्यटन निरंतर बढ़ रहा है, जिसमें 2024-25 के दौरान 17 परिचालन क्रूज़ सर्किटों में 443 यात्राएं हुईं। इसके साथ ही वाराणसी, पटना, गुवाहाटी और कोलकाता में नए क्रूज़ टर्मिनल बनाने की योजना है, और यमुना, चिनाब, झेलम तथा महानदी नदियों पर नई क्रूज़ परियोजनाएं उभर रही हैं।

2.13 **'जलवाहक' योजना:** दिसंबर 2024 में शुरू की गई जलवाहक (कार्गो प्रोत्साहन) योजना, चुनिंदा मार्गों पर परिचालन लागत के 35% तक प्रोत्साहन प्रदान करके जलमार्गों की ओर 'मोडल शिफ्ट' (परिवहन के साधनों में बदलाव) को और बढ़ावा दे रही है। दिसंबर 2025 तक, इस योजना ने 20 निर्धारित कार्यक्रम का समर्थन किया और 17.29 मिलियन टीकेएम कार्गो की आवाजाही को सुगम बनाया, जिससे लागत प्रभावी और सतत अंतर्देशीय जल परिवहन की ओर बदलाव को दृढ़ता मिली है।

2.14 **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेनहस लॉजिस्टिक्स के बीच समझौता ज्ञापन:** रेनहस लॉजिस्टिक्स के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत रा.ज.-1, रा.ज.-2, रा.ज.-16 और आईबीपी मार्गों पर 100 कार्गो जलयानों और पुशर टग्स की चरणबद्ध तैनाती की जाएगी। पहले चरण में 20 बार्ज और 6 पुशर टग्स की योजना है। इसके समानांतर, भारत का नदी क्रूज़ क्षेत्र बड़े विस्तार के लिए तैयार है, जिसमें वाइकिंग क्रूज़ ब्रह्मपुत्र नदी पर लक्जरी सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है और रॉयल कैरिबियन ने भारतीय जलमार्गों के लिए दो प्रीमियम जलयानों का प्रस्ताव दिया है, जो देश में वैश्विक स्तर के क्रूज़िंग अनुभव प्रदान करेंगे।

2.15 **राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी):** विश्व बैंक की सहायता से 2018 में अनुमोदित जलमार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) का आधुनिकीकरण और संवर्धन करना है। नवंबर 2025 में, इसकी लागत को संशोधित कर 4,600.58 करोड़ रु. कर दिया गया और परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा को 30 जून 2026 तक संशोधित किया गया है। यह परियोजना अंतर्देशीय जल परिवहन को मजबूत करने के लिए मल्टीमॉडल और इंटरमॉडल टर्मिनल, नेविगेशनल लॉक, फेयरवे और सामुदायिक जेट्टी विकसित करने पर केंद्रित है। पूर्ण की गई अवसंरचना में वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में एमएमटी, कालुघाट में एक आईएमटी, फरक्का में एक नया नेविगेशनल लॉक और 58 सामुदायिक जेट्टी शामिल हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और यात्री आवाजाही में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

जेएमवीपी के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के 1,390 किलोमीटर के विस्तार में महत्वपूर्ण फेयरवे (नौगम्य मार्ग) विकास का कार्य चल रहा है, जो हल्दिया से वाराणसी तक 11 जलखंडों में प्रगति पर है। आवश्यक न्यूनतम उपलब्ध गहराई सुनिश्चित करने और कार्गो जहाजों की सुचारू एवं निर्बाध आवाजाही को सक्षम करने के लिए ड्रेजिंग और गहराई रखरखाव का कार्य किया जा रहा है।

2.16 **पूर्वोत्तर में रा.ज. का विकास:** पूर्वोत्तर क्षेत्र को 20 राष्ट्रीय जलमार्गों, ब्रह्मपुत्र पर स्थित प्रमुख रा.ज.-2 सहित में 1,665 करोड़ रु. के निवेश के साथ एक प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अवसंरचना के उन्नयन में चार स्थायी टर्मिनल, 13 फ्लोटिंग टर्मिनल और पांडु में एक पोत मरम्मत सुविधा शामिल है। प्रमुख क्षेत्रों में फेयरवे विकास और ड्रेजिंग द्वारा 2.5 मीटर की गहराई सुनिश्चित की जा रही है, जबकि पांडु से डिब्रूगढ़ तक न्यूनतम उपलब्ध गहराई को विभागीय ड्रेजर्स का उपयोग करके बनाए रखा जा रहा है, जिससे क्षेत्र में नौचालन और संपर्कता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

2.17 **क्विक पोंटुन ओपनिंग मैकेनिज़्म (क्यूपीओएमएस):** जलयानों की तत्काल आवाजाही को सक्षम करने के लिए क्यूपीओएमएस की शुरुआत की गई है, जिससे प्रतीक्षा समय 1-2 दिनों से घटकर 10 मिनट से भी कम रह गया है। इसके साथ ही, ये 'रो-रो' यात्री फेरी के रूप में भी कार्य करते हैं। रा.ज.-1 पर मझौआ (बिहार) और नौरंगा (उत्तर प्रदेश) में दो क्यूपीओएमएस पहले से ही चालू हैं। अब इस मॉडल का विस्तार अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों पर किया जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में चार-चार नए क्यूपीओएमएस की योजना बनाई गई है।

2.18 **भारतीय पत्तनों पर कार्गो यातायात:** 2024-25 के दौरान भारत में महापत्तनों और गैर-महापत्तनों ने लगभग 1602.56 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और 2023-24 के दौरान 1542.88 एमएमटी कुल कार्गो का करोबार किया। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यातायात में 3.87% की वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान 12 महापत्तनों ने 672.98 एमएमटी यातायात का संचालन किया जो पिछली वर्ष की इसी अवधि के दौरान 621.87 मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 8.22% की वृद्धि दर्शाता है। डीपीए और पीपीए ने क्रमश:116.24 एमएमटी और 115.25 एमएमटी यातायात का संचालन किया जिससे कार्गो संचालन में दक्षता का नया रिकॉर्ड बना और यह वर्ष दर वर्ष क्रमश: 6.92% और 5.24% वृद्धि दर दर्शाता है।

2.19 **महापत्तनों में उत्पाद-वार कार्गो यातायात:** पीओएल, लौह अयस्क, कोयला, एफएंडएफआरएम, जैसे उत्पादों और कंटेनरों में निरंतर वृद्धि हो रही है। कार्गो की संरचना नीचे दी गई है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	पीओएल	लौह अयस्क	एफ एंड एफआरएम	कोयला	कंटेनर (मिलयन टीईयू में)	अन्य कार्गो	कुल
2017 -18	224.82	41.17	15.05	141.23	133.73 (9.14)	123.37	679.37
2018 -19	233.70	38.81	15.41	163.67	145.52 (9.88)	101.99	699.10
2019 -20	234.86	55.68	16.15	149.04	146.86 (8.79)	102.34	704.93
2020 -21	206.77	64.28	17.67	126.75	143.77 (9.61)	113.44	672.68
2021 -22	221.27	51.71	15.93	146.80	166.90 (11.22)	117.44	720.05
2022 -23	234.17	46.51	16.68	188.24	170.29 (11.45)	128.42	784.31
2023 -24	245.96	61.50	17.30	148.33	181.57 (12.31)	164.63	819.29
2024 -25	254.51	50.18	19.73	150.13	193.52 (13.54)	186.79	854.86
2025-26*	203.06	37.24	19.29	144.41	157.65 (11.01)	111.34	672.99

स्रोत: भारतीय पत्तन क्षेत्र और पत्तन डेटा प्रबंधन पोर्टल पर अद्यतन।
पीओएल में पीओएल क्रूड, उत्पाद और एलपीजी/एलएनजी शामिल हैं
लौह अयस्क में फाइन और पेलेट शामिल हैं
एफएंडएफआरएम (शुष्क) में उर्वरक, उर्वरक कच्चा माल (शुष्क और तरल) शामिल हैं
कोयले में थर्मल, कोकिंग और अन्य कोयला शामिल हैं (*) अप्रैल-दिसंबर, 2025 तक

2.20 **दीपस्तंभों में पर्यटकों का आगमन:** दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल) ने पर्यटन के संवर्धन हेतु 75 दीपस्तंभ विकसित किए और इन्हें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। वर्ष 2023-24 में दीपस्तंभों पर पर्यटकों का आगमन 16.19 लाख और वित्त वर्ष 2024-25 में 18.64 लाख यात्रियों का आगमन रिकार्ड किया गया। दिसंबर, 2025 तक वित्त वर्ष 2025-26 में यह आगमन पहले ही 13.00 लाख तक पहुंच गया है।

2.21 **अधीनस्थ कानून:** समुद्री नौवहन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणन) नियम, 2025 को समुद्री नौवहन सहायता अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है और 18 जून, 2025 को प्रकाशित किया गया है। ये नियम नौवहन और जलयान यातायात सेवाओं की सहायता के संचालन और रखरखाव के लिए नियुक्त कर्मियों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए रूपरेखा निर्धारित करते हैं।

2.22 **डीजीएलएल का आईडब्ल्यूएआई के साथ समझौता ज्ञापन:** डीजीएलएल ने राष्ट्रीय जलमार्ग 2, असम में बोगीबील, सिलघाट, विश्वनाथ घाट और पांडु में नदी दीपस्तंभों के विकास के लिए 8 अप्रैल, 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(आईडब्ल्यूएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य नदी नौचालन, सुरक्षा को बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है।

2.23 **डीजीएलएल का आईपीआरसीएल के साथ समझौता ज्ञापन:** डीजीएलएल ने 23 जुलाई, 2025 को 266.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल, गुजरात में दीपस्तंभ संग्रहालय के निर्माण के लिए भारतीय पत्तन रेल और रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह प्रतिष्ठित दीपस्तंभ संग्रहालय वास्तुकला, प्रौद्योगिकी, कहानी कहने की कला और विरासत के माध्यम से भारत की समुद्री विरासत का यशगान करेगा, जो सभी उम्र के आगंतुकों के लिए एक अविस्मरणीय यात्रा प्रदान करेगा।

2.24 **डीजीएलएल का वीपीए के साथ समझौता ज्ञापन:** डीजीएलएल ने 10 जनवरी, 2026 को विशाखापत्तनम पत्तन के पुराने दीपस्तंभ क्षेत्र में दीपस्तंभ संग्रहालय के विकास के लिए विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह आंध्र प्रदेश का पहला दीपस्तंभ संग्रहालय होगा और इसका उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता और दीपस्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देते हुए भारत की समुद्री विरासत, दीपस्तंभ प्रौद्योगिकी के विकास और समुद्री नौचालन के इतिहास को प्रदर्शित करना है।

संस्थागत सुधार / नई नीतियां / अधिनियम / दिशानिर्देश / नियम

2.25 **वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 2025:** वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 2025 समुद्री भारत विजन 2030 और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 को छह दशकों से अधिक समय में प्रतिस्थापित और आधुनिक बनाने में भारत के समुद्री कानून का सबसे व्यापक सुधार प्रस्तुत करता है। यह अधिनियम वैधानिक प्रावधानों को 560 से घटाकर 325 धाराएं करता है, अनुपालन को सरल बनाता है, कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देता है, भारतीय टन भार को बढ़ाता है, समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी को मजबूत करता है, और आईएमओ आईएसपीएस कोड के अनुरूप पत्तन और पोत सुरक्षा की नियामक निगरानी को सक्षम बनाता है, जिसमें एक निरीक्षण निकाय के गठन का प्रावधान भी शामिल है। प्रमुख संस्थागत सुधारों में नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) का समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) में रूपांतरण शामिल है। यह अधिनियम नाविक कल्याण को समुद्री श्रम सम्मेलन, 2006 के साथ संरेखित करता है, मत्स्य पालन श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, शिपिंग मास्टर पुरस्कारों को सिविल कोर्ट के डिक्री के रूप में मान्यता देता है, परित्यक्त नाविकों को संबोधित करने के उपायों को शामिल करता है, डिजिटल समुद्री शासन को बढ़ावा देता है, और जन विश्वास पहल के तहत मामूली अपराधों को अपराधमुक्त करता है, जिसमें अधिकांश दंड प्रधान अधिकारी, एमएमडी द्वारा सुनाए जाते हैं, जबकि गंभीर अपराध अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं.

2.26 **तटीय नौवहन अधिनियम, 2025:** तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 एक प्रमुख सुधार है जिसका उद्देश्य भारत के घरेलू समुद्री परिवहन को मजबूत करना और सतत लोजीस्टिक को बढ़ावा देना है। यह अधिनियम भारतीय ध्वज वाले जलयानों के लिए तटीय व्यापार के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करता है, नियामक बाधाओं को समाप्त करता है और तटीय बेड़े के तेजी से विस्तार को सक्षम बनाता है, साथ ही ईईजेड में सेवाओं के लिए जलयानों की भागीदारी की अनुमति देता है, जो पहले स्पष्ट रूप से कवर नहीं किए गए थे यह निर्बाध मल्टीमॉडल परिवहन को सक्षम करने, रसद लागत को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के एकीकरण को बढ़ावा देता है। भारत में विदेशी पोतों के लिए रणनीतिक लाइसेंसिंग, भारतीय ध्वज वाले पोतों को प्राथमिकता, भारतीय नाविकों के रोजगार और पोत निर्माण को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम तटीय नौवहन के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस और तटीय नौवहन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना का भी प्रावधान करता है, जो हरित और आधुनिक लॉजिस्टिक्स का समर्थन करने के लिए एक पारदर्शी, कुशल और निवेशक-अनुकूल ढांचा बनाता है।

2.27 **वहन-पत्र अधिनियम, 2025:** भारत के समुद्री व्यापार कानून को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार को चिह्नित करते हुए, वहन- पत्र अधिनियम, 2025 स्वतंत्रता-पूर्व के वहन- पत्र अधिनियम, 1856 को प्रतिस्थापित करता है। यह अधिनियम वहन- पत्र के वास्तविक धारकों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्टता और कानूनी निश्चितता प्रदान करता है, जिससे ढांचे को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सके। कानून को सरल और अद्यतन करके, यह कारोबार करने में आसानी का समर्थन करता है, वाहकों और शिपर्स के बीच अभियोग के जोखिम को कम करता है, और एक विश्वसनीय और पारदर्शी समुद्री व्यापार राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

2.28 **माल वहन अधिनियम, 2025:** समुद्र अधिनियम, 2025 के द्वारा माल वहन स्वतंत्रता-पूर्व 1925 अधिनियम को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री व्यापार का आधुनिकीकरण करता है। नया अधिनियम सरल भाषा का उपयोग करता है, कानूनी निश्चितता प्रदान करता है, और शिपर्स और वाहकों के बीच विवादों को कम करता है। मुख्य विशेषताओं में निर्देश जारी करने, अधिसूचनाओं के माध्यम से नियमों में संशोधन करने और ट्रांजिशन के दौरान परिचालन संबंधी मुद्दों को संबोधित करने की केंद्र सरकार की शक्ति शामिल हैं। परिवहन दस्तावेजों, वहन पत्रों और कार्गो जिम्मेदारियों में स्पष्टता सुनिश्चित करके, अधिनियम एक पारदर्शी, अनुमानित ढांचा बनाता है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों दोनों के विश्वास को बढ़ाता है।

2.29 **भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 -** भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 पुराने भारतीय पत्तन अधिनियम,1908 को प्रतिस्थापित करके, भारत के पत्तन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को आधुनिक और सुव्यवस्थित करना है, समुद्री राज्य विकास परिषद के माध्यम से केंद्र और तटीय राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करना, पत्तन अधिकारियों और राज्य समुद्री बोर्डों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, टैरिफ-निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाना, कुशल विवाद-समाधान तंत्र स्थापित करना और देश भर में सतत, सुरक्षित और कुशल पत्तन संचालन सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तर पर संरेखित सुरक्षा, पर्यावरण और आपदा-तैयारी मानकों को अनिवार्य करना हैं।

2.30 **आईडब्ल्यूएआई नियम:** अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अंतर्गत प्रमुख सुधारों में जलयान डिज़ाइन को मानकीकृत करने के लिए, सुरक्षा में सुधार के लिए और डिजिटल प्रणालियों को समर्थन देने के लिए, 2024 में अधिसूचित नए डिज़ाइन एवं निर्माण नियम और केंद्रीय डेटाबेस नियम शामिल हैं। 2025 में, राज्य विनियमों में सामंजस्य स्थापित करने और प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए सात नियमों में संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त, निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और जलमार्ग अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/टर्मिनल निर्माण) विनियम, 2025 लागू किए गए।

2.31 **भारतीय समुद्री केंद्र (आईएमसी):** भारतीय समुद्री केंद्र (आईएमसी) की स्थापना सितंबर 2024 में भारत सरकार के जनादेश के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के संरक्षण में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को एक दुर्जेय वैश्विक समुद्री नेता के रूप में बदलने के लिए मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरिटाइम अमृत काल विजन 2047 में निर्धारित उद्देश्यों को आगे बढ़ाना हैं।

आईएमसी को समुद्री हितधारकों के व्यापक विस्तार प्रयासों को एकीकृत और समन्वित करने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में परिकल्पना की गई है। यह अपने सदस्यों और विभिन्न विचार मंचों, अनुसंधान संस्थानों और उत्कृष्टता केंद्रों के साथ वैश्विक साझेदारियों से प्राप्त ज्ञान और अनुभवों की विशाल श्रृंखला साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, ताकि भारतीय समुद्री उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त करने का प्रयास कर सके।

आईएमसी अपने सदस्यों को निर्णय लेने में सामूहिक रूप से अपनी बात रखने में सक्षम बना रहा है। यह मंच सम्मेलनों, सेमिनारों का आयोजन करता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों में भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे भारतीय समुद्री क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ती है।

भारत के सभी समुद्री हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च समुद्री संस्था के रूप में, आईएमसी उद्योग और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में समन्वय स्थापित करके नीति निर्माण और नीतिगत समर्थन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी। आईएमसी समुद्री क्षेत्र को नवीनतम जानकारी और प्रौद्योगिकियों, कानूनों और प्रथाओं में विकास प्रदान करके समर्थन देगा जो समुद्री क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क निर्मित करने में मदद करते हैं।

2.32 **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र (आईआईएमडीआरसी):** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (आईआईएसी) के सहयोग से, मुंबई में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र (आईआईएमडीआरसी) की स्थापना की प्रक्रिया में है।

वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, एक विशेष समुद्री मध्यस्थता संस्था की स्थापना एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करती है। आईआईएमडीआरसी की स्थापना का उद्देश्य एक विश्वसनीय, कुशल और क्षेत्र-केंद्रित मंच प्रदान करके

समुद्री विवाद समाधान में भारत की क्षमताओं को मजबूत करना है। इस पहल से अंतरराष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता के लिए एक प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति में सुधार होने और पर्याप्त आर्थिक और रणनीतिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।

2.33 **जलमार्ग क्रूज का विकास:** भारत,यमुना (रा.ज.-110) और झेलम (रा.ज.-49) पर उल्लेखनीय प्रगति के साथ उत्तरी जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन और नदी-क्रूज अवसंरचना को आगे बढ़ा रहा हैं। रा.ज.-110 के साथ, मथुरा वृंदावन, आगरा, दिल्ली और प्रयागराज में घाटों, ड्रेजिंग और सहायक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जो उभरती यात्री और पर्यटन सेवाओं को सक्षम बनाएगा। झेलम नदी पर, 76 किलोमीटर पंथा चौक-वुलर झील खंड पर एक आधुनिक क्रूज प्रणाली आकार ले रही है, जिसे सात तैरती जेट्टी, नौवहन सहायता और संयुक्त जलमार्ग द्वारा समर्थित किया जा रहा है, जिसका रखरखाव भारतीय जल परिवहन प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किया जाएगा। हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक नौकाओं की प्रस्तावित खरीद से झेलम नदी में सुरक्षित, सतत् यात्री और क्रूज संचालन संभव हो सकेगा।

हरित पहलें

2.34 **हरित पत्तन प्रदर्शन सूचकांक (जीपीपीआई):** हरित सागर-ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देशों के अंतर्गत, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 में "प्रगति का मापन, हरित परिवर्तन को सशक्त बनाना" शीर्षक से ग्रीन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (जीपीपीआई) फ्रेमवर्क लॉन्च किया। यह फ्रेमवर्क भारतीय पत्तन में पर्यावरणीय स्थिरता और प्रगति का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए आधिकारिक तंत्र के रूप में कार्य करता है।

2.35 **ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी):** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सभी प्रमुख पत्तनों के लिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) को आगे बढ़ाया है, जिसमें ग्रीन हार्बर टग्स की तैनाती के लिए एक केंद्रीकृत और एकीकृत ढांचा प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम प्रबंधन, तकनीकी मानकीकरण, खरीद समन्वय, वित्तीय संरचना और परिचालन पर्यवेक्षण में सहयोग प्रदान करना है। चरण- । के तहत 16 ग्रीन हार्बर टग्स की तैनाती के लिए एक चरणबद्ध खरीद रणनीति प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित ढांचे का उद्देश्य समुद्री भारत विजन 2030 और हरित सागर - ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देशों के उद्देश्यों का समर्थन करने के साथ लागत में कमी लाना, पैमाने की मितव्ययिता सुनिश्चित करना, भारत में पोत निर्माण को बढ़ावा देना और "आत्मनिर्भर भारत" पहल को गति देना है।

2.36 **ग्रीन क्राफ्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीसीटीपी):** वर्ष के दौरान, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) के तहत अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर सभी भारतीय पत्तन और आईडब्लूएआई के लिए ग्रीन क्राफ्ट्स ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीसीटीपी) की शुरुआत की है। जीसीटीपी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अंतिम रूप दिए जाने के बाद, विभिन्न श्रेणियों के पत्तन नौकाओं के लिए मॉडल निविदा दस्तावेज विकसित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की नौकाओं के लिए मानकीकृत सामान्य और तकनीकी विनिर्देश शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी भारतीय पत्तन और आईडब्लूएआई में पत्तन नौकाओं को हरित प्रणोदन प्रौद्योगिकियों की ओर संरचित, एकसमान और चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित करने में सहायता करना है।

2.37 **ग्रीन पावर प्रॉक्यूरमेंट प्लान:** वर्ष के दौरान, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सभी प्रमुख पत्तनों के लिए एक ग्रीन पावर प्रॉक्यूरमेंट प्लान विकसित किया, जिसमें पत्तन-विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से कार्यान्वित एक कैप्टिव मॉडल के माध्यम से विश्वसनीय, प्रेषण योग्य और सतत हरित बिजली प्रदान करने के लिए 1,000 एमडब्ल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के साथ एकीकृत 275 मेगावाट सौर पीवी परियोजना के विकास की परिकल्पना की गई है है। वित्तीय और तकनीकी आकलन, पत्तनों के लिए दीर्घकालिक टैरिफ स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ मौजूदा डिस्कॉम टैरिफ की तुलना में संभावित टैरिफ में कमी का संकेत देता है। केंद्रीकृत सौर + बीईएसएस मॉडल को अपनाने और पत्तन-विशिष्ट एसपीवीएस के गठन के लिए प्रस्ताव अनुमोदन के अधीन है। यह पहल पत्तन संचालन को कार्बन मुक्त करने, ऊर्जा सहनशीलता को बढ़ाने और महापत्तनों की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए एक रणनीतिक, विस्तार योग्य और वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण मार्ग प्रस्तुत करती है।

भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बीच ग्रीन पावर प्रॉक्यूरमेंट संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

2.38 **न्यूनतम भंडार मानकों (एमआईएस) का युक्तिकरण:** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वर्ष के दौरान पत्तन सुविधाओं के लिए प्रस्तावित न्यूनतम भंडार मानकों, 2025 के निर्माण का विकास किया है। न्यूनतम भंडार मानक समीक्षा समिति के परामर्श से विकसित पत्तनों के प्रस्तावित 2025 जोखिम वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस जोखिम ढांचे के आधार पर, जोखिम के अनुरूप तैयारी और सभी पत्तन सुविधाओं में समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पत्तन-वार तेल रिसाव प्रतिक्रिया (ओएसआर) उपकरण आवश्यकताओं को प्रस्ताव किया गया है।

2.39 **तूतीकोरिन में आउटर हार्बर विकास:** फरवरी 2024 में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने तूतीकोरिन में महत्वाकांक्षी आउटर हार्बर विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य दो अत्याधुनिक टर्मिनलों के निर्माण के माध्यम से पत्तन की क्षमता को 4 मिलियन टीईयू तक बढ़ाना है, जिनमें से प्रत्येक घाट की लंबाई 1,000 मीटर होगी। बाह्य बंदरगाह परियोजना को प्रारंभ में पीपीपी मोड के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया था और 1950 करोड़ रुपये के वीजीएफ के साथ अनुमोदन प्राप्ति के बाद, दो अवसरों पर निविदा आमंत्रित की गई और कोई प्रतिक्रिया/ प्रतिक्रियाशील बोली प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद, मंत्रालय के परामर्श से, एचएएम के माध्यम से सामान्य बुनियादी ढांचे को क्रियान्वित करने और डीबीएफओटी के माध्यम से मशीनीकरण का प्रस्ताव करके बाह्य बंदरगाह प्रस्ताव का पुनर्संरचित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, अनुमानित लागत को संशोधित करके 14,690.76 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें एचएएम घटक 10,742.53 करोड़ रुपये और डीबीएफओटी 3,948.23 करोड़ रुपये है और मंत्रालय को पुनर्संरचित प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। समय बचाने के लिए पत्तन के अनुरोध पर, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही मूल्य बोली खोलने की शर्त पर निविदा जारी करने की अनुमति दी। इसके बाद, 26 दिसंबर 2025 को एचएएम घटकों के लिए निविदा जारी की गई और 8 जनवरी 2026 को पूर्व-बोली बैठक आयोजित की गई।

2.40 **ग्रीन हाइड्रोजन हब:** तीन महापत्तन, अर्थात् दीनदयाल, पारादीप और वीओसी पत्तनों को देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और निर्यात के लिए हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता दी गई है, जो भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। दीनदयाल पोर्ट ने प्रमुख हरित हाइड्रोजन डेवलपर्स को 3,400 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिसमें 2031 तक 5 एमएमटीपीए की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता है। डीएनवी द्वारा मूल्यांकित हरित मेथनॉल बंकरिंग के लिए पत्तन ने 7 का पोर्ट रेडीनेस लेवल (पीआरएल) हासिल किया है, जो वैकल्पिक समुद्री ईंधन के लिए उन्नत तैयारी को दर्शाता है।

5 टीपीडी बायो-मेथनॉल संयंत्र के साथ एक डीएसआईटीसी सुविधा विकास के अधीन है। जुलाई 2025 में कांडला में स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र चालू किया गया, जिसे 10 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। पत्तन ने मेथनॉल बंकरिंग के लिए एसओपी और मैनुअल भी लॉन्च किया। भविष्य की मांग को समर्थन देने के लिए, 300 एमएलडी तक की मापनीयता के साथ 50 एमएलडी विलवणीकरण संयंत्र का विकास प्रक्रियाधीन है। पत्तन, लगभग 3 गीगावाट के मजबूत नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास को भी सुगम बना रहा है। ग्रीन अमोनिया के संचालन के लिए सामान्य अवसंरचना के संदर्भ में, 3.5 एमएमटीपीए की क्षमता वाल तेल जेट्टी-8 संचालन के लिए तैयार है, जबकि तेल जेट्टी-9, तेल जेट्टी-10 और तेल जेट्टी-11, जिनकी संयुक्त क्षमता 10.5 एमएमटीपीए है, विकास के अधीन हैं। पारादीप पत्तन लगभग 800 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पीपीपी मोड पर हरित हाइड्रोजन, अमोनिया और तरल कार्गो के संचालन के लिए एक समर्पित जेट्टी और संबद्ध सुविधाओं के साथ-साथ 40 एकड़ के बैकअप क्षेत्र का विकास कर रहा है। इसके अलावा, वीओसी पत्तन ने 2031 तक 2 एमएमटीपीए की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को लक्षित करते हुए प्रमुख डेवलपर्स को 226 एकड़ भूमि आवंटित की है और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2025 में 10 क्यूएम/प्रति घंटा पायलट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना शुरू की है। वीओसीपीए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पायलट परियोजना के तहत 750 कम ग्रीन मेथनॉल बंकरिंग और ईंधन भरने की सुविधा भी विकसित कर रहा है और मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

2.41 **ग्रीन आईडब्ल्यूटी जलयान:** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ग्रीन जलयानों को तैनात करके कम कार्बन परिवहन को बढ़ावा दे रहा है। वाराणसी, अयोध्या, पटना और कोलकाता में पहले से ही चार इलेक्ट्रिक कैटामरैन चल रही हैं, जिनमें से चार अन्य की योजना है। अंतर्देशीय तटीय और नौवहन लिमिटेड, एस.सी.आई. की सहायक कंपनी, उनके संचालन का प्रबंधन करती है, स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक गतिशीलता का समर्थन करती है।

भारत ने 11 दिसंबर 2025 को वाराणसी में अपना पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन-सेल यात्री पोत शुरू किया, जिसे माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा झंडी दिखाई गयी। शून्य-उत्सर्जन जलयान, जो उपोत्पाद के रूप में केवल पानी का उत्पादन करता है, ने नमो घाट से गंगा पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया, जो हरित अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन में एक प्रमुख उपलब्धि है।

डिजिटलीकरण

2.42 **एमएसडब्ल्यू-सागर सेतु:** एमएसडब्ल्यू-सागर सेतु भारत का केंद्रीकृत डिजिटल संदेश विनिमय मंच है, जो मैरीटाइम हितधारकों के लिए एक एकल-खिड़की इंटरफ़ेस का कार्य करता है, जिससे पत्तनों, टर्मिनलों, व्यापार और नियामक एजेंसियों के बीच सूचना का निर्बाध, सुरक्षित और मानकीकृत आदान-प्रदान संभव हो पाता है। यह प्लेटफॉर्म समुद्री डिजिटलीकरण का एक प्रमुख साधन है, जिससे पत्तन और नौवहन इकोसिस्टम में व्यापार करने में आसानी, पारदर्शिता और परिचालन दक्षता में सहायता मिलती है। एमएसडब्ल्यू-सागर सेतु को 23 मई, 2025 को अनुबंध गो-लाइव घोषित किया गया थ। इसके बाद, 26 जून 2025 को माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा इस प्लेटफॉर्म का औपचारिक उद्घाटन किया गया, जो भारत के लिए राष्ट्रव्यापी, एकीकृत समुद्री सिंगल विंडो के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

एमएसडब्ल्यू-सागर सेतु एक सुदृढ़ संदेश विनिमय मंच के रूप में कार्य करता है जो पत्तन और टर्मिनल परिचालन प्रणाली और प्रमुख व्यापार और नियामक निकायों के साथ एकीकृत है, जिसमें सीमा शुल्क (आइसगेट), पत्तन स्वास्थय संगठन (पीएचओ), फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम (एफओआईएस), यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी), दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल), और नौवहन महानिदेशालय शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म स्वचालित कार्यप्रवाहों और मानकीकृत प्रारूपों द्वारा समर्थित, सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक सिंगल विंडो डिजिटल सुविधा प्रदान करता है, जो एफएएल (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात सुविधा पर सम्मेलन) और एसओएलएएस (समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप हैं।

2025 के दौरान, एमएसडब्ल्यू–सागर सेतु से प्रचालन में उल्लेखनीय वृद्धि और प्रभाव हासिल हुआ है। वर्तमान में, इस प्लेटफॉर्म का

उपयोग सभी 12 महापत्तनों और 54 गैर- महापत्तनों द्वारा किया जा रहा है। निर्बाध और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए, एक समर्पित टोल-फ्री हेल्प डेस्क (1800-270-5260) के माध्यम से 24×7 प्रयोक्ता सहायता सेवा शुरू की गई है। यह प्लेटफॉर्म मैत्री (मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस) प्लेटफॉर्म के साथ भी एकीकृत है, जो वैश्विक डाटा विनिमय और बेहतर सीमा पार अंतरसंचालनीयता की नींव रखता है। कुल मिलाकर, इन उपलब्धियों से जलयानों के प्रतीक्षा समय में कमी आई है, अधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार हुआ है और पत्तन संचालन में पूर्वानुमानशीलता बढ़ी है।

तकनीकी रूप से, यह प्रणाली एक एंटरप्राइज-ग्रेड, अत्यधिक सुरक्षित क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बनाई गयी है और माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर का उपयोग करके कार्यान्वित की गयी है, जो बिना किसी रुकावट के सेवाओं के स्वतंत्र विकास, परिनियोजन और स्केलिंग की अनुमति देती है। ये क्षमताएं कागज रहित, किफायती प्रशासनिक प्रक्रियाओं, रियल टाइम ट्रैकिंग और पारदर्शी अनुमोदन कार्यप्रणाली को सक्षम करती है।

2.43 **उद्यम व्यवसाय प्रणाली:** एक आधुनिक पत्तन इकोसिस्टम बनाने के लिए, लगभग 328 करोड़ रुपये की लागत से पांच महापत्तन (चेन्नै, मुंबई, दीनदयाल, पारादीप और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन- कोलकाता और हल्दिया सहित) एक उद्यम व्यवसाय प्रणाली (ईबीएस) लागू कर रहे हैं। इस प्रणाली में केंद्रीय अवसंरचना पर पत्तन परिचालन प्रणाली (पीओएस), ईआरपी कार्यान्वयन (एसएपी-एस4/हाना) और सहायक एप्लीकेशन (अस्पताल प्रबंधन प्रणाली और ई-ऑफिस) का कार्यान्वयन शामिल होगा, ताकि पत्तन परिचालन दक्षता में सुधार हो, पारदर्शिता बढ़े, कागजी कार्रवाई कम हो और पत्तनों पर प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बढ़त मिले। केंद्रीय अवसंरचना को पत्तन-विशिष्ट अवसंरचना द्वारा भी समर्थन प्राप्त है, जिसमें पत्तन-विशिष्ट नेटवर्क, अंतिम उपयोगकर्ता कंप्यूटिंग उपकरण और पत्तन प्रचालन केंद्र शामिल हैं। यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को समाहित करती है, साथ ही साथ प्रत्येक पत्तन की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित की जाती है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रक्रियाओं की संख्या को 1800+ (लगभग) से घटाकर मात्र 160+(लगभग) करना है। यह भारतीय पत्तनों के लिए अधिक कुशल और डिजिटल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पत्तन-विशिष्ट अवसंरचना को चालू कर दिया गया और 1 सितंबर 2024 को सभी पांच पत्तनों पर प्रचालन और रखरखाव चरण शुरू हो गया। चेन्नै पत्तन प्राधिकरण और मुंबई पत्तन प्राधिकरण में ईबीएस एप्लीकेशन्स को 15 सितंबर 2025 को गो-लाइव घोषित किया गया। पारादीप पत्तन प्राधिकरण ने 24 दिसंबर 2025 को चरण 1 पत्तन प्रचालन प्रणाली और अन्य ईआरपी और सहायक एप्लीकेशन्स के गोलाइव होने की घोषणा की। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने भी 1 जनवरी, 2026 को ईबीएस परियोजना के गोलाइव होने की घोषणा की।

2.44 **अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण:** मंत्रालय ने अंतर्देशीय जल परिवहन के आधुनिकीकरण के लिए कई डिजिटल पहल शुरू की हैं, जिनमें "जलयान और नाविक" केंद्रीकृत जलयान और चालक दल पंजीकरण प्रणाली शामिल है, जिस पोर्टल 8,600 से अधिक जलयान पंजीकृत हैं और 16 राज्य इसमें शामिल हैं, और जल समृद्धि पोर्टल, एनओसी एप्लीकेशन्स को सुव्यवस्थित करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। नौदर्शिका (राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली), कार्ड (माल और क्रूज डाटा पोर्टल), पैनी (एकीकृत परिसंपत्ति एवं नौवहन सूचना प्रणाली) और एलडीआईएस पोर्टल (रियल टाइम डेप्थ इन्फार्मेशन) जैसे प्रमुख तकनीकी प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षा, पारदर्शिता, योजना और प्रचालन दक्षता को बढ़ा रहे हैं।

एचआर पहलें

2.45 सागरमाला–दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) कन्वर्जेन्स स्कीम के तहत कुल 7,423 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के चरण 1 के सफल समापन के बाद 2019 में शुरू हुए चरण 2 के हिस्से के रूप में इनमें से लगभग 3,072 उम्मीदवारों को लॉजिस्टिक्स, पोत-भंजन, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में प्लेसमेंट दिया गया है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारत में महापत्तनों पर समुद्री और रसद क्षेत्र के लिए बहु-कौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी) स्थापित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) से संबद्ध एमएसडीसी, जिसे सीआईडीसीओ और ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स के सहयोग से विकसित किया गया है, पूरी तरह से कार्यरत है और पत्तन प्रचालन, समुद्री रसद, भंडारण और संबद्ध सेवाओं में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखे हुए है। साथ ही, यह प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए नियमित प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान करता है।

गुजरात समुद्री बोर्ड द्वारा सागरमाला योजना के सहयोग से संचालित अलंग-सोसिया पोत पुनर्चक्रण यार्ड में स्थित सुरक्षा प्रशिक्षण और श्रम कल्याण संस्थान ने राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यावसायिक सुरक्षा, जोखिमपूर्ण सामग्री प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया में कुल मिलाकर 1.5 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित किया है।

कार्यक्रम

2.46 **इंडिया मैरीटाइम वीक 2025**

27 से 31 अक्टूबर 2025 तक गोरेगांव स्थित नेस्को बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक (आईएमडब्ल्यू) 2025 देश के समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, जिसमें वैश्विक और घरेलू उद्योग के हितधारक चर्चाओं, साझेदारियों और प्रगति के एक परिवर्तनकारी सप्ताह के लिए एकजुट हुए। इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत भागीदारी देखने को मिली, समझौता ज्ञापनों के माध्यम से निवेश में वृद्धि हुई और भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को लक्षित करते हुए कई महत्वपूर्ण पहलों और परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसके साथ-साथ 12 कार्यक्रम, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड और स्वीडन द्वारा आयोजित 4 समर्पित देश सत्र, साथ ही असम, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयोजित 9 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सत्र शामिल थे।

पैमाना और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता

- आईएमडब्ल्यू 2025 में 5 सहयोगी देश, 93 देशों का प्रतिनिधित्व और 11 भारतीय राज्यों की सहभागिता शामिल थी।
- कार्यक्रम में 678-वक्ताओं ने भाग लिया और इसमें 15 देशों की 27 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ 518 प्रदर्शकों ने भाग लिया।
- 105,000 से अधिक पर्यटकों का आगमन, इस कार्यक्रम के वैश्विक महत्ता और भारत के समुद्री आकर्षण को रेखांकित करता है।
- माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित ग्लोबल सीईओ फोरम में वैश्विक समुद्री दिग्गजों के 11 सीईओ और शीर्ष भारतीय उद्योग के नेता एक साथ आए, जिससे रणनीतिक उद्योग संबंध मजबूत हुए।

उच्च स्तरीय भागीदारी

- कार्यक्रम में 8 माननीय केंद्रीय मंत्रियों, 16 मंत्रियों और भारतीय राज्यों के गणमान्य व्यक्तियों और श्रीलंका, मॉरीशस, सऊदी अरब, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, लाइबेरिया, म्यांमार, सिंगापुर, एंटीगुआ और बारबुडा और मालदीव जैसे 11 देशों के नेताओं ने भाग लिया।
- प्रमुख सत्रों में उद्योग परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, निवेश के अवसर, स्थिरता और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो समुद्री क्षेत्र प्रगति के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है।

व्यापार विकास और निवेश

- एक प्रमुख आकर्षण 12.05 लाख करोड़ रुपये के 522 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना था, जिसमें पत्तन विकास, आधुनिकीकरण, जहाज निर्माण, हरित पहल, व्यापार और ज्ञान विनिमय शामिल थे।
- इसमे से, एमओयू का 27% भाग पत्तन विकास और आधुनिकीकरण के लिए, 16% स्थिरता के लिए, 17% नौवहन और जहाज निर्माण के लिए, 13% पत्तन आधारित औद्योगीकरण के लिए, और 17% व्यापार/व्यवसाय के लिए था।

क्षेत्रीय और नीतिगत पहलें

- उद्योग लॉन्च में पोत निर्माण सुधार (70,000 करोड़ रुपये का निवेश), नीति और कर सुधार, और पोत निर्माण क्लस्टर और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के लिए वित्त पोषण सहायता शामिल है।
- उल्लेखनीय साझेदारियों में सीएमए सीजीएम (एलएनजी कंटेनर जहाजों), कोरियाई शिपयार्ड, माज़ागांव डॉक (कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण), और हरित शिपिंग, टग विकास और ड्रेजिंग में कई सार्वजनिक-निजी पहलें शामिल थीं।
- बेड़े के विस्तार, हरित प्रौद्योगिकियों, मानव पूंजी विकास और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने पर जोर दिया गया था।

सम्मेलन और मीडिया आउटरीच

- आईएमडब्लू 2025 में स्मार्ट पत्तन, पोत निर्माण, नीली अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला, अंतर्देशीय जलमार्ग, क्रूज पर्यटन, समुद्री प्रतिभा और डिजिटल नवाचार पर चर्चा सहित 151 से अधिक सत्र और सम्मेलन आयोजित किए गए।
- उल्लेखनीय सम्मेलनों में ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम, वीमेन इन मैरीटाइम, ग्रीन मैरीटाइम डे और ब्लू इकोनॉमी फाइनेंस फोरम शामिल थे।
- कार्यक्रम ने व्यापक मीडिया आकर्षण प्राप्त किया: 200 टीवी चैनल, 400 से अधिक मुद्रित और ऑनलाइन लेख, 100 मिलियन से अधिक डिजिटल इंप्रेशन, और सुदृढ़ बहुभाषी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कवरेज।

  इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 एक ऐतिहासिक घटना के रूप में उभरा है, जो वैश्विक सहभागिता को बढ़ावा देता है, अरबों डॉलर के निवेश को उत्प्रेरित करता है, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में एक उभरते नेता के रूप में दर्शाता है। सहयोगात्मक भावना, दूरदर्शी नीतिगत लॉन्च और कार्यक्षम व्यावसायिक परिणाम सतत, नवीन और समावेशी समुद्री प्रगति के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

for Shipping & Shipbuilding
Worth over ₹ 2,20,000 Crore
By

Inauguration of
INDIA
MARITIME
WEEK
2025
by
Shri Amit Shah

Ministerial Plenary
INDIA
MARITIME
WEEK
2025

ORF
OBSERVER
RESEARCH
FOUNDATION
SAGARMANTHAN
THE GREAT OCEANS DIALOGUE

2.47 **सिंगापुर समुद्री सप्ताह 2025:** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 24 से 28 मार्च 2025 तक सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित सिंगापुर समुद्री सप्ताह 2025 में भाग लिया। एशिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री सम्मेलनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त, इस कार्यक्रम ने 20,000 से अधिक वैश्विक उपस्थित लोगों को आकर्षित किया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नीति विमर्श के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य किया। पोत, पत्तन परिवहन और जलमार्ग के केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और '2025 और उसके बाद वैश्विक समुद्री रुझानों का नौवहन' पर उच्च स्तरीय वार्ता में भाग लिया, सिंगापुर और नीदरलैंड के मंत्री समकक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। भारत मंडप में छह प्रमुख समुद्री संगठनों को प्रदर्शित किया गया: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, शिपयार्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्वान डिफेंस और चौगुले एसबीडी। पोत, पत्तन परिवहन और जलमार्ग के केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ मंत्रालय और आईपीए के वरिष्ठ अधिकारी और भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रमुख हितधारक भी थे। भारत की भागीदारी ने द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी को सुदृढ़ किया, सतत नौवहन पहलों और डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों के अन्वेषण को सुगम बनाया, और भारतीय समुद्री क्षमताओं की वैश्विक दृश्यता को बढ़ाया, जिससे भारत के बढ़ते समुद्री अवसंरचनाओ में रणनीतिक सहयोग और निवेश के अवसर उत्पन्न हुए।

2.48 **नॉर-शिपिंग 2025:** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2 से 6 जून 2025 तक नोवा स्पेक्ट्रम, लिलस्ट्रॉम, नॉर्वे में आयोजित नॉर-शिपिंग 2025 में भारत की पहली भागीदारी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित समुद्री प्रदर्शनियों में से एक के रूप में, जो 60,000 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है, नॉर-शिपिंग वैश्विक समुद्री और महासागर उद्योगों के प्रमुख अभिसरण मंच का प्रतिनिधित्व करता है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग के केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नॉर्वे के अपने रॉयल हिघ्नेस्स क्राउन प्रिंस हाकोन के साथ भारत मंडप का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत की समुद्री उत्कृष्टता को तेरह प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया: शोफ्ट शिपयार्ड, मरीन इलेक्ट्रिकल, योमन मरीन सर्विसेज प्रा. लि, लार्सन एंड टुब्रो शिपबिल्डिंग, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वैरायटेक, बुओयेंसी कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियरिंग एलएलपी, एसईडीएस, सिनर्जी शिपबिल्डर्स, चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, स्वान डिफेंस, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और मांडोवी ड्राई डॉक्स। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली अन्य संस्थाओं में राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र और भारतीय पत्तन संघ शामिल हैं। मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और भारत के समुद्री उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्टैवेर्न में मिन्नेहेलेन मेमोरियल में 86 भारतीय नाविकों को श्रद्धांजलि दी और लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र के लिए नॉर्वेजियन सहयोग प्राप्त किया। इस ऐतिहासिक भागीदारी ने वैश्विक समुद्री नवाचार में भारत की स्थिति को बढ़ाया, ठोस यूरोपीय भागीदारी स्थापित की, और सतत समुद्री विकास और तकनीकी उन्नति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

2.49 **एएसईएएन-भारत क्रूज संवाद (एआईसीडी) 2025:** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 30 जून और 1 जुलाई 2025 को मंल्लापुरम, चेन्नई में एएसईएएन-भारत क्रूज संवाद (एआईसीडी) 2025 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय आसियान सदस्यों और प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया, जिन्होंने आसियान क्रूज सहयोग पर चर्चा में भाग लिया और प्रमुख अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण साझा किए। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और माननीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर की उपस्थिति में एआईसीडी 2025 का औपचारिक उद्घाटन समारोह कॉर्डेलिया क्रूज पर शुरू हुआ। समारोह में सीबीएम और आईपीए के अध्यक्ष श्री सुनील पालीवाल के स्वागत भाषण, महामहिम का एक रिकॉर्डेड संदेश शामिल था। समारोह में सीबीएम और आईपीए के अध्यक्ष श्री सुनील पालीवाल के स्वागत भाषण, आसियान के महासचिव महामहिम डॉ. काओ किम होर्न का रिकॉर्डेड संदेश और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी. के. रामचन्द्रन का मुख्य भाषण शामिल था। ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम सहित आसियान देशों के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने क्रूज पर्यटन में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर अपने विचार साझा किए।

दूसरे दिन, केंद्रित सम्मेलन सत्रों के साथ संवाद जारी रहा, जिसमें आईपीए के प्रबंध निदेशक श्री विकास नरवाल द्वारा भारत समुद्री सप्ताह 2025 पर एक प्रस्तुति भी शामिल थी। आसियान देशों और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने

अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रस्तुतियों को प्रस्तुत किया, जिसके बाद श्री वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव (शिपिंग), एमओपीडब्ल्यू की समापन टिप्पणियां की गईं।

कार्यक्रम में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और सीबीएम और आईपीए के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचालित भारत-आसियान सहयोग निधि (व्यापार और निवेश) और भारत-आसियान क्रूज टूरिस्ट सर्किट (क्रूज पर्यटन) पर दो पैनल चर्चाएं भी आयोजित की गईं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और भारत के पैनलिस्टों ने क्षेत्रीय क्रूज संपर्कता और पर्यटन सर्किट को बढ़ाने पर चर्चा में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

सम्मेलन सत्रों के अलावा, प्रतिनिधियों ने क्रूज परिचित यात्रा और स्थानीय स्थल यात्रा में भाग लिया, जिसमें भारत की समुद्री क्षमताओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्राचीन रॉक-कट मंदिरों, सुंदर तटरेखा और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, महाबलीपुरम में एआईसीडी 2025 की मेजबानी करना सौभाग्य था, जिसने संवाद में एक अनूठा और यादगार आयाम जोड़ा।

2.50 **इंडिया मैरिटाइम वीक में समुद्री विरासत दिवस:** 27-31 अक्टूबर 2025 के बीच मुंबई में आयोजित इंडिया मैरिटाइम वीक (आईएमडब्ल्यू) 2025 के भाग के रूप में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत और व्यापक दुनिया के साथ इसके स्थायी संबंधों का यशगान करने के लिए समुद्री विरासत दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की संकल्पना "भारत के समुद्री संबंध और साझा सभ्यतागत विरासत" विषय को उजागर करने के लिए की गई थी। यह उत्सव भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं, व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी), लोथल में चल रहे प्रयासों को प्रदर्शित करता है।

समुद्री विरासत दिवस में 7 देशों के 700 प्रतिभागियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, पुरातत्व और इतिहास के डोमेन विशेषज्ञ, शिक्षाविद, समुद्री पेशेवर और छात्र शामिल थे।

समुद्री विरासत दिवस ने छह देशों- इंडोनेशिया, मिस्र, श्रीलंका, कोरिया गणराज्य, पुर्तगाल और थाईलैंड के समुद्री विरासत विशेषज्ञों, पुरातत्वविदों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को मजबूत किया। विचार-विमर्श ने व्यापार, नौवहन और संस्कृति के माध्यम से विविध क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक केंद्रीय समुद्री सभ्यता के रूप में भारत की ऐतिहासिक स्थिति की पुष्टि की।

भारत समुद्री विरासत सम्मेलन के लिए कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण

मान्यता

2.51 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीपीपीआई) 2024: विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीपीपीआई) 2024 के अनुसार, भारत ने वैश्विक पत्तन रैंकिंग में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) ने 23वां स्थान प्राप्त किया है और मुंद्रा पत्तन को दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों में 25वां स्थान मिला है। इनके अलावा, पांच अतिरिक्त भारतीय पत्तन- पिपावाव (32), कोचीन (56), विशाखापत्तनम (70), हजीरा (76), और कामराजार (94) - भी शीर्ष 100 के भीतर हैं, जो भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता, परिचालन दक्षता और वैश्विक समुद्री रसद परिदृश्य में बढ़ती प्रमुखता को दर्शाते हैं।

सागरमाला कार्यक्रम

प्रस्तावना

3.1 मार्च 2015 में शुरू किया गया सागरमाला कार्यक्रम, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत में पत्तन-आधारित विकास को बढ़ावा देना है। लगभग 11,098 किमी की तटरेखा, 14,500 किमी के संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों पर एक सामरिक अवस्थिति के साथ, भारत में समुद्र-आधारित आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण क्षमता है। यह कार्यक्रम पारंपरिक सड़क और रेल परिवहन की तुलना में तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के अधिक उपयोग को बढ़ावा देकर लाजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने और व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। सागरमाला सार्वजनिक और निजी निवेश का लाभ उठाते हुए पत्तन आधुनिकीकरण, नए पत्तन विकास, पत्तन-संबद्ध औद्योगीकरण, तटीय सामुदायिक विकास, पत्तन रेल और सड़क संपर्कता एवं कौशल विकास पर केंद्रित है।

3.2 यह कार्यक्रम मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 (एमएकेवी) के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक समुद्री मार्ग दर्शक के रूप में स्थापित करना है। एमएकेवी, वर्ष 2047 तक भारत को शीर्ष पांच पोत निर्माण देशों में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ, लगभग 4 मिलियन सकल टनभार (जीटी) की पोत निर्माण क्षमता हासिल करने और पत्तनों पर सालाना लगभग 10 बिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की परिकल्पना करता है। व्यापक हितधारक परामर्श और वैश्विक बेंचमार्किंग के माध्यम से तैयार किया गया, एमएकेवी विश्व स्तरीय पत्तन विकसित करने, तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार करने और ब्लू इकॉनामी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 300 पहलों की रूपरेखा तैयार करता है। सागरमाला कार्यक्रम पत्तन अवसंरचना को बढ़ाकर, लाजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और तटीय व समुद्री संपर्कता को सुदृढ़ कर इन उद्देश्यों में सहायता करता है, जिससे 2047 तक भारत के समुद्री विकास में योगदान मिलता है।

3.3 सागरमाला कार्यक्रम का विज़न ईष्टतम और कुशल अवसंरचनागत विकास से घरेलू और एक्जिम कार्गो, दोनों के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। सागरमाला के तहत किए गए अध्ययनों ने समग्र लॉजिस्टिक लागत को कम करने के पर्याप्त अवसरों की पहचान की है, जिससे आर्थिक दक्षता बढ़ी है और भारतीय निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है।

सागरमाला कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं

3.4 सागरमाला कार्यक्रम में 2035 तक लगभग 5.79 लाख करोड़ रुपये के कुल अनुमानित निवेश के साथ 839 परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इनमें से लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपये की 288 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि लगभग 1.59 लाख करोड़ रुपये की 203 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश से अन्य 348 परियोजनाएं नियोजन के चरण में हैं।

3.5 इन परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और महापत्तनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के इनपुट के साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से इनकी नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। परियोजनाओं को निम्नलिखित पांच स्तंभों के तहत व्यवस्थित किया गया है:

क्रम सं.	परियोजना स्तंभ	कुल		पूर्ण		कार्यान्वयनाधीन		विकासाधीन	
		परियोजना की #	लागत (करोड़ रु. में)	परियोजना की #	लागत (करोड़ रु. में)	परियोजना की #	लागत (करोड़ रु. में)	परियोजना की #	लागत (करोड़ रु. में)
1	पत्तन आधुनिकीकरण	234	291279	106	35423	53	71956	75	183900
2	पत्तन संपर्कता	279	206373	96	58628	52	67378	131	80366
3	पत्तन आधारित औद्योगीकरण	14	55737	9	45865	3	9247	2	625
4	तटीय सामुदायिक विकास	81	11573	23	1997	32	5875	26	3701
5	तटीय शिपिंग और आईडब्ल्यूटी	231	14601	54	3137	63	4768	114	6695
कुल		**839**	**5,79,562**	**288**	**1,45,050**	**203**	**1,59,225**	**348**	**2,75,287**

3.6 पिछले दशक में, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागत और समय में कमी लाने तथा व्यवसाय करने में आसानी (ईज-ऑफ-डूईंग) को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और डिजिटल परिवर्तन के कई उपाय किए हैं। यह मंत्रालय, सुविचारित अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए पत्तन क्षमता का विस्तार करने, समय और लागत में कमी करने के लिए कई उपायों को अपनाकर पत्तन प्रचालनों की दक्षता को बढ़ाकर, मानव हस्तक्षेप को कम करके और अंततः खत्म करके प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करने तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं का पूरी सक्रियता से समाधान करके पत्तन क्षमता के विस्तार की योजना बना रहा है।

सागरमाला के तहत पत्तन आधुनिकीकरण

3.7 पत्तनों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देते हुए, 2035 तक पूरी किए जाने के लिए 2.91 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से कुल 234 परियोजनाओं की योजना बनाई गई हैं। इनमें से 35,423 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 106 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और लगभग 71,956 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 53 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं तथा लगभग 1,83,900 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 75 परियोजनाएं नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं। पत्तन आधुनिकीकरण परियोजनाओं को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है - नए पत्तन, महापत्तन आधुनिकीकरण, गैर- महापत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन क्षमता संवर्धन और पोत मरम्मत।

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल, मुंबई

3.8 भारत के महापत्तनों पर, लगभग 1,62,418 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित निवेश वाली 170 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कुल परियोजनाओं में से, लगभग 27,130 करोड़ रुपये की 98 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लगभग 20,104 करोड़ रुपये की 30 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं, और शेष 42 परियोजनाएं, लगभग 1,15,148 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ, नियोजन चरण में हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता में
7 एनएसडी पुराने बर्थ का पुनर्वास

3.9 भारत के गैर-महापत्तनों पर, कार्यान्वयन के लिए लगभग 1.29 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 64 परियोजनाओं की पहचान की गई है । इनमें से 8,292 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लगभग 51,852 करोड़ रुपये की 23 परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं, और शेष 33 परियोजनाएं, लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ, योजना के विभिन्न चरणों में हैं।

3.10 इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय क्षमता और प्रचालन दक्षता बढ़ाने के लिए गैर महापत्तनों पर कई पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । विशेष रूप से, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा एंकरेज पत्तन पर अवसंरचना में सुधार की परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।

पीर पाऊ, मुंबई पत्तन प्राधिकरण में तीसरा रासायनिक बर्थ

सागरमाला के तहत पत्तन संपर्कता

3.11 घरेलू उत्पादन और उपभोग केंद्रों के साथ पत्तन संपर्कता को समर्पित 'पत्तन संपर्कता' स्तंभ के तहत रेल, सड़क, पाइपलाइन और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों (एमएमएलपी) के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है । इस स्तंभ में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही लगभग 2.06 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 279 परियोजनाएं शामिल हैं।

3.12 इनमें से 58,628 करोड़ रुपये की 96 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 67,378 करोड़ रुपये की 52 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। शेष 131 परियोजनाएं, 80,366 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ, नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं।

3.13 इन पहलों में नई अवसंरचना अंतराल परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू), रेल मंत्रालय (एमओआर), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और राज्य समुद्री बोर्डों के परामर्श से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के तहत तैयार व्यापक पत्तन संपर्कता योजना (सीपीसीपी) के एक हिस्से के रूप में पहचाना गया है।

4-लेन पत्तन संपर्कता के शेष हिस्से का निर्माण, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

सागरमाला के तहत पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण

3.14 पत्तन-आधारित औद्योगिकीकरण, उद्योगों को पत्तनों के निकट स्थापित करके लाजिस्टिक्स लागत को कम करने पर केंद्रित है । सागरमाला कार्यक्रम के तहत 55,737 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं की पहचान की गई है । जिसमें से 45,865 करोड़ रुपये की 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और 9,872 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाएं कार्यान्वयन और नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं ।

सागरमाला के तहत तटीय सामुदायिक विकास

3.15 तटीय समुदायों को सागरमाला कार्यक्रम का प्रमुख हितधारक माना जाता है और उनका सामाजिक-आर्थिक हित सुनिश्चित करना एक प्रमुख उद्देश्य है । 11,573 करोड़ रुपए की कुल लागत से कार्यान्वयन के लिए 81 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 1997 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 23 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 9,575 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 58 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

3.16 ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू- जीकेवाई) कौशल विकास अभिसरण कार्यक्रम शुरू किया है । इस पहल के तहत, 7,000+ से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, और 3,000+ से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है ।

3.17 जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जेएनपी) में मल्टी-स्किल डेवलपमेंट सेंटर (एमएसडीसी) चालू है । इस केंद्र में 2,800 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है ।

3.18 समुद्री एवं पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस) एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है जिसमें कुल 30 प्रयोगशालाओं (आईआरएस मुंबई में 6 प्रयोगशालाएं और विशाखापट्टनम में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर में 24 प्रयोगशालाएं) के साथ दो परिसर हैं। संस्थान में इंजीनियरिंग, पॉलीटेकनिक और स्नातक छात्रों के लिए लगभग 50 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। संस्थान ने 15,000 में अधिक अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए हैं।

समुद्री एवं पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस)

3.19 सागरमाला कार्यक्रम के तहत कुल 6,583 करोड़ रुपये की 37 फिशिंग हार्बर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 1,078 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और 5,506 करोड़ रुपये की 25 परियोजनाएं कार्यान्वयन और नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं।

3.20 इसके अतिरिक्त, कोच्चि, चेन्नै, विशाखापट्टणम, पारादीप और मल्लेट बंदर जैसे महापत्तनों से सटे 5 फिशिंग हार्बर को आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है।

करंजा फिशिंग हार्बर, महाराष्ट्र

3.21 राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिसर (एनएमएचसी), लोथल: भारत की समुद्री विरासत अत्यंत समृद्ध है, और सबसे पुराने समुद्री साक्ष्य लगभग 5,000 साल पुराने हैं। पुरातात्विक खुदाई में गुजरात के लोथल में 5,000 साल से भी अधिक पुराना दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित डॉकयार्ड मिला है, जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था और लगभग 2400 ईसा पूर्व का है।

3.22 लोथल डॉकयार्ड को विश्व स्तर पर सबसे पुराने डॉक में से एक माना जाता है। यह शहर को उस समय जब कच्छ क्षेत्र अरब सागर का हिस्सा था, एक प्राचीन व्यापार मार्ग से जोड़ता था जो सिंध में हड़प्पा बस्तियों को सौराष्ट्र प्रायद्वीप से जोड़ता था,

3.23 भारत की समृद्ध और विविध सामुद्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए, मंत्रालय ने अहमदाबाद के पास लोथल में एक राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिसर (एनएमएचसी) विकसित करने की परिकल्पना की है । एनएमएचसी के लक्ष्य हैं:-

i. भारत की सामुद्रिक विरासत को संरक्षित करना और प्रदर्शित करना

ii. एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन गंतव्य स्थल बनना

iii. तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग करना

iv. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मेलों और प्रदर्शनियों का केंद्र बनना

v. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनिमय कार्यक्रम स्थापित करना

vi. एक समुद्री प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित होना

3.24 एनएमएचसी का 375 एकड़ का मास्टर प्लान हड़प्पा नगर नियोजन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है । साइट के सबसे ऊँचे बिंदु पर स्थित 'सिटाडेल' (Citadel) में एनएमएचसी संग्रहालय और समुद्री अनुसंधान संस्थान स्थित है। 'मिडिल टाउन' में केंद्रीय बगीचा, तटीय राज्य मंडप और एक जीवंत विरासत शहर शामिल है, और 'लोअर टाउन' में मनोरंजन थीम पार्क, इको रिसॉर्ट और होटल/म्यूजियोटेल शामिल हैं । एनएमएचसी को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण पूरा होने के करीब है और मार्च 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2019 में रखी गई थी और सितंबर 2025 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा साइट पर इसकी समीक्षा भी की गई थी।

ओएसडी, एमओपीएसडबल्यू द्वारा साइट निरीक्षण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग

एनएमएचसी – वास्तविक साइट

3.25 विश्व के साथ भारत के प्राचीन समुद्री संबंधों को उजागर करने के लिए 30 से अधिक देशों के साथ सहयोग का प्रस्ताव किया गया है। पुर्तगाल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), वियतनाम, थाईलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, ओमान और जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

3.26 इंडिया मैरीटाइम वीक (आईएमडबल्यू) 2025 के हिस्से के रूप में, भारत की गौरवमय समुद्री विरासत और व्यापक विश्व के साथ इसके स्थायी संबंधों का कीर्तिमान करने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडबल्यू) द्वारा समुद्री विरासत दिवस आयोजित किया गया था। इसमें 700 प्रतिभागियों और 7 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। छह देशों—इंडोनेशिया, मिस्र, श्रीलंका, कोरिया गणराज्य, पुर्तगाल और थाईलैंड के समुद्री विरासत विशेषज्ञों, पुरातत्वविदों और सांस्कृतिक संस्थानों ने भारत की समुद्री विरासत और व्यापक विश्व के साथ इसके संबंधों पर विभिन्न सत्रों में भाग लिया।

तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन

3.27 सागरमाला के तहत मंत्रालय का लक्ष्य देश में शहरी जलमार्ग यात्री परिवहन (रो-पैक्स/यात्री फेरी सेवाओं) के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। परिवहन के इस साधन में पारंपरिक साधन की तुलना में कई फायदे परिलक्षित होते हैं, जिनमें बेहतर कार्गो आवाजाही और यात्री के यात्रा समय का कम होना, दुर्घटनाओं का जोखिम कम होना, प्रचालन दक्षता में वृद्धि, कम परिवहन लागत, ईंधन की कम खपत और सड़कों व रेलवे पर भीड़ में कमी शामिल है। यह यात्रियों और वाहनों के लिए निर्बाध यात्रा प्रदान करते हुए वायु, ध्वनि और भूमि प्रदूषण को कम करने में भी योगदान देता है।

कृष्णपट्टनम पत्तन : कोयला आयात हैंडलिंग अवसंरचना

3.28 सागरमाला के तहत 1,458 करोड़ रुपये की 38 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 09 स्थानों पर 638 करोड़ रुपये की 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई स्थानों नामत: गुजरात राज्य में हजीरा और महाराष्ट्र राज्य में मांडवा, कान्होजी आंग्रे द्वीप और बेलापुर पर प्रचालनरत हैं। महाराष्ट्र राज्य में प्रचालनात्मक टर्मिनलों से एलीफेंटा द्वीप, नवी मुंबई, जेएनपीए और डीसीटी मुंबई के लिए भी मार्ग सक्षम हो गए हैं।

मुंबई - अलीबाग रो-रो फेरी सेवा

3.29 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र (आईआईएमडीआरसी) ने सितंबर 2024 में अपने शुभारंभ के बाद एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किया है। यह विशिष्ट मंच समुद्री विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने, समुद्री संव्यवहार के मल्टी मोडल, मल्टी अनुबंध, बहु- अधिकार क्षेत्र और बहु- राष्ट्रीय प्रकृति का समाधान करने के लिए योग्यता-आधारित और उद्योग-शासित समाधान प्रदान करेगा । आईआईएमडीआरसी भारत को मध्यस्थता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है, जो "भारत में समाधान" पहल के अनुरूप है।

3.30 भारतीय समुद्री केंद्र (आईएमसी), एक नीतिगत थिंक टैंक है जिसे वर्तमान में अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे समुद्री हितधारकों को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईएमसी नवाचार, ज्ञान साझाकरण और सामरिक योजना को संपोषित करेगा, जिससे भारत के समुद्री क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सागरमाला योजना के तहत परियोजनाएं

3.31 सागरमाला योजना के तहत 8,912 करोड़ रुपये की लागत वाली 128 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें मंत्रालय का जीबीएस 3,274 करोड़ रुपये है । इनमें से 5,234 करोड़ रुपये की 77 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 3,678 करोड़ रुपये की 51 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं । इन परियोजनाओं में पत्तन क्षमता विस्तार, बेहतर संपर्कता, रो-रो और रो-पैक्स सेवाएं, पर्यटन जेट्टी, शहरी जल परिवहन, फिशिंग हार्बर और तटीय समुदायों के लिए कौशल विकास शामिल हैं । 128 परियोजनाओं में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए मंत्रालय के एएलएचडब्ल्यू स्कंध द्वारा कार्यान्वित दो परियोजनाएं भी शामिल हैं ।

क्रम सं.	स्तम्भ	कुल			पूरी की गई			कार्यान्वयनाधीन		
		परियोजना की #	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	एमओपीएसडब्ल्यू का हिस्सा (करोड़ रु. में)	परियोजना की #	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	एमओपीएसडब्ल्यू का हिस्सा (करोड़ रु. में)	परियोजना की #	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	एमओपीएसडब्ल्यू का हिस्सा (करोड़ रु. में)
1	पत्तन आधुनिकीकरण	24	1033	642	17	852	544	7	181	98
2	पत्तन संपर्कता	19	1497	366	17	1413	324	2	84	42
3	तटीय समुदाय विकास	45	4378	1365	21	2230	523	24	2148	842
4	तटीय पोत परिवहन और आईडबल्यूटी	40	2004	937	22	739	354	18	1265	582
	कुल जोड़	**128**	**8912**	**3309**	**77**	**5234**	**1745**	**51**	**3678**	**1564**

3.32 मंत्रालय ने इन परियोजनाओं में 3,274 करोड़ रुपये का योगदान देकर एक प्रमुख सक्षमकर्ता की भूमिका निभाई है । 2,875 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जो 87% निधि उपयोग को दर्शाता है। कार्यान्वयनाधीन 15 परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति 80% से अधिक है और कार्यान्वयनाधीन 31 परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति 50% से 80% के बीच है। सागरमाला योजना के तहत जारी परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयता 461 करोड़ रुपये है, जिसके कुछ परियोजनाओं के मार्च 2026 तक और शेष के वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान पूरे होने की प्रत्याशा है।

3.33 सागरमाला योजना से वित्त पोषण के साथ पूरी की गई कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं निम्नलिखित हैं-

i. 11 आधुनिक फिशिंग हार्बर परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं, जो बेहतर बर्थिंग, स्वच्छता, नीलामी क्षेत्रों और कोल्ड-चेन सहायता के माध्यम से 30,000 से अधिक मछुआरों को सीधे लाभान्वित कर रही हैं । इन हस्तक्षेपों ने तटीय आजीविका को मजबूत किया है और हार्वेस्ट के पश्चात् प्राप्त मूल्य में वृद्धि की है

ii. एमओपीएसडबल्यू के 323.69 करोड़ रुपये के शेयर के साथ 197 करोड़ रुपये की 5 रेल संपर्कता परियोजनाएं और 1,216 करोड़ रुपये की 12 सड़क संपर्कता परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं , जबकि एमओपीएसडबल्यू के 41.88 करोड़ रुपये के शेयर से 83.75 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं ।

iii. 6 तटीय बर्थ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 6.35 एमटीपीए की कुल क्षमता वृद्धि हुई है । इससे तटीय कार्गो की आवाजाही सुगम हुई है, लाजिस्टिक्स लागत कम हुई है, और सड़क एवं रेल नेटवर्क पर दबाव कम हुआ है ।

iv. 16 रो-पैक्स (रो- पैक्स) और यात्री फेरी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे यात्री गतिशीलता और क्षेत्रीय संपर्कता में अत्यधिक सुधार हुआ है । इन सेवाओं से निम्नलिखित लाभ हुए हैं:-

   क. 35 लाख से अधिक यात्री, जिन्हें सुरक्षित, तेज़ और अधिक किफायती यात्रा विकल्प मिले हैं

   ख. यात्रा समय में कमी:

   - मुंबई-मांडवा: 3 घंटे से घटकर केवल 45 मिनट
   - घोघा-हजीरा: 9 घंटे से घटकर लगभग 4 घंटे
   - रायगढ़-रत्नागिरी: 60 किमी की दूरी कम हुई और 2 घंटे की बचत हुई

v. 1 लाख से अधिक कार्गो ट्रकों की आवाजाही सक्षम हुई है, जिससे माल ढुलाई दक्षता बढ़ी है और 2 करोड़ लीटर से अधिक ईंधन की बचत हुई है । इससे उत्सर्जन कम हुआ है और पर्यावरणीय स्थिरता को मदद मिली है ।

vi. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत, पत्तन-आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए 7,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें से 3,000 से अधिक उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नियुक्त किया गया है, जिससे कौशल विकास को सार्थक आजीविका अवसरों में बदलना सुनिश्चित हो सका।

vii. मुंबई पत्तन के पीरपाऊ में तीसरे केमिकल बर्थ के निर्माण से क्षमता में 2 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की वृद्धि हुई है । इससे 100 प्रत्यक्ष और 500 अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन हुआ।

viii. मुंबई पत्तन के समुद्री तेल टर्मिनल पर एससीएडीए और पीएलसी ऑटोमेशन सिस्टम की संस्थापना से सुरक्षित प्रचालन और वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन बढ़ा है । इससे 5 प्रत्यक्ष और 20 अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ।

ix. कोचीन पत्तन पर प्रोपलीन और अन्य कार्गो हैंडल करने के लिए रो-रो सुविधाओं के विकास से कार्गो हैंडलिंग क्षमता में 0.60 एमटीपीए की वृद्धि हुई है।

x. कोलकाता डॉक सिस्टम (केडीएस) के एनएस डॉक पर पुराने बर्थ संख्या के पुनर्वास के परिणामस्वरूप स्टैकिंग क्षमता में वृद्धि हुई है और अधिक कंटेनर कार्गो को हैंडल करना संभव हुआ है । यह परियोजना क्षमता को प्रति वर्ष 1.40 मिलियन टीईयू तक बढ़ाती है। जिससे बर्थ की उत्पादकता पिछले हैंडलिंग थ्रुपुट 75,000 टीईयू प्रति वर्ष की तुलना में काफी बढ़ जाती है।

मुंबई पत्तन पर समुद्री तेल टर्मिनल में एससीएडीए और पीएलसी ऑटोमेशन सिस्टम

विशाखापत्तनम पत्तन , आंध्र प्रदेश में तटीय कार्गो बर्थ

एसपीएसआर नेल्लोर जिले के जुव्वालदिन्ने में फिशिंग हार्बर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

3.34 पीएम गति शक्ति के तहत, एमओपीएसडबल्यू ने 2026 तक कार्यान्वयन के लिए 64,496 करोड़ रुपये की 101 परियोजनाओं की पहचान की है । इनमें से 19,348 करोड़ रुपये की 41 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 32,794 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 23 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और 12,354 करोड़ रुपए के मूल्य वाली शेष 37 परियोजनाएं नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं। एमओपीएसडब्ल्यू की 101 गति शक्ति परियोजनाओं में से 52 परियोजनाएं, महापत्तनों से और 44 परियोजनाएं राज्यों से और 5 परियोजनाएं अंतर्देशीय जलमार्गों से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं से कार्गो की तेज़ और कुशल आवाजाही में सहायता मिली है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में समग्र रूप से कमी आई है।

जेएनपीए पत्तन का स्नैपशॉट

राज्य समुद्री एवं जलमार्ग परिवहन समितियां (एसएमडबल्यूटीसी)

3.35 एसएमडब्ल्यूडीसी मुद्दों पर परस्पर संवाद और विचार-विमर्श तथा समाधान करने संबंधी एक मंच है। एसएमडब्ल्यूटीसी को संबंधित राज्यों में समुद्री/जलमार्ग क्षेत्र में विविध पहलों और स्कीमों के कार्यान्वयन का समन्वय करना होता है।

3.36 समिति का उद्देश्य, पूरे भारत में समुद्री और जलमार्ग परिवहन का व्यापक विकास सुनिश्चित करना है। राज्यों में समितियाँ राज्य-विशिष्ट समुद्री और जलमार्ग परिवहन मास्टर प्लान तैयार करने, समुद्री क्षेत्र की नीतियों के निर्माण, हरित पहलों, जलमार्ग विकास, क्रूज पर्यटन, शहरी जल परिवहन और लाइटहाउस के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगी। अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पुदुच्चेरी, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, मेघालय, दादर और नगर हवेली और दीव, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) में 24 एसएमडब्ल्यूटीसी का गठन किया गया है।

S2i2 (सागरमाला स्टार्टअप नवाचार और पहल)

3.37 S2I2 भारत में समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित एक नवाचार चुनौती है । समुद्री स्टार्टअप पारंपरिक रूप से अलग-थलग (in silos) काम करते रहे हैं, जिससे अक्सर प्रयासों की पुनरावृत्ति होती है और संभावित तालमेल छूट जाते हैं । इन चुनौतियों से निपटने, साझेदारी को मजबूत करने और विकास को गति देने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए, 2025 में आयोजित राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (एनएसएसी) की बैठक के दौरान माननीय श्री सर्बानंद सोणोवाल, केंद्रीय मंत्री, पीएसएंडडब्ल्यू द्वारा S2I2 का शुभारंभ किया गया था । इस पहल का उद्देश्य गठबंधन को सुविधाजनक बनाकर, संसाधनों को साझा करके और पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने और सामूहिक सफलता को प्रेरित करने के लिए पारस्परिक सहायता प्रदान करके समुद्री नवाचारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

3.38 मैरीटाइम इंडिया फाउंडेशन (पूर्ववर्ती एनएमसी) ने राष्ट्रीय पत्तन, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी), आईआईटी मद्रास के सहयोग से 25 अगस्त 2025 को "मैराथन: इंडियाज मैरीटाइम हैकाथॉन 2025" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के भाग के रूप में, छह विषयों नामत: पत्तन अवसंरचना; स्मार्ट और एकीकृत पत्तन संचालन; एकीकृत लॉजिस्टिक्स और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी; हरित और टिकाऊ समुद्री क्षेत्र; उन्नत सुरक्षा, सुरक्षा और नियामक अनुपालन; और पोत निर्माण और जीवनचक्र प्रबंधन में लगभग 50 समस्या विवरणों (problem statements) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

3.39 इस पहल के भाग के रूप में, मंत्रालय ने MAR-a-THON 2025 नाम से एक समुद्री हैकाथॉन का आयोजित किया जो 16-17 अक्टूबर 2025 को आईआईटी मद्रास में आयोजित किया गया था । देश भर के स्टार्टअप्स और नवाचारियों से 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे । स्टार्टअप्स द्वारा दिए गए प्रस्तावों की शॉर्टलिस्टिंग की गई और 30 अक्तूबर, 2025 को 36 स्टार्टअप्स को कुल 40 प्रायोगिक परियोजनाएं सौंपी गई।

3.40 चयनित परियोजनाओं में से, 26 परियोजनाओं को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) चरण में, 8 परियोजनाओं को न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) चरण में और 6 परियोजनाओं को व्यावसायीकरण चरण में शॉर्टलिस्ट किया गया था। चार समुद्री नवाचार हब—आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय—इन शामिल किए गए स्टार्टअप्स को परामर्श प्रदान करेंगे।

पत्तन

प्रस्तावना

4.1 पत्तन, समुद्री परिवहन और भूमि आधारित परिवहन के बीच एक इंटरफेस प्रदान करते हैं। भारत में 12 सरकारी स्वामित्व वाले महापत्तन हैं जिनमें से 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर स्थित हैं।

भारत के 12 महापत्तन दर्शाते हुए मानचित्र

भारत के महापत्तन

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (कांडला)

4.2 वर्ष 1950 में, केंद्र सरकार ने कांडला के लघु पत्तन को औपचारिक रूप से भारत के एक महापत्तन के रूप में विकसित करने के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया। कांडला के नए महापत्तन की नींव भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 जनवरी, 1952 को रखी थी। कांडला पत्तन को 8 अप्रैल, 1955 को तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत का महापत्तन घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 25 सितंबर, 2017 से इसका नाम बदलकर दीनदयाल पत्तन कर दिया।

4.3 कांडला से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 300 किलोमीटर और समुद्र से 50 समुद्री मील की दूरी पर देव भूमि द्वारका जिले में स्थित वाडीनार में अपतटीय तेल टर्मिनल के उल्लेख के बिना इस पत्तन का इतिहास अधूरा होगा।

4.4 दीनदयाल पत्तन बहु-कार्गो पत्तन है। इसमें सीधी रेखा में 3.718 (लगभग) किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 16 ड्राई कार्गो बर्थे (कंटेनर टर्मिनल पर 2 बर्थों सहित) हैं। कांडला में पीओएल और रसायनों की हैंडलिंग के लिए 7 ऑयल जेट्टियां और इफको बार्ज जेट्टी एवं बंडर क्षेत्र (बार्ज हैंडलिंग प्वाइंट) हैं। केवल ड्राई बल्क कार्गो की हैंडलिंग के लिए टूना-टेकरा के एकेबीटीपीएल पर 4 बर्थें हैं। वाडिनार में तीन सिंगल बोया मूरिंग, जो बहुत बड़े कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) टैंकर को संभाल सकते हैं और 2 पीओएल उत्पाद जेट्टियां हैं। पत्तन ने 2024-25 के दौरान 150.16 एमएमटी और वर्ष 2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान 116.2 एमएमटी का यातायात संचालित किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (डीपीए) ने मैसर्स एलसीटी एनर्जी ग्रीन टेक लिमि. को कांडला, गुजरात में 1 एमडब्ल्यू हरित हाइड्रोजन डिमोंस्ट्रेशन संयत्र परियोजना प्रदान की। यह परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई और इसका उद्घाटन श्री सर्बानंद सोणोवाल, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा किया गया।

- आंतरिक संसाधनों से ओल्ड कांडला में 8 ऑयल जेट्टी का निर्माण कार्य पूरा किया गया और श्री सर्बानंद सोणोवाल, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा 26 मई, 2025 को इसका उद्घाटन किया गया।

- कार्गो जेट्टी क्षेत्र, कांडला के अंदर डोम आकार के और ट्रांजिट स्टोरेज गोदामों का विकास पूरा कर लिया गया और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 26 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था।

- आदिपुर से कार्गो बर्थ 16 तक, एनएच 141 तक अतिरिक्त सड़क संपर्कता का निर्माण पूरा कर लिया गया और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 26 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था।

- एक्जिम कार्गो, कांडला के भंडारण के लिए पत्तन क्षेत्र का विस्तार पूरा कर लिया गया है और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 26 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया।

- टूना-टेकरा में कंटेनर टर्मिनल के लिए सामान्य कनेक्टिविटी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 26 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया।

- पोर्ट कॉलोनी, गोपालपुरी में कुल 24 डी टाइप क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 26 मई 2025 को इनका उद्घाटन किया गया था।

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

4.5 मुंबई पत्तन, भारत में कोलकाता के बाद दूसरा सबसे प्राचीन महापत्तन है। यह पत्तन काफी लम्बे समय तक भारत का मुख्य प्रवेश द्वार रहा है। सामरिक अवस्थिति इसके पक्ष को विशेष बनाती है। यह भारत के पश्चिमी तट के साथ इसके मध्य में स्थित है और यहां प्रकृति के उपहार स्वरूप 400 वर्ग कि.मी. का एक प्राकृतिक गहरे जल वाला पत्तन है जो इसके पूर्व में कोंकण की मुख्य भूमि तथा पश्चिम में मुंबई के द्वीप से संरक्षित है। बंदरगाह में गहरा जल पूरे वर्ष के दौरान नौवहन के लिए सुरक्षित एवं प्रचुर आश्रय प्रदान करता है।

4.6 मूल रूप से एक सामान्य कार्गो पत्तन, आज मुंबई पत्तन बहुउद्देश्यीय पत्तन है जो सभी प्रकार के कार्गो जैसे ब्रेक बल्क, ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क और कंटेनरों को संचालित करता है। पत्तन का उपयोग करने वाले पोतों की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पत्तन में व्यापक गीला और ड्राई डॉक स्थल है। पत्तन, पायलटेज से लेकर बर्थिंग, स्टोरेज से लेकर कार्गो की डिलीवरी तक और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) चलाने की सहायक सेवाएं, पत्तन रेलवे के साथ-साथ क्राफ्ट, उपकरण और भवन के रखरखाव की सेवाएं/ सुविधाएं प्रदान करता है।

4.7 पत्तन में 86.50 एमएमटीपीए की प्रभावी भारित क्षमता के साथ 32 बर्थ (ओसीटी सहित) हैं। पत्तन ने 2024-25 के दौरान 68.63 एमएमटी और 2025-26 के दौरान (दिसम्बर, 2025 तक) 56.3 एमएमटी का यातायात संचालित किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां:

- मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2024-25 के दौरान 68.63 मिलियन टन का सबसे अधिक कार्गो संचालित किया, जो वर्ष 2023-24 में 67.26 मिलियन टन के अपने पिछले सर्वाधिक कार्गो से अधिक है।

- दिनांक 23 अगस्त, 2024 को मुंबई पत्तन की समुद्री तेल टर्मिनल पर एससीएडीए (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा संग्रहण) और पीएलसी (प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर) स्वचालन प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। इस प्रणाली का उद्देश्य तेल पाइपलाइनों और वाल्वों जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना ढांचे को स्वचालित करके परिचालन दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना है।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण

4.8 1980 के दशक के मध्य में निर्मित तथा दिनांक 26 मई 1989 से शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू पत्तन विश्व स्तर का अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर संचालित करने वाला पत्तन बन गया है। यह एंलीफेंटा द्वीप से दूर मुम्बई हार्बर के पूर्वी तट पर 18 56'43'' उत्तरी अक्षांश और 72 56'24'' पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यह नई पहलों जैसे निजी क्षेत्र की भागीदारी और ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस के माध्यम से भारत के पत्तन विकास में एक ट्रेंड स्थापित किया है। जेएनपीए भारत के महापत्तनों में से पहला 100% स्वामित्व वाला पत्तन है।

जेएनपीए

4.9 जेएनपीए, सभी मौसम के अनुकूल ज्वारीय एक पत्तन है जिसमें 145.87 एमटीपीए की क्षमता के साथ 17 बर्थ हैं। पत्तन ने 2024-2025 के दौरान 92.12 एमएमटी और वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान 75.429 एमएमटी यातायात हैंडल किया। वर्तमान में, जेएनपीए में 10.4 मिलियन टीईयू की कुल कंटेनर हैंडलिंग क्षमता वाले 5 पूरी तरह से स्वचालित कंटेनर टर्मिनल संचालित होते हैं। इन कंटेनर टर्मिनलों का संचालन पीपीपी मोड में प्रमुख वैश्विक टर्मिनल ऑपरेटरों, अर्थात् डीपी वर्ल्ड (2 टर्मिनल), एपी मोलर टर्मिनल्स (एपीएम टर्मिनल), सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी (पीएसए) और मैसर्स जेएम बक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स (एनएसएफटी) के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (बीएमसीटीपीएल), सिंगापुर पोर्ट (पीएसए) के एसपीवी, जिसकी कुल परियोजना क्षमता 60 एमएमटी (4.8 मिलियन टीईयू) है, ने 18 फरवरी, 2018 को चरण- I (2.4 मिलियन टीईयू) के तहत संचालन शुरू किया। 4 सितंबर, 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग द्वारा वर्चुअल तरीके से चरण- II (2.4 मिलियन टीईयू) का उद्घाटन किया गया था, जिससे यह 4.8 मिलियन टीईयू क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बन गया, जिसमें समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डीएफसी-संगत रेल लिंक और संधारणीय बुनियादी ढांचा है।

4.10 भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30 अगस्त 2024 को वधवान पत्तन की आधारशिला रखी गई थी। तट के निकट पुनरुद्धार और तट सुरक्षा का कार्य शुरू कर दिया गया है, और ब्रेकवाटर के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- जेएनपीए ने विश्व बैंक और एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा प्रकाशित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीपीपीआई) 2020-2024 में विश्व स्तर पर 23 वीं और भारत में पहली रैंक हासिल की और सीपीपीआई 2020-2024 में शीर्ष 20 पत्तनों में सुधरकर 10वीं रैंक हासिल की।
- जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कार्गो का 92.12 मिलियन टन का अपना उच्चतम थ्रूपुट दर्ज किया। पत्तन ने 7.94 मिलियन टीईयू का अब तक का सबसे अधिक कंटेनर थ्रूपुट हासिल किया, जो 2024 में 7.05 मिलियन टीईयू की तुलना में 12.64% अधिक है। चालू वर्ष 2025 में समग्र कार्गो थ्रूपुट 99.17 एमएमटी तक पहुंच गया, जो 2024 में 90.27 एमएमटी से 9.86% अधिक है। दिसंबर, 2025 में पत्तन ने 711,412 टीईयू के अपने सबसे अधिक मासिक कंटेनर थ्रूपुट को भी दर्ज किया, जो अगस्त 2025 के 695,968 टीईयू के रिकॉर्ड को पार कर गया।
- फरवरी 2025 में जेएनपीए को वर्ष 2023-24 में >0.5 मिलियन टीईयू कंटेनर कार्गो को संभालने के समग्र प्रदर्शन में प्रथम रैंक के लिए सागर आंकलन प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया था।

- 24 फरवरी 2025 को जेएनपीए को पत्तन संधारणीयत की श्रेणी में बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था।
- 5 अप्रैल 2025 को जेएनपीए को राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 पर सागर सम्मान पुरस्कार में एक उत्कृष्ट भारतीय पत्तन होने के लिए मान्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था।
- जेएनपीए को 13 मई 2025 को 7वें भारत लॉजिस्टिक्स रणनीतिक शिखर सम्मेलन 2025 में शीर्ष 5 'लॉजिस्टिक्स चैंपियन सर्वश्रेष्ठ पत्तन' में स्थान दिया गया था।
- 18 जून 2025 को जेएनपीए को आईएपीएच से संधारणीयता और पत्तन डीकार्बोनाइजेशन पहलों में नेतृत्व के लिए एक प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।
- 20 जून 2025 को जेएनपीए को 9 वें भारत समुद्री पुरस्कारों में 10 मिलियन + टीईयू की क्षमता प्राप्त करने के लिए एक विशेष सम्मान मिला, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बन गया।
- 20 जून 2025 को जेएनपीए को 9वें भारत समुद्री पुरस्कारों में समुद्री क्षेत्र के लिए इसकी उत्कृष्टता और अटूट समर्पण को मान्यता देते हुए सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पत्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 23 जून 2025 को जेएनपीए को भारतीय लागत और प्रबंधन लेखाकार संस्थान से परिवहन और लॉजिस्टिक्स की श्रेणी में लागत प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 19 जुलाई 2025 को जेएनपीए को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में इसके बहुमूल्य योगदान को महत्व देते हुए, नगरपालिका/सरकारी संगठन श्रेणी के तहत एनवायरोकेयर ग्रीन अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया।
- 11 सितंबर 2025 को जेएनपीए को समुद्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के दूसरे संस्करण में प्रतिष्ठित पोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 19 सितंबर 2025 को जेएनपीए को ईटी नाउ इन्फ्रा फोकस शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 10 वें संस्करण में 'मोस्ट एडमायर्ड सेंट्रल एंटीटी प्रोमोटिंग पीपीपी - पोर्ट 2025' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- 30 अक्टूबर 2025 को जेएनपीए को इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में मैरीटाइम एक्सीलेंस अचीवर्स 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 10 नवंबर 2025 को जेएनपीए तट इकाई को मुंबई पोर्ट टैंकर बर्थ जेडी 5 के पास एलीफेंटा यात्री नौका दुर्घटना के दौरान 57 लोगों की जान बचाने के लिए गांधीनगर में भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) द्वारा एसएआर (सर्च एंड रेस्क्यू) पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया था।

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

4.11 भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुरगांव पत्तन, एमपीए देश का तीसरा सबसे पुराना पत्तन है जिसने 15 अप्रैल, 1885 से प्रचालन शुरू किया। आधिकारिक तौर पर 1963 में सांतवा बड़ा महापत्तन के रूप में माना जाने वाला एमपीए 546 एकड में फैला हुआ है और यह एक नैसर्गिक गहरे-पानी वाला पत्तन है जो 125,000 डीडब्ल्यूटी तक के जलयानों को समायोजित करने में सक्षम है और आधुनिक यंत्रीकृत कार्गो हैंडलिंग प्रणाली के साथ-साथ स्टोरेज यार्ड वेयरहाऊसेस, टैंक फार्म सहित उन्नत सुविधाओं के

मुरगांव पत्तन

साथ हर समय प्रचालन में रहता है। पत्तन क्रूज जलयानों को भी संभालता है और इसमें एक समर्पित क्रूज बर्थ और टर्मिनल है और यह संबद्ध रो-रो, रो पैक्स और फेरी सेवाओं के साथ अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनलों का विकास कर रहा है।

4.12 पत्तन वर्तमान में विविध प्रकार के ड्राई-बल्क, ब्रेक-बल्क, कंटेनरीकृत माल और तरल बल्क कार्गो जैसे लौह अयस्क, चूना पत्थर, जिप्सम, एचबीआई, बॉक्साइट, कोयला / कोल, स्टील कॉइल्स, पिग आयरन, ग्रेनाइट के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया और कास्टिक सोडा को संभालता है। माल ढुलाई बर्थ 5, 6, 7, 10 और 11 का संचालन दीर्घकालिक अनुबंधों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत किया जाता है, जबकि बर्थ 8 को पत्तन प्रबंधन के तहत तरल माल के लिए समर्पित किया गया है, और बर्थ 9 को वर्तमान में सामान्य कार्गो क्षमता को बढ़ाने के लिए पुनर्विकसित किया जा रहा है।

4.13 एमपीए संचालन को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाता है। एसएपी-ईआरपी जैसी प्रणालियां एनएलपी-एम और आरएफआईडी-आधारित गेट एक्सेस के साथ एकीकृत हैं ताकि निर्बाध, कुशल व्यावसायिक लेनदेन सुनिश्चित किया जा सके। एमपीए की गुणवत्ता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 प्रमाणपत्रों के साथ-साथ पत्तन सुरक्षा के लिए आईएसपीएस कोड के पूर्ण अनुपालन में परिलक्षित होती है।

4.14 2024 की ऐतिहासिक उपलब्धि में, मुरगांव पत्तन हरित सागर दिशानिर्देशों के अनुरूप पर्यावरण के अनुकूल जलयानों को हरित पोत प्रोत्साहन 'हरितश्रेय' प्रदान करने वाला पहला भारतीय पत्तन बन गया और यह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स (आईएपीएच) के वैश्विक पर्यावरण पोत सूचकांक पोर्टल पर एक प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध होने वाला भी पहला पत्तन था। इस वर्ष की शुरुआत में अपनी यात्रा के दौरान, आईएपीएच महासचिव डॉ. मसाहिको फुरुची ने पर्यावरण की दृष्टि से उत्तरदायी समुद्री अभियानों के लिए पत्तन के निरंतर समर्पण की सराहना की।

4.15 हमारे हरित क्रेडेंशियल्स को और अधिक सुदृढ करते हुए, पत्तन ने 2025 की शुरुआत में ₹18 करोड़ की लागत से निर्मित 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया। यह सुविधा सालाना लगभग 4.5 मिलियन यूनिट उत्पन्न करती है, जो पत्तन की पूरी बिजली की मांग को पूरा करती है और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 3,800 टन प्रति वर्ष कमी करती है। यह एमपीए को काफी हद तक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाता है और भारत के संधारणीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4.16 पर्यावरण प्रबंधन के इस मार्ग को जारी रखते हुए, पत्तन ने कोयला हैंडलिंग के लिए 160 करोड़ रुपये के कवर गुंबद का भी उद्घाटन किया। इस पूरी तरह से ढकी संरचना से कोयला भंडारण को सुरक्षित रूप से नियंत्रित और प्रबंधित करके कोयला धूल और प्रदूषण में काफी कमी आती है।

4.17 मुरगांव पत्तन प्राधिकरण इन पहलों के साथ-साथ भारत और दुनिया के लिए एक स्वच्छ, हरित भविष्य के लक्ष्य की ओर बढ़ने के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान कर रहा है।

4.18 पत्तन ने 2024-2025 के दौरान 18.13 एमएमटी और वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान 15.5 मिलियन टन के यातायात का संचालन किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय घटनाएं/उपलब्धियां

- 21 जनवरी, 2025 को माननीय केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और गोवा राज्य के कई मंत्रियों, स्थानीय विधायकों और मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में मुरगांव पत्तन पर -रवींद्र भवन से एम.पी.ए. गेट नंबर 9 तक भारत के पहले घुमावदार पुल "फ्लाईओवर-कम-केबल स्टेय्ड आरओबी फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी"का उद्घाटन किया गया था। यह परियोजना अब अनन्य रूप से पत्तन संपर्कता, सड़क से जुड़े माल की निर्बाध आवाजाही और एक्जिम व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, मुरगांव पत्तन तक और से माल की निर्बाध आवाजाही प्रदान कर रही है।

उपराष्ट्रपति ने मुरगांव पत्तन पर तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया

- भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ ने 21.05.25 को मुरगांव पत्तन पर कुल 300 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और समर्पण किया। ये परियोजनाएं हैं: 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र; कोयला संचालन के लिए कवर्ड (ढका हुआ) गुंबद; बर्थ नंबर 10 और 11 पर 2 हार्बर मोबाइल क्रेन का वाणिज्यिक संचालन। इन परियोजनाओं का उद्घाटन श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, गोवा के माननीय राज्यपाल, डॉ. प्रमोद सावंत, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री शांतनु ठाकुर, राज्य मंत्री, एमओपीडब्ल्यू, श्री श्रीपद नाइक, राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार, श्री सदानंद शेट तानवड़े, माननीय सांसद राज्यसभा, स्थानीय प्रतिनिधि और एमपीए अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

मुरगांव पत्तन ने कंटेनर शिपिंग प्रचालनों का पुनरुद्धार किया

- मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (एमपीए) ने दो साल से अधिक के अंतराल के बाद पूर्ण पैमाने पर कंटेनर शिपिंग संचालन के पुनरुद्धार के साथ एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया। कंटेनर जलयान एमवी एससीआई मुंबई ने 20 नवंबर, 2025 को बर्थ सं. 10 पर अपना पहला कॉल किया, जिसमें कुल 50 टीईयू थे।
- डॉ. एन. विनोद कुमार, आईपीओ, अध्यक्ष, एमपीए, ने पहले कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुरगांव पत्तन पर जलयान की पहली कॉल की स्मृति में डॉ. एन. विनोदकुमार, आईपीओएस, अध्यक्ष और कैप्टन सतीश माधवन, एमवी एससीआई मुंबई के कप्तान के बीच एक समारोह फलक का आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर श्री विनायक राव, एमपीए के उपाध्यक्ष और एमपीए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और डेल्टा पोर्ट्स मुरगांव टर्मिनल प्राइवेट लि. के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

4.19 नव मंगलूर पत्तन को 4 मई 1974 को 9वें महापत्तन के रूप में घोषित किया गया था और 11 जनवरी 1975 को औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। पत्तन में 16 बर्थ और 1 एसपीएम (सिंगल पॉइंट मूरिंग) है जिसकी भारित क्षमता 114.96 एमटीपीए है। पत्तन ने 2024-2025 के दौरान 46 एमएमटी और वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान 36.8 एमएमटी का यातायात संचालित किया। एनएमपीए ने बंदरगाह की स्वर्ण जयंती मनाई है और इस अवसर की स्मृति में पीपीपी मोड पर 150 बिस्तरों वाले मल्टी- स्पेशेलिटी अस्पताल सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं को चालू किया गया। यह पत्तन अतिरिक्त गहरे ड्राफ्ट बर्थ (सं. 17) के निर्माण, तेल बर्थ नंबर 9 के नवीनीकरण, अतिरिक्त ढके हुए शेडों के निर्माण आदि की प्रक्रिया में है।

श्री सर्बानंद सोणोवाल, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने 15 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में कर्टन रेजर समारोह के अवसर पर स्वर्ण जयंती के लोगो का उद्घाटन गया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय घटनाक्रम/उपलब्धियां

- एनएमपीए के स्वर्ण जयंती समारोह का कर्टेन रेज कार्यक्रम दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने स्वर्ण जयंती लोगो, स्मारक सिक्के, टिकटों, एंथेम, चिकित्सा ऐप का लोकार्पण किया और पत्तन पर विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया/ इनकी आधारशिला रखी।
- एनएमपीए के स्वर्ण जयंती समारोह का अंतिम कार्यक्रम दिनांक 13 नवंबर, 2025 को एनएमपीए में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने पत्तन पर विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया/ इनकी आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और साथ ही, डीके जिले के विभिन्न सांसद और विधायक भी मौजूद थे।
- पत्तन ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान 3365 यात्रियों के साथ, 4 क्रूज जलयानों को, संचालित किया।
- पत्तन 100% सौर संचालित पत्तन बना हुआ है।
- पत्तन ने दिसंबर 2025 के दौरान 5.44 एमएमटी के रिकॉर्ड मासिक यातायात को हैंडल किया है, जो मार्च 2025 में 4.71 पहले के एमएमटी के रिकॉर्ड को पार कर गया है।

श्री सर्बानंद सोणोवाल, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने 13 नवंबर, 2025 को एनएमपीए के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतिम कार्यक्रम के अवसर पर श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, डॉ. ए.वी. रमना, अध्यक्ष, एनएमपीए और सांसदों और डीके जिले के विधायकों की उपस्थिति में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया।

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

4.20 कोचिन पत्तन का विकास 1920-1940 के दौरान सर रार्बट ब्रिस्टो के अथक प्रयासों से हुआ। यह पत्तन विलिंग्डन द्वीप पर 9'58'' के उत्तरी और 76'14'' पूर्वी अक्षांश पर भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है जो मुंबई से लगभग 930 किमी दक्षिण और कन्याकुमारी के 320 किमी उत्तर में है। भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर अपनी सामरिक अवस्थिति के साथ-साथ पूर्व-पश्चिम समुद्र व्यापार के चौराहे पर बहुत अनुकूल स्थिति में होने के कारण यह पत्तन दक्षिण-पश्चिम भारत के विशाल औद्योगिक और कृषि उत्पाद बाजारों का प्राकृतिक प्रवेश द्वार है। पत्तन के भीतरी क्षेत्र में सम्पूर्ण केरल राज्य और तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों के हिस्से शामिल हैं। कोचिन, यूरोप और सुदूर पूर्व तथा आस्ट्रेलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग से अपनी नजदीकी के कारण अत्यधिक व्यासायिक अवसर देकर अनेक कंटेनर लाइनों को आकर्षित कर सकता है।

कोचिन पत्तन

4.21 कोचिन पत्तन में 80.50 एमएमटीपीए की प्रभावी भारित क्षमता के साथ 1 एसपीएम सहित 22 बर्थ हैं। पत्तन ने 2024-25 के दौरान 37.75 एमएमटी और 2025-26 (अप्रैल-दिसम्बर, 2025) के दौरान 28.43 एमएमटी कार्गो यातायात संचालित किया। पत्तन द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्गो में पीओएल, कंटेनर, सीमेंट, उर्वरक, उर्वरक का कच्चा माल (शुष्क) और अन्य शामिल हैं।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- कोचिन पत्तन ने वित्त वर्ष 2025 में 38.48 एमएमटी का सबसे अधिक कुल थ्रूपुट दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि की तुलना में 3.69% की वृद्धि है।

वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण

4.22 वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन (वीओसीपी), भारत का 10वां महापत्तन सामरिक रूप चेन्नै पूर्व-पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के करीब चेन्नै से 540 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। 15 बर्थों, 8.60 मीटर से लेकर 14.20 मीटर तक के डुबाव और 123.46 एमएमटीपीए की प्रभावी रेटेड क्षमता के साथ गेटवे पत्तन के रूप में यह पत्तन बल्क, कंटेनर, ड्राई, लिक्विड और ब्रेक बल्क कार्गो के व्यापक स्पेक्ट्रम को संचालित करने के लिए सुसज्जित है। यह पत्तन, तूफानों और चक्रवाती हवाओं के प्रकोप से अच्छी तरह से सुरक्षित है और वर्ष भर चौबीसों घंटे चालू रहता है।

वीओसी पत्तन

4.23 अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, समर्पित टर्मिनल प्रचालकों, पत्तन उपयोगकर्ता समुदाय और कुशल मानव संसाधन की सहायता से, यह पत्तन दक्षिणी तमिलनाडु क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का अग्रदूत रहा है। यह पत्तन उत्कृष्ट रेल और सड़क संपर्क प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- पत्तन ने 1 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला महापत्तन के रूप में इतिहास रचा है। हाल ही में ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम से 400 किलोवाट की अतिरिक्त क्षमता के साथ, पत्तन की कुल रूफटॉप सौर क्षमता अब 1.04 मेगावाट है।
- मार्च में, पत्तन ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के हिस्से के रूप में, हार्बर उच्च सेकेंडरी स्कूल के लिए पत्तन द्वारा योगदान किए गए ₹32.61 लाख की लागत वाली नई सीएनजी बस को झंडी दिखाकर रवाना किया।

- 5 सितंबर, 2025 को, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने 10 एनएम3/घंटा की क्षमता के साथ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया, जो इस तकनीक का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन डेमोंस्ट्रेटर उत्पन्न करने वाला पहला भारतीय पत्तन बन गया।
- 120 टन क्षमता के डीजल संचालित हार्बर मोबाइल क्रेन को इन-हाउस

संशोधनों से इलेक्ट्रिक मोड में चालू किया गया है, जिससे प्रति घंटे लगभग 68 लीटर डीजल की खपत समाप्त हो गई है और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 182 किलोग्राम प्रति घंटे की कमी आई है।

- पत्तन ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही तक 1,13,52,510 यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 85,61,509 यूनिट की तुलना में 32.6% की वृद्धि दर्शाता है।
- पत्तन को 27 से 29 नवंबर 2025 तक मुंबई में आयोजित भारतीय हरित भवन परिषद सम्मेलन में आईजीबीसी संस्थापक सदस्य प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था।

अवसंरचना विकास और परियोजनाएं

- दिनांक 26 जनवरी, 2025 को तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन और पोर्ट कोल यार्ड के कन्वेयर को जोड़ने वाले लिंक कन्वेयर प्रणाली के संचालन की शुरुआत हुई।
- आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत, समुद्री विभाग ने 7 साल की अवधि के लिए तीन 60 टी बोलार्ड पुल और भारतीय निर्मित एएसटीडीएस-अनुरूप टग के लिए एक कार्य आदेश जारी किया।
- पहली टग को 18 दिसंबर, 2025 को सफलतापूर्वक तैनात किया गया था, और दो अतिरिक्त टग 2026 में शामिल होने के लिए निर्धारित हैं। यह पहल पत्तन दक्षता को बढ़ावा देती है, घरेलू पोत निर्माण में सहायता करती है, और समुद्री संपत्तियों में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाती है।

पुरस्कार और सम्मान

- दिनांक 12 जून, 2025 को, पत्तन को नई दिल्ली में ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा आयोजित 24वें ग्लोबल ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2025 में पर्यावरण संरक्षण के लिए "विजेता" पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- पत्तन को 14 जून, 2025 को, नई दिल्ली में आयोजित 11वें ग्रीनटेक सीएसआर इंडिया अवार्ड्स 2025 में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विजेता पुरस्कार प्रदान किया गया।
- पत्तन को दिनांक 23 जून, 2025 को परिवहन और लॉजिस्टिक्स श्रेणी के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2024 के लिए लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए पहला स्थान प्रदान किया गया था।
- पत्तन को दिनांक 09 जुलाई, 2025 को, चेन्नै में 16वें दक्षिण पूर्व सीईओ कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2025 में एक्ज़िम इंडिया शिपिंग टाइम्स से "पोर्ट सेक्टर में डायनामिक ट्रेड फैसिलिटेटर" पुरस्कार प्राप्त हुआ।

डिजिटल पहल और ग्राहक सेवाएं

- पत्तन ने दिनांक 14 नवंबर, 2025 को टर्मिनल ऑपरेटर का मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया जो हितधारकों के लिए लाइव जलयान ट्रैकिंग, रियल टाइम कंटेनर अद्यतनीकरण, गेट स्थिति, निर्धारित कार्यक्रम और तत्काल अलर्ट प्रदान करता है।

स्वास्थ्य देखभाल और सीएसआर

- नगर निगम सीमा में 2.38 करोड़ रुपये के साथ नशामुक्ति केंद्र का निर्माण, जो व्यसन से बाहर निकलने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, और इसके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं का समाधान करता है।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

4.24 चेन्नै पत्तन प्राधिकरण, सभी नौसमों के अनुकूल एक कृत्रिम हार्बर है जिसमें एक आउटर हार्बर तथा गीले डॉक के साथ एक आंतरिक हार्बर एवं चौबीसों घंटे नौचालन सुविधाओं के साथ एक बोट बेसिन है। 1875 में स्थापित यह पत्तन बंगाल की खाड़ी पर 130 06' उत्तरी अक्षांश और 80018' पूर्वी देशांतर पर स्थित है।

4.25 चेन्नै पत्तन ने 2024-2025 के दौरान 55 एमएमटी तथा वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर 2025 तक) के दौरान 43.5 एमएमटी का यातायात हैंडल किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- 15 जनवरी, 2025 को, चेन्नै पत्तन ने जेडी 6 में जलयान एमवी एनजीएस फेथ से एक ही दिन में 7,900 टन भारी पिघलने वाले स्क्रैप का आयात करके एक सर्वकालिक रिकॉर्ड स्थापित किया जो 24 अगस्त, 2022 को अटलांटिक बल्कर से उतारे गए 7,237 टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया गया है।
- चेन्नै पत्तन ने 07 फरवरी, 2025 को व्यापार संवर्धन गतिविधि के रूप में मेसर्स सी ट्रेड द्वारा कोयंबटूर, तमिलनाडु में आयोजित कार्गो कॉनेक्सन कॉन्क्लेव 2025, 5वें संस्करण की मेजबानी की।

- लंदन- आधारित नोबल कैलेडोनिया के स्वामित्व वाला बहामास-ध्वजांकित क्रूज पोत एम.वी. हेब्रिडियन स्काई, 17 फरवरी 2025 को चेन्नै बंदरगाह पर आया। त्रिंकोमाली से प्रस्थान हुआ जलयान, जिसमें चालक दल के 76 सदस्य और 92 यात्री सवार थे, 18 फरवरी 2025 को त्रिंकोमाली, श्रीलंका के लिए रवाना हुआ।
- चेन्नै पत्तन ने 19 फरवरी, 2025 को डब्ल्यूक्यू 1 पर एम.टी. डीएआई थान नामक जलयान से एक ही दिन में 10,500 टन कच्चे पाम तेल का आयात करके एक सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया, जो 7 नवंबर, 2023 को एसईएचटी से 9,250 टन उतारी गई मात्रा के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।

- चेन्नै पत्तन ने इस वर्ष ऑटोमोबाइल निर्यात में अपने महत्वपूर्ण कीर्तिमान को दोगुना कर दिया है। 22 फरवरी, 2025 को, पत्तन ने दो जलयानों एमवी ग्रैंड हीरो और एमवी ग्रैंड मार्क, पर एक साथ सफलतापूर्वक रो-रो ऑपरेशन किया जो इसकी ऑटोमोबाइल हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- वर्ष 2024-25 के दौरान संभाले गए कंटेनरों के 1.82 मिलियन टीईयू का सर्वकालिक उच्च स्तर है, जबकि 2018-19 के दौरान 1.62 मिलियन टीईयू संभाले गए थे।
- बफर पार्किंग यार्ड के संचालन के बाद, चेन्नै पत्तन ने भीड़भाड़ में कमी का संकेत देते हुए गेट आवाजाही में एक नया बेंचमार्क हासिल किया। दिनांक 20 फरवरी, 2025 को, पत्तन ने 6,256 ट्रेलरों (इन/आउट) को संभालकर अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया, जो 21 जून, 2023 को दर्ज 6,087 ट्रेलरों (इन/आउट) के पहले उच्च स्तर से अधिक था।
- चेन्नै पत्तन दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 को जवाहर डॉक 4 पर एमवी वारिसा नारी द्वारा एक ही दिन में मिल स्केल का 33,240 टन निर्यात करने के सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया जिससे दिनांक 06 फरवरी, 2023 को एमवी ग्रेस सी से 24,200 टन के पिछले रिकॉर्ड हैंडलिंग को पार कर दिया है।

कामराजर पत्तन लिमिटेड

4.26 12वें महापत्तन कामराजर पत्तन लिमिटेड (केपीएल) को 2001 में मुख्यतः एक कोयला पत्तन के रूप में शुरू किया गया था, जो तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी) की थर्मल कोयला जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित महापत्तनों में से केपीएल एकमात्र ऐसा महापत्तन है जो कि एक निगमित पत्तन है। यह पत्तन बीओटी या कैप्टिव मॉडलों के माध्यम से कार्गो संचालन के कार्यों के साथ स्वामित्व मॉडल पर कार्य कर रहा है। विनिवेश प्राक्रिया के भाग के रूप में, भारत सरकार की सभी हिस्सेदारियों को दिनांक 27 मार्च, 2020 को चेन्नै पत्तन प्राधिकरण को अंतरित कर दिया गया है। केपीएल चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का सहायक कार्यालय बन गया है।

4.27 पिछले कुछ वर्षों में, पत्तन एक मल्टी कार्गो पत्तन के रूप में विकसित हुआ है और अब इसमें कोयला, पीओएल, एलपीजी, एलएनजी, ऑटोमोबाइल यूनिट, कंटेनर, ब्रेक बल्क और सामान्य कार्गो की संचालन के लिए 97 एमएमटीपीए की क्षमता वाले 9 बर्थ हैं। पत्तन ने 2024-25 के दौरान 48.41 एमएमटी और 2025-26 (दिसम्बर 2025 तक) के दौरान 36.28 एमएमटी का यातायात संचालित किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- मर्स्क लाइन ने दिनांक 08 फरवरी 2025 को अडानी एननोर कंटेनर टर्मिनल में बर्थ हुई अपने पहले जहाज एमवी मेर्स्क स्टेडेलहॉर्न के साथ कामराजर पत्तन से एमई2 सेवा नामक एक नई साप्ताहिक सेवा शुरू की। केपीएल में संचालित मर्स्क लाइन ने अपनी मौजूदा साप्ताहिक सेवा अर्थात् शटल सेवा को एमई2 सेवा (सीधे यूरोप से जुड़ना) का उन्नयन किया है।
- एमई2 सेवा के जलयान एमवी मर्स्क सवाना में 10,007 टीईयू के कंटेनरों को संचालित करके, केपीएल ने फिर से अपने उच्चतम कंटेनर हैंडलिंग रिकॉर्ड को पार कर लिया। दिनांक 22 जून, 2025 को अडानी एननोर कंटेनर टर्मिनल पर 72 घंटे के पोत के बर्थ पर ठहरने के दौरान कंटेनरों के सबसे बड़े पार्सल आकार को हैंडल करने का यह रिकॉर्ड प्राप्त किया गया था।
- केपीएल ने 8 जुलाई 2025 को कंटेनर टर्मिनल पर 365.8 के एलओए और 140096 के जीआरटी वाले सबसे बड़े कंटेनर जलयान एम.वी. एमएससी केटी को संभाला।
- केपीएल और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 31 जुलाई, 2025 को आगे 10 साल की अवधि के लिए केपीएल के माध्यम से ऑटोमोबाइल के निर्यात/आयात को जारी रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। टोयोटा

सबसे बड़ा कंटेनर जलयान एम.वी. एमएससी केटी

किर्लोस्कर मोटर ने 2012 से केपीएल से 22 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 1.80 लाख से अधिक कारों का निर्यात किया है।

- केपीएल ने कारों के ट्रांसशिपमेंट को संभालना शुरू किया, जो भारत में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला पत्तन है। मित्सुई ओ.एस.के. लाइन्स, लिमिटेड ग्रुप की 550 इकाइयों की कारों का पहला बैच 27 अगस्त, 2025 को सामान्य कार्गो बर्थ पर संचालित किया गया था। सिंगापुर से आने वाली कारों को कार कैरियर एम.वी. टूरमलाइन ऐस से उतारा गया और ट्रांसशिपमेंट के लिए जीसीबी ट्रांजिट यार्ड में पार्क किया गया। इन कारों को 29 अगस्त, 2025 को दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस और तंजानिया में डिलीवरी के लिए कार कैरियर एम.वी. मार्गरिट ऐस में फिर से लोड किया गया।
- ब्रह्मोस एयरोस्पेस, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी ने अप्रैल 25 के महीने में केपीएल के माध्यम से अधिकतम 359.45 करोड़ के रक्षा वाहनों के (अर्थात, मोबाइल स्वायत्त लॉन्चर, मिसाइल रिप्लेनिशमेंट व्हीकल, मोबाइल कमांड पोस्ट, व्हीकल माउंटेड रडार) 5 सेट का फिलीपींस को निर्यात किया। रक्षा वाहनों और उपकरणों के निर्यात की उनकी मांग को पूरा करने के लिए, केपीएल ने कामराजर पत्तन के माध्यम से विशेष रूप से अपने कार्गो का निर्यात करने के लिए ब्रह्मोस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर 14 अक्टूबर, 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे।

कार्यान्वित ईज ऑफ डूइंग उपाय:

- केपीएल ने आरएफआईडी आधारित गेट नियंत्रण प्रणाली को आरएफआईडी और एएनपीआर आधारित गेट नियंत्रण प्रणाली में उन्नत किया गया। यह नई आरएफआईडी और एएनपीआर आधारित गेट नियंत्रण प्रणाली 29.05.2025 से सभी गेटों पर प्रभावी रूप से चालू है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं - (i) वाहन पहचान के लिए स्वचालित नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), (ii) सुरक्षित कार्मिक सत्यापन के लिए संपर्क रहित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (iii) आगंतुक और ठेकेदार पहुंच को सुव्यवस्थित करने के लिए क्यूआर कोड डिजिटल पास (iv) गेट गतिविधियों की केंद्रीकृत निगरानी के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड। यह उन्नत प्रणाली मैनुअल जांच को समाप्त करती है और केपीएल पर भीड़ को कम करती है।

प्राप्त पुरस्कार:

- केपीएल को 11 जुलाई, 2025 को चेन्नै में आयोजित 16वें एक्ज़िम इंडिया दक्षिण पूर्व सीईओ कॉन्क्लेव और पुरस्कार 2025 के दौरान "दक्षिणी क्षेत्र के व्यापार के लिए एक प्रमुख आधुनिक प्रवेश द्वार के रूप में उभरने के लिए" के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री गोपाल कृष्ण, आईएएस, पूर्व सचिव (शिपिंग), भारत सरकार ने एक्ज़िम व्यापार विकास में पत्तन की उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित करते हुए केपीएल को पुरस्कार प्रदान किया।
- केपीएल को 11 सितंबर 2025 को भारत के समुद्री क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रचालन उत्कृष्टता और महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करते हुए "इंडियन पोर्ट ऑफ द ईयर" श्रेणी के तहत प्रदान किए जा रहे मेरिटाइम एक्सेलेंस एवार्ड्स 2025 में एक विशेष सम्मान प्रदान किया गया।

मैरीटाइम एक्सेलेंस एवार्ड्स 2025

विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण

विशाखापट्टणम पत्तन

4.28 विशाखापट्टणम पत्तन भारत के पूर्वी तट पर 170 41' अक्षांश और 830 17' देशांतर पर लगभग कोलकाता और चेन्नै के बीच में स्थित है जिसे महासागर यातायात के लिए दिनांक 7 अक्तूबर 1933 में खोला गया था और तब से यह विस्तृत आन्तरिक भूमि के लिए कार्य कर रहा है। तटीय रेखा के साथ-साथ यह पत्तन उत्तरी एपी क्लस्टर है जिसमें एक दूसरे के निकट 3 पत्तन शामिल हैं, अर्थात विशाखापट्टणम पत्तन, गंगावरम और काकीनाडा, ताकि विदेशों से और तट के साथ-साथ यातायात के आवागमन को समझा जा सके। यह पत्तन अपने स्वयं के लगभग 185 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क का संचालन कर रहा है जो भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वी तट रेलवे से जुड़ा हुआ है। पत्तन 4-लेन राजमार्ग के माध्यम से रा.रा. -5 से भलीभांति जुड़ा हुआ है। यह संपर्कता वीपीए के अंदर और बाहर सभी प्रकार के वाहनों से माल ढुलाई आवागमन के लिए मुख्य सड़क पहुंच है। पत्तन और एनएचएआई के बीच एक संयुक्त उद्यम से वीपीआरएल नामक एक विशेष प्रयोजन इकाई के माध्यम से 17.00 किमी. पत्तन संपर्कता सड़क विकसित की। यह फ्लाईओवर सह सड़क परियोजना पत्तन और राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के बीच माल यातायात के सुचारू प्रवाह में सहायता करती है। विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण की मौजूदा क्षमता 154.71 मिलियन टन प्रति वर्ष है।

4.29 इस पत्तन में दो हार्बर हैं, अर्थात आंतरिक हार्बर जिसमें 23 बर्थ हैं और बाहरी हार्बर जिसमें 8 बर्थ हैं। बाहरी हार्बर में सिंगल पॉइंट मूरिंग (एसपीएम) पर कच्चे तेल की हैंडलिंग के लिए एक विशेष सुविधा और अंतराष्ट्रीय मानकों से युक्त एक क्रूज टर्मिनल भी है। आंतरिक हार्बर में 14.5 मीटर तक ड्राफ्ट के साथ पूरी तरह से लदे पैनामैक्स जलयान आ सकते हैं और बाहरी हार्बर में 18.10 मीटर तक के ड्राफ्ट के साथ 200,000 डीडब्ल्यूटी तक के जलयान आ सकते हैं और महापत्तनों में सबसे गहरा कंटेनर टर्मिनल है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- वीपीए ने 14 जनवरी, 2025 को एक ही दिन में संभाले गए छह कंटेनर रेकों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कीर्तिमान प्राप्त किया है। इसने 02 फरवरी, 2024 को पिछले 5 रेकों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है।
- वीपीए ने 06 फरवरी, 2025 को ई.क्यू.-1ए बर्थ पर एम.वी. एलेफ्थोट्रिया को ब्रेक-बल्क में 7,788 मीट्रिक टन चावल की शिपिंग कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो 10 अगस्त 2024 को ई.क्यू.-4 पर एम.वी. एमिस विस्डम II को शिपिंग किए गए 6,758 मीट्रिक टन के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।
- वीपीए ने 08 फरवरी, 2025 को केवल 24 घंटों में डब्ल्यूक्यू6 बर्थ एमवी स्पर उर्सा पर 23,910 मीट्रिक टन बीएफ स्लैग को सफलतापूर्वक लोड करने का एक नया कीर्तिमान हासिल किया है जो एमवी थार जस्मीन पर 24 घंटे में 18,006 मीट्रिक टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है।
- वीपीए ने मैसर्स वीसीटीपीएल साइडिंग पर में 01 मार्च, 2025 को एक ही दिन में 265 बीएलसीएन वैगनों में लोड कर 6 कंटेनर रेकों पर रिकॉर्ड बनाया है जो 225 वैगनों में 5 रेकों के पिछले सर्वश्रेष्ठ से उच्चतर है।
- मेसर्स आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडियन एंड एएमएनएस वाइजैग पोर्ट्स लिमिटेड (एएमएनएस) की 91,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क पैलेट के निर्यात की रिकॉर्ड मात्रा को 02 मार्च, 2025 को ओबी-2 बर्थ पर एमवी जीसीएल यमुना में भेज दिया गया था, जो 15 जनवरी, 2025 को ओबी-1 बर्थ पर पहले भेजे गए 82,000 मीट्रिक टन निर्यात लौह पैलेट (एमईसीएच) की रिकॉर्ड मात्रा को पार कर गया।
- वीपीए ने 30 मार्च, 2025 को वाइजैग जनरल कार्गो बर्थ (वीजीसीबी) में बल्क (एम.वी. ब्रिलिएंट वीनस) में 66,922 मीट्रिक टन स्टीम कोयले को उतारकर कार्गो हैंडलिंग में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो 26 जून, 2021 को उतारे गए 64,830 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड से उच्चतर है।

- दिनांक 24 मार्च, 2025 को वाइजैग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड (वीजीसीबी) ने 50 मीटर की बीम, 17.93 मीटर का ड्राफ्ट के साथ एमवी कैप्टन लियोनिडास पर सफलतापूर्वक बर्थिंग से समुद्री क्षेत्र में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया और 203,095 मीट्रिक टन का डेडवेट टनभार (डीडब्ल्यूटी) के साथ यह भारत में आने वाले अब तक के सबसे बड़े बॉक्साइट जलयानों में से एक है। बॉक्साइट कार्गो के 1,99,500 मीट्रिक टन (एमटी) ले जाने वाले जलयान ने सुविधा की कार्गो हैंडलिंग क्षमता के लिए एक नई ऊंचाई निर्धारित की।
- वी.पी.ए. ने 27 अप्रैल, 2025 को एसपीएम पर एम.टी. डीआईजेआईएलएएच से कच्चे तेल का 1.7 लाख मीट्रिक टन का नया रिकॉर्ड बनाया है। यह 01 अगस्त, 2024 को एम.टी. ईगलेवेलरी से 1.6 लाख मीट्रिक टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है।
- वीपीए ने 26 दिसंबर, 2025 को 5,33,266 टन की दिन रिकॉर्ड मात्रा संभाली, जबकि 26 सितंबर, 2025 को आंतरिक पत्तन, बाहरी पत्तन और एसपीएम को मिलाकर 5,06,469 टन मात्रा हैंडल की थी।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- अमेरिकी नौसेना के कैप्टन एलन एम बेकर के नेतृत्व में चार सदस्यीय अमेरिकी दल ने 29 मार्च, 2025 को वीपीए का दौरा किया। वीपीए के बारे में उपलब्ध अवसंरचनागत सुविधाओं, कार्गो हैंडलिंग क्षमता, आधुनिकीकरण और मशीनीकरण, कवर भंडारण सुविधाओं, सौर ऊर्जा संस्थापनाओं और स्मार्ट पोर्ट पहलों, औद्योगिक प्रयोजनार्थ एसटीपी जल शोधन, निवेश क्षमता, अवसंरचना और सुविधाओं आदि पर एक पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी दी गई। उपाध्यक्ष ने भारत में व्यापार के अवसरों, विशेष रूप से एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और क्रूज पर्यटन अवसरों का पता लगाने पर जोर दिया।
- भारत-नेपाल संधि के तहत आयोजित चर्चाओं पर, पांच सदस्यीय नेपाल प्रतिनिधिमंडल में श्री गोविंद प्रसाद शर्मा, सचिव, कृषि मंत्रालय और पशुधन विभाग, नेपाल सरकार के साथ-साथ प्रबंध निदेशक, कृषि समाग्री कंपनी लिमिटेड, नेपाल और सहायक सीईओ, सॉल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेपाल सहित पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक निविदाओं के माध्यम से उर्वरकों के आयात की संभावना का पता लगाने के लिए 22 अप्रैल, 2025 को वीपीए का दौरा किया।
- विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए) ने सतत विकास और हरित गतिशीलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए डॉ. एम. अंगामुथु, आईएएस, वीपीए के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 27 मई, 2025 को प्रशासनिक कार्यालय भवन (एओबी) में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह ईवी चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप एक सतत, पर्यावरण के अनुकूल पत्तन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- लक्जरी क्रूज लाइनर एमवी एम्प्रेस दिनांक 02.07.2025 को विशाखापट्टणम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर पहुंचा, जो क्रूज पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में इस शहर में आगमन में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। श्री सर्बानंद सोणोवाल, केंद्रीय मंत्री , एमओपीएसडब्ल्यू ने क्रूज पोत को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई और प्रधानमंत्री के विजन से अवगत कराया कि समुद्री क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विशाखापट्टणम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- विशाखापट्टणम में दिनांक 14 जुलाई, 205 और 15 जुलाई, 2025 को दो दिवसीय बिम्सटेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया और क्षेत्रीय समुद्री सहयोग बढ़ाने, पत्तन दक्षता में सुधार और पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय पैनलों की कई चर्चा की गई। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल और श्री शांतनु ठाकुर, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए जल्द ही विशाखापट्टणम में बिम्सटेक कार्यालय स्थापित करने की बात कही।

पुरस्कार:

- सेवा क्षेत्र में सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए प्रथम ग्रीनएनवायरो सुरक्षा पुरस्कार 2025 से सम्मानित।
- नई दिल्ली में आयोजित 11वें वार्षिक ग्रीनटेक पुरस्कारों में वीपीए को दो सीएसआर विजेता पुरस्कारों (i) कौशल विकास और (ii) स्वास्थ्य सेवा श्रेणी से सम्मानित किया गया।
- वाइजैग अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल भारत के क्रूज पर्यटन मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।

वीपीए ने निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

- विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए) ने दिनांक 02 जनवरी, 2025 को महत्वपूर्ण पत्तन-शहर संगम बिंदुओं पर यातायात प्रबंधन और कार्गो खाली करने को बेहतर बनाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में सी हॉर्स जंक्शन को विशाखापट्टणम पत्तन के डॉक क्षेत्र से जोड़ने वाले फ्लाईओवर पुल का निर्माण शामिल है। लगभग 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यह फ्लाईओवर 11 लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। यह फ्लाईओवर कुल 3.341 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 7 मीटर चौड़ाई की दो लेन और 10.5 मीटर चौड़ाई की तीन लेन होगी।
- भारत की पत्तन अवसंरचना को सुदृढ़ करने और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जेएम बक्सी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की एक इकाई, मैसर्स वाइजैग मल्टीपर्पस टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीएमटीपीएल) ने मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ वीपीए में देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित एल्यूमिना निर्यात सुविधा विकसित करने के लिए 13 मई, 2025 को एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई सुविधा अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित होगी ताकि न्यूनतम मानवी हस्तक्षेप के साथ एल्यूमिना निर्यात को संभाला जा सके, दक्षता, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित हो। यह समझौता भारतीय पत्तन लॉजिस्टिक्स के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।

पारादीप पत्तन प्राधिकरण

पारादीप पत्तन

4.30 भारत सरकार ने 1 जून, 1965 को राज्य सरकार से पारादीप पत्तन का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और 18 अप्रैल, 1966 को इसे भारत का आठवां महापत्तन घोषित किया, जिससे यह स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट पर शुरू किया गया पहला महापत्तन बन गया। यह पत्तन कोलकाता से 210 समुद्री मील दक्षिण और विशाखापट्टणम से 260 समुद्री मील उत्तर में अक्षांश 20–15'58.63 उत्तर और देशांतर 86'–40-27".34 पूर्व पर स्थित है।

4.31 पत्तन ने वर्ष 2024-25 में 150.408 मिलियन मीट्रिक टन और चालू वर्ष (जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025) में 115.3 मिलियन मीट्रिक टन यातायात संभाला। पत्तन में विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालने के लिए अठारह (18) बर्थ/जेट्टी, तीन (3) एसपीएम और एक (1) रो-रो जेट्टी हैं, इसकी रेटेड क्षमता 289.55 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- पारादीप पत्तन ने भारतीय महापत्तनों में माल ढुलाई के मामले में अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा है और वित्त वर्ष 2024-25 में 150.41 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट दर्ज करके 150 मिलियन टन के विशिष्ट क्लब में भी शामिल हो गया, जबकि इसने पिछले वर्ष यह 145.38 मिलियन टन संभाला था, जो 5.03 मिलियन टन और 3.46% की वृद्धि दर्शाता है।
- तटीय माल ढुलाई कुल माल ढुलाई का लगभग 42.36% है, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.65% की वृद्धि के साथ 63.71 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो महापत्तनों में सबसे अधिक तटीय माल ढुलाई है।
- पारादीप पत्तन ने अपने इतिहास में रेल यातायात की सबसे अधिक मात्रा को संभाला, जिसमें 5.32% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 22,818 के महत्वपूर्ण आंकड़े तक पहुंच गया। कुल रेल यातायात 3.21% की वृद्धि से 81.01 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो भारत के महापत्तनों में सबसे अधिक है।

- पारादीप पत्तन ने 2024-25 में 12,711 टीईयू की क्लोकिंग (clocking) करके एक्जिम कंटेनर यातायात की शुरुआत के साथ इतिहास रच दिया, जबकि पिछले वर्ष केवल 1,531 एक्सिम टीईयू का संचालन हुआ था। संभाले गए कुल टीईयू के संदर्भ में इसमें 111% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- पीपीए ने बर्थ उत्पादकता (ओएसबीडी) में भी प्रथम स्थान बरकरार रखा, जिसमें 34,303 मीट्रिक टन की 3.90% वृद्धि दर्ज की गई।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण

4.32 एसएमपीके भारत का एकमात्र नदी महापत्तन है, जिसका अस्तित्व 155 वर्षों से है। इसका विशाल भीतरी प्रदेश क्षेत्र पूर्वी भारत को कवर करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य और पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल हैं, जिनमें से अंतिम दो देश चारों ओर भूमि से घिरे हैं। पत्तन में दोहरी गोदी प्रणाली अर्थात् हुगली नदी के पूर्वी तट पर कोलकाता गोदी प्रणाली (केडीएस) और पश्चिमी तट पर हल्दिया गोदी परिसर (एचडीसी) है।

वर्ष 2024-25 में एसएमपीके की उपलब्धियां

1. एसएमपी कोलकाता ने 2024-25 के दौरान 63.951 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) माल का संचालन किया। संयोगवश, एसएमपीके ने पिछले वर्ष (2023-24) में अब तक का सबसे अधिक थ्रुपुट दर्ज किया, जिसमें 66.445 एमएमटी माल का संचालन हुआ, जबकि एचडीसी और केडीएस का योगदान क्रमशः 49.536 एमएमटी और 16.909 एमएमटी रहा।
2. वर्ष 2024-25 में, एचडीसी ने 47.310 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया। दूसरी ओर, केडीएस ने 2024-25 में 16.641 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया। संयोगवश कि केडीएस का उच्चतम यातायात संचालन वर्ष 2018-19 में हुआ था, जब इसने 18,551 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो यातायात का संचालन दर्ज किया था।
3. भारत के महापत्तनों में, एसएमपी, कोलकाता ने 2024-25 में टीईयू हैंडलिंग में चौथा स्थान प्राप्त किया। एसएमपीके ने 2024-25 के दौरान 8,04,579 टीईयू (केडीएस में 6,19,845 टीईयू और एचडीसी में 1,84,734 टीईयू) का संचालन किया, जबकि 2023-24 के दौरान यह आंकड़ा 7,52,825 टीईयू (केडीएस में 6,42,218 टीईयू और एचडीसी में 1,10,607 टीईयू) था, जो 6.87% की वृद्धि दर्शाता है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता

एसएमपीके की 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर 2025) की उपलब्धियां

- एसएमपी, कोलकाता ने अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान 50.977 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया, जबकि अप्रैल-दिसंबर, 2024 में यह 44.257 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 15.18% की वृद्धि दर्शाता है। एचडीसी ने अप्रैल-दिसंबर, 2025 में 37.645 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2024 में यह 32.923 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 14.34% की वृद्धि दर्ज करता है। केडीएस ने अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान 13.332 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया, जबकि अप्रैल-दिसंबर, 2024 में यह 11.334 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 17.63% की उच्च वृद्धि दर्शाता है।
- अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान भारत के महापत्तनों में कोकिंग/अन्य कोयले की हैंडलिंग में एसएमपी, कोलकाता प्रथम स्थान पर, अन्य तरल कार्गो की हैंडलिंग में द्वितीय स्थान पर और तैयार उर्वरक एवं कंटेनरीकृत टीईयू की हैंडलिंग में तृतीय स्थान पर रहा।
- एसएमपी, कोलकाता ने अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 701427 टीईयू (केडीएस: 535690 और एचडीसी: 165737) का संचालन किया, जबकि अप्रैल-दिसंबर, 2024 के दौरान 577805 टीईयू (केडीएस: 448654 और एचडीसी: 129151) का संचालन किया गया था, और इसमें 21.40% (केडीएस 19.40% और एचडीसी 28.33%) की वृद्धि दर्ज की गई।
- एसएमपीके के एचडीसी ने दिसंबर, 2025 में 22,657 टीईयू का सर्वकालिक मासिक उच्च स्तर हासिल किया, जो नवंबर, 2025 में हासिल किए गए पिछले उच्चतम स्तर 21,691 टीईयू को पार कर गया।

उल्लेखनीय उपलब्धियां/ घटनाक्रम

- एसएमपीके को यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि यह पत्तन मार्च, 2025 में ऑयल स्पिल कांटिंजेसी प्लान (ओएससीपी) को मंजूरी देने वाला एकमात्र महापत्तन है।
- दिनांक 20 मार्च, 2025 को केडीएस में नौवहन सिमुलेटर का उद्घाटन किया गया है। यह सिमुलेटर हुगली नदी को कवर करता हैं। विभिन्न जलवायु स्थिति अर्थात वर्षा, तूफान को इस सिम्युलेशन तंत्र में शामिल किया जा सकता हैं। इस सिमुलेटर में विभिन्न आयामों और विभिन्न डुबाव वाले पोतों के नौवहन का अभ्यास किया जा सकता है। इसे एनटीपीसीडब्ल्यूसी की सक्रिय सहायता से संस्थापित किया गया।

- दिनांक 02 मई, 2025 को एसएमपीके ने हुगली नदी के ऊपरी क्षेत्रों का सफलतापूर्वक रात्रि नौवहन शुरू किया हैं। यह हुगली नदी के चुनौतीपूर्ण ऊपरी खंडो में रात के समय के दौरान सुरक्षित नौवहन और जलयानों की आवाजाही को सक्षम करके जलयान के टर्नअराउंड और प्री-बर्थिंग में देरी और संचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- एसएमपीके को अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम वीक (आईएमडब्ल्यू-27-31 अक्टूबर, 2025) में प्रतिष्ठित धरोहर श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह विशिष्ट पहचान एसएमपीके की 155 वर्षों की विरासत, सांस्कृतिक समृद्धि और भारत के समुद्री इतिहास में स्थायी योगदान में सम्मान के रूप में है। 11 सितंबर, 2025 को एसएमपीके ने समुद्री उत्कृष्टता पुरस्कार, 2025 में दोहरा सम्मान प्राप्त किया, जिसमें वर्ष के समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार और सतत समुद्री पहल दोनों पुरस्कार शामिल है।

- दिनांक 12 सितंबर, 2025 को एसएमपीके ने एचडीसी में दो प्रमुख पहलें अर्थात सड़क –रेल प्रणाली और सेफ्टी मैन केज शुरू की। नयी सड़क-रेल प्रणाली रिक्त कंटेनर को आवाजाही के लिए, उत्पादकता बढ़ाने और कई ट्रेलरों को खींचने के लिए एक ट्रक का उपयोग कर ईंधन की खपत को कम करने के लिए एक गेम चेंजर हैं। यह हमारे हरित लॉजिस्टिक्स लक्ष्यों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं। नवीन सेफ्टी मैन केज हमारे कार्मिकों के लिए ऊंचाई पर कार्य करने को सुरक्षित और कुशल बनाएगा, लेशिंग और अनुरक्षण के दौरान उनकी रक्षा करेगा। यह पहल कार्मिकों की व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को उजागर करती है और प्राथमिकता देती है।
- दिनांक 20 सितंबर, 2025 को एचडीसी ने शालूखल्ली में फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखते हुए एक ऐतिहासिक अवसर स्थापित किया है,जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, और यह पत्तन क्षमता, अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि में टिकाऊ प्रमुख दीर्घकालिक प्रगति हैं।
- **पीपीपी मोड के माध्यम से डीबीएफओटी आधार पर खिदिरपुर डॉक (केपीडी-I पश्चिम), केडीएस- एसएमपीके का कायाकल्प**

  डीबीएफओटी आधार पर पीपीपी मोड के अंतर्गत खिदिरपुर डॉक (केपीडी -I पश्चिम) के जीर्णोद्धार में कंटेनर और दालों को संभालने के लिए मौजूदा बर्थ संख्या 2, 4 और 6 (चरण -I) और बर्थ संख्या 8,10 और 12 (चरण-II) का पुनर्विकास करना शामिल है। परियोजना की लागत 181.81 करोड़ रुपए (चरण-I: 95.66 करोड़ रु.; चरण- II: 86.15 करोड़ रु.) है। परियोजना का चरण -I पूरा हो गया है और अगस्त 2025 से संचालन शुरू कर दिया गया है। चरण -II के तहत शेष तीन बर्थ अर्थात बर्थ संख्या 8,10 और 12 को वित्त वर्ष 2030 तक सौंपा जाना निर्धारित किया गया हैं।

महापत्तनों का प्रदर्शन

(I) महापत्तनों पर संचालित यातायात

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	पत्तन	2025-26* (01/04/25 से 31/12/25 तक)	वास्तविक 2024-25 (01/04/24 से 31/03/2025)
1	कोलकाता	13.33	16.64
2	हल्दिया	37.65	47.31
3	पारादीप	115.26	150.40
4	विशाखापट्टणम	66.28	82.62
5	चेन्नै	43.53	54.96
6	वी.ओ. चिदंबरनार	31.97	41.72
7	कोचिन	28.43	37.74
8	नव मंगलूर	36.79	46.01
9	मुरगांव	15.55	18.12
10	जवाहरलाल नेहरू	75.43	92.11
11	मुंबई	56.25	68.62
12	दीनदयाल (कांडला)	116.25	150.15
13	कामराजर (एन्नोर)	36.28	48.40
कुल		**672.99**	**854.86**

(ii) महापत्तनों पर संचालित कार्गो

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	उत्पाद	2025-26* (01/04/25 से 31/12/25 तक)	वास्तविक 2024-25 (01/04/24 से 31/03/2025)
1	पीओएल	203.06	254.51
2	लौह अयस्क	37.24	50.18
3	उर्वरक एवं उर्वरक कच्चा माल	19.29	19.73
4	कोयला	144.40	150.12
5	कंटेनरयुक्त कार्गो	157.65	193.52
6	अन्य	111.34	186.79
कुल		**672.99**	**854.86**

(iii) महापत्तनों पर क्षमता

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	वर्ष	पत्तन क्षमता	संचालित यातायात
1	2001-02	343.95	287.58
2	2002-03	362.75	313.55
3	2003-04	389.50	344.80
4	2004-05	397.50	383.75
5	2005-06	456.20	423.41
6	2006-07	504.75	463.78
7	2007-08	532.07	519.31
8	2008-09	574.77	530.53
9	2009-10	616.73	561.09
10	2010-11	670.13	570.03
11	2011-12	689.83	560.14
12	2012-13	744.91	545.68
13	2013-14	800.52	555.50
14	2014-15	871.52	581.34
15	2015-16	965.36	606.47
16	2016-17	1065.83	648.40
	पुन: निर्धारित क्षमता 2016-17	1359.00*	
17	2017-18	1451.19	679.37
18	2018-19	1514.09	699.10
19	2019-20	1534.91	704.93
20	2020-21	1560.61	672.68
21	2021-22	1597.59	720.05
22	2022-23	1617.39	784.31
23	2023-24	1629.86	819.29
24	2024-25	1680.94	854.86
25	2025-26 (01/04/25 से 31/12/25)	1717.96*	672.99*

(*)अनंतिम

पत्तनों के महत्वपूर्ण कार्य-निष्पादन सूचकों का विवरण निम्नानुसार है:

(iv) औसत टर्नअराउंड टाइम

क्र. सं.	पत्तन	औसत टर्नअराउंड समयावधि /(घंटे)#	
		2025-26* (01/04/25 से 31/12/25)	**2024-25 (01/04/24 से 31/03/25)**
1	एसएमपी, कोलकाता	80.84	81.73
2	हल्दिया	45.15	46.79
3	पारादीप	46.53	46.16
4	विशाखापट्टणम	67.07	69.19
5	चेन्नै	45.64	48.69
6	वी.ओ. चिदंबरनार	60.48	55.44
7	कोचीन	32.64	32.41
8	नव मंगलूर	41.66	40.37

9	मुरगांव	66.78	69.68
10	जवाहरलाल नेहरू	27.40	26.35
11	मुंबई	65.87	65.75
12	दीनदयाल (कांडला)	58.85	58.56
13	कामराजर (एन्नोर)	44.34	46.66
	कुल (सभी पत्तन)	**49.32**	**49.47**

(*)अनंतिम

(v) औसत कारोबार प्रति शिप बर्थ डे (Ship Berth Day)

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	**पत्तन**	**औसत टर्नअराउंड समयावधि /(घंटे)#**	
		2025-26* (01/04/25 से 31/12/25)	**2024-25 (01/04/24 से 31/03/25)**
1	एसएमपी, कोलकाता	6184	4711
2	हल्दिया	13442	13311
3	पारादीप	34165	34303
4	विशाखापट्टणम	15237	14010
5	चेन्नै	18730	16900
6	वी.ओ. चिदंबरनार	10713	14286
7	कोचीन	25498	26006
8	नव मंगलूर	19834	20117
9	मुरगांव	20169	16081
10	जवाहरलाल नेहरू	26171	26893
11	मुंबई	10366	10458
12	दीनदयाल (कांडला)	16642	16664
13	कामराजर (एन्नोर)	27752	26428
	कुल (सभी पत्तन)	**18525**	**18293**

(*)अनंतिम

पोत परिवहन

5.1 देश के आर्थिक विकास में, विशेष तौर पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पोत परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय पोत परिवहन उद्योग देश की ऊर्जा सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों का परिवहन मुख्यतः पोतों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, संकट की स्थिति में, भारतीय पोत परिवहन अनिवार्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में योगदान करता है और रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में काम करता है।

5.2 भारत की पोत परिवहन नीति की मुख्य विशेषताएं, देश के विदेशी व्यापार की वाहक व्यवस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पोत परिवहन को बढ़ावा देना और एक्जिम व्यापार में हितधारकों के हितों की सुरक्षा करना हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वजपोत, कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पाद आयातों के परिवहन के लिए अनिवार्य साधन उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय पोत परिवहन देश के विदेशी मुद्रा अर्जन में भी महत्वपूर्ण योगदान करता हैं।

5.3 भारत, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) का एक संस्थापक सदस्य देश है, जो मुख्यत: समुद्री सुरक्षा से संबंधित पोत परिवहन के तकनीकी पहलुओं, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा, प्रशिक्षण के मानकों और संबंधित विधिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के तहत गठित एक विशेषज्ञ एजेंसी है। भारत आईएमओ समितियों, उप-समितियों, परिषद और सभा की विभिन्न बैठकों में भाग लेता रहा है और इसने आईएमओ द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार के समझौतों, प्रोटोकॉल, संहिता और दिशा-निर्देशों को तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान किया है।

5.4 भारतीय टनभार को बढ़ावा देने और कीमती विदेशी मुद्रा बचाने के लिए, मंत्रिमंडल ने दिनांक 10 दिसंबर,1957 को यह निर्णय लिया था कि बड़ी संविदाओं, जिनमें केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार के विभागों और उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, द्वारा पोत परिवहन व्यवस्था करना शामिल है, के लिए सभी समझौतों में तत्कालीन परिवहन विभाग से अनिवार्य रूप से परामर्श करना होगा और ऐसी सभी आयात संविदाओं को एफओबी/एफएएस (फ्री ऑन बोर्ड/फ्री एलांगसाइड शिप) आधार पर तथा निर्यात के लिए सीएण्डएफ/सीआईएफ (लागत और भाड़ा/लागत, बीमा और मालभाड़ा) आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा और ऐसा न करने पर, मामला-दर-मामला आधार पर, परिवहन विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

5.5 आर्थिक उदारीकरण के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता और निष्पादन सुधार पर नए सिरे से जोर दिए जाने के कारण सरकार ने 15 नवम्बर, 2001 को निर्णय लिया कि हालांकि एफओबी/एफएएस आधार पर आयात संविदा करने की मौजूदा नीति जारी रहेगी, लेकिन निर्यात के मामले में इस नीति को शिथिल किया गया। सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मंत्रालय से पूर्व-अनापत्ति प्राप्त किए बगैर एफओबी/एफएएस आधार पर निर्यात संविदाओं को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई थी।

5.6 विभिन्न सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उन्हें अपने स्वयं के पोत परिवहन प्रबंध करने की अनुमति देने, की बढ़ती मांग को देखते हुए ताकि वे अपने कार्गो आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स श्रृंखला प्रचालनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में त्वरित निर्णय ले सकें, तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय ने सितंबर, 2015 में निर्णय लिया कि सभी आयातक सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी मांगों को पोत परिवहन मंत्रालय के माध्यम से भेजे बिना अपने स्वयं के पोत परिवहन का प्रबंध करेंगे, जो निम्नलिखित के अध्यधीन होगा:

- आयातक सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बल्क कार्गो, शुष्क और तरल, दोनों का आयात, एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) / एफएएस (फ्री अलोंग साइड शिप) के आधार पर किया जाना जारी रहेगा और यह मौजूदा सरकारी नीति के अध्यधीन रहेगा और इस प्रक्रिया का पालन न करने की स्थिति में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की मंजूरी से अलग- अलग मामले के आधार पर तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय से पूर्व अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड)/ एफएएस (फ्री अलोंगसाइड शिप) या सीएंडएफ (लागत और माल ढुलाई)/सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) के आधार पर सामान्य लाइनर कार्गो (प्रोजेक्ट कार्गो, हेवी लिफ्ट कंटेनर, ब्रेक बल्क कार्गो आदि) के आयात की भी अनुमति दी गई थी, जो मौजूदा सरकारी नीति के अध्यधीन था। सीएंडएफ/सीआईएफ आयात के मामले में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5.7 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अपनाई जा रही निर्यात संवर्धन नीति के कारण भारत का विदेशी व्यापार, संरचना और दिशा, दोनों दृष्टियों से काफी अधिक बढ़ गया है। साथ ही, यातायात की आवाजाही को और अधिक कारगर तरीके से आसान बनाने हेतु व्यापार से संबंधित अवसंरचना, विशेषकर परिवहन, को मुहैया कराने और उसे बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक पोतों द्वारा विदेशक गंतव्यों तक यातायात के आवागमन का संबंध है, कन्सोर्टियम, लाइनर पोत परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले भारती और विदेशी, ध्वज वाले दोनों पोतें ब्रेक-बल्क अथवा कंटेनरीकृत रूप में सामान्य कार्गो के लिए प्रत्यक्ष अथवा यानांतरण व्यवस्था के जरिए सेवाएं मुहैया की जाती रही हैं। इसी प्रकार आयात अथवा निर्यात के रूप में बल्क कार्गो के आवागमन के लिए भारतीय और विदेशी, दोनों यानांतरण सेवाएं, जिन्हें आमतौर पर चार्टर आधार पर लिया जाता है, सभी गंतव्यों के लिए उपलब्ध हैं।

5.8 निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात से संबंधित अवसंरचना बेहतर करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क, रेल, पत्तनों और विमान पत्तनों के जरिए निर्बाध परिवहन में खामियां निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना विकास में आने वाली बाधाएं हैं। तथापि, तथ्य यह है कि परिवहन क्षेत्र में, हमारे देश में अधिकांश वित्तपोषण रेलवे, सड़क तथा राजमार्ग क्षेत्रों के लिए होता है। हालांकि, अर्थव्यवस्था में सड़कों और रेलवे के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, सामुद्रिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किए जाने की और अधिक आवश्यकता है ताकि वह अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके। इस प्रकार, जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा दिए जाने की नितांत आवश्यकता है।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत

5.9 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग के संवर्धन के लिए नीतिगत उपायों को तैयार करने के लिए नोडल मंत्रालय है। देश में 79 शिपयार्ड हैं जिनमें से 7 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन, 2 राज्य सरकारों के अधीन तथा 70 निजी क्षेत्र के अधीन हैं। सरकार के स्वामित्व वाले, नियंत्रणाधीन शिपयार्डों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(क) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोच्चि

- हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली - सीएसएल), हावड़ा - सीएसएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी
- उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल), मालपे - सीएसएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी

(ख) रक्षा मंत्रालय

- मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा
- हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टणम

(ग) राज्य सरकार

- पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन - शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कोलकाता
- केरल सरकार के अधीन – केएसआईएनसी (केरल शिपिंग एंड इनलैंड नैविगेशन कारपोरेशन लि.)

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

5.10 वर्तमान में, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए जाने वाले जलयानों का अधिकतम आकार 1,10,000 डीडब्ल्यूटी है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बढ़ाकर 3,00,000 डीडब्ल्यूटी तक किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के शिपयार्ड केप आकार के जलयानों का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी तुलना दुनिया के कुछ प्रमुख शिपयार्डों के स्तर की हैं। रिलायंस नेवल इंजी. लिमिटेड के पास 400,000 डीडब्ल्यूटी और एलएंडटी शिपबिल्डिंग-कट्टुपल्ली में 300,000 डीडब्ल्यूटी तक के जलयानों के निर्माण की क्षमता है, जिनमें बड़े एलएनजी वाहक शामिल हैं। छोटे आकार के एलएनजी वाहक, ड्रेजर्स और अन्य विशेष जलयानों का निर्माण निजी क्षेत्र के अन्य शिपयार्ड जैसे शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, चौगुले एंड कंपनी लिमिटेड, टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, विजय मरीन सर्विसेज, मंडोवी ड्राई डॉक्स लिमिटेड, एसी रॉय एंड कंपनी, डेम्पो शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग प्रा. लि. आदि द्वारा किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक दृष्टिकोण से भी रुचि बढ़ी है और इस प्रकार अधिक रुचि से भारतीय यार्डों की मांग में वृद्धि हुई है। लेकिन कई निजी शिपयार्डों के धराशायी होने के कारण देश में अवसंरचना की कमी के परिणामस्वरूप क्षमता का क्षरण हुआ और कोई उचित वित्तपोषण तंत्र न होना प्रमुख पोत मालिकों और बाजार के प्रतिस्पर्धियों का ध्यान आकर्षित करने में एक बड़ी बाधा बन गया।

पोत निर्माण में संभावनाएं

5.11 आज बाजार में मंदी के हालातों में, इस उद्योग की वृद्धि में भारत सरकार की मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ''आत्मनिर्भर भारत'' पहल के माध्यम से तेजी आने की संभावना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी महापत्तनों में सेवाओं के लिए स्थानीय रूप से निर्मित टगों को प्राथमिकता देने जैसी कई सहायक पहलें की गई हैं। भारत में पोत निर्माण की मांग में वृद्धि तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल के लिए उपर्युक्त योजनाओं से होने की संभावना है। हित का दूसरा संभावित क्षेत्र रक्षा बाजार और गहरे- समुद्र का मस्त्यन क्षेत्र है। एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नौसेना की भावी योजना का उद्देश्य नौसेना के बेड़े को मौजूदा 137 से बढ़ाकर वर्ष 2027 तक 200 तक करना है। हाल ही में परिचालित रक्षा उत्पादन नीति के अनुसार, भारत सरकार की संकल्पना, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के साथ-साथ अन्य मित्र देशों की मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ ''भारत को एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल करना'' है। हित का एक अन्य क्षेत्र शहरी परिवहन और शॉर्ट समुद्र शिपिंग बाजार है, जहां पर्यावरण अनुकूल इलैक्ट्रिक मोबीलिटी प्रौद्योगिकी तेजी से बढ रही है और भारतीय पोत निर्माताओं के लिए नए अवसर दे रही है। इस क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाओं की परिकल्पना करते हुए, निजी शिपयार्ड हाइब्रिड जलयानों के निर्माण के लिए अपनी क्षमताओं को उन्नत कर रहे हैं, ताकि वे भी सरकार की सहायता से ऐसे जलयानों के निर्माण हेतु विचार किए जाने के पात्र हो सकें।

5.12 पोत निर्माण और मरम्मत उद्योग की वृद्धि के लिए समुद्री क्लस्टर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये इस उद्योग के लिए सहायक सेवाएं,

सहायक उत्पादों का विनिर्माण, समुद्री सेवाएं एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए अध्ययनों के आधार पर, तमिलनाडु की पहचान सागरमाला कार्यक्रम के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के भाग के रूप में समुद्री क्लस्टर के विकास हेतु की गयी है। एशिया और यूरोप के बीच मुख्य पोत परिवहन मार्गों की निकटता, आस-पास के क्षेत्रों में इस्पात उद्योग, शिपयार्ड और पत्तनों की उपस्थिति जैसे कारक, तमिलनाडु में समुद्री क्लस्टर के विकास के लिए अनुकूल हैं। गुजरात मेरीटाइम बोर्ड (जीएमबी), अहमदाबाद में समुद्री सेवा क्लस्टर के साथ-साथ भावनगर में एक समुद्री पोत निर्माण पार्क अथवा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) के विकास पर कार्य कर रहा है।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग के लक्ष्य

- भारत में नदी-समुद्री जलयानों, अंतर्देशीय जलयानों, बार्जों और मत्स्ययन जलयानों के निर्माण को सुकर बनाना।
- नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना, विशेषकर ऐसे जलयानों के निर्माण में, जो वैकल्पिक इंधनों का इस्तेमाल करते हों।
- यह सुनिश्चित करना कि उन्नत उपस्कर के शीर्ष वैश्विक आपूर्तिकर्ता भारत में अपने उत्पाद का भंडारण और/या एकत्रीकरण करें।
- यह सुनिश्चित करना कि समस्त सरकारी स्वामित्व वाले /पीएसयू जलयानों का निर्माण भारत में किया जाए।

5.13 विजन 2030 में मात्रा के संबंध में प्रभावी सीमा (threshold) प्राप्त करके भारतीय पोतनिर्माण को 2025 तक प्रतिस्पर्धी बनाने, और फिर ''मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड'' स्तर तक पहुंचने और दुनिया के शीर्ष 10 पोत निर्माण देशों में शामिल होने के लिए उच्च मात्रा की ओर आगे बढ़ने की परिकल्पना की गई है। प्रमुख पहलों में, मांग में सुधार के लिए कार्गो को चैनलाइज करना, सहायक उद्योगों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, उचित सरकारी उपायों के साथ बेहतर उत्पादकता के लिए मानकीकृत डिजाइन तैयार करना शामिल हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समान अवसर पैदा किए जा सकें।

5.14 मैरीटाइम इंडिया विजन दस्तावेज में भी समस्त समुद्री क्षेत्रों में कार्यशील पूंजी और दीर्घकालिक वित्त जरूरतों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक समुद्री विकास निधि के निर्माण का समर्थन किया गया है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे अन्यथा भारतीय पोत मालिकों को अपनी क्षमता में सुधार करने और शिपयार्ड में अवसंरचना में सुधार करने में आसानी हो सकती है। हालांकि, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के रोड मैप, जिसे विजन दस्तावेज 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 (एमआईवी 2030)' के अनुरूप तैयार और प्रकाशित किया गया है, के अनुसार भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने के उद्देश्य से अगले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वित और त्वरित विकास का उल्लेख किया गया है। नीचे दी गई विभिन्न सरकारी नीतियों का इस क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रही हैं और ये इस क्षेत्र के विकास के लिए सहायक के रूप में कार्य करेंगी:

(क) पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (2016):

5.15 भारतीय शिपयार्डों में पोतनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए दस वर्ष की अवधि, अर्थात् वर्ष 2016-2026 के दौरान हस्ताक्षरित अनुबंधों के लिए नई पोतनिर्माण वित्तीय सहायता नीति(एसबीएफएपी) को मंजूरी दी। एसबीएफएपी के दिशा-निर्देश अक्तूबर 2017 में संशोधित किए गए और शिपयार्डों द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों पर नौवहन महानिदेशालय (डीजी (एस) द्वारा ऑनलाइन कार्रवाई करने के उद्देश्य से वेब पोर्टल को 2017 के दौरान अद्यतन किया गया। वर्ष 2016-17 से कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय शिपयार्डों को कम ''अनुबंध मूल्य''या ''उचित मूल्य''या उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक पोत के लिए किए गए वास्तविक भुगतान के 20% के बराबर वित्तीय सहायता दी जा रही है। 20% की इस दर को हर तीन वर्ष में 3% कम किया जाएगा। इन दिशा-निर्देशों को अप्रैल 2022 और अगस्त 2023 में संशोधित किया गया है। यह नीति इन दिशानिर्देशों में दर्शाई गई वित्तीय सहायता की दर के अनुसार मानक, विशेषीकृत और अन्य जलयानों को सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हरित पहल की घोषणाओं के साथ, भारत सरकार एसबीएफएपी के तहत हरित ईंधन वाले जलयानों के निर्माण की पहल को बढ़ावा दे रही है, जिसमें उन जलयानों के लिए 30% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जहां मुख्य प्रणोदन मेथनॉल/अमोनिया/हाइड्रोजन ईंधन सेल्स जैसे हरित ईंधन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और प्रणोदन के विद्युत साधनों वाले जलयानों या हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित जलयानों के लिए 20% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि इस प्रकार है:

वर्ष	जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि (करोड़ रु. में)	जलयानों की संख्या
2018-19	29	12
2019-20	27	7
2020-21	58	15
2021-22	65	17
2022-23	58	32
2023-24	90	50
2024-25	137	38
2025-26	125 (31.12.2025 तक)	33

नोट: जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि (करोड़ रुपये में) को निकटतम पूर्ण संख्या में लिखा गया है।

(ख) भारतीय शिपयार्डों को अस्वीकार करने का अधिकार (2016)

5.16 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 09 दिसंबर 2015 को यह भी अनुमोदित किया कि सी.पी.एस.यू. सहित सभी सरकारी विभागों अथवा अभिकरणों को वर्ष 2025 तक भारतीय शिपयार्डों को सरकारी अथवा अपने उपयोग के लिए जलयानों की खरीद अथवा मरम्मत करते समय प्रथम अस्वीकार करने का अधिकार (आरओएफआर) देना होगा और उसके बाद केवल भारतीय शिपयार्ड ही इन संगठनों के जलयानों का निर्माण और मरम्मत करेंगे। दिनांक 31 मई 2016 को मंत्रालय की वेबसाइट पर दिशा-निर्देश अपलोड किए गए थे। उसके बाद, क्रे लेंग्थ एवं नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सुविधाओं से संबंधित कुछ प्रावधान मंत्रालय द्वारा संशोधित किए गए हैं ताकि छोटे शिपयार्डों सहित अधिक से अधिक भारतीय शिपयार्ड इस नीति का लाभ उठा सकें। संशोधित दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

(ग) शिपयार्डों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना (2016)

5.17 आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 13 अप्रैल 2016 को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की मिश्रित मास्टर सूची में स्टैण्ड अलोन 'शिपयार्डों' का समावेशन अधिसूचित किया है। इस समावेशन से, शिपयार्ड दीर्घकालिक परियोजना ऋणों के लचीले निर्धारण, ब्याज की कम दरों पर बुनियादी निधियों से दीर्घकालिक वित्तपोषण तथा उनकी परिसंपत्तियों के आर्थिक काल के समकक्ष दीर्घकालिक अवधि निधीयन, शिथिल ईसीबी मापदंड, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसंरचना बांड के निर्गमन का फायदा उठा पाएंगे। एक फ्लोटिंग या भू-आधारित सुविधा केन्द्र जिसके साथ वाटरफ्रंट, टर्निंग बेसिन, बर्थिंग और डॉकिंग सुविधा, स्लिपवे तथा/अथवा शिपलिफ्ट जैसी आवश्यक विशेषताएं हों, एवं जो पोतनिर्माण/मरम्मत/ब्रेकिंग गतिविधियों को चलाने में आत्मनिर्भर हो, को स्टेण्डलोन शिपयार्ड के रूप में परिभाषित किया गया है।

(घ) टगों को चार्टर करने/खरीद के लिए एसओपी (2020)

5.18 लघु और मध्यम शिपयार्डों को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय ने सितंबर, 2020 में महापत्तनों द्वारा पत्तन क्रॉफ्टों की खरीद/चार्टरिंग से संबंधित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। स्थायी विनिर्देशन समिति (एसएससी) द्वारा अंतिम रूप दिए गए टगों के 5 स्वरूप/प्रकार आईपीए को पास भेजे गए हैं.

(ङ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत डीप-सी फिशिंग वैसल्स (डीएसएफवी) की खरीद के लिए एसओपी (पीएमएमएसवाई)

5.19 मंत्रालय ने पीएमएमएसवाई के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्य मत्स्यन विभागों की सहायता के लिए डीप-सी फिशिंग जलयान की खरीद हेतु वर्ष 2021 में मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की थी। इस्पात और एफआरपी के लिए डीप-सी फिशिंग वैसल्स

की खरीद के लिए समेकित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) दिनांक 31 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। दिनांक 01 जुलाई, 2025 एसओपी संशोधित की गई है। इसके अलावा, नोडल प्राधिकरण द्वारा फिशिंग जलयानों हेतु अनुमोदित मानकीकृत डीएसएफवी डिजाइन एवं विनिर्देश के तीन स्वरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु मत्स्यन विभाग को भेजे गए हैं.

(च) जलयानों की चार्टरिंग में प्रथम अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करना

5.20 भारत में भारतीय ध्वज और पोत निर्माण के अंतर्गत टनभार को बढ़ावा देने के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जलयानों की चार्टरिंग हेतु पहले अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करने का मापदंड संशोधित किया गया है, ताकि टनभार और भारत में पोतनिर्माण के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आरओएफआर के लिए संशोधित वरीयता निम्नानुसार है:-

(1) भारत में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले
(2) भारत में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व वाले
(3) विदेश में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले
(4) विदेश में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व वाले
(5) भारत में निर्मित, विदेशी ध्वजांकित और विदेशी स्वामित्व वाले

(छ) सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017, वर्ष 2020 में संशोधित

5.21 डीपीआईआईटी द्वारा सितंबर, 2020 में जारी किए गए मेक इन इंडिया के संशोधित आदेश में यह निर्धारित किया गया है कि 200 करोड़ रु. से कम की खरीद के अनुमानित मूल्य के साथ वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए, वैश्विक निविदा मांग जारी नहीं की जाएगी। इससे भारतीय शिपयार्डों को, और अधिक पोत मरम्मत संबंधी ऑर्डर मिलने में मदद मिलेगी।

(ज) पोतों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना (2025)

5.22 आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 19 सितंबर 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, 'परिवहन और लॉजिस्टिक्स' श्रेणी के तहत बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों की 'हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट' (एचएमएल) में "बड़े जलयानों" को शामिल करने को अधिसूचित किया है।

इस समावेश के साथ, पात्र जलयान अवसंरचना दर्जे से जुड़े लाभों का लाभ उठाने के हकदार हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुंच, परिसंपत्ति के आर्थिक काल के अनुरूप परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, बुनियादी ढांचा ऋण संस्थानों और निधियों तक पहुंच, बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के लिए शिथिल मानदंड, और बुनियादी ढांचा बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने की क्षमता शामिल है, जिससे जलयान अधिग्रहण के लिए पूंजी की कुल लागत कम हो जाएगी।

उक्त अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, "बड़े पोतों" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

- वाणिज्यिक जलयान जिनका सकल टनभार 10,000 या उससे अधिक है, जो भारतीय स्वामित्व और ध्वज के अधीन हैं; या
- वाणिज्यिक जलयान जिनका सकल टनभार 1,500 या उससे अधिक है, जो भारत में निर्मित हैं और भारतीय स्वामित्व और ध्वज के अधीन हैं।

बड़े जलयानों को अवसंरचना का दर्जा देने का उद्देश्य बेड़े के विस्तार की सुविधा प्रदान करना, घरेलू जलयान निर्माण को बढ़ावा देना, संस्थागत वित्त तक पहुंच में सुधार करना और वैश्विक व्यापार में भारतीय शिपिंग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करना है।

(i) एसबीएफ़एएस और एसबीडीएस दिशानिर्देशों को जारी करना

5.23 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, भारत में पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडबल्यू) की दो योजनाओं को मंजूरी दी, अर्थात् (क) पोत निर्माण वित्तीय सहायता

योजना (एसबीएफ़एएस) और राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन योजना (एनएसबीएम) और (ख) भारत में शिपिंग के लिए क्षमता और सक्षमता विकास तथा क्रेडिट जोखिम कवरेज योजना – पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस)।

पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफ़एएस) का उद्देश्य निर्मित प्रत्येक जलयान के लिए शिपयार्ड को लक्षित पूंजीगत सहायता प्रदान करना है, जिससे लागत का बोझ कम हो और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े। इसके अतिरिक्त, यह योजना पूरे देश में पोत निर्माण पहल के समन्वय और संचालन के लिए राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन (एनएसबीएम) की स्थापना करती है। एसबीएफ़एएस का बजटीय परिव्यय 31 मार्च, 2036 तक 24,736 करोड़ रुपये है।

पोत निर्माण विकास योजना का उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय पोत निर्माण अवसंरचना का निर्माण करना है। यह तीन प्रमुख घटकों पर केंद्रित है: ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार, ग्रीनफील्ड क्लस्टर विकास और क्रेडिट जोखिम कवरेज। आधुनिक बुनियादी ढांचे और एक कुशल कार्यबल के निर्माण के साथ, भारत की वाणिज्यिक पोत निर्माण क्षमता 2047 तक लगभग 4.5 मिलियन सकल टनभार प्रति वर्ष तक बढ़ने का अनुमान है। 31 मार्च, 2036 तक ₹19,989 करोड़ के बजटीय परिव्यय वाली एसबीडीएस दीर्घकालिक क्षमता और सक्षमता निर्माण पर केंद्रित है। यह योजना ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टरों के विकास, मौजूदा ब्राउनफील्ड शिपयार्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण, और अनुसंधान, डिजाइन, नवाचार और कौशल विकास का समर्थन करने के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के तहत एक भारतीय पोत प्रोद्योगिकी केंद्र की स्थापना का प्रावधान करती है। एसबीडीएस के तहत, ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टरों को 50:50 केंद्र-राज्य विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से सामान्य समुद्री और आंतरिक बुनियादी ढांचे के लिए 100% पूंजीगत सहायता प्राप्त होगी, जबकि मौजूदा शिपयार्ड महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे कि ड्राई डॉक, शिपलिफ्ट, फैब्रिकेशन सुविधाओं और ऑटोमेशन सिस्टम के ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए 25% पूंजीगत सहायता के पात्र होंगे। संवितरण उपलब्धि पर आधारित होंगे और स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। योजना में एक क्रेडिट जोखिम कवरेज ढांचा भी शामिल है, जो परियोजना की बैंकयोग्यता और वित्तीय लचीलेपन में सुधार के लिए शिपमेंट-पूर्व, शिपमेंट-पश्चात और विक्रेता-चूक जोखिमों के लिए सरकार समर्थित बीमा प्रदान करता है।

उपरोक्त योजनाओं को लागू करने के लिए एमओपीएसडबल्यू द्वारा 26.12.2025 को निम्नलिखित अनुमोदित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देश एमओपीएसडबल्यू की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं:-

1. पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफ़एएस) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश।
2. पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के तहत पोत निर्माण जोखिम कवरेज के लिए दिशानिर्देश।
3. पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के तहत ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टर विकास के लिए दिशानिर्देश।
4. पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के तहत ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार के लिए दिशानिर्देश।

पोत मरम्मत उद्योग

5.24 वर्तमान वैश्विक पोत मरम्मत बाजार 2030 तक $40 बिलियन से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है। एशिया-प्रशांत (एपीएसी) का क्षेत्र के भीतर समुद्री व्यापार गतिविधियों में वृद्धि के कारण पोत मरम्मत और रखरखाव सेवाओं के बाजार पर प्रभुत्व है। चीन, सिंगापुर, कोरिया और मध्य पूर्व में शिपयार्ड बड़े पैमाने पर कुशल श्रमिकों और नवीनतम तकनीक की उपलब्धता के कारण पोत मरम्मत उद्योग में हमेशा सबसे आगे रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बाजारों में विकास द्वारा समर्थित पोत मरम्मत और रखरखाव सेवा के लिए वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने की उम्मीद है। क्षेत्र में सुधार के कारण 2024 से 2029 की पूर्वानुमान अवधि के दौरान यूरोप में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। हालाँकि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 1% से भी कम है, देश तटरेखा के 300 एनएम के भीतर होने वाले वैश्विक व्यापार 7 से 9% के साथ प्रमुख व्यापार मार्गों/ नौवहन मार्गों के संबंध में अनुकूल स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, भारत रक्षा क्षेत्र में मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो भारतीय रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं दोनों के लिए पोत मरम्मत सेवाओं की एक श्रृंखला उपलब्ध कराएगा, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यह संरक्षित किए जाने वाला महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

5.25 भारत का वार्षिक पोत मरम्मत बाजार अनुमानत: लगभग 2,000 करोड़ रुपये का है, जिसकी कुल अनुमानित क्षमता 6,000 करोड़ रुपये है। हालांकि, इस बाजार की पूर्ति के लिए 30% से अधिक वाणिज्यिक पोत मरम्मत भारत के बाहर की जाती है। फिर भी, अगले 10 वर्षों में, भारत में 14,000+ करोड़ रुपये का पोत मरम्मत बाजार बनाने की क्षमता है जो देश में पोत मरम्मत व्यवसाय को स्वदेशी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पास एक मजबूत कार्यबल है जो संभावित रूप से श्रम-गहन पोत मरम्मत उद्योग की पूर्ति कर सकता है। हालांकि, भारतीय पोत मरम्मत बाजार में क्षमता का उपयोग न होने का कारण प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों और कुछ प्रकार के पोतों की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता की कमी है। लागत का लाभ न होने के अन्य कारणों में उच्च वित्तपोषण लागत, भारत में पोत पुर्जे आसानी से उपलब्ध न होना, अपर्याप्त सहायक सहायता और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे शामिल हैं जो पोत मरम्मत निष्पादन चक्र समय को बढ़ाते हैं।

5.26 इन कमियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार, एमआईवी 2030 पहल के तहत, कई पहलों के माध्यम से उद्योग को सक्रिय रूप से सहायता दे रही है। इनमें 'आत्मनिर्भर भारत' नीति का लाभ उठाकर घरेलू मांगों को दिशा देना, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अवसंरचना का विकास करना और मुक्त व्यापार डिपो और समुद्री क्लस्टर बनाकर उद्योग में समग्र विकास और बढ़े हुए व्यवसाय के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना शामिल है।

भारतीय पोत मरम्मत क्षमता

5.27 भारतीय पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का कारण प्रमुख व्यापार मार्गों पर सिंगापुर, मध्य पूर्व (दुबई, बहरीन) और कोलंबो में प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के जलयानों की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता की कमी कहा जा सकता है। इन कमियों के कारण, देश के केवल 5-6 शिपयार्ड ही कोई महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य करते हैं। पोत की मरम्मत में प्रमुख बाधाओं में से एक जीएसटी है, जो एक अतिरिक्त कर बोझ है और विदेशी पोत मरम्मतकर्ताओं की तुलना में भारतीय पोत मरम्मतकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी से बाहर कर देता है। लागत का लाभ न होने के अन्य कारणों में वित्तपोषण की उच्च लागत, भारत में पोत के पुर्जों की आपूर्ति में कमी और प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों के कारण बढ़ा हुआ पोत मरम्मत निष्पादन समय चक्र शामिल हैं।

5.28 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है जिसके द्वारा यह व्यापार मार्ग में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले पोतों को, उनके पोत-मरम्मत कार्यों के लिए आकर्षित कर सकता है। यह पोत-मरम्मत व्यवसाय के लिए बढ़ती बाजार संभावना को दर्शाता है क्योंकि पोतस्वामी जहां तक संभव हो सके अपने व्यवसाय मार्ग को बदले बिना अपने पोतों की मरम्मत करवाना चाहते हैं। पोत मरम्मत सेवा, एक अनुपूरक सेवा है जो अधिकांश शिपयार्डों द्वारा प्रदान की जाती है, यह एक श्रम-गहन गतिविधि भी है जो कि मौजूदा पोत निर्माण अवसंरचना का उपयोग करती है ताकि निवेश की गई पूंजी पर अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जा सके।

पोत पुनर्चक्रण

अलंग में पोतों का पुनर्चक्रण

5.29 भारत मियाद समाप्त हो चुके पोतों के अन्य रूप में उपयोग पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। भारत में 98% पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) गुजरात के अलंग-सोसिया में होता है, जो अलंग-सोसिया गाँवों से सटे कैम्बे की खाड़ी के पश्चिमी तट पर 10 किमी लंबे समुद्र के सामने स्थित है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना अलंग में प्रति वर्ष लगभग 3.50 एमएमटी स्टील का उत्पादन किया जाता है, जिससे लगभग 100 पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) प्लॉटों ने हांगकांग कन्वेंशन का अनुपालन करने का दर्जा हासिल कर लिया है। खिदिरपोर डॉक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता और मुंबई पत्तन पर भी सीमित तरीके से पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) कया जाता है। केरल में स्टील इंडस्ट्रियल्स लिमिटेड भी सीमित पैमाने पर छोटे पोतों का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) करता है।

5.30 पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के समय पोत मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा न करें। पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 28 नवंबर, 2019 को भारत ने पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 2009 का अनुसमर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) को विनियमित करने की दृष्टि से, भारत ने कन्वेंशन के आधार पर पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया है। इसे 16 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था। पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) नियमावली, 2021 को भी 26 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया है, ताकि पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) यार्ड, पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवसंरचना से खुद को लैस कर सकें। पोतों का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) विनियम 2026 को दिनांक 12.01.2026 को अधिसूचित किया जा चुका है।

5.31 हरित पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और स्क्रैपिंग नीति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 12 सितंबर 2022 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया था, साथ ही 13 सितंबर 2022 को अलंग शिपयार्ड का दौरा भी किया गया था। प्रमुख यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों के राजदूतों को भी अलंग में स्थापित की गई हरित पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) अवसंरचना से अवगत कराने के लिए आमंत्रित किया गया था। मौजूदा पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इसे एलडीटी के मौजूदा 4.50 एमएमटीपीए से बढ़ाकर वर्ष 2028 तक एलडीटी के 9.0 एमएमटीपीए तक करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अलंग में पोत भंजन

श्रमिक आवास कॉलोनी

सुधार

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 और तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापन

5.32 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वाणिज्य पोत परिवहन उद्योग में हाल के वर्षों में कई बदलाव हुए हैं। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (अधिनियम) अब समुद्री क्षेत्र की समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। चूंकि अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत विभिन्न अनिवार्य अपेक्षाओं को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दायित्वों को शामिल करने के लिए भी सुधारों की आवश्यकता थी। भारतीय पोत परिवहन के विकास को सुनिश्चित करने और तटीय पोत परिवहन और व्यापार को गति देने के लिए भारतीय समुद्री उद्योग द्वारा दी जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए, अधिनियम को दो अलग-अलग विधान लाने के लिए संशोधित किया गया है। तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025, जो घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नौवहन के केवल वाणिज्यिक और व्यापारिक पहलुओं से संबंधित है और वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत भारत के दायित्वों के कार्यान्वयन और समुद्री क्षेत्र के तकनीकी पहलुओं से संबंधित है, क्रमशः 18 अगस्त, 2025 और 09 अगस्त, 2025 को अधिनियमित किए गए हैं।

भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1856 को प्रतिस्थापित करने के लिए वहन-पत्र अधिनियम, 2025

5.33 भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1856 (अधिनियम), स्वतंत्रता-पूर्व का एक कानून है, माल की ढुलाई के अनुबंध में निहित वाद और देनदारियों के अधिकारों के उन माल प्रेषितियों या प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरण से संबंधित है, जिन्हें कोई वहन-पत्र विधेयक हस्तांतरित किया गया है। चूंकि अधिनियम की विषय-वस्तु भारत के संदर्भ में प्रासंगिक है, इसलिए वहन-पत्र अधिनियम, 2025 का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें कानून को समझना आसान बनाने के लिए इसके मूल/उद्देश्य में कोई बदलाव किए बिना अधिनियम के प्रावधानों को सरल बनाया गया है। उक्त अधिनियम 24 जुलाई, 2025 को अधिनियमित और 10 सितंबर, 2025 को लागू किया गया।

भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1925 का समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापन

5.34 भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1925, जो स्वतंत्रता-पूर्व का एक कानून है, जो वहन पर विधेयक समझौते (हेग-विस्बी नियम) से संबंधित कानून के कतिपय नियमों के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर आधारित है। चूंकि अधिनियम की विषय-वस्तु भारत के संदर्भ में प्रासंगिक है, इसलिए समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 2025 का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कानून को समझना आसान बनाने के लिए बिना किसी बदलाव के अधिनियम के मूल/ उद्देश्यों में सरल बनाया गया है। इसमें समुद्री मार्ग से माल परिवहन से संबंधित नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं से किसी भी नए पहलू को अपनाने के लिए अनुसूची में संशोधन करने का प्रावधान भी शामिल है। उक्त अधिनियम 08 अगस्त, 2025 को अधिनियमित और 10 सितंबर, 2025 को लागू किया गया।

भारत में क्रूज शिपिंग – 2025

5.35 भारत में क्रूज शिपिंग में पत्तनों पर यात्री आवाजाही और जलयान संचालन की सुविधा के लिए कई एजेंसियों के बीच समन्वय शामिल है। क्रूज संचालन में भारतीय जलक्षेत्र के भीतर संचालित होने वाली घरेलू क्रूज सेवाएं और उनके यात्रा कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में भारतीय पत्तनों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलयान शामिल हैं। वर्ष 2025 के दौरान, क्रूज भारत मिशन के तहत नीतिगत निर्देशों और पहलों के अनुरूप क्रूज शिपिंग गतिविधियां संचालित की गईं।

संस्थागत फ्रेमवर्क

5.36 क्रूज पर्यटन कार्य बल जिसकी अध्यक्षता सचिव (पर्यटन) और सह-अध्यक्षता सचिव (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग) द्वारा की गई, ने क्रूज क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत निर्देश और अंतर-मंत्रालयी समन्वय प्रदान करना जारी रखा। क्रूज से संबंधित मामलों का

समन्वय पर्यटन, गृह मामले, वित्त, सीमा शुल्क, आप्रवासन, सीआईएसएफ, राज्य सरकारों, पत्तन प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों सहित मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ किया गया था.

विगत वर्षों में की गई पहलें (वर्ष 2025 में जारी)

विगत वर्षों में शुरू की गई निम्नलिखित पहले जो वर्ष 2025 में भी जारी है:

- पत्तन पर क्रूज जलयानों के लिए गारंटीकृत बर्थ का प्रावधान.
- क्रूज़ जलयानों हेतु आउस्टिंग (Ousting) शुल्क को हटाना।
- क्रूज जलयानों को महापत्तन पर एक समान एकल दर प्रशुल्क और एक मानक जीआरटी दर एवं यात्री शीर्ष कर सहित एक युक्तिपरक क्रूज़ प्रशुल्क होने से मात्रा में 20% तक की छूट प्राप्त होती है।
- विदेशी क्रूज जलयानों के लिए कैबोटेज में छूट दी गई है। इस छूट से विदेशी क्रूज पोतों को अपने घरेलू भ्रमण के दौरान भारतीय नागरिकों को एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक ले जाने की अनुमति मिलती है।
- यात्रियों को ले जाने वाले विदेशी ध्वजांकित जलयानों को नौवहन महानिदेशालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना मौजूदा छूट के अनुसार भारतीय पत्तनों पर आने की अनुमति दी।

प्रक्रियाओं का मानकीकरण

5.37 भारतीय पत्तनों पर क्रूज संचालन को मानकीकृत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया-3 (एसओपी-3) जारी की गई और वर्ष के दौरान लागू की गई। एसओपी-3 आरोहण, अवरोहण, यात्री आवाजाही, और आप्रवासन, सीमा शुल्क, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, सीआईएसएफ, पत्तन प्राधिकरणों और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एक साझा फ्रेमवर्क प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और सम्मेलन

5.38 भारत ने 2025 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रूज कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें एसएटीटीई क्रूज इवेंट, नई दिल्ली; सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025; और सीट्रेड ग्लोबल क्रूज, मियामी शामिल हैं।

आसियान-भारत क्रूज संवाद (एआईसीडी) 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक महाबलीपुरम, चेन्नई में आयोजित किया गया था, और इसका उद्घाटन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा किया गया था। इस संवाद में सभी आसियान सदस्य देशों, अर्थात् ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ-साथ तिमोर लेस्ते ने भाग लिया। इस संवाद ने क्रूज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और समन्वय पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया।

वर्ष के दौरान कार्यशालाएं और हितधारक परामर्श आयोजित किए गए, जिसमें 6 मई 2025 को गुजरात समुद्री बोर्ड द्वारा गुजरात तट पर क्रूज पर्यटन पर आयोजित एक कार्यशाला शामिल थी।

क्रूज अवसंरचना और गंतव्य

5.39 पुडुचेरी में 4 जुलाई 2025 को कोर्डेलिया क्रूज के एमवी एम्प्रेस के साथ अपनी पहली क्रूज कॉल (आगमन) दर्ज की गई। पुडुचेरी के जुड़ने के साथ, वर्ष के दौरान क्रूज गंतव्यों की संख्या बढ़कर नौ हो गई। इसके अलावा, छह महापत्तनों - महाराष्ट्र में मुंबई, तमिलनाडु में चेन्नई, केरल में कोचीन, गोवा में मुरगांव, कर्नाटक में न्यू मंगलूर और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में क्रूज टर्मिनल चालू हैं। इसके अतिरिक्त, लक्षद्वीप और अंडमान गंतव्यों पर भी क्रूज आगमन को हैंडल किया गया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन सितंबर 2025 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। कोचीन, चेन्नई, मुरगांव और न्यू मंगलूर के पत्तनों ने बर्थिंग की व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और गंतव्य की तैयारी से संबंधित कार्य किए।

5.40 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक भारत के सभी समुद्री क्रूज गंतव्यों पर हैंडल किए गए जलयानों और यात्रियों की संख्या का विवरण नीचे सूचीबद्ध है

पत्तन के नाम	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	जलयानों की संख्या	यात्रियों की संख्या	जलयानों की संख्या	यात्रियों की संख्या	जलयानों की संख्या	यात्रियों की संख्या
मुंबई	7	11,856	89	2,42,979	96	2.54,835
मुरगांव	9	10,138	28	57,997	37	68,135
नव मंगलूर	8	4,039	0	0	8	4,039
चेन्नै	4	6,285	12	34,943	16	41,228
कोचीन	13	12,681	15	30,383	28	43,064
लक्षद्वीप	13	4,216	12	47,625	25	51,841
पुदुचेरी	0	0	3	3,692	3	3,692
वाइज़ैग	0	0	9	10,707	9	10,707
श्री विजयपुरम	1	135	0	0	1	135
कुल	**55**	**49,350**	**168**	**4,28,326**	**223**	**4,77,676**

5.41 भारतीय नौयात्रा में परिवर्तनकारी वृद्धि:

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रभावशाली प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय समुद्री नाविकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

वर्तमान अवधि (2025–26) तक, कार्यरत भारतीय नाविकों की संख्या 3.08 लाख है, जो पिछले वर्षों में प्राप्त निरंतर वृद्धि को दर्शाती है। इसके समानांतर, मंत्रालय की केंद्रित पहलों के परिणामस्वरूप 2014 से महिला नाविकों की संख्या में दस गुना वृद्धि हुई है, जो समुद्री क्षेत्र में कार्यबल विस्तार और लैंगिक समावेशिता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती करती है।

संगठन

नौवहन महानिदेशालय

6.1 नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसकी स्थापना 1949 में, की की गई थी । यह समुद्री प्रशासन, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण, नौवहन उद्योग विकास और अन्य संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है । यह समुद्र में जीवन और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री प्रदूषण को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) द्वारा निर्धारित अनिवार्य नियमों को लागू करने के लिए नौवहन नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है । साथ ही नाविक परीक्षाओं और प्रमाणन का संचालन करता है और अधीनस्थ कार्यालयों की निगरानी करता है । वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 के तहत नियुक्त नौवहन महानिदेशक को अतिरिक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक सामान्य और नौटिकल सलाहकार (नेविगेशन), मुख्य सर्वेयर (समुद्री इंजीनियरिंग) और मुख्य पोत सर्वेयर (नौसेना वास्तुकला) सहित तकनीकी विशेषज्ञों का सपोर्ट मिलता है । फील्ड कार्यालयों की कमान प्रधान अधिकारी संभालते हैं, जिनकी सहायता सर्वेक्षकों द्वारा की जाती है, साथ ही संबद्ध कार्यालय प्रमुख और उनकी टीमें महानिदेशक को वैधानिक कार्यों में सहायता करती हैं ।

भारत ने आईएमओ परिषद के चुनावों में शानदार जीत हासिल की

6.2 भारत को 2026-27 द्विवार्षिक के लिए आईएमओ परिषद के लिए फिर से चुना गया है, जिसे राष्ट्रों की श्रेणी बी में 154 वोटों की उच्चतम वोट संख्या प्राप्त हुई है । यह समुद्री क्षेत्र और नाविकों को सुरक्षित, संरक्षित, हरित और परिवहन के एक व्यवहार्य साधन के रूप में महासागरों को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई उच्च प्राथमिकता है।

ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव (20 फरवरी 2025)

6.3 20 फरवरी 2025 को आयोजित ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 ने 2030 तक 5% वैकल्पिक ईंधन अपनाने और 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन सहित भारत के ग्रीन शिपिंग एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं, औद्योगिक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाया । इस सम्मेलन से भारत की व्यापक हरित नौवहन नीति को आकार देने में सहायत मिली ।

नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यालयों के कार्य

6.4 समुद्री वाणिज्य विभाग (एमएमडी) की स्थापना 1929 में की गई थी, जिसके मुख्यालय मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में हैं, और बाद में कोच्चि (2005) और कांडला में जिला कार्यालयों के साथ इसका विस्तार किया गया था, 1949 में डीजीएस की स्थापना तक यह मंत्रालय के अधीन था । एमएमडी वाणिज्य नौवहन कानूनों का संचालन करता है, पोतों और चालक दल की सुरक्षा, प्रदूषण की रोकथाम, पोत पंजीकरण, टन भार माप, चालक दल आवास और लोड लाइनों और सुरक्षा निर्माण के लिए सर्वेक्षण सुनिश्चित करता है । वे नौवहन कार्य में हताहत व्यक्तियों की जांच तथा यात्री जहाजों, रेडियो और सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण करते हैं, मरम्मत और निर्माण कार्य की निगरानी करते हैं, फ्लैग स्टेट विनियमों को लागू करते हैं, पत्तन राज्य नियंत्रण निरीक्षण करते हैं, और वाणिज्य नौवहन अधिनियम, 1958 के तहत संगत नाविक परीक्षाओं और प्रमाणन की निगरानी करते हैं । समय के साथ, डीजीएस को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट, एडमिरल्टी एक्ट और नाविकों की भर्ती और नियुक्ति नियमों के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत सर्वेक्षण और प्रमाणन को मान्यता प्राप्त आईएसीएस वर्गीकरण समितियों को सौंपते हुए पर्यवेक्षी निरीक्षण को बरकरार रखा है ।

यात्री पोत सर्वेक्षण

6.5 सभी यात्री पोतों का निर्माण के दौरान और उसके बाद हर वर्ष, हल, मशीनरी और उपकरण आदि का सर्वेक्षण किया जाता है । सर्वेक्षण पूरा होने के बाद यात्री जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र, अंतरिक्ष, विशेष व्यापार जहाज सुरक्षा, छूट, ए प्रमाणपत्र और सर्वेक्षण प्रमाणपत्र जैसे प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं । कार्गो जहाजों का सर्वेक्षण कार्गो शिप सेफ्टी कंस्ट्रक्शन (सीएसएससी) नियमों के तहत किया जाता है और विदेशों में निर्माणाधीन / पुनर्निर्माण सर्वेक्षण का कार्य मान्यता प्राप्त वर्गीकरण समितियों को सौंप जाता है । 300 जी.टी. से अधिक सभी समुद्री जहाजों को एम एस (सीडीएसआरसी) रेडियो नियम, 1995 और सोलास 74 के तहत एक सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र की आवश्यकता होता है, जो सभी रेडियो उपकरणों की परिचालन स्थिति और प्रकार की स्वीकृति सुनिश्चित करता है ।

नाविक की परीक्षा और प्रमाणन

6.6 नौवहन महानिदेशालय और एमएमडी कार्यालय यथासंशोधित एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन, 1978 और एम.एस. एसटीसीडब्ल्यू नियम, 2014 के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं । जिसमें विभिन्न अधिकारी और परिचालन भूमिकाओं के लिए योग्यता प्रमाण पत्र (सीओसी), प्रवीणता प्रमाण पत्र और वॉचकीपिंग प्रमाण पत्र शामिल हैं । मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, कोच्चि, नोएडा, कांडला और विशाखापट्टणम में एमएमडी में एमईओ क्लास I, II, III, IV, इलेक्ट्रो-टेक्निकल ऑफिसर्स और मास्टर, चीफ मेट, सेकंड मेट, एनडब्ल्यूकेओ आदि जैसे डेक प्रमाणन सहित इंजीनियरिंग और नॉटिकल स्ट्रीम के लिए मासिक परीक्षा आयोजित की जाती है । प्रमाणीकरण प्रणाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन प्रशिक्षण, मूल्यांकन और नाविकों की क्षमता सुनिश्चित करती है, डीजीएस वैश्विक समुद्री मानकों के अनुरूप वाणिज्य नौवहन अधिनियम, 1958 के तहत प्रशिक्षण, रोजगार और प्रमाणन का समर्थन करता है ।

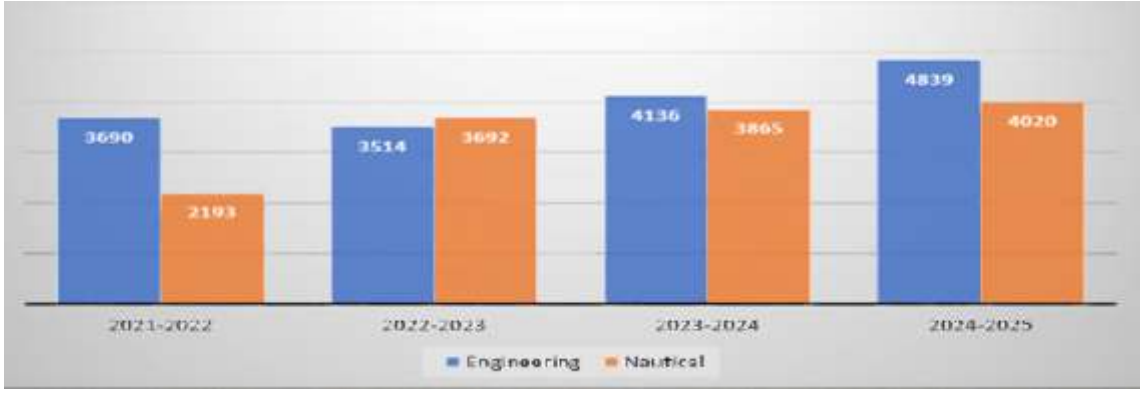

ई-परीक्षा

6.7 मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत, पहल 10.9 में नाविकों की परीक्षा, मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रियाओं के एंड-टू-एंड डिजिटाइजेशन की परिकल्पना की गई है । इस संबंध में, नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) ने ई-परीक्षा शुरू की है, जो सभी मर्केंटाइल मरीन विभागों में एक पारदर्शी, मानकीकृत और केंद्रीय रूप से निगरानी प्रणाली के माध्यम से समुद्री योग्यता परीक्षाओं को आधुनिक बनाने के लिए एक प्रमुख डिजिटल पहल है ।

एमएमडी नोएडा में एक सफल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें तेज मूल्यांकन और मैनुअल काम में कमी को देखा गया है । इस पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर, मार्च 2026 में पूरे देश में इसे लागू करने की योजना है, जिसमें सालाना लगभग 600 परीक्षाओं और 8,500 से ज़्यादा सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, जोआईएमओ, एसटीसीडब्ल्यू, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के अनुसार होगा ।

एनसीवी डेक कैडेट योजना

6.8 नौवहन महानिदेशालय ने 2024 के एमएस नोटिस संख्या 15 में यथा उल्लिखित संशोधित एनसीवी डेक कैडेट योजना शुरू की है, जिसे विशेष रूप से जीपी रेटिंग उम्मीदवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है । इस पहल का उद्देश्य जीपी रेटिंग को प्रमाणित नेविगेशनल वॉचकीपिंग अधिकारियों के रूप में सक्षम बनाकर तटीय नौवहन में करियर उन्नति के लिए एक निश्चित व्यवस्था का सृजन करना है । इस योजना के माध्यम से, उम्मीदवार एक अनुमोदित संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएसटीपी) के साथ 12 महीने की समुद्री सेवा पूरी करेंगे और एनडब्ल्यूकेओ (एनसीवी) सक्षमता प्रमाण पत्र (सीओसी) के लिए लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण करेंगे ।

यह योजना भारत के तटीय नौवहन क्षेत्र के लिए अधिकारियों के कौशल को बढ़ाएगी और साथ ही प्रमाणित कार्यबल की मांग को भी पूरा करेगी । तटीय पोत मालिकों और ऑपरेटरों को इस योजना के तहत जीपी रेटिंग को शामिल करने और एसएसटीपी अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे अधिकारियों के कुशल कैडर के विकास और प्रमाणन में योगदान मिलता है । नौकायन ग्रेड योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने पर संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की गई है ।

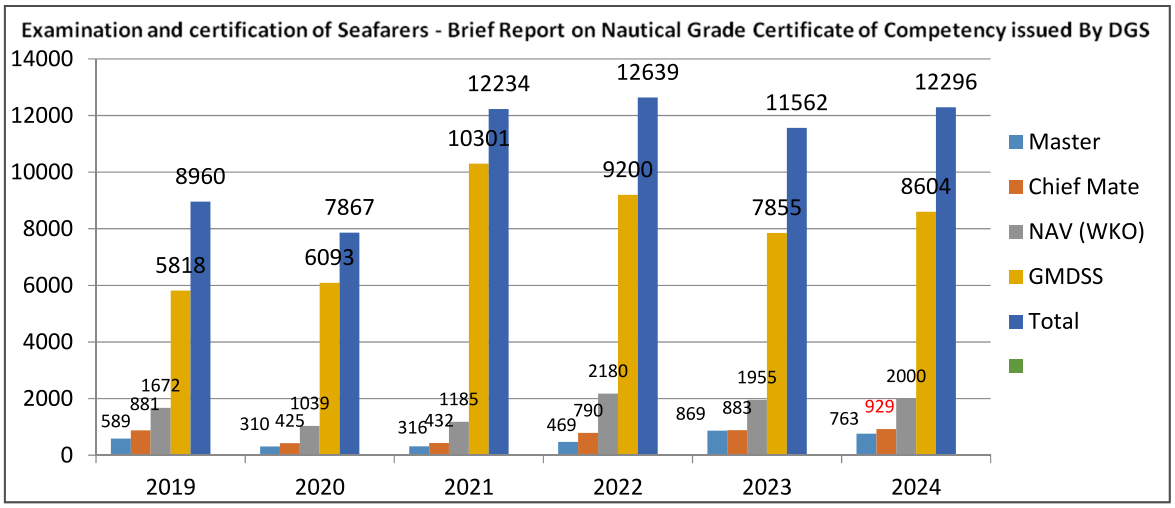

प्रमुख उपलब्धियां 2024 :

- कुल जारी किए गए सीओसी: 12,200
- ग्रेड नेविगेशनल वॉच-कीपिंग अधिकारी के लिए बचाए गए सबसे अधिक सीओसी - 2,000 सीओसी
- उच्च प्रमाणीकरण संख्या मजबूत और गहन समुद्री प्रशिक्षण को दर्शाती है ।
- उच्च सीओसी जारी करना प्रमाणीकरण और परीक्षा के लिए एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र को दर्शाता है ।
- उपरोक्त ने भारतीय समुद्री प्रशासन को उद्योग की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाया है ।

भारत और डेनमार्क उत्कृष्टता केंद्र और हरित शिपिंग भागीदारी 2025

6.9 नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग (NCoEGPS) 2024 के भारत-डेनमार्क समुद्री मामलों पर समझौता ज्ञापन के तहत हरित ईंधन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रेगुलेटरी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की एक प्रमुख तकनीकी शाखा के रूप में काम करता रहेगा । प्रमुख विकासों में हरित नौवहन के लिए नेशनल सिंगल-विंडो नॉलेज पोर्टल (फरवरी 2025) का शुभारंभ, मेथनॉल / अमोनिया ईंधन पर संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट्स और आईएमओ ग्रीन वॉयेज 2050 के साथ संरेखित डिजिटल प्रमाणन और 21 फरवरी 2025 को डीजीएस में आयोजित डिजिटलीकरण कार्यशाला शामिल हैं ।

2025 के दौरान अतिरिक्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों में कोच्चि हरित ईंधन कार्यशाला (अगस्त 2025) शामिल है जिसने भारत-डेनमार्क ग्रीन फ्यूल्स वर्किंग ग्रुप की स्थापना की और मैरीटाइम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप (सितंबर 2025) भी हुई, जिसका उद्देश्य नाविक प्रमाणपत्रों के लिए रोडमैप को आगे बढ़ाना था । भारत संयुक्त कार्यशालाओं, पायलट परियोजनाओं और उन्नत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सीओई कार्ययोजना 2025-26 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

तीसरी रेग्लिटर एशिया क्षेत्रीय कार्य बल कार्यशाला 8 दिसंबर 2025

6.10 आईएमओ ओशनलिट्टर कार्यक्रम के तहत और आईएमओ और एफएओ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित रेग्लिटर परियोजना का उद्देश्य भारत सहित सात देशों के साथ साझेदारी में एशिया क्षेत्र में समुद्र आधारित समुद्री प्लास्टिक कचरे को रोकना और कम करना है। इस पहल के तहत, तीसरे रेग्लिटर एशिया क्षेत्रीय कार्य बल कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

यह कार्यशाला समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं, कानूनी ढांचों, क्षेत्रीय सहयोग और डेटा-संचालित तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो हनोई (मार्च 2024) और अप्रैल 2025 में वर्चुअली आयोजित पिछली बैठकों के परिणामों पर आधारित होगी। यह प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कार्यान्वयन की क्षमताओं को बढ़ाएगी, समुद्री कचरा डेटा संग्रह की समझ में सुधार करेगी और भाग लेने वाले देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देगी।

एसटीसीडब्ल्यू प्रमाणन प्रदर्शन (नॉटिकल ग्रेड)

6.11 नौवहन महानिदेशालय ने 2025 के दौरान भारतीय नाविकों की क्षमता, सुरक्षा तत्परता और वैश्विक रोजगार क्षमता को मजबूत करना जारी रखा, जिसमें एसटीसीडब्ल्यू प्रमाणन जारी करने में उल्लेखनीय वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। 2025 में कुल 4,153 विदेश योग्यता प्रमाण पत्र (सीओसी) जारी किए गए, जिसमें सेकंड मेट का हिस्सा सबसे बड़ा था, इसके बाद फर्स्ट मेट और मास्टर का स्थान था, जो जूनियर और मिड-ऑफिसर स्तरों पर एक मजबूत पाइपलाइन को दर्शाता है। निकट तटीय पोत (एनसीवी) संचालन के लिए, 100 सीओसी जारी किए गए थे, जो तटीय व्यापार के साथ स्थिर लेकिन सीमित मांग को दर्शाता है।

2019 से 2025 तक सीओसी जारी करने की वर्ष-वार प्रवृत्ति विदेशी जाने वाले सीओसी के लिए एक स्पष्ट बढ़ता आलेख दर्शाता है, विशेष रूप से 2021 के बाद, 2025 में सर्वाधिक प्रमाणपत्र जारी करने के स्तर में परिणत होता है, जो महामारी से संबंधित व्यवधानों से उबरने और वैश्विक मांग में वृद्धि को दर्शाता है। निकट तटीय सीओसी निर्गमन मामूली उतार-चढ़ाव के साथ तुलनात्मक रूप से स्थिर रहा, जो विशिष्ट घरेलू आवश्यकताओं को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान, नॉटिकल स्कंध ने 2025 का डीजीएस परिपत्र संख्या 54 के माध्यम से न्यूनतम सुरक्षित मैनिंग से संबंधित सभी निर्देशों को एक एकल संदर्भ दस्तावेज में समेकित किया, जिससे नियामक स्पष्टता और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा, मुख्य मेट (एनसीवी) चरण-1 और चरण-2 पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम को 2025 के डीजीएस परिपत्र संख्या 41 (एसटीसीडब्ल्यू परिपत्र संख्या 04 2025) द्वारा पूरी तरह से संशोधित किया गया है ताकि 2010 मनीला संशोधनों तक के सभी एसटीसीडब्ल्यू संशोधनों को शामिल किया जा सके, अप्रचलित सामग्री को हटाया जा सके और प्रशिक्षण को वर्तमान समुद्री परिचालन आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए व्यापक रूप से संशोधित किया जा सके।

Certificate of Competency issued

Rank	Foreign Going Grades	Near-Coastal Voyage (NCV) Grades
Master	702	38
First Mate	1187	31
Second Mate	2264	31
Total	**4153**	**100**

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Certificate of Competency (COCs)

MMD CHENNAI	1237
MMD KOCHI	946
MMD NOIDA	2256
MMD KANDLA	120
MMD KOLKATA	1345
MMD MUMBAI	3012
Total	**8916**

Certificate of Equivalence (COE) for Foreign COCs

COE (NEW)	19

COPs for Polar water operations

Basic COPs for Polar Water Operations	121
Advanced COPs for Polar Water Operations	27

Certificate of Proficiency (COP) in Advanced Tanker Operations			
	Advanced Oil Tanker Endorsement	Advanced Chemical Tanker Endorsement	Advanced Gas Tanker Operations
MMD CHENNAI	450	213	104
MMD KOCHI	359	165	92
MMD NOIDA	1041	562	283
MMD KANDLA	27	18	12
MMD KOLKATA	460	222	82
MMD MUMBAI	1539	821	377
Total	**3876**	**2001**	**950**

Certificate of Proficiency (COP)	
CoP in Rating Forming Part of a Navigational Watch	**5592**
CoP in Able Seafarer Deck	**3333**
IGF Code Basic CoP	**4470**
CoP in Basic Training For Oil and Chemical Tanker Cargo Operations	**14480**
CoP in Basic Training For Liquified Gas	**4984**

कैजुअल्टी ब्रांच, नॉटिकल स्कंध

बचाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर कार्यशाला, मार्च 2025

6.12 नौवहन महानिदेशालय ने समुद्री आपात स्थितियों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र की समीक्षा करने के लिए 4 मार्च 2025 को मुंबई में बचाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सरकारी एजेंसियों, भारतीय तटरक्षक बल, शिपिंग कंपनियों, बचाव ऑपरेटरों, बीमाकर्ताओं, बंदरगाहों, कानूनी पेशेवरों और समुद्री संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित 254 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विचार-विमर्श में हाल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडी के आधार पर ग्राउंडिंग, आग, टक्कर, प्रदूषण की घटनाओं और जहाजों के मलबे को हटाने के प्रबंधन के लिए समन्वय और तत्परता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य चर्चाओं में वाणिज्य नौवहन बिल, 2024 के तहत बचाव संबंधी प्रावधान, मानक संचालन प्रक्रियाएं, पेशेवर बचावकर्ताओं की नियुक्ति और शरण के बंदरगाहों और आपातकालीन टोइंग से संबंधित मुद्दों की जांच की गई। कार्यशाला में नियामक ढांचे को मजबूत करने, घरेलू बचाव क्षमता बढ़ाने और समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए संस्थागत तैयारी में सुधार पर सहमति के साथ समापन हुआ।

उल्लेखनीय समुद्री घटनाएं और नियामक प्रतिक्रिया

6.13 वर्ष 2025 के दौरान, नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) ने कई प्रमुख समुद्री दुर्घटनाओं के लिए समय पर और व्यवस्थित तरीकों से समन्वय तथा सहयोग किया गया, जिससे मानव जीवन, समुद्री पर्यावरण और तटीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई । इन घटनाओं ने प्रारंभिक हस्तक्षेप, बहु-एजेंसी समन्वय और नियामक निरीक्षण की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया ।

एमएससी एल्सा 3 का डूबना (25 मई 2025): लाइबेरिया फ्लैग वाला कंटेनर जहाज भारी ईंधन तेल, डीजल और खतरनाक माल लेकर केरल तट से दूर डूब गया । डीजीएस ने भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, राज्य और बंदरगाह प्राधिकरणों, पोत मालिकों, पी एंड आई क्लब, आईटीओपीएफ और पेशेवर बचाव दल के साथ राष्ट्रीय समन्वय किया । केरल और तमिलनाडु तटों के साथ-साथ नर्डल रिसाव के लिए निरंतर निगरानी, पाइप सीलिंग, मानसून के बाद तेल हटाने और तटीय सफाई ने यह सुनिश्चित किया कि कोई महत्वपूर्ण तेल रिसाव या पर्यावरणीय क्षति न हो । प्रभावित मछुआरों के लिए मुआवजा और सफाई लागत सुनिश्चित की गई थी और नियामक अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से जहाज का मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है ।

डब्ल्यूएएन एचएआई 503 (जून 2025) पर आग : पनामा फ्लैग वाले कंटेनर पोत में केरल तट से दूर भारतीय ईईजेड से गुजरते समय आग लग गई । डीजीएस ने ईएलएसए साइट से आपातकालीन टोइंग जलयान (ईटीवी) को फिर से तैनात किया, हाई-बोलार्ड-पुल टग को जुटाया और भारतीय तटरक्षक बल के साथ अग्निशमन का समन्वय किया । लगभग तीन सप्ताह के निरंतर अग्निशामन कार्य के बाद, पोत को ईईजेड से परे एक निर्दिष्ट शरणगाह पत्तन तक ले जाया गया । इस घटना की औपचारिक जांच चल रही है ।

इंटरएशिया टेनसिटी पर कंटेनर में आग (जून 2025): मार्शल द्वीप समूह फ्लैग वाले पोत ने जवाहरलाल नेहरू पत्तन की ओर अरब सागर से गुजरते समय कंटेनर में आग लगने की सूचना दी । भारतीय तटरक्षक बल के समन्वय से 48 घंटों के भीतर आग बुझा दी गई, जिसमें कोई प्रदूषण, तटीय प्रभाव या चोटें नहीं आईं और जलयान सुरक्षित रूप से पत्तन की और बढ़ने लगा।

एमटी फुल्डा पर आग और विस्फोट (जुलाई 2025): लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर में कार्गो टैंक में विस्फोट हुआ और 15,000 मीट्रिक टन ईंधन तेल के साथ कांडला आउटर पत्तन के नजदीक लंगरगाह में उसकी ग्राउंडिंग हुई। डीजीएस ने बचावकर्ताओं और ओएसआरओ के माध्यम से आग को नियंत्रण में में लाने और तेल निकालने का समन्वय किया, इसके बाद रिफ्लोटिंग, सुरक्षित स्थान पर टोवेज और नियामक निरीक्षण के तहत स्क्रैपिंग के लिए जहाज की तैयारी की ।

इन सभी घटनाओं में, डीजीएस ने केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों, रक्षा एजेंसियों, पोत मालिकों, बीमाकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी एजेंसियों के साथ समन्वित कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण और शून्य तटीय प्रभाव हुआ। इन घटनाओं से घरेलू बचाव और मलबा हटाने की क्षमता की कमियों को उजागर किया। नतीजतन, प्रधानमंत्री कार्यालय ने जुलाई 2025 में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बुलाई, जिसके बाद एक निश्चित समय सीमा के साथ समुद्री दुर्घटना प्रतिक्रिया ढांचा विकसित किया गया और भारत के बचाव पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया।

भारत के समुद्री आकस्मिक घटना प्रतिक्रिया अवसंरचना को मजबूत करना

6.14 भारत बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के बाद समुद्री दुर्घटना प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक केंद्रित कार्य एजेंडा लागू कर रहा है। इन उपायों का उद्देश्य देश भर में जांच की गुणवत्ता, परिचालन समन्वय और जमीनी आपातकालीन क्षमता में सुधार करना है।

क्षमता निर्माण : निदेशालय गंभीर समुद्री दुर्घटनाओं से निपटने के लिए समर्पित, प्रशिक्षित जांचकर्ताओं के साथ भारतीय समुद्री दुर्घटना जांच प्रकोष्ठ को मजबूत कर रहा है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष जांच, रिपोर्टों शीघ्र तैयार करना और समय पर सुरक्षा सीख सुनिश्चित करना है जिसे विनियमन, प्रशिक्षण और परिचालन तरीकों में शामिल किया जा सके।

इसके अलावा, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन को लॉन्ग-रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम और नेशनल डेटा सेंटर में अपग्रेड करके मज़बूत किया जा रहा है। ये सुधार अधिकारियों को जहाज़ों की आवाजाही और घटनाओं के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे इमरजेंसी के दौरान तेज़ी से और ज़्यादा समन्वित फैसले लिए जा सकें।

राष्ट्रीय बचाव अवसंरचना का विकास : निदेशालय ने बचाव क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए लक्षित पहल शुरू की है। 2025 की वाणिज्य नौवहन नोटिस संख्या 11, के अनुसार तट पर तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महापत्तनों में समुद्रगामी टग की तैनाती करना अनिवार्य है।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, डीजीएस दुर्घटना के दौरान तेजी से एसेट जुटाने के लिए पेशेवर बचावकर्ताओं को पैनल में शामिल कर रहा है; पैनल में शामिल संस्थाओं को उपकरणों का स्टॉक बनाए रखना चाहिए और रणनीतिक तटीय स्थानों पर रिस्पॉन्स केंद्र स्थापित करना चाहिए, जिससे रिस्पॉन्स समय और विदेशी निर्भरता कम हो सके। पैनल में शामिल करने के मानदंडों का ड्राफ्ट वाणिज्य नौवहन नोटिस के माध्यम से टिप्पणियों और सुझाए गए संशोधनों के लिए बचावकर्ताओं को भेजा गया है।

इसके साथ ही, तेल रिसाव प्रतिक्रिया ऑपरेटरों (ओएसआरओ) को पैनल में शामिल करने के लिए मानदंड विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) मानकों के अनुरूप बनाने के लिए न्यूनतम उपकरण स्तर, श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया दायित्व और स्थानीयकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है।

तटीय राज्य की भूमिकाओं और दावों को स्पष्ट करना : निदेशालय समुद्री दुर्घटनाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया की आकस्मिकता के लिए एक तटीय राज्य एड़वायाजरी जारी कर रहा है। यह एड़वायाजरी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, इंटर-एजेंसी समन्वय तंत्र और दावों और मुआवजे की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करेगी, जिससे वास्तविक घटनाओं के दौरान अस्पष्टता कम होगी।

प्रचालनीय प्रतिक्रिया का मानकीकरण : समुद्री घटनाओं के लिए एक समेकित मानक संचालन प्रक्रिया विकासाधीन है ताकि रिपोर्टिंग, कार्यशीलन प्रोटोकॉल और इंटर-एजेंसी रिस्पॉन्स को एक ही फ्रेमवर्क में एकीकृत किया जा सके। उम्मीद है कि इस एसओपी से संचार को सुव्यवस्थित करने, प्रयास के दोहराव से बचने और विभिन्न प्रकार की समुद्री आपात स्थितियों में लगातार, अनुमानित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

ग्लोबल साल्वेज एंड रेक फोरम में भारत की भागीदारी, दिसंबर 2025

6.15 भारत ने नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से 10-11 दिसंबर 2025 को

लंदन में आयोजित ग्लोबल साल्वेज एंड रेक फोरम 2025 में भाग लिया। इंटरनेशनल साल्वेज यूनियन, इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ पी एंड आई क्लब्स और इंटरनेशनल अंडरराइटिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस मंच ने मलबा हटाने और आपातकालीन प्रतिक्रिया तरीकों पर चर्चा करने के लिए नियामकों, बचावकर्ताओं, बीमाकर्ताओं और समुद्री विशेषज्ञों को एक साथ लाया। डीजीएस ने समुद्री आपात स्थितियों के लिए तटीय राज्य प्रतिक्रियाओं पर एक सत्र में एक पैनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने अपने विकसित दुर्घटना प्रतिक्रिया ढांचे को साझा किया, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, बंदरगाह प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ संरचित समन्वय पर प्रकाश डाला गया, जिसे डीजीकॉम सेंटर के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है। पी एंड आई क्लबों, बचाव ऑपरेटरों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय बातचीत ने बीमा, बचाव समन्वय और शरण बंदरगाहों पर सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्दृष्टि के आदान-प्रदान को सक्षम किया। भारत की भागीदारी ने अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को मजबूत किया और वैश्विक मानकों के साथ राष्ट्रीय समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के संरेखण का समर्थन किया।

समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया में विशिष्ट सेवा के लिए प्रशंसा

6.16 उल्लेखनीय समुद्री घटनाओं के दौरान बेहतरीन सेवा और समन्वय के लिए नौवहन महानिदेशालय के अधिकारियों को 15 अगस्त 2025 को महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। यह प्रशस्ति पत्र संबन्धित अधिकारियों के असाधारण समर्पण, प्रतिबद्धता और उच्च स्तर की पेशेवर क्षमता के साथ उनके कर्तव्यों के निर्वहन को मान्यता देता है। उनकी निस्वार्थ भावना, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और प्रभावी इंटर-एजेंसी समन्वय ने समुद्री दुर्घटनाओं में प्रतिक्रिया देने और समुद्र में सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आईसीजी की बेहतरीन परंपराओं के अनुरूप उनका सराहनीय प्रदर्शन समुद्री आपातकालीन प्रबंधन में निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाता है। उनकी विशिष्ट सेवा को मान्यता देने में यह प्रशस्ति पत्र विधिवत दर्ज किया जाता है।

भारतीय संरक्षण और क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) बीमा प्रदाता की स्थापना

6.17 नौवहन महानिदेशालय ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की मंजूरी से एक घरेलू भारतीय संरक्षण और क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) क्लब की स्थापना की जांच के लिए कदम उठाए हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विदेशी पी एंड आई म्यूचुअल पर निर्भरता को कम करना और भारतीय ध्वज वाले और तटीय जहाजों को संप्रभुता, स्थानीय रूप से प्रशासित लायबिलिटी कवर प्रदान करना है। घरेलू पुनर्बीमा द्वारा समर्थित म्यूच्युयल या निश्चित प्रीमियम मॉडल सहित संरचनात्मक विकल्पों, नियामक मार्गों और वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन चल रहा है। इस पहल में हितधारकों के साथ परामर्श और शासन, जोखिम प्रबंधन और नियामक अनुपालन को कवर करने वाले एक रणनीतिक रोडमैप का विकास भी शामिल है, जिसमें शुरू में भारतीय जहाजों के लिए निश्चित प्रीमियम पी एंड आई कवर पर ध्यान दिया जाएगा।

समुद्री दुर्घटनाओं और समुद्री प्रणालियों पर सुरक्षा जागरूकता वीडियो श्रृंखला

6.18 नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) ने दुर्घटना जांच में सामने आई बार-बार होने वाली सुरक्षा कमियों को दूर करने और समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए एक सुरक्षा जागरूकता वीडियो श्रृंखला शुरू की है। यह श्रृंखला प्रोटियस हार्वोन, एमवी आईटीटी प्यूमा, टग एलायंस, डीसीआई ड्रेज, और एमवी मैजिक स्ट्राइकर जैसी घटनाओं से केस-आधारित शिक्षा प्रस्तुत करती है, जो जोखिम मूल्यांकन, कार्गो सुरक्षा, मौसम की तैयारी, बंद जगह में प्रवेश, अनुमोदित उपकरणों का उपयोग और काम रोकने के अधिकार से संबंधिक महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा, डीजी कॉम और एलआरआईटी सिस्टम पर जानकारी देने वाले वीडियो समुद्री संचार, जलयान ट्रैकिंग और आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। 2025 की डीजीएस परिपत्र संख्या 60, जारी किया गया है, जिसमें समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई), भर्ती और प्लेसमेंट सेवा लाइसेंस (आरपीएसएल) कंपनियों, पोत-मालिकों, ऑपरेटरों, प्रबंधकों और अन्य संबंधित हितधारकों को अपने पर्यवेक्षण के तहत सभी नाविकों, प्रशिक्षुओं और नए शामिल होने वालों के लिए ऐसे वीडियो उपलब्ध कराने और ऐसे वीडियो को संगठन के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस), प्री-सी ट्रेनिंग, पोस्ट-सी ट्रेनिंग और सुरक्षा शिक्षा पाठ्यक्रम में एकीकृत करने का निर्देश दिया गया है।

समुद्री सुरक्षा जांच रिपोर्ट (वार्षिक और अर्ध-वार्षिक)

6.19 नौवहन महानिदेशालय समुद्री दुर्घटनाओं और घटनाओं का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने और उनमें अंतर्निहित कारणों की पहचान करने के लिए समुद्री सुरक्षा जांच रिपोर्ट (वार्षिक) और अर्ध-वार्षिक समुद्री सुरक्षा जांच रिपोर्ट प्रकाशित करता है । ये रिपोर्ट समुद्र में सुरक्षा बढ़ाने और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए साक्ष्य-आधारित सुधारात्मक कार्यों का समर्थन करती हैं । घटना के आंकड़ों को डीजी संचार केंद्र (डीजी कम सेंटर) के माध्यम से संकलित किया जाता है, जो दुनिया भर में भारतीय जहाजों, भारतीय और विदेशी जलयानों पर भारतीय नाविकों और भारतीय जल में चलने वाले गैर-भारतीय जलयानों को कवर करने वाला एक ऑनलाइन दुर्घटना रिपोर्टिंग मॉड्यूल बनाए रखता है । रिपोर्टें में घटना का सारांश, विश्लेषण और सुरक्षा उपाय प्रस्तुत किए गए हैं और ये हितधारको के संदर्भ और निरंतर सुधार के लिए डीजीएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

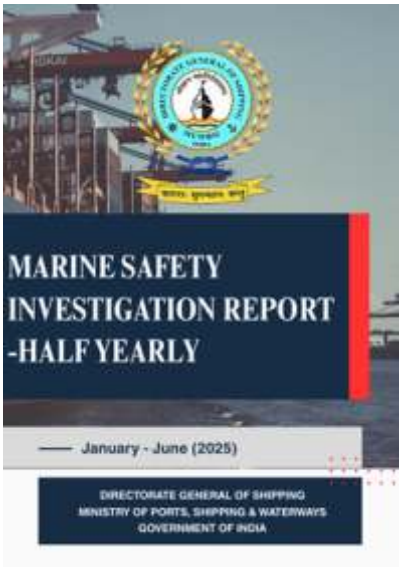

दुर्घटना परिपत्र / सुरक्षा एडवायजरी जारी करना

6.20 दुर्घटना शाखा ने समुद्री दुर्घटना जांच के बाद व्यवस्थित रूप से दुर्घटना परिपत्र और सुरक्षा एडवायजरी जारी करके समुद्री सुरक्षा जागरूकता को सक्रिय रूप से मजबूत किया है । वर्ष 2025 में, निदेशालय ने डीजीएस परिपत्र 01, 10, 19, 42, 46 और 58 जारी किए, प्रत्येक परिपत्र में पिछली दुर्घटनाओं से लिए गए सबक से व्यावहारिक निवारक उपाय किए गए हैं । ये संचार आवर्ती परिचालन और प्रक्रियात्मक कमियों को दूर करते हैं, जहाजों के ऑपरेटरों, मास्टरों और चालक दल को सुरक्षित प्रथाओं और अनुपालन-संचालित मानकों की ओर मार्गदर्शन करते हैं। जटिल निष्कर्षों को संक्षिप्त परामर्शों में परिष्कृत करके, शाखा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देती है, समुद्री कार्यबल के सभी स्तरों पर सुरक्षा चेतना पैदा करती है और निरंतर सीखने और परिचालन अनुशासन की संस्कृति को संस्थागत बनाती है, जिससे समुद्री दुर्घटनाओं और घटनाओं में निरंतर कमी आती है ।

मैरीटाइम सिंगल विंडो

6.21 मैरीटाइम सिंगल विंडो (एमएसडब्ल्यू) - सागर सेतु बंदरगाहों, सीमा शुल्क, आप्रवासी, स्वास्थ्य, सुरक्षा और नियामक प्राधिकरणों के बीच जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सबमिट करने, प्रोसेस करने और आदान-प्रदान करने की सुविधा देकर समुद्री व्यापार को सुव्यवस्थित करता है। एफएएल कन्वेंशन की आवश्यकता के रूप में, 84 पत्तनों (बड़े और छोटे जो एक्जिम कार्गो का प्रहस्तन करते हैं) को एकीकृत किया गया है, हालांकि सीमा शुल्क और आप्रवासी को अभी भी पूरी तरह से जोड़ा जाना बाकी है, जो रिपोर्टिंग को सीमित करता है। प्रमुख उपलब्धियों में राष्ट्रव्यापी रोलआउट, पेपर-आधारित डिजिटल वर्कफ़्लो में पूर्ण परिवर्तन, बेहतर परिचालन दक्षता, सुरक्षित क्लाउड-आधारित आर्किटेक्चर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण और वन नेशन वन पोर्ट सुधारों के साथ संरेखित मैरीटाइम सिंगल विंडो 2.0 की शुरुआत शामिल है। वार्षिक आँकड़े सभी महापत्तनों और 50 से अधिक गैर-महापत्तनों द्वारा इसे अपनाने, जलयानों को मंजूरी मिलने में लगने वाले समय को एक दिन से घटाकर कुछ घंटों तक करने, पीएचओ मंजूरी को 24-48 घंटों से कुछ घंटों तक कम करने, 50% से अधिक जलयानों को आईएमओ मानकों के अनुरूप होने और 24×7 सिस्टम सपोर्ट को उजागर करते हैं, मैरीटाइम सिंगल विंडो 2.0 से डेटा प्रविष्टि और डॉक्यूमेंटेशन में और कमी आने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस)

6.22 आईएसपीएस कोड जिसे 2001 में 9 / 11 के हमलों के बाद विश्व स्तर पर अपनाया गया था और 1 जुलाई 2004 से लागू हुआ, आतंकवाद और समुद्री डकैती के खिलाफ समुद्री सुरक्षा को बढ़ाता है। भारत में, इसे वाणिज्य नौवहन (संशोधन) अधिनियम, 2007 के माध्यम से वाणिज्य नौवहन अधिनियम, 1958 और भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 में एकीकृत किया गया था। यह कोड अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे यात्री जहाजों सहित 500 जीटी से अधिक के मालवाहक जहाजों और एमओडीयू जहाजों (जिसमें महानिदेशक नौवहन नामित प्राधिकारी हो); का प्रहस्तन करने वाले बंदरगाह सुविधाओं के लिए एमएसए के अध्याय-बी और आईपीए की धारा 68डी के अनुपालन को अनिवार्य करता है। एमएस अंतर्राष्ट्रीय जहाज और पत्तन सुविधा सुरक्षा नियम जो 20 वर्षों के बाद 19 जून 2024 को अधिसूचित किए गए, पांच अध्यायों में सुरक्षा आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करते हैं जिसमें सामान्य जिम्मेदारियां, जहाज सुरक्षा, पत्तन सुविधा सुरक्षा, जहाज प्रमाणन और विविध प्रावधान शामिल हैं।

मुख्य उपलब्धियां:

- भारत में 74 पत्तन अब आईएसपीएस-अनुरूप हैं।
- आईएसपीएस नियमों को आधिकारिक तौर पर 19 जून, 2024 को अधिसूचित किया गया था।
- नौवहन महानिदेशक (डीजीएस) को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रवर्तन प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- स्थापित सुरक्षा मानकों और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आईएसपीएस के तहत भारतीय पत्तनों के लिए लेखा परीक्षा और प्रमाणन का संचालन।
- सभी पत्तनों को पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जहाज और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) नियम, 2024 का अनुपालन करने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया है। नतीजतन, अधिकांश पत्तन अब आईएसपीएस नियमों का अनुपालन कर रहे हैं।

- नौवहन महानिदेशालय ने नीति निर्माताओं, पत्तन प्राधिकरणों और सुरक्षा विशेषज्ञों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पत्तन और पोत सुरक्षा सम्मेलन, 2025 का आयोजन किया।
- हाल ही में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान, डीजीएस ने सभी बंदरगाहों और जहाजों को समुद्री सुरक्षा (एमएआरएसईसी) को स्तर 1 से स्तर 2 तक बढ़ाने के लिए परामर्श जारी किया।

वार्षिक सांख्यिकी

- वर्ष के दौरान, 251 पत्तनों में से 74 आईएसपीएस के अनुरूप थे, जो नौवहन महानिदेशालय द्वारा की गई पहलों के परिणामों को दर्शाते हैं।
- 50 कार्यात्मक पत्तनों को आईएसपीएस अनुपालन के तहत लाने के लिए चरण-1 शुरू किया गया।
- आईएसपीएस अनुपालन रोडमैप के चरण-2 के तहत शेष पत्तनों को वर्गीकृत किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन / एनएसएससी 2024:

6.23 छोटे पत्तनों, एफएच और एफएलसी की सुरक्षा पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें कमियों की पहचान करने और समाधान प्रस्तावित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमुख उपलब्धियों में आसूचना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय, सभी पत्तनों पर आईएसपीएस अनुपालन का प्रवर्तन, जोखिमों को कम करने के लिए निगरानी प्रणालियों और जोखिम मूल्यांकन ढांचे की तैनाती और प्रतिबंधित क्षेत्रों, कार्गो हैंडलिंग और जलयान पहुंच नियंत्रण के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हैं।

75 वर्ष प्लेटिनम जुबली समारोह :

6.24 **75 वर्षीय लोगो: विरासत का प्रतीक**

आधिकारिक प्लेटिनम जुबली जिसका जनवरी 2025 में आईएमईआई वार्षिक रात्रिभोज में अनावरण किया गया था, उसमें पचहत्तर नंबर को निदेशालय के प्रतीक चिन्ह और एक लहर के डिज़ाइन के साथ जोड़ा गया था, जो लचीलापन, प्रगति और समुद्र के साथ भारत के स्थायी संबंध का प्रतीक है। जुबली वर्ष के प्रतीक के रूप में, इसे ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव में एक विशेष 75-वर्षीय उत्सव स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था, जिसमें एक इन्फोग्राफिक वीडियो और प्रदर्शनी पैनलों के माध्यम से संधारणीय नौवहन (सस्टेनेबल शिपिंग) पहलों पर प्रकाश डाला गया था। आईएमओ महासचिव ने भी इस स्टॉल का दौरा किया, जिससे भारत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हरित शिपिंग के प्रति अपनी उपलब्धियों और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का अवसर मिला।

प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय मान्यता

6.25 1 सितंबर 2025 को द टाइम्स ऑफ इंडिया (मुंबई) और द इकोनॉमिक टाइम्स (अखिल भारतीय) में और 19 सितंबर 2025 को नवभारत टाइम्स (मुंबई) में एक चार पृष्ठों का प्लैटिनम जुबली परिशिष्ट हिंदी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें निदेशालय की पचहत्तर साल की यात्रा पर प्रकाश डाला गया। इसमें समुद्री नीति, प्रशिक्षण, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में हुई उपलब्धियों को दर्शाया गया है और एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियामक के रूप में इसकी निरंतर प्रासंगिकता, सुधारों में नेतृत्व, वैश्विक सहयोग में भूमिका और एक संधारणीय, एकीकृत नौवहन क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल पर ज़ोर दिया गया है।

प्लेटिनम जुबली डॉक्यूमेंटरी - "एक राष्ट्र की यात्रा"

6.26 प्लेटिनम जुबली के भाग के रूप में, निदेशालय ने "एक राष्ट्र की यात्रा" नामक एक डॉक्यूमेंटरी बनाई, जिसमें 1949 से आधुनिक समुद्री प्रशासन तक के इसके पचहत्तर वर्षों की यात्रा का वर्णन किया गया है। पुरालेखीय फुटेज, विशेषज्ञ साक्षात्कार और दृश्य कहानी को मिलाकर, इसमें भारत की समुद्री प्रगति, नाविक कल्याण, सुरक्षा, नियामक उत्कृष्टता और संधारणीय विकास पर प्रकाश डाला। जुबली समारोह के दौरान इसका प्रीमियर हुआ और 27-28 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर टाइम्स नाउ पर अठारह शहरों में प्रसारित किया गया। इस डॉक्यूमेंटरी को बहुत पसंद किया गया, जिससे निदेशालय की विरासत लोगों के सामने आई और भारत की समुद्री विरासत में इसकी स्थायी भूमिका की पुष्टि हुई।

कॉफी टेबल बुक प्रकाशन- 75 वर्षों का एक इतिहास

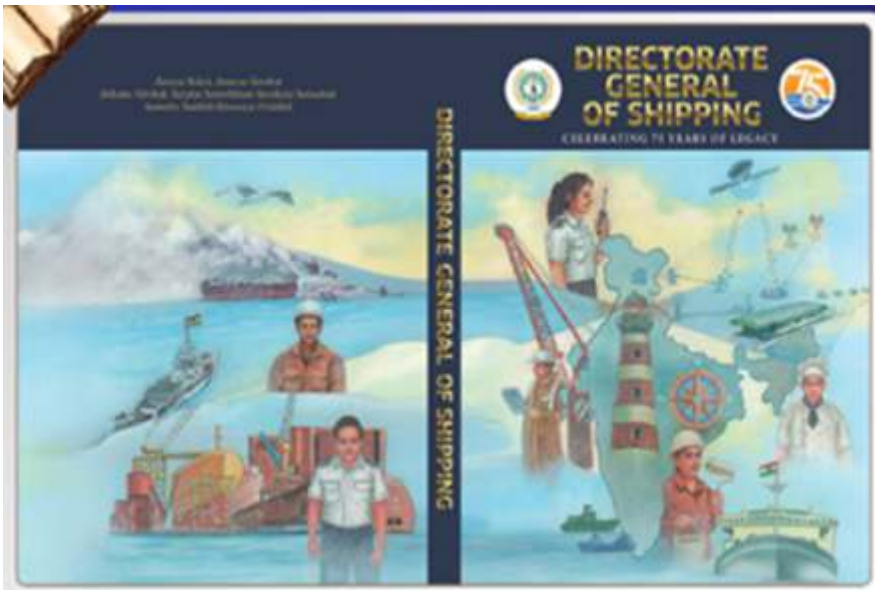

6.27 प्लेटिनम ज्यूबली समारोह (1949-2024) के भाग के रूप में, नौवहन महानिदेशालय की पचहत्तर साल की विरासत को याद करने के लिए एक प्रीमियम कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की गई थी । यह पुस्तक उपलब्धियों, सुधारों, साझेदारियों और सफलता की कहानियों के माध्यम से भारत के समुद्री शासन को दिखाती है और इसमें निजी अनुभव, पुरानी तस्वीरें और दुर्लभ ऐतिहासिक सामाग्री भी शामिल है । इसका आवरण लचीलापन और सेवा का प्रतीक है, जो एक सुरक्षित, संधारणीय और विश्व स्तर पर सम्मानित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में निदेशालय की भूमिका को दर्शाता है और यह एक यादगार कलाकृति और भारत के समुद्री भविष्य के लिए इसके दृष्टिकोण का प्रमाण है।

स्मारक स्टाम्प और विशेष आवरण का विमोचन:

6.28 भारत सरकार के डाक विभाग के सहयोग से नौवहन महानिदेशालय ने प्लेटिनम जुबली समारोह के भाग के रूप में कैंसलेशन के साथ एक विशेष लिफाफा और एक कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प जारी किया ।

ये फिलाटेलिक रिलीज़ समुद्री सुरक्षा, नाविक कल्याण, नियामक उत्कृष्टता और पर्यावरणीय संधारणीयता में निदेशालय की साढ़े सात दशकों की विशिष्ट सेवा की राष्ट्रीय मान्यता का प्रतीक हैं । समुद्री विरासत के साथ फिलाटेली को एकीकृत करके, यह पहल भारत के डाक इतिहास में निदेशालय की संस्थागत विरासत को अमर कर देती है, जिससे स्थायी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य का संग्रह बनता है ।

इस पहल के प्राथमिक उद्देश्य थे:

- समुद्री शासन और संस्थागत उत्कृष्टता के 75 वर्ष मनाना
- निदेशालय की उपलब्धियों और भारत के समुद्री क्षेत्र में योगदान को प्रदर्शित करना
- भारत की समुद्री विरासत, नाविक समुदाय और वैश्विक नौवहन प्रभाव के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना
- दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों - नौवहन महानिदेशालय और डाक विभाग के बीच सहयोग को मजबूत करना

भारतीय समुद्री विरासत प्रदर्शनी

6.29 प्लेटिनम जुबली के भाग के रूप में, भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई में "भारत की समुद्री विरासत: अतीत, वर्तमान और भविष्य" विषय के तहत 30-दिवसीय समुद्री प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में कलाकृतियों, जहाजों के मॉडल, पुरालेखीय दस्तावेजों और इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया के माध्यम से भारत के समुद्री विकास को प्रदर्शित किया गया, जो एक गहन शैक्षिक अनुभव प्रदान किया गया। सार्वजनिक आउटरीच पहल, जिसमें निर्देशित पर्यटन, सेमिनार और शैक्षिक संस्थानों के साथ इंटरैक्टिव सत्र शामिल हैं, का उद्देश्य समुद्री विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पिछली उपलब्धियों का जश्न मनाना और भावी पीढ़ियों को इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।

6.30 **प्लेटिनम जयंती फ्रेमवर्क के तहत ज्ञान सम्मेलन : सम्मेलन I :** ''जलस्य रक्षा, जनस्य सुरक्षा'' - महासागर प्रहरी: 21वीं सदी में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा

इस सम्मेलन में नीतिगत संवाद, औद्योगिक तालमेल और अंतर-एजेंसी सहयोग के माध्यम से भारत के समुद्री सुरक्षा और संरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमुख सत्रों में जोखिम जागरूकता, दुर्घटनाओं से मिले सबक, जवाबदेही और जिम्मेदारी, समुद्री सुरक्षा चुनौतियों और एकीकृत प्रतिक्रिया आर्किटेक्चर के विषयों को संबोधित किया गया। प्रमुख परिणामों में वार्षिक हताहत रिपोर्ट 2024 और समुद्री सुरक्षा समीक्षा 2024 की विज्ञप्ति, पी एंड आई क्लबों और आईएसडब्ल्यूएएन के अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान, और समुद्री प्रशासन, उद्योग, तटरक्षक बल, कानूनी विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जुड़े विशेषज्ञ विचार-विमर्श शामिल थे।

सम्मेलन II : "शिक्षित नाविक, सशक्त संस्थान - भारत टी-3 के माध्यम से आगे बढ़ रहा है: प्रशिक्षण, ट्रांजिशन, ट्रांसफोर्मेशन"

इस सम्मेलन में कौशल, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और स्थिरता पर जोर देने के साथ समुद्री मानव पूंजी के भविष्य की जांच की गई। सत्रों में समुद्री संस्थानों को मजबूत करने, नाविकों को भविष्य के लिए तैयार करने और समुद्री सेवा से परे आजीविका (करियर) के रास्तों का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमुख विज्ञप्तियों में एसटीसीडब्ल्यू वार्षिक रिपोर्ट 2024, एसटीसीडब्ल्यू समुद्री और अभियांत्रिकी से संबंधित संक्षिप्त विवरण और व्यापक निरीक्षण रिपोर्ट शामिल थीं। एक शाखा-दर-शाखा सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके मूलभूत योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिससे संस्थागत निरंतरता और सामूहिक सेवा को बल मिला, जिसके बाद एक फैलोशिप चाय और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ।

सम्मेलन III: "समुद्र शुद्धिः, राष्ट्रस्य वृद्धिः - सागर शुद्धिः - भारत के हरित समुद्री पुनर्जागरण को शक्ति प्रदान करना"

यह सम्मेलन समुद्री क्षेत्र के स्थिरता, डीकार्बोनाइजेशन और हरित परिवर्तन पर केंद्रित था। सत्रों में हरित पोत परिवहन (शिपिंग), परिवर्तन के मानवीय पहलू, पोत पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था, और जलवायु-अनुकूल पोत निर्माण और बुनियादी ढांचे के विषय को संबोधित किया गया। विचार-विमर्श में उत्सर्जन मुक्त पोत परिवहन (शिपिंग), टिकाऊ पोत निर्माण और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार समुद्री विकास की दिशा में भारत के रोडमैप पर प्रकाश डाला गया।

रणनीतिक समुद्री सुरक्षा दृष्टिकोण और नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी

6.31 नौवहन महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित समुद्री सुरक्षा समीक्षा न केवल पूर्वव्यापी मूल्यांकन के रूप में कार्य करती है, बल्कि भविष्य की नीति, तैयारी और समन्वित कार्रवाई के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, और हितधारकों के लिए डीजीएस वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक महत्वपूर्ण मानवीय उपलब्धि में, एमटी बिटु रिवर के समुद्री डाकुओं द्वारा बंदी बनाए गए

सात भारतीय नागरिकों सहित सभी दस नाविकों को सुरक्षित रूप से रिहा कर दिया गया और उन्हें स्वदेश लाया गया ; और उनकी पुनर्स्थापना में सहायता के लिए मुंबई में एक जानकारी सत्र आयोजित किया गया । यह सफल परिणाम भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे की प्रभावशीलता, मजबूत अंतर- अभिकरण समन्वय और नाविकों के लचीलेपन और साहस को दर्शाता है ।

रेडियो संचार

6.32 नौवहन महानिदेशालय ने 2024-2025 के दौरान रेडियो संचार और जीएमडीएस के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की, जिससे भारतीय समुद्री क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, अनुपालन और प्रचालन तत्परता मजबूत हुई ।

मुख्य उपलब्धियां:

रेडियो सेवा स्टेशनों का विस्तार :

- 2024 तक अनुमोदन प्रमाणपत्र (सीओए) जारी किए गए: 12
- 2025 के दौरान जारी किए गए अनुमोदन प्रमाणपत्र: 4
- 31 दिसंबर 2025 को कुल रेडियो सेवा स्टेशन: 16, जो 33% की वृद्धि को दर्शाता है ।

नियामक निगरानी और निरीक्षण :

- किए गए मध्यवर्ती निरीक्षण : 03
- किए गए अतिरिक्त निरीक्षण : 05
- किए गए कुल निरीक्षण : 08, जिससे निरंतर अनुपालन और सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित हुई ।

जीएमडीएसएस आधुनिकीकरण अनुपालन

- जीएमडीएसएस प्रशिक्षण अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए 2025 में समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) को 12 अनुपालन-पत्र (एलओसी) जारी किए गए ।

जीएमडीएसएस परीक्षाएँ

- 2024: 3,841 अभ्यर्थी उपस्थित हुए; 2,871 उत्तीर्ण (75% उत्तीर्ण दर)
- 2025: 4,275 अभ्यर्थी उपस्थित हुए; 3,026 उत्तीर्ण (71% उत्तीर्ण दर)
- यह सतत क्षमता निर्माण और योग्य जीएमडीएसएस प्रचालकों की उपलब्धता प्रदर्शित करता है ।

नौवहन सहायता (एटीओएन) बोया को एमएमएसआई आवंटन

- 2024: भौतिक - 12, वर्चुअल - 1, पीएलबी - 0 (कुल: 13)
- 2025: भौतिक - 1, वर्चुअल - 62, पीएलबी - 7 (कुल: 70)
- वर्चुअल एटीओएन और बेहतर नौवहन सुरक्षा की ओर एक बड़े बदलाव को इंगित करता है ।

रक्षा और सरकारी एजेंसियों को एमएमएसआई आवंटन

- कुल जारी एमएमएसआई (2024-2025): 41
- भारतीय नौसेना: 24 (2024) + 8 (2025) = 32
- भारतीय तटरक्षक बल: 8 (2024) = 8
- सेना साहसिक स्कंध: 1 (2024) = 1

तटीय रेडियो कवरेज को मजबूत करना

- भारतीय जलक्षेत्र को जीएमडीएसएस समुद्री क्षेत्र ए1 और समुद्री क्षेत्र ए2 घोषित करने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय तट के किनारे तट रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु कदम उठाए गए हैं।
- चरण-1 का कार्य जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड (एनएसबी)

6.33 मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 12 के तहत गठित एक सांविधिक सलाहकार निकाय, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड (एनएसबी), जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, पोत परिवहन, समुद्री प्रशासन, सुरक्षा, नाविक कल्याण, पत्तन विकास, विनियामक सुधारों और दीर्घकालिक क्षेत्रीय रणनीति पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। इस अवधि के दौरान, एनएसबी की बैठकें पूरी हितधारक भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक आयोजित की गईं, जिसे सूचित नीति विचार-विमर्श के लिए समय पर उप-समूह रिपोर्टों, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डीजीएस के माध्यम से खरीद की केंद्रीकृत ट्रैकिंग, और वैधानिक रिकॉर्ड अपलोड करने में 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित वेबसाइट अपडेट द्वारा समर्थित किया गया। प्रक्रियात्मक देरी के बिना बैठकों के शुरुआत से अंत तक के (एंड-टू-एंड) समन्वय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया था, और आधिकारिक एनएसबी लोगो और टैगलाइन को अंतिम रूप देकर संस्थागत पहचान को मजबूत किया गया था।

6.34 समुद्री- क्षेत्र करियर जागरूकता और कौशल विकास पहल

1) स्कूली बच्चों के बीच मर्चेंट नेवी को एक करियर के रूप में बढ़ावा देने के लिए अभियान

नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) ने मर्चेंट नेवी को एक पसंदीदा करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में कई अभियान चलाए हैं। इस कार्यक्रम में नौवहन महानिदेशक (डीजी शिपिंग) द्वारा भारत भर में शैक्षणिक संस्थानों और एनसीसी शिविरों में आयोजित आउटरीच और एक्सपोजर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल थी।

2) स्थानीय आईटीआई को समर्थन देने की पहल और मर्चेंट नेवी को करियर पथ के रूप में बढ़ावा देना

कौशल विकास को बढ़ाने और समुद्री क्षेत्र के प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, सभी समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) को सक्रिय रूप से स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और अपने संबंधित क्षेत्रों में अन्य तकनीकी संस्थानों को बढ़ावा देने और समर्थन करने की सलाह दी गई थी। इस पहल का उद्देश्य कौशल विकास पारिस्थितिकी-तंत्र को मजबूत करना और इच्छुक नाविकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तक पहुंच में सुधार करना है।

नौवहन महानिदेशक (डीजी शिपिंग) द्वारा अनुमोदित समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों ने आईटीआई छात्रों को समुद्री क्षेत्र में करियर के अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। समुद्री-केंद्रित कौशल मॉड्यूल को एकीकृत करके और आईटीआई प्रशिक्षण को डीजीएस दिशानिर्देशों और उद्योग मानकों के साथ संरेखित करके, इस पहल का उद्देश्य समुद्री और पत्तन से संबंधित करियर में निर्बाध प्रवेश के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रचालन दक्षताओं के साथ उद्योग के लिए तैयार कार्यबल विकसित करना है।

दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय

6.35 दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल) मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सरकारी संगठन है, जिसे समुद्री नौवहन सहायता अधिनियम, 2021 के दायरे में समुद्री नौवहन सहायता के क्षेत्र में संप्रभु दायित्वों को पूरा करने का काम सौंपा गया है, जो भारतीय जल में सुरक्षित और कुशल नौवहन सुनिश्चित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन (आईएएलए), जिसका मुख्यालय फ्रांस में है, एक अंतर सरकारी संगठन है जो समुद्री नौवहन सहायता के प्रावधान और रखरखाव के लिए जिम्मेदार सदस्य देशों को एक साथ लाता है और समुद्री नौवहन सहायता के संबंध में मानकों, सिफारिशों और दिशानिर्देशों को प्रकाशित करता है।

डीजीएलएल 1957 में अपनी स्थापना के बाद से आईएएलए के राष्ट्रीय सदस्य और 1982 से परिषद सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। डीजीएलएल मानकों, दिशानिर्देशों और मैनुअल के विकास में आईएएलए के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है और नौवहन और पोत यातायात सेवाओं के लिए सहायता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है, जिससे दुनिया भर में क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा में योगदान होता है।

डीजीएलएल एक आत्मनिर्भर संगठन है और नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत भारत में किसी भी पत्तन पर आने वाले या वहां से प्रस्थान करने वाले विदेशी जहाजों पर समुद्री सहायता शुल्क लगाकर अपने व्यय को पूरा करता है।

डीजीएलएल समुद्री नौवहन सहायता और जलयान यातायात सेवाओं पर प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामलों के लिए एक प्राधिकरण है। डीजीएलएल के तहत समुद्री नौवहन प्रशिक्षण संस्थान (एमएनटीआई), कोलकाता, समुद्री नौवहन और पोत यातायात सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन है।

समुद्री नौवहन सहायता :

6.36 डीजीएलएल नौवहन के लिए अत्याधुनिक समुद्री सहायता प्रदान करता है, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित 11,098.81 किमी से अधिक तक फैले भारत के तटीय जल में सुरक्षित नेविगेशन की आवश्यकता को पूरा करता है। डीजीएलएल द्वारा स्थापित और अनुरक्षित समुद्री नौवहन सहायता का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	समुद्री नौवहन सहायता	संख्या
1.	दीपस्तंभ	205
2.	दीपपोत	01
3.	डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (डीजीएनएसएस) स्टेशन	23
4.	रडार बीकन (रेकन)	64
5.	गहरे समुद्र में प्रकाशयुक्त बॉयेज़	22
6.	87 भौतिक तट स्टेशनों (पीएसएस) के साथ राष्ट्रीय स्वचालित पहचान प्रणाली	01
7.	कच्छ की खाड़ी में जलयन यातायात सेवा (9 रडार + 6 एआईएस बेस स्टेशन और 2 रेडियो दिशा खोजक)	01
8.	दीपस्तंभ टेंडर जलयान	02
9.	राष्ट्रीय नेवटेक्स श्रृंखला (7 टीएक्स स्टेशन, 7 निगरानी स्टेशन और मुंबई और वाइजैग में नेवटेक्स नियंत्रण केंद्र)	01

डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (डीजीएनएसएस)

6.37 डीजीएलएल ने नाविकों के लिए जीपीएस पोजिशनिंग की सटीकता बढ़ाने के लिए 23 डीजीपीएस स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है । 2024 में, इन स्टेशनों को अत्याधुनिक विभेदक वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (डीजीएनएसएस) स्टेशनों में अपग्रेड किया गया, जिससे जीपीएस, ग्लोनास और आईआरएनएसएस सहित कई उपग्रह नक्षत्रों के लिए सुधारों का प्रसारण संभव हो सका। यह उन्नत प्रणाली तटरेखा से 100 नॉटिकल मील तक, 5 मीटर से बेहतर उपयुक्त स्थिति (पोजिशनिंग) की सटीकता सुनिश्चित करती है ।

राष्ट्रीय नेवटेक्स नेटवर्क

6.38 वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली (जीएमडीएसएस) पर अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीजीएलएल ने भारत के तटरेखा के साथ एक राष्ट्रीय एनएवीटीईएक्स नेटवर्क स्थापित किया है । इस नेटवर्क में 07 ट्रांसमिटिंग स्टेशन शामिल हैं जो पश्चिमी तट, पूर्वी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर करते हैं ।

नावेटेक्स नेटवर्क समुद्री सुरक्षा जानकारी (यानी मौसम का पूर्वानुमान, मौसम की चेतावनी, नेविगेशन चेतावनी और एसएआर संदेश) प्रसारित करता है । यह डेटा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (एनएचओ), भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और नौवहन महानिदेशालय द्वारा मुंबई स्थित नावटेक्स केंद्र को प्रदान किया जाता है और इसे विभिन्न संचारण स्टेशनों के माध्यम से नाविकों को रिले किया जाएगा ।

राष्ट्रीय एआईएस नेटवर्क

6.39 स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) समुद्री सुरक्षा और टक्कर से बचने के लिए एक शिप टू शिप और शिप टू शोर पर आधारित डेटा प्रसारण प्रणाली है ।

डीजीएलएल ने 87 भौतिक तट स्टेशनों (पीएसएस) के साथ एक राष्ट्रीय एआईएस नेटवर्क स्थापित किया है, जो अबाधित रूप से न्यूनतम 25 समुद्री मील की दूरी तक कवरेज प्रदान करता है, जिससे एआईएस ट्रांसपोंडर से लैस जलयानों को ट्रैक किया जा सकता है ।

मुंबई और विशाखापट्टणम में दो तटीय नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेटवर्क में प्राप्त डेटा को मुंबई में राष्ट्रीय डेटा केंद्र में संग्रहीत और प्रबंधित किया जाता है । तटीय सुरक्षा और सुरक्षा के लिए, नौवहन महानिदेशालय, संयुक्त प्रचालन केंद्र (जेओसी) मुंबई, संयुक्त प्रचालन केंद्र (जेओसी) विशाखापट्टणम, भारतीय नौसेना दिल्ली और भारतीय तटरक्षक बल दिल्ली में टर्मिनल भी प्रदान किए गए हैं ।

जलयान यातायात सेवा

6.40 जलयान यातायात सेवाएं (वीटीएस), जलयान यातायात के साथ बातचीत करने और नौवहन की सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए वीटीएस क्षेत्र के भीतर विकसित हो रही स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम है ।

कच्छ की खाड़ी में वीटीएस (वीटीएस-जीओके), दुनिया के सबसे बड़े वीटीएस नेटवर्क में से एक है, जिसे डीजीएलएल द्वारा स्थापित और अनुरक्षित किया जाता है, जो लगभग 16,000 वर्ग किमी के कवरेज क्षेत्र के साथ पूरे कच्छ की खाड़ी को कवर करता है । वीटीएस-जीओके में 09 एक्स-बैंड रडार कोटेश्वर, जखाऊ, छछी, मांडवी, नविनाल, कांडला, बालाचाडी, चुडेश्वर और ओखा में स्थापित किए गए हैं और 02 एस-बैंड रडार ओखा और जकाहु में स्थापित किए गए हैं । 06 एआईएस स्टेशन, 27 वीएचएफ सेटों वाले 11 वीएचएफ स्टेशन और 06 मौसम विज्ञान सेंसर स्टेशन हैं ।

वीटीएस-जीओके कच्छ की खाड़ी में दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण और 12 अन्य पत्तनों के लिए सेवाएं प्रदान करता है ।

समुद्री नौवहन प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता

6.41 कोलकाता में निम्नलिखित प्रशिक्षण के लिए समुद्री शिक्षा के वैश्विक मानकों के अनुरूप समुद्री नौवहन प्रशिक्षण संस्थान (एमएनटीआई) स्थापित किया गया है ।

- भारत के महापत्तनों और अन्य पत्तनों के एटीओएन और वीटीएस कर्मियों को प्रशिक्षण।
- जलयान यातायात सेवा वेसल ट्रैफ़िक सर्विसेज़ (वीटीएस) कर्मियों की आवश्यकता को पूरा करने और विदेशी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में।
- एनआईओआर देशों / तटीय राज्यों के एटीओएन कर्मियों को प्रशिक्षण।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

भारत को आईएएलए का उपाध्यक्ष चुना गया

6.42 भारत को 18-21 फरवरी 2025 को सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहायता संगठन (आईएएलए) की पहली आम सभा के दौरान उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत 2027 में मुंबई में आईएएलए सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

आईएएलए परिषद की तीसरी बैठक

6.43 डीजीएलएल ने 08 से 12 दिसंबर, 2025 के दौरान मुंबई में 3वीं आईएएलए परिषद की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस उच्च स्तरीय बैठक में 30 से अधिक देशों के 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए।

आईएएलए परिषद की तीसरी बैठक का उद्घाटन 09 दिसंबर 2025 को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव श्री विजय कुमार और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था।

इस कार्यक्रम के दौरान, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दीपस्तंभ पर्यटन के लिए ऑनलाइन डिजिटल टिकटिंग पोर्टल का उद्घाटन किया, जो भारत में स्मार्ट, प्रौद्योगिकी-संचालित तटीय पर्यटन को बढ़ावा देता है।

कार्यक्रम के भाग के रूप में, आईएएलए परिषद ने आईएएलए सम्मेलन और महासभा 2027 के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा किया, जिसे परिषद से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त हुआ।

भारत आईएएलए का एक सक्रिय परिषद सदस्य बना हुआ है, जो वैश्विक मानक-निर्धारण, क्षमता निर्माण, तकनीकी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ घनिष्ठ सहयोग में सुरक्षित नौवहन प्रथाओं की उन्नति में योगदान देता है।

तीसरी आईएएलए परिषद की बैठक के दौरान हुई चर्चा के परिणामस्वरूप मौजूदा आईएएलए मानकों और दिशानिर्देशों को अद्यतन किया गया है, साथ ही दुनिया भर में नौवहन में समुद्री सहायता को बढ़ाने और सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से नए वैश्विक मानकों का निर्माण किया गया है।

एमएनटीआई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण :

6.44 डीजीएलएल ने 27 अक्टूबर से 21 नवंबर 2025 तक एमएनटीआई कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम "आईएएलए लेवल 1 एड्स टू नेविगेशन मैनेजर" का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिसमें भारत के साथ-साथ बांग्लादेश, लाइबेरिया, केन्या, तंजानिया, जॉर्जिया और फिलीपींस के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6.45 डीजीएलएल ने 14-18 जुलाई, 2025 तक एमएनटीआई कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम "आईएएलए जोखिम प्रबंधन उपकरण एल1.3 का उपयोग" का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिसमें भारत के साथ-साथ बांग्लादेश, पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

गोवा में "इंडिया मैरिटाइम वीक 2025" पर विषयगत कार्यशाला

6.46 डीजीएलएल और मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (एमपीए) ने संयुक्त रूप से 12 सितंबर, 2025 को गोवा में "भारत समुद्री सप्ताह 2025" पर एक दिवसीय रोड शो-सह विषयगत कार्यशाला का आयोजन किया है।

कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोचीन शिपयार्ड में दुनिया के पहले चरणबद्ध ड्राई-डॉक का उद्घाटन

6.47 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के 3645.28 करोड़ रुपये की तुलना में 4527.84 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के 813.10 करोड़ रुपये की तुलना में शुद्ध लाभ 842.91 करोड़ रुपये था। इसके बाद, कंपनी ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए 1806.82 करोड़ रुपये की तुलना में, 30 सितंबर 2025 को समाप्त छमाही के लिए 1928.72 करोड़ रुपये का कारोबार किया। 30 सितंबर 2025 को समाप्त छमाही के लिए शुद्ध लाभ 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही के लिए 373.92 करोड़ रुपये की तुलना में 288.96 करोड़ रुपये था।

ऑर्डर बुक स्थिति

6.48 दिसंबर, 2025 तक, सीएसएल के पास 46 जहाजों का ऑर्डर है जिसमें अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए दो (2)1200 यात्री सह 1000 टन कार्गो जलयान, भारतीय नौसेना के लिए 07 एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) शामिल हैं। भारतीय नौसेना के लिए 06 नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल वेसल (एनजीएमवी), कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए 03 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारान हल वेसल, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए 6 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारान यात्री जलयान, भारतीय निकर्षण निगम [ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई)] के लिए 1 ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर, आठ (8) 7 के बहुउद्देशीय पोत (एचएस इको फ्रेटर), 2 कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल, 2 शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर वेसल, विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों के लिए चार (04) 70 टन बोलार्ड पुल इलेक्ट्रिक 'ट्रांसवर्स' टग, दो (2) 70 टन बोलार्ड पुल

एएसटीडीएस टग और कोच्चि नगर निगम के लिए 1 रो-रो फेरी शामिल हैं।

6.49 सीएसएल ने हरित जलयान निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने 23 हाइब्रिड बैटरी चालित यात्री नौकाओं के निर्माण के लिए कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से दिसंबर 2025 तक 20 वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, सीएसएल आईडब्ल्यूएआई के लिए आठ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारान यात्री जलयानों का निर्माण कर रहा है, जिनमें से दो पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। कंपनी विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों के लिए दो कमीशनिंग सेवा संचालन पोत, दो शून्य-उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयान और दो हाइब्रिड सेवा संचालन जलयान भी बना रही है। विशेष रूप से, सीएसएल ने भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारान यात्री जलयान (100 यात्री) बनाया, जो एक पायलट परियोजना है जिसे भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2024 को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इसके अलावा, 27 जून, 2025 को सीएसएल को एक घरेलू ग्राहक से दो 70 टन बोलार्ड पुल एएसटीडीएस टग के निर्माण का ऑर्डर मिला। इसके अतिरिक्त, 05 दिसंबर, 2025 को, सीएसएल ने चार (04) 70 टोन बोलार्ड पुल इलेक्ट्रिक 'ट्रांसवर्स' टग के निर्माण के लिए एक यूरोपीय ग्राहक से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किया।

सीएसएल ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना के लिए बैटरी संचालित यात्री नौका प्रदान की

सीएसएल और डीसीआई ने माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में पहली बार ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी को झंडी दिखाकर रवाना किया

6.50 सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में, सीएसएल एकमात्र शिपयार्ड है जहां तेल अन्वेषण जैक-अप रिग्स को मरम्मत के लिए डॉक किया जा सकता है। इसके अलावा, नए ड्राई-डॉक और अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के चालू होने के बाद, सीएसएल की पोत मरम्मत क्षमता में वृद्धि हुई है। मौजूदा ड्राई-डॉक में 125000 डीडब्ल्यूटी, नए ड्राई-डॉक के लिए 200,000 डीडब्ल्यूटी और

आई.एस.आर.एफ. के लिए 6000 डीडब्ल्यूटी के साथ 6 वर्क स्टेशन, इसके अलावा, सी.एस.एल. के पास मुंबई, कोलकाता और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से पोत मरम्मत के लिए इकाइयां भी हैं । सीएसएल के पास सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में सबसे अधिक पोत मरम्मत क्षमता है । निजी क्षेत्र में, एल एंड टी शिपबिल्डिंग लिमिटेड के पास 300,000 डब्लूटी की अधिकतम पोत मरम्मत क्षमता है । सीएसएल ने 970 करोड़ रुपये की लागत से 6 वर्कस्टेशनों और संबद्ध सुविधाओं के साथ 130 मीटर x 25 मीटर x 6000 टन क्षमता की एक जहाज लिफ्ट सुविधा स्थापित करके कोचीन पत्तन के परिसर के भीतर अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) विकसित की है । सीएसएल ने कोचीन पत्तन परिसर में पट्टे पर दिए गए क्षेत्र (पहले चरण) में ड्राई-डॉक और मौजूदा सुविधाओं का प्रचालन जारी रखा ।

6.51 सीएसएल ने कंपनी के मौजूदा परिसर के उत्तरी छोर पर 310 x 75 / 60 x 13 मीटर के नए ड्राई डॉक का निर्माण पूरा कर लिया है । नया डॉक, पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षमता को बढ़ाएगा जो अनिवार्य रूप से एलएनजी वाहक, उच्च क्षमता के विमान वाहक, जैक अप रिग, ड्रिल पोत, बड़े निकर्षक (ड्रेजर) और अपतटीय प्लेटफॉर्म और बड़े जलयानों के निर्माण की बाजार क्षमता का दोहन करने के लिए आवश्यक है ।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का नया ड्राई-डॉक

सिविल कार्य पूरा होने के बाद 17 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ड्राई डॉक परियोजना का उद्घाटन किया गया था । 600 टन गैन्ट्री क्रेन लगाने का काम पूरा हो चुका है । कैसन गेट और गोदी (डॉक) के परीक्षण के लिए गोदी (डॉक) में पहली बार पानी भरने का कार्य सितंबर 2024 में किया गया । 600 टन गैन्ट्री क्रेन का परीक्षण और कमीशनिंग 11 फरवरी, 2025 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कंपनी ने पोत निर्माण और पोत मरम्मत के लिए नए ड्राई डॉक का उपयोग करना शुरू कर दिया है ।

सिविल कार्य पूरा होने के बाद 17 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आई एस आर एफ परियोजना का उद्घाटन किया गया था । आईएसआरएफ शिप लिफ्ट प्रणाली का प्रचालन 12 अगस्त 2024 को किया गया था । एचएससी पराली, आईएसआरएफ में वाणिज्यिक पोत मरम्मत गतिविधियों की शुरुआत के लिए डॉक किया गया पहला जलयान था । दिसंबर 2025 तक, लगभग 30 पोतों को आई एस आर एफ में मरम्मत कार्यों के लिए ले जाया गया था। इसके अलावा, समुद्री उद्योग की दस विश्व प्रसिद्ध कंपनियों ने पहले चरण में मैरीटाइम पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए पहले से ही सीएसएल के साथ भागीदारी की है, और पांच फर्मों ने अपना प्रचालन शुरू कर दिया है । सीएसएल को उम्मीद है कि वह पोत मरम्मत इकोसिस्टम के विकास के साथ कोच्चि को एक प्रमुख पोत मरम्मत केंद्र (हब)के रूप में स्थापित करेगा ।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में
अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा का उद्घाटन

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल)

6.52 हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) की स्थापना शुरू में 23 अक्टूबर 2017 को सीएसएल और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी । केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, सीएसएल ने एचडीपीईएल के शेयरों का अधिग्रहण कर लिया और 1 नवंबर 2019 से हुगली-सीएसएल, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई ।

6.53 नाजीरगंज में एक नए अत्याधुनिक पोत निर्माण और मरम्मत सुविधा के साथ यार्ड का निर्माण पूरा हो गया और इस सुविधा को 16 अगस्त, 2022 को माननीय केंद्रीय पीएस और डब्ल्यू मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया । यह सुविधा 175.20 करोड़ रुपये की लागत से हुगली नदी के तट पर 15.76 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित की गई है जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के लिए भारत के पूर्वी तट पर खुद को एक प्रमुख पोत निर्माण / मरम्मत यार्ड के रूप में स्थापित करना है । हुगली-सीएसएल के पास साल्किया में 9.90 एकड़ भूमि वाली एक और इकाई है, जहां निकट भविष्य में विकासात्मक गतिविधियां शुरू की जाएंगी ।

6.54 एचसीएसएल ने 23 मार्च 2024 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए 6 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामारान पोतों के निर्माण के लिए सीएसएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामारान खंड में प्रवेश किया । वर्ष के दौरान कंपनी के प्रचालन में सतत समुद्री विकास, पोत निर्माण के स्थानीयकरण और अंतर्देशीय और तटीय जलमार्गों को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप पोत निर्माण गतिविधियों में मजबूत प्रगति दिखाई दी । वित्तीय वर्ष के दौरान, हुगली-सीएसएल ने इंडस्ट्रियल हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए दो एएसडी बोलार्ड पुल टग के निर्माण का ऑर्डर हासिल किया । यह वित्त वर्ष 2024 के दौरान दिए गए दो समान जलयानों के पिछले आदेश के अतिरिक्त है । इसके अलावा, 21 जून, 2025 को, हुगली-सीएसएल ने एक लक्जरी रिवर क्रूज जलयान के निर्माण के लिए हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त 08 दिसंबर, 2025 को दूसरे पोत के निर्माण के लिए एक और संविदा पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

6.55 दिसंबर, 2025 को कंपनी की आदेश पुस्तिका (ऑर्डर बुक) की स्थिति नीचे दी गई है :

जलयान	संख्या
जेएके मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए एमपीवी (2200टी)	01
इंडस्ट्रियल हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिये 40टी एएसडी बोलार्ड पुल टग्स	04
हेरिटेज रिवर जर्नीज़ प्राइवेट लिमिटेड के लिए लक्जरी रिवर क्रूज़ जलयान	02

इसके अलावा, हुगली-सीएसएल पांडु, असम में एक नई पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने में आईडब्ल्यूएआई के लिए सलाहकार के रूप में काम कर रहा है । यार्ड सीएसएल से एक बॉक्स कैसॉन गेट के डिजाइन, निर्माण, संस्थापना और चालू करने (कमीशनिंग) के लिए ऑर्डर को पूरा करने की दिशा में भी काम कर रहा है, जिसे कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर नेताजी सुभाष डॉक में स्थापित और चालू (कमीशन) किया जाएगा ।

6.56 हुगली-सीएसएल गुणवत्तापूर्ण अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के निर्माण के लिए पूर्वी तट पर खुद को अग्रणी पोत निर्माण यार्डों में से एक के रूप में स्थापित करना चाहता है । यह यार्ड देश के मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे जलयानों के खंड विशेष रूप से अंतर्देशीय नौकाओं (बार्जेज) और जलयानों, यात्री नौकाओं, रो-रो / रो-पैक्स, पोत मरम्मत आदि में विशाल अवसर का लाभ उठाकर सीएसएल समूह की दीर्घकालिक रणनीति, क्रूज 2030 में योगदान करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है । भारत सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 तक पहुंच की विशेषता वाले यार्ड होने के नाते, हुगली-सीएसएल का उपयोग कम से कम संभव लागत पर छोटे जलयानों के निर्माण के लिए सबसे अच्छा किया जा सकता है । इससे कंपनी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में उच्च मात्रा वाले कम मार्जिन वाले छोटे जलयानों के खंड (सेगमेंट) में जगह बनाने में मदद मिलेगी।

माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री ने हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) का उद्घाटन किया

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल)

6.57 उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल) भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उडुपी-सीएसएल सितंबर 2020 में आईबीसी प्रक्रिया के तहत सीएसएल द्वारा अधिग्रहण के माध्यम से सीएसएल समूह का हिस्सा बन गया। उडुपी-सीएसएल के पास दो सुविधाएं हैं; एक उडुपी, कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट, तमिलनाडु में। उडुपी में सुविधाएं तीन इकाइयों में फैली हुई हैं, अर्थात् मालपे हार्बर कॉम्प्लेक्स, हंगरकट्टा और बाबुथोट्टा। सीएसएल द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, 22 अप्रैल 2022 को कंपनी का नाम टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड से बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल शिपयार्ड्स लिमिटेड) कर दिया गया।

6.58 वित्तीय वर्ष 2024-25 उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल) के लिए महत्वपूर्ण प्रगति का वर्ष रहा है। कंपनी ने न केवल मौजूदा परियोजनाओं पर मजबूत निष्पादन क्षमताओं का प्रदर्शन किया, बल्कि बड़े पैमाने पर नए ऑर्डर भी सफलतापूर्वक प्राप्त किए जो काफी हद तक कंपनी के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड और ग्राहक संतुष्टि के कारण है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, उडुपी-सीएसएल ने निम्नलिखित प्रमुख पोत निर्माण अनुबंध हासिल किए, जो सभी कंपनी के संतुष्ट ग्राहकों से प्राप्त अनुवर्ती आदेश थे।

- पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से एक 70टी बोलार्ड पुल टग;
- ओशन स्पार्कल लिमिटेड से ग्यारह 70टी बोलार्ड पुल टग; और
- विल्सन एएसए नॉर्वे से आठ 6300 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो जलयान।

6.59 कंपनी ने अपने मौजूदा ऑर्डर के साथ भी अच्छी प्रगति की और वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों में पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड को दो 70टी बोलार्ड पुल टग की सफल डिलीवरी शामिल है। अन्य जलयानों के लिए निर्माण गतिविधियों में पोत निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लगातार प्रगति जारी रहीं, जिसमें स्टील कटिंग, नौतल बिछाना और लॉन्च करना शामिल हैं। इसके अलावा, विल्सन एएसए, नॉर्वे के लिए अनुबंधित फ्यूचर प्रूफ 3800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो वेसल्स की छह-पोत श्रृंखला के तीन

जलयानों और ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए अनुबंधित एक बोलार्ड पुल टग को अप्रैल से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान सफलतापूर्वक डिलीवर किया गया था।

6.60 दिसंबर, 2025 को कंपनी की ऑर्डर बुक स्थिति नीचे दी गई है:

जलयान	संख्या
पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए 70टी बोलार्ड पुल टग्स	01
ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए 70टी बोलार्ड पुल टग्स	10
विल्सन एएसए, नॉर्वे के लिए फ्यूचर प्रूफ 3800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो वेसल्स	03
6300 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो वेसल्स फॉर विल्सन एएसए, नॉर्वे	08

फ्यूचर प्रूफ 3800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो वेसल विल्सन एएसए, नॉर्वे को डिलीवर किया गया

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

6.61 पिछले 64 वर्षों के दौरान, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एससीआई) ने देश की समुद्री परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करके देश की अर्थव्यवस्था को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। कंपनी ने 1961 में 19 जलयानों के साथ एक लाइनर शिपिंग कंपनी के रूप में शुरुआत की, जिसकी कुल क्षमता केवल 0.19 मिलियन डेड वेट टन (डीडब्ल्यूटी) थी, एससीआईने गत वर्षों में काफी वृद्धि की है। 31 दिसंबर, 2025 को, एससीआईके पास 58 जलयान हैं जिनकी कुल क्षमता 5.26 मिलियन डीडब्ल्यूटी और 2.93 मिलियन सकल टन भार (जीटी) है, जो डीडब्ल्यूटी के संदर्भ में भारत के कुल टन भार का लगभग 25% है।

क्रूड परिवहन

6.62 भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजारों में से एक है। ऊर्जा सुरक्षा का महत्व सर्वोपरि है। विकास के लिए देश की अपार ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए, एससीआईने धीरे-धीरे 1964 में क्रूड तेल के परिवहन के साथ लाइनर व्यवसाय से ऊर्जा परिवहन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एससीआई ने 1970 के दशक में और उसके बाद विशेष रूप से भारतीय तेल उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई क्रूड और उत्पाद टैंकरों का आदेश दिया।

वस्तु एवं उत्पाद परिवहन

6.63 एससीआई ने 1980 की शुरुआत में शिपिंग उद्योग में मंदी का पूरा फायदा उठाया और राष्ट्रों के बढ़ते एक्ज़िम व्यापार को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर बेड़ों का अधिग्रहण (टैंकरों के साथ-साथ शुष्क बल्क जलयान) किया। 1991 में, एससीआईप्रमुख द्रवित गैस कार्गो (एल.पी.जी.) संचालन में विविधता लाया। आज की तारीख में, एससीआईके पास 12 क्रूड वाहक, 5 वी.एल.सी.सी, 11 उत्पाद वाहक, 3 गैस वाहक, 15 शुष्क बल्क वाहक, विभिन्न आकारों के 2 लाइनर जलयान हैं और टाइम चार्टर और यात्रा चार्टर के मिश्रण पर कार्यरत हैं और भारत केंद्रित के साथ-साथ क्रॉस ट्रेड बाजार में व्यापार कर रहा हैं। एससीआई के पास 10 अपतटीय आपूर्ति जलयान भी हैं।

एससीआई के बल्क और टैंकर जहाज विश्व स्तर पर चलते हैं। टैंकर, सभी आकारों से युक्त, जैसे एमआर (मध्यम रेंज टैंकर), एलआर-आई (लंबी दूरी 1 टैंकर), एलआर-आई (लंबी दूरी 2 टैंकर), अफ्रामैक्स, स्वेजमैक्स और वीएलसीसी, औसतन, लगभग पीओएल कार्गो का 23 एमएमटी पी.ए. का परिवहन करते हैं। । इसके अलावा, कभी-कभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट (सीओ) के तहत माल उठाने की संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए टन भार को इन चार्टर्ड किया जाता है। एससीआई के उत्पाद टैंकर ज्यादातर तटीय आवागमन और स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादों के क्रॉस ट्रेड में संलग्न रहते हैं। थोक वाहक अर्थात सुप्रामैक्स, पनामामैक्स और कामसारमैक्स कोयला, लौह अयस्क, यूरिया, अनाज, खनिज अयस्क आदि जैसे सूखे थोक माल का लगभग 6.5 एमएमटी प्रतिवर्ष परिवहन करते हैं।

प्रबंधित जलयान

6.64 अपने स्वामित्व वाले जलयानों के संचालन के अलावा, एससीआईने वर्षों से, तेल उद्योग और विभिन्न सरकारी विभागों / संगठनों के लिए विशेष जहाजों की नियुक्ति, प्रबंधन और संचालन में भी विशेषज्ञता हासिल की है। एससीआई भारत में एक प्रमुख जहाज प्रबंधन कंपनी के रूप में उभरा है और 31 दिसंबर, 2024 तक विभिन्न संगठनों से संबंधित कुल 36 जलयानों का प्रबंधन करता है। इनमें अंडमान और निकोबार प्रशासन (ए एंड एनए) के 27 जलयान, खान मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के 3 जलयान, ओएनजीसी के 2 जलयान और भारत एलएनजी परिवहन कंपनियों की ओर से 4 एलएनजी जलयान शामिल हैं। एससीआई विभिन्न संगठनों को उनके टन भार वृद्धि परियोजनाओं के लिए तकनीकी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।

भारत-मालदीव शिपिंग सेवा (आईएमएसएस)

6.65 भारत और मालदीव के बीच भारत-मालदीव कार्गो शिपिंग सेवा को 21 सितंबर, 2020 को एक आभासी समारोह के माध्यम से संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में दोनों देशों द्वारा शुरू की गई कनेक्टिविटी पहलों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यह सेवा कोचीन और तूतीकोरिन के भारतीय पत्तनों को कुलुधुफुशी और माले से जोड़ती है।

इस सेवा के तहत अधिकांश शिपमेंट थोक और ब्रेक-बल्क प्रकृति के हैं; हालाँकि, समग्र लाभप्रदता में सुधार के लिए कंटेनरीकृत कार्गो को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सितंबर 2022 में एमवी एम.सी.पी. लिंज की पुनः डिलीवरी के बाद, सेवा को एक अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से जारी रखा गया था। वर्तमान पोत एम.वी एमएसएम ड्यूरो को 25 जून 2025 को 6+3+3 महीने के लिए तैनात किया गया था।

(i) ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान पहल

6.66 भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था, का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मार्च, 2024 में वाराणसी में किया गया था, जो भारत के सतत अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन की ओर बदलाव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

वर्ष के दौरान, एससीआई ने आईसीएसएल के माध्यम से वाराणसी में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत की शुरुआत में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो स्थायीत्व और नवाचार के प्रति एससीआईकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत यात्रा में एससीआई की भागीदारी

(ii) इंडिया मैरीटाइम वीक (आईएमडब्ल्यू) 2025

6.67 इंडिया मैरीटाइम वीक (आईएमडब्ल्यू) 2025 में, माननीय प्रधानमंत्री ने एससीआईकी व्यापार योजना लॉन्च की, जिसमें 2047 तक इसके बेड़े के विस्तार के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यह दूरदर्शी योजना भारत की समुद्री क्षमता को मजबूत करने और देश के दीर्घकालिक आर्थिक और सामरिक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने में एससीआईकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करती है। आत्मनिर्भर भारत और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के समर्थन में जलयानों के अधिग्रहण और संचालन के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के साथ एक व्यापारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हमारे मंत्रालय के मार्गदर्शन में, भारतीय टन भार बढ़ाने और विदेशी ध्वजांकित जलयानों पर निर्भरता कम करने के लिए अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए भी चर्चा चल रही है।

इंडिया मैरीटाइम वीक में समुद्री मानव पूंजी के भविष्य को आकार देने में एससीआईके नेतृत्व को भी देखा गया। एससीआई ने को आईएमडब्ल्यू के दौरान 30 अक्टूबर, 2025 नाविकों और समुद्री कार्यबल को समर्पित एक विशेष जीएमआईएस सत्र का आयोजन किया। यह सत्र नेस्को के सबसे बड़े हॉल में आयोजित किया गया था और इस अवसर पर माननीय श्रम और रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्री मौजूद थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में हमारे लोगों के महत्व को रेखांकित किया।

इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में "मैरीटाइम ह्युमन कैपिटल" पर जीएमआईएस विशेष सत्र।

(iii) भारत-श्रीलंका यात्री फेरी सेवा

6.68 नागपट्टिनम, भारत के और कंकेसंथुराई, श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय फेरी सेवा को फिर से शुरू करने के लिए एससीआईने जलयान स्वामियों को व्यापक सहायता प्रदान की। एससीआई ने अंतर्राष्ट्रीय फेरी सेवा के लिए प्रमाणन, नियोजन और नियामक अनुपालन में सहायता की। फेरी शुरू में सप्ताह में तीन बार चलती थी। अक्टूबर, 2024 से, ऑपरेटर ने अधिक यात्रियों को समायोजित करने के लिए फेरी की आवृत्ति को सप्ताह में चार बार (मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार) तक बढ़ा दिया है। फेरी ने नवंबर, 2024 तक कुल 5,811 यात्रियों के आवागमन से 37 चक्कर पूरे कर लिए हैं। मौसमी प्रतिकूलता के कारण, 19 नवंबर, 2024 से सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थी।

22 फरवरी, 2025 को सेवा फिर से शुरू की गई और मंगलवार को छोड़कर सभी दिनों में चालू रही। अगस्त, 2024 में सेवा शुरू होने के बाद से 31 अक्टूबर, 2025 तक 216 राउंड ट्रिप पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 30,114 यात्रियों को ले जाया गया है। 26 अक्टूबर, 2025 को खराब मौसम की स्थिति के कारण सेवा बंद कर दी गई है।

मौसम की स्थिति के अधीन, फेरी के जनवरी, 2026 के अंत से फेरी सेवा फिर से शुरू होने की उम्मीद है। फेरी सेवा पर एससीआई द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

6.69 एससीआई ने अपने कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम में भूख से मुक्ति, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों को शुरू करके और उनमें सहायता प्रदान करके सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को शामिल किया है।

शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट लिमिटेड (एससीआईएलएएल)

6.70 एससीआईएलएएल, एक 'श्रेणी सी' सीपीएसई है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अन्तर्गत एक सरकारी कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 10 नवंबर, 2021 को निगमित किया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 'शिपिंग हाउस', 245, मैडम कामा रोड, मुंबई- 400021 में है। इसे नॉन-कोर को रखने और निपटाने के उद्देश्य से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से अनुमोदित डिमर्जर की व्यवस्था की योजना के अनुसार निगमित किया गया है।

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एससीआई) की संपत्तियां विनिवेश लेनदेन से भिन्न और पृथक हैं। शुरू में एससीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गठित, एससीआईएलएएल ने 14 मार्च, 2023 से एक स्वतंत्र सीपीएसई के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। एससीआईएलएएल 19 मार्च 2024 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है।

प्रमुख स्थानों पर स्थित व्यापक रियल एस्टेट के साथ-साथ, एससीआईएलएएल के पास भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नाविकों की सेवा करने वाला एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रशिक्षण संस्थान भी है। समुद्री प्रशिक्षण संस्थान अब अपनी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए तैयार है।

वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के महासचिव श्री आर्सेनियो डोमिंगुएज़ ने 20 फरवरी 2025 को एससीआईएलएएल के समुद्री प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), पवई का ऐतिहासिक दौरा किया जो एक संपन्न और टिकाऊ समुद्री उद्योग के लिए भावी समुद्री लीडर्स को प्रशिक्षित करने और नाविकों में निवेश करने के महत्व को रेखांकित करता है। इस दौरे में संस्थान के फैकल्टी, छात्रों और समुद्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ एक जीवंत बातचीत भी शामिल थी।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव का एमटीआई, पवई दौरा

एक उन्नत समुद्री राष्ट्र बनने के भारत सरकार के विज़न के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में समुद्री प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), पवई ने निम्नलिखित श्रेणियों पर 3119 नाविकों / उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए आवासीय और गैर-आवासीय पाठ्यक्रमों में 234 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए हैं:

- 80 नेविगेटिंग अधिकारियों के लिए डीएनएस (टीएनओसी) प्री-सी प्रशिक्षण आवासीय पाठ्यक्रम।
- जीएमई (टीएमई) प्री-सी प्रशिक्षण
- 79 समुद्रीय इंजीनियर अधिकारियों के लिए आवासीय पाठ्यक्रम।;
- 40 इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रो-तकनीकी अधिकारियों के लिए ईटीओ, प्री-सी प्रशिक्षण आवासीय पाठ्यक्रम।; और,

समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, पवई एरियल व्यू

- 76 एनडब्ल्यूकेओ एनसीवी अधिकारियों के लिए जीपी रेटिंग के लिए एनसीवी पूर्व-समुद्री प्रशिक्षण आवासीय पाठ्यक्रम; और
- 2844 समुद्रकर्मियों के लिए विभिन्न एसटीसीडब्ल्यू/ मॉड्यूलर और उद्योग आधारित गैर-आवासीय पाठ्यक्रम।

एमटीआई ने अपनी शुरूआत से लेकर 1,92644 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा, एमटीआई अपने पाठ्यक्रमों में महिला कैडेटों को रियायती शुल्क और आयु में छूट की पेशकश करके उनके प्रवेश को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है, जिसके माध्यम से 85 महिला कैडेटों को प्रशिक्षित किया गया है।

क्षमता निर्माण और जागरूकता के लिए स्थानीय आईटीआई को सहायता देने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में, एमएमआर क्षेत्र में एमटीआई (एससीएलएएल) ने स्थानीय आईटीआई तक पहुंच बनाई और उनके साथ भौतिक बातचीत के बाद, कौशल विकास कार्यक्रम को उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ संरेखित किया गया। एमटीआई, पवई प्रशिक्षण परिसर में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों पर एमटीआई ने द्वितीय वर्ष के 45 आईटीआई छात्रों और 02 प्रशिक्षकों को नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया।

(क) अग्निशमन पाठ्यक्रम और

(ख) सीपीआर पाठ्यक्रम के साथ प्राथमिक चिकित्सा।

आईटीआई उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक और उत्साहजनक थी।

एससीआईएलएएल के गुणों के मुख्य आंकड़े:-

विवरण	वर्ग फुट में क्षेत्र
मुंबई में 159 फ्लैट	1,40,748.08
कोलकाता में 15 फ्लैट *	21,022.00
शिपिंग हाउस, मुंबई (भवन)	1,41,783.00
शिपिंग हाउस, कोलकाता (भूमि)*	11,885.00
शिपिंग बाईस कोलकाता (भवन) *	86,510.00
विवरण	**वर्ग फुट में क्षेत्र**
एमटीआई, पवई (भूमि)	1,78,871.10
एमटीआई, पवई (फ्लैट को छोड़कर पूरा भवन)	16,243.46

एससीआई द्वारा जीते गए हालिया पुरस्कार और सम्मान

वर्ष - 2025

- 5वें पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2025 (19 दिसंबर 2025) में लीडरशिप इन ट्रांसफोरमेशन श्रेणी के तहत सीएमडी एससीआई को लीडरशिप इन फील्ड ऑफ मैरीटाइम शिपिंग से सम्मानित किया गया।।
- एससीआई को एजुकेशन एंड स्किल्ड कैटलिस्ट अवॉर्ड श्रेणी के तहत एमपावरिंग यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी इनिशियेटिव ट्रेनिंग ' से सम्मानित किया गया, जिसने 5वें पीएसयू ट्रांसफोर्मेशन पुरस्कार 2025 (19 दिसंबर 2025) में रजत पदक हासिल की।
- एससीआईको 12वें समुद्रमंथन पुरस्कार (19 नवंबर 2025) में 'द शिपिंग कंपनी ऑफ द ईयर-इंडियन' से सम्मानित किया गया।
- समुद्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 (मैरीटाइम एक्सीलेंस अवॉर्ड) में (12 सितंबर 2025) में एससीआई को 'वर्ष का सर्वेश्रेष्ठ जलयान संचालक (शिप ऑपरेटर ऑफ द ईयर)' से सम्मानित किया गया।
- वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला सशक्तिकरण पहल के लिए भारतीय नौवहन निगम को भारतीय पीएसयू सीएसआर इंपेक्ट पुरस्कार 2025 (23 जुलाई 2025) से सम्मानित किया गया।
- 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह (05 अप्रैल 2025) में उत्कृष्ट भारतीय पोत स्वामित्व कंपनी और उत्कृष्ट भारतीय नाविक नियोक्ता दोनों के रूप में प्रथम रैंक हासिल किया।
- 11वें पीएसयू पुरस्कार और सम्मेलन (28 फरवरी 2025) में सीएसआर प्रतिबद्धता (समग्र)।
- डब्ल्यूआईपीएस 35वें नैशनल मीट (17 फरवरी 2025) में बेस्ट इंटरप्राइज पुरस्कार (नवरत्न श्रेणी) में तीसरा स्थान हासिल किया।
- संस्कृति मंत्रालय (17 जनवरी 2025) द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सीएसआर योगदान।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

6.71 भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका मुख्यालय चेन्नई, भारत में है इसकी स्थापना 2008 में संसद के एक अधिनियम, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 के माध्यम से की गई थी। विश्वविद्यालय का गठन पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन सात पूर्ववर्ती शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों यथा- राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी, चेन्नई, प्रशिक्षण जहाज चाणक्य, मुंबई, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ एडवांस्ड मैरीटाइम स्टडीज एंड रिसर्च, मुंबई, मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (मुंबई और कोलकाता दोनों में), भारतीय पत्तन प्रबंधन संस्थान, कोलकाता और राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र, विशाखापट्टणम को समाहित करके किया गया था।

आईएमयू के पास चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टणम, कोच्चि, मुंबई पत्तन और नवी मुंबई में 06 परिसर और 17 संबद्ध संस्थान हैं। आईएमयू के कार्यक्रम 4 स्कूलों यथ-, स्कूल ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मैरीटाइम मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ नॉटिकल स्टडीज और स्कूल ऑफ नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। आईएमयू, उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तरों पर अकादमिक कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है।

आईएमयू में प्रवेश, आईएमयू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (आईएमयू सीईटी) के माध्यम से होता है जो आईएमयू के संबद्ध संस्थानों और समुद्री कार्यक्रम की पेशकश करने वाले कॉलेजों और अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध संस्थानों के लिए भी अनिवार्य है।

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूजी और पीजी के लिए कुल प्रवेश 91% है। 2016 से, आईएमयू में विदेशी छात्रों का प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स एब्रोड (डीएएसए) योजना के तहत है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से, गैर-नौमनि कार्यक्रम पाठ्यक्रमों के लिए

विदेशी छात्रों के सीधे प्रवेश की सुविधा के लिए आईएमयू वेबसाइट पर एक पोर्टल विकसित किया गया है।

आईएमयू का दसवां दीक्षांत समारोह

6.72 आईएमयू का दसवां दीक्षांत समारोह 26 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थे। दीक्षांत समारोह के लिए कुल 2198 छात्रों ने पंजीकरण कराया। 239 छात्रों ने डिग्री / डिप्लोमा स्वयं प्राप्त किए और 21 छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त हुए।

उपलब्धियां और पहलें

क) **मान्यता**

- 18 अगस्त, 2025 को प्रकाशित आउटलुक-आईसीएआर विश्वविद्यालय रैंकिंग ने आईएमयू को देश के 10 समुद्री संस्थानों में से प्रथम का स्थान दिया है।
- नूबिया पत्रिका ने आईएमयू को विश्व समुद्री विश्वविद्यालयों में 6ठां स्थान दिया है।

ख) **नए पाठ्यक्रम और छात्रों का नियोजन**

आईएमयू ने नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत और मजबूत प्लेसमेंट परिणाम से महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्लेसमेंट संबंधी उपलब्धियां हासिल कीं। आईएमयू ने बी.टेक (नौ वास्तुकला और पोत निर्माण) ऑनलाइन एमबीए (समुद्री प्रबंधन), गति शक्ति विश्वविद्यालय के सहयोग से एमबीए (पीएसएल), बीबीए (अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स) और एम. टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग और प्रबंधन), और समुद्रीय कानून में पीजी डिप्लोमा सहित नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं।

प्लेसमेंट के संदर्भ में, आईएमयू परिसरों के 1,094 छात्रों में से, जिन्होंने प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लिया, 884 छात्रों को प्लेसमेंट मिला। यह प्रभावशाली 80% प्लेसमेंट आईएमयू के मजबूत उद्योग संपर्क और छात्र रोजगार क्षमता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ग) **प्रदान किए गए पेटेंट**

आईएमयू ने नवाचार और अनुसंधान में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसके संकाय सदस्यों को प्रभावशाली तकनीकी विकास के लिए पेटेंट प्रदान किए गए हैं, जिसमें डॉ. वाईएसएसवीएन मूर्ति द्वारा एक डुअल प्यूल इंजेक्टर और डॉ. प्रदीप राजा सी द्वारा सोलर पैनल के साथ एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन शामिल है। यह अनुसंधान उत्कृष्टता और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के प्रति आईएमयू की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में पेटेंट, संबंधित फैकल्टी सदस्यों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो कानूनी पेटेंट धारक हैं। आईएमयू ने हाल ही में अपनी आईपीआर नीति लागू की है।

घ) **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**

आज की तारीख तक, आईएमयू ने कुल 58 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 17 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (13 शैक्षणिक और 4 उद्योग) और 41 राष्ट्रीय सहयोग (19 शैक्षणिक और 22 उद्योग) शामिल हैं, जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग भागीदारों के साथ आईएमयू की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। 2025 के दौरान, आईएमयू ने विभिन्न संगठनों - सरकारी, गैर-लाभकारी संगठनों, प्रतिष्ठित निजी संस्थानों के साथ अनुसंधान और विकास, नवाचार, क्षमता निर्माण, नीति वकालत, छात्र / संकाय विनिमय और अन्य संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग के लिए 09 अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों और 15 राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्रूज जहाजों पर रोजगार प्राप्त करने के लिए आतिथ्य प्रबंधन स्नातकों को अनिवार्य नौमनि अनुमोदित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईएचएम चेन्नई, आईएचएम मुंबई और आईसीआई तिरुपति के साथ तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 12 छात्रों के एक बैच को आईएचएम चेन्नई के सहयोग से सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है और बैच के सभी छात्रों को लिटोरल क्रूज जहाजों के साथ रखा गया है।

ङ) **डॉ. रवि कुमार महरोत्रा समुद्री उत्कृष्टता केंद्र**

एक पूर्व छात्र द्वारा वित्त पोषित, इस केंद्र का उद्घाटन 18 जुलाई, 2025 को आईएमयू कोलकाता परिसर में किया गया था। केंद्र के उद्देश्य आईएमयू की अनुसंधान और विकास पहलों को बढ़ावा देना, आईएमयू के छात्रों, पेशेवरों और उद्योग हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, और शिपिंग कंपनियों, पत्तन प्राधिकरणों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े अन्य संगठनों के साथ उद्योग भागीदारी और सहयोग विकसित करना है।

(च) **सतत समुद्री परिवहन के लिए हिंद महासागर उत्कृष्टता केंद्र (आईओसीओई-एसएमएआरटी)**

आईओसीओई-एसएमएआरटी को एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है जो आईएमयू-नवी मुंबई परिसर में स्थित है, जिसमें पूरे हिंद महासागर में क्षेत्रीय फोकस किया गया है। यह सतत और सामरिक विकास के लिए समुद्री क्षेत्र में ज्ञान, नवाचार और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित होगा।

छ) **आईएमयू का स्टार्ट अप इंटरप्रेनरशिप एक्सेलेटर सेट-अप (आई-एसईएएस)**

आई-एसईएएस इस मंत्रालय की सागरमाला स्टार्टअप और इनोवेशन इनिशिएटिव (एस2आई2) के तहत समुद्री नवाचार का केंद्र होगा। इनोवेशन नीति और आईपीआर नीति के लिए आईएमयू वैधानिक निकायों से आवश्यक अनुमोदन ले लिया गया है। वर्तमान में, आईएसईएएस की शासन संरचना तैयार की जा रही है।

(ज) **समुद्री अध्ययन में नीति अनुसंधान केंद्र (सी-पीआरआईएमईएस)**

आईएमयू ने समुद्री नीति अध्ययन करने और भारत की नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में सेवा करने के लिए सी-पीआरआईएमईएस की स्थापना की। 2025 में, कई शैक्षणिक और नीतिगत कार्यक्रम, सेमिनार, वेबिनार, वार्ता और सम्मेलन आयोजित किए गए। सी-पीआरआईएमईएस ने समुद्री नीति अनुसंधान और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के उद्देश्य से रिपोर्ट भी प्रकाशित की।

(झ) **कौशल और प्रशिक्षण केंद्र (आईएमयू-एसटी)**

आईएमयू को एनसीवीईटी द्वारा पुरस्कार देने वाले निकाय के रूप में मान्यता दी गई है। आईएमयू-एसटी के तहत कौशल विकास को एक नया वर्टिकल बनाने के लिए स्वान डिफेंस और हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तमिलनाडु कौशल विकास निगम और गाइडेंस तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

महापत्तन न्यायनिर्णायिक बोर्ड (एबीएमपी)

6.73 टीएएमपी, वर्ष 1997 में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीडब्ल्यूएस) के तहत गठित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय था। तत्कालीन महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1963 के तहत टीएएमपी के क्षेत्रादेश में भारत में 11 महापत्तन न्यासों और महापत्तनों में काम करने वाले निजी टर्मिनल ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और पत्तन भूमि सहित पत्तन संपत्तियों के लिए प्रशुल्क का निर्धारण करना था।

यह बताना प्रासंगिक है कि 03 नवंबर 2021 से महापत्तन प्राधिकरण (एमपीए) अधिनियम, 2021 लागू हो गया है। परिणामस्वरूप, 03 नवंबर 2021 से महापत्तन ट्रस्ट अधिनियम, 1963, निरस्त हो गया है। उक्त महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) और धारा 55 के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने 13 अगस्त, 2025 को राजपत्रित अधिसूचना संख्या 3647 के माध्यम से महापत्तनों के लिए न्यायनिर्णायक बोर्ड (एबीएमपी) का गठन किया है, जिसमें न्यायमूर्ति श्री आशीष जितेंद्र देसाई पीठासीन अधिकारी, (केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) और दो सदस्य (क) श्री चिर्रावुरी विश्वनाथ, (उपभोक्ता मामले विभाग के पूर्व सचिव और राष्ट्रीय उपभोक्ता मामले और शिकायत निवारण आयोग के पूर्व सदस्य) और (ख) डॉक्टर संजीव रंजन, [पूर्व सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पूर्व तकनीकी सदस्य शामिल हैं।] माननीय पीठासीन अधिकारी और दोनों माननीय सदस्यों ने एबीएमपी में अपने पद ग्रहण कर लिए हैं। एबीएमपी पूरी तरह से

कार्यात्मक है। एबीएमपी के गठन के साथ, (पूर्ववर्ती) महापत्तन ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 47ए के तहत गठित टीएएमपी 13 अगस्त, 2025 से अस्तित्व में नहीं है।

6.74 न्यायनिर्णायक बोर्ड द्वारा किए जाने वाले कार्य (प्रशुल्क निर्धारण के अलावा) मुख्य रूप से रियायत समझौते के ढांचे के भीतर महापत्तनों और पीपीपी रियायतग्राहियों के बीच विवादों पर निर्णय देना और आदेश पारित करना, मूल्यांकन करना, विपत्ति में पीपीपी परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए उपायों का सुझाव देना, महापत्तनों / पीपीपी रियायतधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के खिलाफ पत्तन उपयोगकर्ताओं की शिकायतों की जांच करना और पत्तन संचालन पर केंद्र सरकार या प्रमुख पत्तनों द्वारा संदर्भित मामलों की जांच करना और अन्य के बीच आदेश पारित करना / सुझाव देना है। न्यायिक बोर्ड की कोई भी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 58 (3) के अनुसार, मुकद्दमें पर कार्रवाई करते समय न्यायनिर्णायक बोर्ड के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय में निहित शक्तियां होंगी। एमपीए अधिनियम, 2021 की धारा 59 संबंधित पक्षों द्वारा मध्यस्थता द्वारा संदर्भित मामले को छोड़कर एपीएमपी के दायरे में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कार्यवाही के लिए किसी भी मुकदमे पर विचार करने के लिए किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकती है।

अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म

6.75 अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म (एएलएचडब्ल्यू), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह की सेवा के लिए 1965 में स्थापित किया गया था। एएलएचडब्ल्यू को समुद्री संपर्क, तटीय अवसंरचना और द्वीप विकास में सहायता करने के लिए पत्तन और पत्तन विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, तैयार करने और इन्हें कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपनी स्थापना के बाद से, केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत वित्तपोषित पत्तन विकास योजनाओं को एएलएचडब्ल्यू तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू कर रहा है।

प्रमुख राष्ट्रीय-स्तरीय घटनाक्रम

6.76 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 सितंबर को गुजरात का दौरा किया और भावनगर में "समुद्र से समृद्धि" कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी लागत 34,200 करोड़ रुपए से अधिक है।

इस पहल के तहत, 7,870 करोड़ रुपए से अधिक समुद्री क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, माननीय प्रधानमंत्री ने कार निकोबार द्वीप पर तटीय सुरक्षा परियोजना – मस सी वाल की आधारशिला रखी, जिससे द्वीप क्षेत्रों में टिकाऊ तटीय अवसंरचना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला।

प्रगतिशील महत्वपूर्ण परियोजनाएं:- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित परियोजनाओं को एएलएचडब्ल्यू द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीडब्ल्यूएस) द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित परियोजनाएं एएलएचडब्ल्यू द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं:

1. **नए ड्राई डॉक-2 का विस्तार, मरीन डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर**

   स्वीकृत लागत: रु 123.95 करोड़

   उद्देश्य: पोत मरम्मत की बढ़ी मांग पूरी करना और बड़े जलयानों को समायोजित करना।

   भौतिक प्रगति: 92% पूर्ण।

   अपेक्षित समाप्ति तिथि: 31 जुलाई 2026

मुख्य घटनाक्रम:

- 12 दिसंबर, 2025 को आईआईटी मद्रास (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) द्वारा पुराने और नए ड्राई डॉक के एकीकरण के लिए कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया गया।
- 05 जनवरी, 2026 तक चार बोलीदाताओं से ड्राई डॉक एकीकरण के लिए वित्तीय प्रस्ताव एकत्र किए जाएंगे और उसी दिन खोले जाएंगे।

पोर्ट ब्लेयर में मरीन डॉकयार्ड में नए ड्राई डॉक-II का विस्तार

2. **समुद्री डॉकयार्ड, के लिए यांत्रिक उपस्कर पोर्ट ब्लेयर**

   स्वीकृत लागत: रु. 26.09 करोड़

   कार्यक्षेत्र: ड्राई डॉक-II में पोत मरम्मत सुविधाओं को बढ़ाना

   स्थिति: 09 अक्टूबर, 2024 को 5 टन की 02 फोर्कलिफ्ट की डिलीवर की गईं। 27 नवंबर, 2025 को 55 टन की 01 मोबाइल क्रेन डिलीवर की गई, 19 दिसंबर 2025 को 20-टन की 01 ईएलएल क्रेन की पुनः निविदा सीपीपी पोर्टल पर अपलोड की गई और तकनीकी बोलियाँ 30 जनवरी, 2026 को खोली जानी हैं।

पोर्ट ब्लेयर में मेरीना डॉकयार्ड पर विभिन्न यांत्रिक उपकरणों का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, संस्थापना और शुरू करना

3. **समुद्री पत्तन टर्मिनल का विकास, स्वराज द्वीप (ए एंड एन द्वीप)**

स्वीकृत लागत: रु 24.98 करोड़

संशोधित लागत अनुमान (आरसीई): रु 55.80 करोड़ (अनुमोदन के लिए एमओपीएसडब्ल्यू को प्रस्तुत),

भौतिक प्रगति: ~81% पूर्ण,

पूर्णता का लक्ष्य: मार्च 2026,

परियोजना के लाभ: पर्यटकों और आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र, यूटिलिटी, फूड कोर्ट और रिटेल सुविधाओं सहित आधुनिक यात्री सुविधाएं।

स्वराज द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप पर समुद्र पत्तन टर्मिनल का विकास

4. **एमयूएस, कार निकोबार में सी वाल / तट संरक्षण का निर्माण।**

संशोधित स्वीकृत लागत: रु 47.13 करोड़ (15 फरवरी 2024 को स्वीकृत)

क्षेत्र: 150 मीटर पहुंच के साथ 450 मीटर तट सुरक्षा

उद्देश्य: हार्बर बेसिन में तटीय कटाव और गाद जमाव की रोकथाम।

स्थिति:

- 20 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया।
- बोली खोली गई और मूल्यांकन के अधीन हैं।
- जनवरी, 2026 के मध्य तक कार्य प्रदान किए जाने की उम्मीद है।

5. **भारतीय तटरक्षक बल के लिए आरसीसी जेट्टी, एरियल बे, दिगलीपुर**

स्वीकृत लागत: रु 29.93 करोड़ (भारतीय तटरक्षक बल द्वारा)

स्थिति:

- 19 अगस्त, 2023 को नींव का काम पूरा हुआ
- 01 जुलाई, 2025 को सुपरस्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ
- पाइल हेड कटिंग: 45 में से 42 पाइल पूरे हुए
- आईसीजीएस द्वारा पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रक्रियाधीन; ईसी प्राप्त होने पर सुपरस्ट्रक्चर निर्माण आगे बढ़ेगा।

6. **वाटर एरोडोमस के लिए लकड़ी की फ्लोटिंग जेट्टी**

स्वीकृति प्राधिकारी: नागरिक उड्डयन मंत्रालय

स्वीकृत लागत: रु 1.40 करोड़।

स्थान: स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, और लॉन्ग आइलैंड।

क्षेत्र: पहले के आरसीसी फ्लोटिंग जेट्टी प्रस्ताव के बदले लकड़ी के फ्लोटिंग जेट्टी का निर्माण।

स्थिति:

- तकनीकी बोलियाँ 17 दिसंबर, 2025 को खोली गईं।
- 20 दिसंबर, 2025 को बोलियाँ खोली गईं मूल्यांकन के अधीन।

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई)

6.77 डीसीआई का स्वामित्व चार महापत्तनों अर्थात् विशाखापट्टणम, जवाहरलाल नेहरू, पारादीप और दीनदयाल पत्तन के पास है, डी.सी.आई. भारत में ड्रेजिंग और संबद्ध कार्यों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। ड्रेजिंग परियोजनाओं के निष्पादन के अलावा, डीसीआई पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों, जलाशयों, बांधों और बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श के लिए समाधान भी प्रदान करता है। डी.सी.आई. पिछले 49 वर्षों से राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र को सेवा प्रदान कर रहा है।

6.78 डीसीआई, महापत्तनों पर रखरखाव ड्रेजिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी ड्रेजिंग क्षमता को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित 12,000 एम 3 क्षमता के टीएसएचडी की खरीद की प्रक्रिया में है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच समझौता 17 मार्च, 2022 को हस्ताक्षरित किया गया था और डीसीआई-सीएसएल-आईएचसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता 13 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षरित किया गया था। ड्रेजर की लागत 104.59 मिलियन यूरो है। 31 दिसंबर, 2025 तक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को दस किस्तें दी गईं और 14 नवंबर 2022 से 34 महीने की डिलीवरी अवधि के साथ अनुबंध प्रभावी हो गया। डीसीआई ड्रेज गोदावरी के लिए नौतल 13 सितंबर, 2024 को रखी गई थी और 18 अक्टूबर, 2025 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च की गई थी। ड्रेज गोदावरी अप्रैल, 2026 तक डिलीवर कर दी जाएगी।

डीसीआई का नया ड्रेजर "गोदावरी" 18 अक्टूबर 2025 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया

18 अक्टूबर 2025 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में डीसीआई का नया ड्रेजर "गोदावरी" लॉन्च किया गया

6.79 डीसीआई ड्रेजिंग में अपने विशाल अनुभव, अत्यधिक कुशल पेशेवरों और 10 से अधिक ड्रेजर्स के बेड़े के साथ नौवहन चैनलों और अन्य परिचालन जल मोर्चों को बनाए रखने और देश के समुद्री/पत्तन क्षेत्र के विकास में योगदान करने का प्रयास करता है। डीसीआई टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की दिशा में काम करता है और तटीय सुरक्षा और ड्रेज्ड सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों के लाभकारी उपयोग के लिए ड्रेजिंग में समाधान प्रदान करता है।

सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (एसएमएफसीएल)

(पूर्ववर्ती सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड)

6.80 सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (एसएमएफसीएल) को मूल रूप से 31 अगस्त 2016 को सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) के रूप में शामिल किया गया था।

➢ एसएमएफसीएल की वर्तमान बोर्ड संरचना निम्नानुसार है:-

- एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष: (सचिव, एमओपीएस एंड डब्ल्यू) (पदेन) - सरकारी नामांकित व्यक्ति
- एक प्रबंध निदेशक
- एक निदेशक (वित्त)
- एक निदेशक (परियोजना):
- एक गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकारी नामांकित व्यक्ति)
- दो स्वतंत्र निदेशक: (रिक्त)

कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में कंपनी को एक महिला निदेशक की भी आवश्यकता है, उसका पद भी रिक्त है। महिला निदेशक दो स्वतंत्र निदेशकों में से एक हो सकती है।

अधिकृत शेयर पूंजी रु. 1,000 करोड़ की है, जिसे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाने का प्रावधान किया जा सकता है। कंपनी की वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 1000 करोड़ है।

6.81 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के, कंपनी के अपने प्रचालन का विस्तार करने और पोत परिवहन व पत्तन अवसंरचना में सहायता व सुधार के लिए विभिन्न संगठनों का धन प्रदान करने के लिए आरबीआई के पास एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हेतु अनुमति देने के अनुसरण में कंपनी ने 19 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास एक आवेदन दायर किया,

जिसमें टाइप II - एनबीएफसी (नॉन-डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी) के रूप में पंजीकरण का अनुरोध किया गया है।

6.82 भारतीय रिजर्व बैंक की एनबीएफसी पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता के अनुसार, एनबीएफसी व्यवसाय को दर्शाने के लिए 5 जून, 2025 कंपनी का नाम सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड से बदलकर सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड कर दिया गया है। और कंपनी के संगम ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य खंड को प्रस्तावित एनबीएफसी व्यवसाय के साथ संरेखित करने के लिए भी बदल दिया गया था और कंपनी के कॉर्पोरेट पहचान संख्या को तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा द्वारा 9 जून, 2025 यू74999डीएल2016जीओआई305194 से यू64920डीएल2016जीओआई305194 में बदल दिया गया था।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 जून, 2025 को कंपनी को कुछ शर्तों के अध्यधीन एनबीएफसी का व्यवसाय शुरू करने और चलाने की अनुमति दी। कंपनी को मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया है:

- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में एक अभिन्न भूमिका निभाते हुए समुद्रीय अवसंरचना और आर्थिक विकास पहलों के माध्यम से अमृत काल विजन में सहायता करना।
- पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्कता (सड़क और रेल), पत्तन आधारित औद्योगीकरण, तटीय समुदाय विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास और पत्तन-अंतर्देशीय संपर्कता और संबंधित समुद्री परियोजनाओं में सुधार के लिए धन देना।
- पत्तन क्षमता और संबंधित अवसंरचना और व्यवसायों के साथ-साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में सुधार वाली परियोजनाओं में मदद करके भारतीय समुद्री क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समुद्री नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के साथ संरेखित करना।
- परियोजनाओं के लिए एक वित्तपोषण खिड़की प्रदान करना और / या शेष परियोजनाओं को लागू करना जो किसी अन्य साधन / मोड द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जा सकता है।
- समुद्री क्षेत्र से संबंधित सभी गतिविधियों और पहलों के वित्तपोषण के लिए, जिसमें अवसंरचना और परियोजनाओं का विकास, उन्नयन, नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और संवर्धन शामिल है।
- अध्ययन, सर्वेक्षण, जांच, स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, किसी भी परियोजना, गतिविधि पर शोध, और परामर्श, प्रशिक्षण आदि सहित किसी भी गतिविधि को करने के लिए वित्तपोषण करना।

प्रदर्शन और प्रचालन (वित्त वर्ष 2024-25)

6.83 कंपनी ने 64.09 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जिसमें 24.81 करोड़ रुपए का लाभांश आय और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है । 31 मार्च, 2025 के वित्तीय वर्ष में कर के पश्चात लाभ 41.12 करोड़ रु. था। कंपनी ने ब्रह्मपुत्र सागरमाला मंदिर दर्शनम एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड में 4.90 लाख रुपए का निवेश भी किया है। कंपनी ब्रह्मपुत्र सागरमाला मंदिर दर्शनम एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड की प्रदत्त शेयर पूंजी का 49% हिस्सा रखती है।

पिछले पांच वर्षों में एसएमएफसीएल की कुल आय में वृद्धि

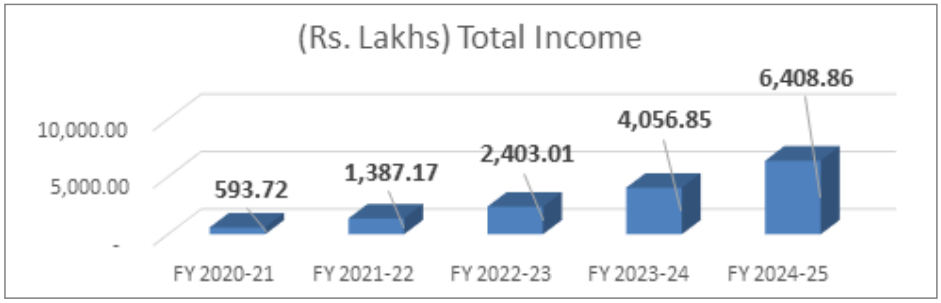

पिछले पांच वर्षों में एसएमएफसीएल के टैक्स के बाद प्रॉफ़िट में बढ़ोतरी

6.84 कंपनी ने भारत सरकार को लाभांश का भुगतान भी शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एसएमएफसीएल ने कुल 19.39 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया।

एसएमएफसीएल ने छह परियोजना एसपीवी में इक्विटी निवेश के रूप में अब तक 541.829 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. संख्या	परियोजना एसपीवी	एसडीसीएल द्वारा इक्विटी निवेश (करोड़ रुपए में)	निवेश का वर्ष	परियोजना की स्थिति
1	कृष्णापट्टनम रेल कंपनी लिमिटेड	125	2018-19	प्रचालनरत
2	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड	10	2018-19	प्रचालनरत
3	कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	50	2019-20	प्रचालनरत
4	विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड*	20	2019-20	प्रचालनरत
5	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	284.50	2019-20	प्रचालनरत
	-वही -	52.28	2020-21	प्रचालनरत
6	ब्रह्मपुत्र सागरमाला मंदिर दर्शनम एसपीवी प्रा. लिमिटेड	0.049	2024-25	अभी इसका प्रचालन शुरू होना है
एसडीसीएल द्वारा कुल इक्विटी निवेश		**541.829**		

एसएमएफसीएल ने विभिन्न एसपीवी से लाभांश भी प्राप्त करना शुरू कर दिया है। आगे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विशाखापट्टणम पत्तन रोड कंपनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) और हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड से 24.81 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में प्राप्त हुए हैं।

एनबीएफसी व्यवसाय

6.85 एसएमएफसीएल द्वारा एनबीएफसी व्यवसाय शुरू किया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए कंपनी की 9वीं वार्षिक आय बैठक (एजीएम) में, शेयरधारकों ने 25,000 करोड़ रुपए की समग्र उधार सीमा को मंजूरी दी है और बोर्ड ने 8000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब तक, एसएमएफसीएल ने ऋण देना शुरू कर दिया है और 4198.10 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं।

इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल)

6.86 महापत्तनों को कुशल रेल निकासी प्रणाली प्रदान करने और इस प्रकार उनकी हैंडलिंग क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत मंत्रिमंडल की मंजूरी से 10 जुलाई 2015 को एक कंपनी, अर्थात्, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड गठन किया गया था, जिसमें 11 महापत्तनों और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा 100 करोड़ रुपए की अभिदत्त शेयर पूंजी का योगदान दिया गया था। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रु. है। इसके बाद कंपनी रोपवे के क्षेत्र में और अधिक विविधता लाई और कंपनी का नाम बदलकर 'इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड' कर दिया गया।

आईपीआरसीएल के उद्देश्य

1. पत्तनों की अंतिम छोर संपर्कता बनाकर भारत में पत्तनों को कुशल और प्रतिस्पर्धी रेल निकासी प्रणालियाँ प्रदान करना।
2. पत्तनों पर रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण; आंतरिक पत्तन रेलवे प्रणाली का निर्माण और प्रबंधन।
3. नयी क्षमता का सृजन और अंतर्निहित भीतरी इलाकों की संपर्कता क्षमता में वृद्धि।
4. उपर्युक्त मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महापत्तनों और भूमि, भवन, लोकोमोटिव और रखरखाव सुविधाओं सहित अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में रेलवे अवसंरचना का निर्माण करना।
5. रोपवे और अन्य आधुनिक पारगमन प्रणालियों के विकास, संचालन और रखरखाव का व्यवसाय करना।
6. रेलवे, मल्टीमॉडल परिवहन और पत्तन रेलवे साइडिंग, लोकोमोटिव, कन्वेयर बेल्ट, भूमि प्रबंधन आदि सहित पत्तन अवसंरचना के सभी पहलुओं से संबंधित डोमेन विशेषज्ञता से प्राप्त सभी मामलों में परामर्श और प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना।
7. भारत या भारत के बाहर किसी अन्य कंपनी या व्यक्तियों के साथ अकेले या संयुक्त रूप से, रेलवे, ट्रामवे, जलमार्ग, सड़क पुल, गोदाम, कारखानों, संग्रहालयों, जहाजों और भारत या भारत के बाहर हर तरह की इमारतों सहित सभी प्रकार के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, परिवर्तन, मरम्मत और बहाली के कार्यों के लिए अनुबंध (टर्नकी आधार पर या अन्यथा) करना।

आईपीआरसीएल संचालन

6.87 वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी 749.53 करोड़ रुपए का सकल राजस्व प्राप्त करने में सक्षम रही है। 2024-25 में कंपनी का सकल लाभ पिछले वर्ष 61.77 करोड़ रूपए के मुकाबले में 63.44 करोड़ रुपए रहा। जिसके परिणामस्वरूप 2.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2024-25 में डीपीआर की तैयारी और रखरखाव से राजस्व में वृद्धि के कारण, कर पूर्व लाभ 59.55 करोड़ रू. पर रहा जो कि 2023-24 थे 57.28 करोड़ रुपए की तुलना में 59.65 करोड़ रुपए था, जो कि 4.14% की वृद्धि को दर्शाता है।

राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिसर- राष्ट्रीय महत्व की परियोजना

6.88 आईपीआरसीएल लोथल में राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास कार्य के लिए कार्यान्वयन एजेंसी रही है।

मार्च 2022 में ईपीसी आधार पर परियोजना के चरण-1ए का अनुबंध मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टीपीएल) को दिया गया था। कार्य के चरण-1ए में 6 गैलरी, लोथल शहर, सामान्य क्षेत्र की थीमिंग, पानी के नीचे संग्रहालय का विकास शामिल है, और मार्च, 2026 तक इस परियोजना के पूरा होने की संभावना है। परियोजना के चरण-2 के भूमि विकास कार्यों को दिसंबर, 2025 में मेसर्स कोंकण रेलवे को प्रदान किया गया है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री 20 सितंबर 2025 को एनएमएचसी, लोथल की समीक्षा करते हुए

6.89 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आईपीआरसीएल ने 1,192.93 करोड़ रुपए का नया व्यवसाय प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो एक प्रमुख अवसंरचनात्मक परामर्शदाता और निष्पादन एजेंसी के रूप में इसके बढ़ते कद को रेखांकित करता है। परामर्श सेवाओं और निर्माण / पर्यवेक्षण कार्यों दोनों को शामिल करते हुए नए कार्यों के पुरस्कार के माध्यम से वर्ष के दौरान, इसमें से महापत्तनों 98.25 करोड़ रुपए का योगदान दिया। आईपीआरसीएल ने हल्दिया डॉक में ओएचई के रखरखाव, पारादीप में एक समुद्री संग्रहालय के विकास और विशाखापत्तनम पत्तन पर आर एंड डी रेलवे यार्ड के रखरखाव सहित नए और उभरते क्षेत्रों में भी विस्तार किया। इन अपने आप में पहले असाइनमेंट से न केवल आईपीआरसीएल के सेवा पोर्टफोलियो में विविधता आएगी, बल्कि

एक मजबूत संदर्भ आधार भी बनेगा, जिससे कंपनी भविष्य में अन्य पत्तन प्राधिकरणों और अवसंरचना के ग्राहकों से समान अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम होगी।

महापत्तनों द्वारा प्रदान की गई परियोजनाओं में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन एसएमपी ने आईपीआरसीएल को दो परियोजनाओं - हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में ओएचई का रखरखाव और केडीएस में निरीक्षण, माप, रेलवे ट्रैक मापदंडों का सुधार और साथ ही नाली निर्माण का कार्य सौंपा है जिसका संयुक्त मूल्य 26.54 करोड़ रु. है। विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए) ने एमसीएचवी यार्ड के उन्नयन और लोकोमोटिव रिवर्सल लाइन (रु 6.61 करोड़), समानांतर पुल का उन्नयन (रु 2.44 करोड़), आर एंड डी यार्ड का तीन साल का रखरखाव (रु 23.00 करोड़), और वीआरएलए बैटरी प्रतिस्थापन कार्य सहित, कुल मूल्य 32.20 करोड़ का कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पारादीप पत्तन प्राधिकरण (पीपीए) ने जेएसडब्ल्यू टिप्पर के पास रेलवे साइडिंग के निर्माण, समुद्री संग्रहालय के विकास, दूसरे निकास आरओबी पर संशोधित आरयूबी कार्यों और एक स्वतंत्र अप-लाइन के लिए डीपीआर और विस्तृत इंजीनियरिंग के लिए परामर्श असाइनमेंट जैसी प्रमुख परियोजनाओं को आईपीआरसीएल को प्रदान किया, जिनकी कुल कीमत 31.66 करोड़ रु. है। इसके अलावा, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (एमपीए) ने 50 लाख रुपए मूल्य के पत्तन रेलवे साइडिंग के लिए एक परामर्श असाइनमेंट प्रदान किया। जबकि वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण (वीओसीपीए) ने आईपीसीआरएल को हरे द्वीप ट्रैक के निवारक रखरखाव और उन्नयन और कंटेनर रेल यार्ड के विकास के लिए एक परामर्श कार्य सौंपा, जो कुल मिलाकर 7.35 करोड़ रुपए का है। ये कार्य सामूहिक रूप से महापत्तनों में आईपीआरसीएल के बढ़ते प्रभाव और भारत के पत्तन आधारित लॉजिस्टिक्स और रेल संपर्कता अवसंरचना को मजबूत करने में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने कई महत्वपूर्ण अवसंरचनागत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें बोगीबील जेट्टी का विस्तार शामिल है, जिसमें एक अतिरिक्त जेट्टी, टर्मिनल भवन का निर्माण ढलान संरक्षण और सहायक कार्य शामिल है, जिसकी लागत 38.07 करोड़ रु. है। 3 प्रमुख मल्टीमॉडल टर्मिनलों साहिबगंज, हल्दिया और वाराणसी के लिए रेल संपर्कता का विकास आईपीआरसीएल को सौंपा गया था, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 250 करोड़ रु. थी। आईपीसीएल एफएसआर, डीपीआर तैयार करने और रेल अवसंरचना निर्माण के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। ये परियोजनाएं सागरमाला और पीएम गति शक्ति पहल के तहत राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। आईडब्ल्यूएआई ने सिलघाट, विश्वनाथ घाट और गुइजन में स्थायी पर्यटक टर्मिनलों के निर्माण, नेमाती में स्थायी पर्यटक-सह-कार्गो टर्मिनल और डिब्रूगढ़ में एक क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा है।

राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत संग्रहालय (एनएमएचसी), लोथल

6.90 भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) विकसित करने की परिकल्पना की है। लोथल, 2400 ईसा पूर्व की पारंपरिक हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है और पुरातात्विक उत्खनन में लोथल में 5000 साल से भी अधिक पुराना सबसे पुराना मानव निर्मित डॉकयार्ड पाया गया है।

एनएमएचसी 14 गैलरियों, हड़प्पा काल की बस्ती, एक्वेटिक गैलरी, लाइटहाउस संग्रहालय, समुद्री अनुसंधान संस्थान, तटीय राज्य मंडप, विरासत शहर, बागीचा परिसर, इको रिसॉर्ट्स, म्यूजियोटेल्स और थीम आधारित पार्कों के साथ एक संग्रहालय का प्रदर्शन करेगा। एनएमएचसी का उद्देश्य है:

i. भारत की समुद्री विरासत का संरक्षण और प्रदर्शन।

ii. एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल बनना।

iii. तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग करना।

iv. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मेलों और प्रदर्शनियों का केंद्र बनना।

v. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनिमय कार्यक्रमों की स्थापना।

vi. एक समुद्री प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित होना।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मार्च, 2019 में परियोजना की आधारशिला रखी गई थी और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर, 2025 में साइट पर इसकी समीक्षा भी की गई थी। एनएमएचसी परियोजना का पहला चरण 31 मार्च, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

दुनिया के साथ भारत के प्राचीन समुद्री संपर्क को प्रदर्शित करने के लिए, 30 से अधिक देशों के साथ सहयोग का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें से पुर्तगाल, यूएई, वियतनाम, थाईलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, ओमान और जर्मनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

परियोजना की ओ एंड एम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 2025 में एनएमएचसी सोसायटी का गठन किया गया है।

लोथल, गुजरात में एनएमएचसी स्थल की एरियल फोटो

6.91 इंडिया मैरीटाइम वीक में मैरीटाइम हैरिटेज डे: इंडिया मैरीटाइम वीक (आईएमडब्ल्यू) 2025 के भाग के रूप में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीडब्ल्यूएस) द्वारा भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत और व्यापक दुनिया के साथ इसके स्थायी संबंधों का उत्सव मनाने के लिए समुद्री विरासत दिवस का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की संकल्पना "भारत के समुद्री संबंध और साझा सभ्यतागत धरोहर" विषय को हाइलाईट करने के लिए की गई थी। यह उत्सव भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं, व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर विचार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिसर (एनएमएचसी), लोथल में चल रहे प्रयासों को प्रदर्शित करता है।

समुद्री विरासत दिवस में 700 प्रतिभागियों और 7 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, पुरातत्व और इतिहास के डोमेन विशेषज्ञ, शिक्षाविद, समुद्री पेशेवर और छात्र शामिल थे।

भारतीय मैरीटाइम हैरिटेज कॉन्क्लेव के लिए
कॉफी टेबल बुक का शुभारंभ

समुद्री विरासत दिवस ने छह देशों- इंडोनेशिया, मिस्र, श्रीलंका, कोरिया गणराज्य, पुर्तगाल और थाईलैंड के समुद्री विरासत विशेषज्ञों, पुरातत्वविदों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत किया। विचार-विमर्श ने व्यापार, नौवहन और संस्कृति के माध्यम से विविध क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक केंद्रीय समुद्री सभ्यता के रूप में भारत की ऐतिहासिक स्थिति की पुष्टि की।

मैरीटाइम इंडिया फाउंडेशन

6.92 मैरीटाइम इंडिया फाउंडेशन (एमआईएफ), पूर्ववर्ती राष्ट्रीय समुद्री परिसर (एनएमसी) तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है और यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीडब्ल्यूएस) के तहत कार्य करती है। फाउंडेशन की अध्यक्षता सचिव, एमओपीडब्ल्यूएस द्वारा की जाती है, और उपाध्यक्ष, चेन्नई पत्तन प्राधिकरण को एमआईएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एमआईएफ समुद्री क्षेत्र के अनुसंधान और नवाचार के लिए संस्थागत नेतृत्व प्रदान करता है और यह सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव (एस2आई2) को लागू करने के लिए नामित एजेंसी है, जिसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में चार समुद्री नवाचार केंद्रों (एमआईएच) के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। यह ढांचा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिकताओं के साथ संरेखण को मजबूत करते हुए, पत्तन आधारित समस्या की पहचान से लेकर स्टार्टअप समाधानों के पायलट निष्पादन और विस्तार तक एक संरचित मार्ग को सक्षम बनाता है।

समुद्री भारत फाउंडेशन ने 27-31 अक्टूबर 2025 तक नेस्को, मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक (आईएमडब्ल्यू) 2025 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एस2आई2 के तहत अभूतपूर्व नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों का प्रदर्शन किया, स्टार्टअप और एमआईएच के लिए दृश्यता को बढ़ाया, और समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया। आईएमडब्ल्यू 2025 के दौरान, एमआईएफ, एमआईएचएस और चयनित स्टार्टअप्स के बीच मैर-आ-थन 2025 के तहत सामरिक समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया, जो उनकी कार्यान्वयन यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी।

मैर- आ- थन 2025

6.93 चेन्नई पत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र के सहयोग से, सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव के तहत 25 अगस्त, 2025 को आईआईटी मद्रास में भारत के पहले मैरीटाइम हैकथॉन – मैर-आ-थन 2025 का शुभारंभ किया। हैकाथॉन की वेबसाइट लॉन्च की गई और महापत्तनों और एमओपीडब्ल्यूएस संगठनों से लिए गए 51 समस्याओं की रूपरेखा बनाकर एक व्यापक विवरण जारी किया गया, जिसमें भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से नवाचार, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान आमंत्रित किए गए।

मैर-आ-थन के उद्घाटन सत्र में एमओपीडब्ल्यूएस, महापत्तनों और आईआईटी, मद्रास के अधिकारियों के संबोधन शामिल थे। अनुसंधान, नवाचार, स्टार्ट-अप और उद्यमिता' पर एक पैनल चर्चा में सहयोग और नीति समर्थन के अवसरों पर विचार-विमर्श करने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों और स्टार्ट-अप को एक साथ आए। चर्चा ने समुद्री अमृत काल 2047 के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की ओर भारत के समुद्री क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक, बाजार-फिट समाधान विकसित करने में एस2आई2 के तहत स्टार्टअप, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और उद्योग-अकादमिक सहयोग की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित किया।

मैर-आ-थन बुट कैंप 2025

6.94 शुभारंभ के बाद, 16 और 17 अक्टूबर 2025 को आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में मैर-आ-थन बूट कैंप 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की सबसे गंभीर समुद्री चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्टार्टअप, शिक्षा, उद्योग-प्रमुखों और समुद्री हितधारकों का एक प्रभावी कॉन्वरजेन्स हुआ। इस पहल की जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी, जिसमें 51 समस्या विवरणों के लिए भारत भर के स्टार्टअप से 330 आवेदन प्राप्त हुए, जो समुद्री नवाचार के प्रति मजबूत राष्ट्रव्यापी उत्साह और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कई विशेषज्ञ समितियों द्वारा कठोर मूल्यांकन के बाद, यह कार्यक्रम 40 परियोजनाओं के लिए 36 स्टार्टअप के चयन के साथ संपन्न हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने भारत के समुद्री क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए तैयार नवीन, माप्य समाधानों के साथ वास्तविक दुनिया की

प्रचालन चुनौतियों का सामना किया। इन चयनित स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए तक की उपलब्धि आधारित फंडिंग सहायता दिए जाना निर्धारित किया गया है। जो पीओसी (अवधारणा का प्रमाण) के लिए 10 लाख रुपए तक , एमवीपी (न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद) के लिए 60 लाख रुपए तक और 1 करोड़ रूपए तक (वाणिज्यिक पैमाने पर वृद्धि) है, जिससे वे प्रोटोटाइप विकास से पूर्ण पैमाने पर तैनाती और अपनाने तक प्रगति कर सकें।

इंडियन पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड

6.95 अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के लिए एक विश्वसनीय समुद्री / भूमि पहुंच मार्ग प्राप्त करने के सामरिक हित को देखते हुए, विदेश मंत्रालय ने 5 सितंबर, 2014 को एक मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत किया। उक्त नोट के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू पत्तन और दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला) पत्तन को मिलाकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था, जो चाबहार पत्तन के पहले चरण के विकास में भाग लेने के लिए ईरान के पत्तन एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (पी एंड एमओ) के साथ एक अनुबंध करेगी। मंत्रिमण्डल ने 18 अक्टूबर 2014 को चाबहार पत्तन विकास में भारत की भागीदारी को मंजूरी दी थी। तदनुसार, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (आईपीजीपीएल) को 22 जनवरी 2015 को शामिल किया गया था। आईपीजीएल की अधिकृत पूंजी और प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रु. है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन और दीनदयाल पत्तन, क्रमशः 60:40 के अनुपात में इक्विटी धारक हैं।

भारत द्वारा चाबहार पत्तन के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 6 मई 2015 को भारत की ओर से तत्कालीन मंत्री और ईरानी पक्ष के मंत्री द्वारा तेहरान में हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद 23 मई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान तेहरान (ईरान) में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह अनुबंध ईरान की आरिया बानाडर ईरानी पत्तन एंड मरीन सर्विसेज कंपनी (एबीआई) और भारत के इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) के बीच शाहिद बेहेश्ती-चाबहार पत्तन के पहले विकास चरण में दो टर्मिनलों को सुसज्जित करने और संचालित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। इस्लामी गणराज्य ईरान के पत्तन और समुद्री संगठन (पीएमओ) और तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार अनुबंध के पुष्टि करने वाले पक्ष थे।

चूंकि मुख्य अनुबंध को सक्रिय करने में चुनौतियां थी, फरवरी, 2018 में इस्लामी गणराज्य ईरान के महामहिम राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान एक अल्पकालिक अनुबंध की नींव रखी गई थी। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच 6 मई 2018 को एक औपचारिक लघु पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसके कार्यान्वयन के लिए, आईपीजीएल की 98% हिस्सेदारी और जवाहरलाल नेहरू पत्तन और दीनदयाल पत्तन, प्रत्येक की 1% हिस्सेदारी के साथ एक एसपीवी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजेड) को भी ईरान में शामिल किया गया था। संयुक्त व्यापक कार्य योजना से अमेरिका के हटने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव से जेएनपीटी और डीपीटी को बचाने के लिए, सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) (मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक कंपनी) द्वारा आईपीजीएल में जवाहरलाल नेहरू पत्तन और दीनदयाल पत्तन के 100% इक्विटी शेयर खरीदे गए। वर्तमान में, आईपीजीसीएफजेड के 100% शेयर आईपीजीएल के पास हैं। 13 मई 2024 आईपीजीएल और पी एंड एमओ (ईरान) के बीच 10 साल का दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध को हस्ताक्षरित किया गया था।

चाबहार पत्तन ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंटेनर यातायात में, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मामूली 8123 टीईयू से, 2021-21 के दौरान 1476 टीईयू से 2022-2023 के दौरान 9000 टीईयू, 2023-2024 के दौरान 60,990 टीईयू, 2024-2025 के दौरान 85513 टीईयू तक उच्च स्तर की वृद्धि हासिल की है।

आईपीजीएल ने म्यांमार के कलादान नदी पर स्थित सितवे पत्तन का संचालन भी अपने हाथ में ले लिया है। आईपीजीएल द्वारा अप्रैल, 2024 से प्रचालन शुरू किया गया जिससे सिटवे पत्तन को चाबहार में ईरान के शहीद बेहेश्ती पत्तन के बाद आईपीजीएल द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पत्तन बन जाता है।

सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल)

6.96 एस.सी.एल. वर्ष 2004 में कैबिनेट की मंजूरी के साथ कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है, जो सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना (एसएससीपी) को लागू करने और भारत के प्रादेशिक जल के साथ एक शिपिंग चैनल बनाने के

लिए भी है। यह पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। एसएससीपी के खिलाफ विभिन्न मुकदमों के दायर होने के कारण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त, 2007 के आदेश द्वारा कार्य रोक दिया गया है और जुलाई, 2009 से परियोजना स्थल पर सभी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं।

पत्तनों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी)

6.97 पत्तनों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) को पत्तनों और समुद्री क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, विकास और नए विचारों और सफलताओं के विकास के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीडब्ल्यूएस) की प्रौद्योगिकी शाखा के रूप में कार्य करता है, जो पत्तनों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और अन्य समुद्री संस्थानों को महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करता है। केंद्र वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, उन्नत तकनीकी समाधानों के विकास और स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण के माध्यम से उद्योग की चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करता है। एनटीसीपीडब्ल्यूसी की स्थापना 2018 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटी मद्रास) में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की गई थी और तब से इसने आईआईटी मद्रास, थायूर, चेन्नई के डिस्कवरी परिसर में अपने अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार किया है।

एनटीसीपीडब्ल्यूसी में सुविधाएँ

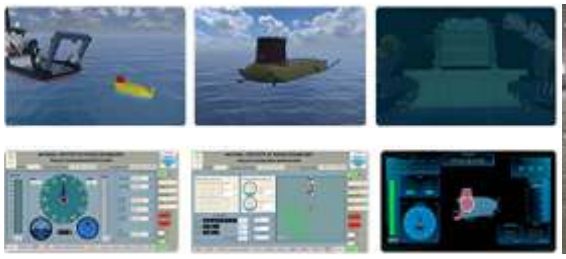

360 - डिग्री पूर्ण पुल जहाज पुल सिम्युलेटर

SeMaTeB - अवसाद बेसिन

भारत की स्वदेशी रूप से विकसित अपनी तरह की पहली स्मार्ट और इंटेलिजेंट वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली

स्मार्ट पत्तन के लिए डिजिटल ट्विन

अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए पोत ट्रैकिंग प्रणाली

स्वायत्त सर्वेक्षण जलयान

पत्तनों के लिए जस्ट इन टाइम ऑपरेशन

ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग

एनटीसीपीडब्ल्यूसी द्वारा स्थापना के बाद से प्रमुख पूर्ण परियोजनाओं की सूची:

1. जनरल कार्गो बर्थ-2 (जीसीबी-2) (2023-24) के लिए कामराजार पत्तन लिमिटेड में कैपिटल ड्रेजिंग
2. जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) (2023-24) में स्मार्ट डॉकिंग एड का विकास।
3. नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण (एनएमपीए) (2025) में स्मार्ट पायलट यूनिट का कार्यान्वयन।
4. दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (डीपीए) लिक्विड बर्थ (2022-25) के लिए पाइपलाइन प्रणाली का नवीनीकरण / उन्नयन।
5. राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (रा.ज.-5) और राष्ट्रीय जलमार्ग-48 (रा.ज.- 48) (2025) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।
6. ओडिशा समुद्री परिप्रेक्ष्य योजना (2025)।
7. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता (2024-25) द्वारा 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किए जाने के कारण हुगली नदी, कोलकाता पत्तन पर रात्रि नौवहन के लिए अध्ययन का संचालन।

2025 के दौरान उल्लेखनीय कार्यक्रम / उपलब्धियां:

1. उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्यशाला।

6.98 एनटीसीपीडब्ल्यूसी ने 9 जनवरी, 2025 को समुद्री क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक अनुसंधान पर केंद्रित एक अत्यधिक व्यावहारिक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

वक्ताओं में एमओपीएसडब्ल्यू और प्रमुख संगठनों के अधिकारियों ने भारत के पत्तनों, जलमार्गों और तटीय अवसंरचना के भविष्य को चलाने वाले प्रमुख विकासों में बहुमूल्य विचारों पर प्रकाश डाला। चर्चाओं में स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणालियों, टिकाऊ समुद्री समाधानों, डिजिटल नवाचार और सागरमाला और मैरीटाइम इंडिया विजन जैसी पहलों के तहत अनुप्रयुक्त अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में प्रगति पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और समुद्री क्षेत्र में वास्तविक चुनौतियों का समाधान करने में एनटीसीपीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

2. भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी जलयान यातायात सेवा (आईवीटीएस) प्रणाली।

6.99 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई, 2025 को केरल के मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय पत्तन - भारत के पहले समर्पित ट्रांसशिपमेंट हब को आधिकारिक तौर पर शुरू किया।

आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि- इस कार्यक्रम में पत्तन पर भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी पोत यातायात सेवा (आईवीटीएस) प्रणाली की परिचालन तैनाती को चिह्नित किया गया। आईआईटी मद्रास में एनटीसीपीडब्ल्यूसी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित, यह उन्नत प्रणाली नेविगेशनल सुरक्षा, पोत निगरानी और परिचालन दक्षता को बढ़ाती है, जबकि महत्वपूर्ण समुद्री डाटा पर सामरिक नियंत्रण सुनिश्चित करती है। इस अवसर पर एमएआरआईएनए - भारत की अग्रणीय एआई-संचालित 3डी वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सूचना प्रणाली - एक अत्याधुनिक, स्वदेशी नवाचार पर भी प्रकाश डाला गया, जो बेहतर यातायात प्रबंधन, निर्णय समर्थन और जोखिम कम करने के लिए रीयल-टाइम रडार, एआईएस और एआई को एकीकृत करता है।

एमओपीडब्ल्यूएस के दृष्टिकोण के अनुरूप यह सफलता, भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करती है, विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करती है और विझिंजम को स्मार्ट, टिकाऊ पत्तन संचालन में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है।

3. मैर-आ-थन 2025 - भारत का समुद्री हैकथॉन

6.100 एमओपीडब्ल्यूएस ने 25 अगस्त, 2025 को, एनटीसीपीडब्ल्यूसी-आईआईटी मद्रास, मैरीटाइम इंडिया फाउंडेशन (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय समुद्री परिसर), और चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के सहयोग से, आईआईटी मद्रास में मैर-आ-थन 2025 - भारत का समुद्री हैकथॉन लॉन्च किया। सागरमाला स्टार्ट-अप इनोवेशन इनिशिएटिव (एस2आई2) के तहत आयोजित, यह कार्यक्रम समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, स्टार्ट-अप और उद्यमिता (आरआईएसई) को बढ़ावा देता है और इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के लिए एक कर्टेन रेजन के रूप में कार्य करता है।

मैर-आ-थन 2025 के शुभारंभ के बाद, एनटीसीपीडब्ल्यूसी के सहयोग से एनआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में 16-17 अक्टूबर 2025 को समुद्री भारत फाउंडेशन द्वारा दो दिवसीय बूट शिविर का आयोजन किया गया था।

4. एनएमपीए के साथ पत्तन ऑटोमेशन यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन।

6.101 नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण (एनएमपीए) ने 4 अक्टूबर 2025 को, पत्तन ऑटोमेशन यूनिट (पीएयू) स्थापित करने के लिए एनटीसीपीडब्ल्यूसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर डॉ. वेंकट रमण अक्काराजू (अध्यक्ष, एनएमपीए) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इसका लक्ष्य स्मार्ट प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाना, विक्रेता नवाचार को बढ़ावा देना और निर्बाध पत्तन संचालन प्राप्त करना है - भारतीय समुद्री अवसंरचना के भविष्य के लिए स्मार्ट पत्तन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है।

समुद्रीय और पोत निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस)

6.102 वर्ष 2025-26 में, समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र ने समुद्री और लॉजिस्टिक्स डोमेन में छात्रों और कार्यरत पेशेवरों सहित 5400 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, कोलकाता, तूतीकोरिन, ताडेपल्लीगुडेम और मैंगलोर में हब और स्पोक मॉडल में विस्तार केंद्र शुरू किए गए थे।

सीईएमएस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:

1. **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई)** 28 अक्टूबर 2025 को जीआरएसई के सीएसआर द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित चार प्रकार की नौकरी पेशों की भूमिका में प्रशिक्षण लेने हेतु:

    1. मरीन वेल्डर
    2. मरीन स्ट्रक्चरल फिटर
    3. मरीन इलेक्ट्रीशियन
    4. मरीन पाइप फिटर

    इस प्रशिक्षण में तारातला यूनिट में 3 माह और, जीआरएसई 3 माह ओजेटी शामिल हैं। अब तक वेल्डर, स्ट्रक्चरल फिटर और इलेक्ट्रीशियन की भूमिकाओं में 25-25 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि पाइप फिटर के लिए प्रशिक्षण 10 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है।

2. **आईआईटी तिरुपति,** 20 नवंबर 2025 को आईआईटी तिरुपति के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए । प्रशिक्षण फरवरी 2026 से शुरू होने वाला है।

    1. फैक्टरी ऑटोमेशन
    2. एडीटिव मैन्युफेक्चरिंग
    3. आईआईओटी
    4. डीसीएस

3. **आईएमडब्ल्यू 2025 के दौरान दुबई ड्राई डॉक्स (डीपी वर्ल्ड यूनिट) और सीएसएल,** प्रशिक्षण मॉडल जीआरएसई प्रशिक्षण के अनुरूप होगा और डीडीडब्ल्यू/ सीएसएल में प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए जाएगें।

4. **एपी मैरीटाइम बोर्ड** 14 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश में समुद्री क्षेत्र के लिए कुशल कार्मिक बनाने के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण गतिविधियों को शुरू करेगा।

5. **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड** 31 दिसंबर 2025 को भारतीय शिपिंग रजिस्टर द्वारा प्रमाणित कुशल वेल्डरों का एक पूल बनाएगा, इस हेतु पहले बैच का प्रशिक्षण 02 जनवरी 2026 से शुरू होने की योजना है।

जारी प्रशिक्षण / कौशल कार्यक्रम

1. **आईआईएम मुंबई:** 09 मार्च 2026 से सीईएमएस और आईआईएम मुंबई संयुक्त रूप से 60 घंटे की अवधि (सप्ताहांत पाठ्यक्रम कोर्स) का संयुक्त कोर्स "डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर पोर्ट मैनेजमेंट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स" प्रदान कर रहे हैं।

2. **वीओ चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण:** सीईएमएस ने वीओसीपीए के द्वारा प्रायोजित 175 उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए गए।

3. **विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण:** सीईएस ने वीपीए के सीएसआर प्रायोजन के तहत 260 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया, जिनमें से 60 जनजातीय समूदाय के उम्मीदवार हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र माननीय राज्य मंत्री, एमओपीडब्ल्यूएस द्वारा जारी किए गए थे।

4. **डीजी पूनर्वास (रिसेटलमेंट) (डीजीआर) प्रायोजन के अंतर्गत जेसीओ और ओआर के लिए पूर्व-रिलीज़ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:** वर्ष 2025 में सीईएस ने डीजीआर के साथ अपने मौजूदा समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में आपूर्ति श्रृंखला और पत्तन प्रबंधन और औद्योगिक स्वचालन में 120 जेसीओ और ओआर के पूर्व-रिलीज़ प्रशिक्षण का कार्य किया।

समुद्री अर्थव्यवस्था और संपर्कता केंद्र (सीएमईसी)

6.103 19 जनवरी, 2023 को समुद्री अर्थव्यवस्था और संपर्कता केंद्र (सीएमईसी) की स्थापना के लिए भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) के बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल , पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते ने आरआईएस में सीएमईसी की शुरुआत की जो भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं और विभिन्न संबंधित आयामों को आकार देने के लिए -एक विचार समूह है।

6.104 इस पहल का उद्देश्य कार्रवाई योग्य विचारों को प्राप्त करना है जिन्हें एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लागू किया जा सकता है। सीएमईसी के प्राथमिक उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र के व्यवस्थित विकास और विविधीकरण के लिए एक व्यापक और एकीकृत ढांचा विकसित करना है। सीएमईसी को सौंपे गए कार्यों और कामकाज की समीक्षा के लिए सचिव (पीएसएंडडब्ल्यू) की अध्यक्षता में एक अनुसंधान और सलाहकार बोर्ड (आरएबी) का गठन किया गया है।

6.105 सीएमईसी ने 27 से 31 अक्टूबर, 25 तक मुंबई में आयोजित इंडिया मैरिटाइम वीक में पांच सत्र आयोजित किए। सीएमईसी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित एक समारोह में भारत समुद्रीय रिपोर्ट - 2025-26 का भी शुभारंभ किया, उन्होंने मुख्य भाषण भी दिया। सीएमईसी ने आईएमडब्ल्यू-2025 विषय पर एक

आईएमडब्ल्यू, 2025 में भारत समुद्री रिपोर्ट 2025-26 के शुभारंभ के दौरान माननीय मंत्री आरटी एंड एच

ज्ञान रिपोर्ट भी जारी की, जिसका शीर्षक 'यूनाइटिंग ओशंस, वन मैरीटाइम विजन: इंडियाज़ मैरीटाइम स्ट्राइड्स' है। रिपोर्ट को कुल 10 खंडों में संरचित किया गया है: समुद्री विरासत के साथ शुरू करते हुए, रिपोर्ट समुद्री व्यापार, निवेश और वित्त पर चर्चा करती है; लचीले समुद्री गलियारों का निर्माण; पर्यावरण अनुकूलित भविष्य की ओर; नौवहन में तकनीकी छलांग; नीली अर्थव्यवस्था का परिवर्तन; क्रूज पर्यटन के अवसर; मानव पूंजी और कौशल; समुद्री सुरक्षा और सहयोग; और अंत में विकसित समुद्री क्षेत्र के लिए नीतिगत गतिशीलता।

6.106 सीएमईसी ने भारत समुद्री सप्ताह 2025 में पोत पंजीकरण के लिए अभिनव तंत्र; टन भार और पोत वित्तपोषण बढ़ाने पर तीन सत्र भी आयोजित किए। सीएमईसी ने भारत समुद्री सप्ताह 2025 में ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआईएल) के साथ ड्रेजिंग से ड्रेजिंग प्रौद्योगिकियों और संचालन और अपशिष्ट से धन के अवसरों पर दो सत्रों के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में भी भाग लिया।

6.107 समुद्री ज्ञान व्याख्यान श्रृंखला (एमकेएलएस) के रूप में, सीएमईसी भारत के लिए समुद्रीय विकास के विषय पर हितधारक एकीकरण और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों के सार्वजनिक वार्ता और चर्चा का आयोजन कर रहा है। समुद्री विरासत, समुद्री कानून, बीमा और मल्टी-मॉडल एकीकरण आदि जैसे विविध विषयों को कवर करने वाले कुल 13 सार्वजनिक कार्यक्रम सीएमईसी द्वारा आयोजित किए गए है। 2025 की अंतिम तिमाही में निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:-

- समुद्रीय स्थिरता - वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत के लिए अवसर,
- समुद्रीय भारत: समृद्धि के लिए नदी जलमार्ग अर्थव्यवस्था
- नेक्स्ट जेन पोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर

सीएमईसी से प्रकाशन

6.108 वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएमईसी ने पॉलिसी ब्रीफ, डिस्कशन पेपर और मैरीटाइम ब्रीफिंग के रूप में निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए।

- पुस्तक अध्याय - भारत और हिंद महासागर (वीआईएफ प्रकाशन): हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की समुद्री वाणिज्यिक रणनीति का अनुवाद: डॉ. शिशिर श्रोत्रिया और डॉ. ऋचा श्रीमाल द्वारा एड्रेसिंग वल्नरेविलिंटीज एंड बिल्डिंग रेजीलेंस ।
- डिस्कशन पेपर डीपी # 312 सीएमडीई सर सुजीत समादर सेवानिवृत्त और सुश्री अनुष्का त्रिपाठी द्वारा फ्लैग इन इंडिया -ए प्रपोजल और इंटरनेशनल शिप रजिस्ट्री
- डिस्कशन पेपर # 316 सीएमडीई सुजीत समादर सेवानिवृत् और संश्री वंशिका गोयल द्वारा इनहैंसिंग नेशनल शिपिंग टनेजः प्रपोज़ल फार टनेज टैक्स रिफार्मस

सीएमईसी द्वारा मैरीटाइम ब्रीफिंग

6.109 सीएमईसी समय-समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गतिविधियों को कवर करते हुए मैरीटाइम ब्रीफिंग जारी करता रहा है। ब्रीफिंग सीएमईसी की वेबसाइट से पढ़ी जा सकती है। मैरीटाइम ब्रीफिंग के नवीनतम दिसंबर, 2025 अंक में पिछले तिमाही - सितंबर से दिसंबर 2025 के दौरान भारत और दुनिया से संबंधित समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्री प्रौद्योगिकी, समुद्री स्थिरता, समुद्री प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था की पहलों में विकास को शामिल किया गया था।

अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीएमटी)

6.110 अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीएमटी) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में 2019 में गहरे और उथले पानी की स्थितियों के लिए मॉडल परीक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। वर्ष 2025-26 प्रमुख की उपलब्धियां हैं:

- इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025 के दौरान अंतर्देशीय और तटीय समुद्री अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में सहयोग को

मजबूत करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया।

- सीआईसीएमटी ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) के लिए एक इलेक्ट्रिक कटमरैन फेरी के लिए प्रोपेलर डिजाइन अनुकूलन के साथ प्रतिरोध और स्व-प्रेरणा परीक्षण सहित उन्नत हाइड्रोडायनामिक अध्ययन किया।
- निर्मोन मरीन सॉल्यूशंस एलएलपी, गोवा के लिए 200 पैक्स कटमरैन फेरी का टैंक परीक्षण पूरा किया गया, जो प्रदर्शन के सत्यापन का समर्थन करता है।
- जीआरएसई के लिए एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी प्लेटफॉर्म के लिए हाइड्रोफ़ॉइल के साथ प्रतिरोध परीक्षण सफलतापूर्वक निष्पादित किए गए।
- डीआरडीओ मॉडल परीक्षण द्वारा प्रायोजित बायो-मिमेटिक ऑटोनामस अंडरवाटर व्हीकल (बीएयूवी) ने सीआईसीएमटी की प्रयोगात्मक हाइड्रोडायनामिक्स क्षमताओं को और अधिक मजबूत किया।
- शैक्षणिक आउटरीच में, पाठ्यक्रम " फंडामेंटल्स ऑफ एलएनजी टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन " को संयुक्त रूप से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग सेंटर और ओशन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर द्वारा सीआईसीएमटी के तत्वावधान में जनवरी 2025 में एलएनजी प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण में योगदान दिया गया था।

हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओईजीपीएस)

6.111 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीडब्ल्यूएस) और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओईजीपीएस) की स्थापना नवंबर 2022 में की गई थी और 22 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था।

एनसीओईजीपीएस, पत्तनों और शिपिंग में डिकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता को आगे बढ़ाने में एमओपीडब्ल्यूएस, पत्तन प्राधिकरणों, नियामकों और समुद्री हितधारकों की सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी और ज्ञान समर्थन संस्थान के रूप में कार्य करता है। 2025-26 के दौरान, केंद्र के काम में समुद्री भारत विजन 2030 और समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप कार्यान्वयन-तैयार ढांचे, नीति समर्थन और तकनीकी रोडमैप के विकास पर फोकस किया गया था।

प्रमुख तकनीकी कार्य और स्थिति

6.112 एनसीओईजीपीएस ने पत्तनों, शिपिंग, ईंधन, बेंचमार्किंग और नीति निर्माण को कवर करते हुए परियोजनाओं के एक केंद्रित पोर्टफोलियो पर प्रगति की। प्रमुख उत्पादन और जारी पहलों में शामिल हैं:

1. **भारत की मैरीटाइम ग्रीन शिफ्ट रिपोर्ट:** "इंडियन की मैरीटाइम ग्रीन शिफ्ट रिपोर्ट: पायोनियरिंग एनर्जी ट्रांजिशन एंड पालुशन कंट्रोल" शीर्षक रिपोर्ट इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान जारी किया गया था, जिसमें समुद्री डी-कार्बोनाइजेशन और प्रदूषण नियंत्रण पहलों का समेकित राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रदान करता दिया गया है।
2. **ग्रीन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (जीपीपीआई):** इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान जीपीपीआई दिशानिर्देश लॉन्च किए गए थे, जो भारतीय पत्तनों के लिए एक ईएसजी-आधारित बेंचमार्किंग ढांचे की स्थापना करते हैं।
3. **शोर-टू-शिप पावर (एसपीएस) बिजनेस मॉडल:** पत्तन-आधारित और बर्थ-आधारित परिदृश्यों, टैरिफ संरचनाओं, वित्तपोषण विकल्पों और जलयान प्रकारों को कवर करने वाले एक तकनीकी-आर्थिक बिजनेस मॉडल का विकास प्रगति पर है।
4. **पोत परिवहन के लिए बाजार आधारित तंत्र:** आईएमओ एमईपीसी-82 में भारत की भागीदारी का समर्थन करने के लिए नौवहन महानिदेशालय को तकनीकी मूल्यांकन और नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत की गईं।

5. **राष्ट्रीय हरित पोत परिवहन नीति (एनजीएसपी):** एनजीएसपी के विकास के लिए अंतराल विश्लेषण और तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

6. **समुद्री परिवहन में जैव ईंधन:** आईएसओ 8217:2024 के अनुरूप व्यवहार्यता अध्ययनों की पूर्णता और मानकों का सामंजस्यीकरण।

7. **उन्नत ग्रीन ईंधन रोडमैप:** मेथनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन, एलएनजी और जैव ईंधन को कवर करने वाला रोडमैप, नौवहन महानिदेशालय, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया।

8. **पत्तनों का कार्बन फुटप्रिंट आकलन:** वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आधारभूत आकलन पूरा हो गया है और वित्त वर्ष 2024-25 के आकलन जारी हैं।

9. **पत्तनों की कम ऊर्जा खपत:** पारादीप, वीओ चिदंबरनार और दीनदयाल पत्तनों के लिए ऊर्जा दक्षता अध्ययन का काम पूरा हो गया है।

10. **जस्ट-इन-टाइम (जेआईटी) जहाजों का आगमन:** व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण किया गया।

11. **पत्तनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा रोडमैप:** चयनित पत्तनों के लिए 2030 तक 60% नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लक्ष्य वाले रोडमैप तैयार किए गए हैं।

इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 और ज्ञान की भागीदारी

6.113 भारतीय समुद्रीय सप्ताह 2025 के दौरान, एनसीओईजीपीएस ने एक सक्रिय तकनीकी और ज्ञान के भागीदार के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई है। केंद्र ने ग्रीन मैरीटाइम दिवस का आयोजन किया, जिसमें ग्रीन पत्तनों, वैकल्पिक ईंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भविष्य के रास्तों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समर्पित इंडो-डच द्विपक्षीय गोल मेज चर्चा भी शामिल थी।

भविष्य के ईंधन मार्गों पर गोल मेज सम्मेलन - 19 दिसंबर 2025

6.114 विलंबित नेट-जिरो फ्रेमवर्क के तहत भविष्य के ईंधन मार्गों पर एक तकनीकी गोल मेज सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र द्वारा 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग (एनसीओईजीपीएस) के लिए किया गया था। चर्चा में वैकल्पिक समुद्री ईंधन, हाइड्रोजन-व्युत्पन्न ईंधन, मेथनॉल, अमोनिया और जैव ईंधन सहित प्रौद्योगिकी तत्परता, जीवन चक्र उत्सर्जन, लागत प्रक्षेप वक्र और अवसंरचना की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। गोल मेज सम्मेलन ने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया, और उन्नत ग्रीन ईंधन रोडमैप और राष्ट्रीय ग्रीन शिपिंग नीति के कार्यान्वयन पर चल रहे काम के लिए इनपुट प्रदान किए।

अंतर्देशीय जल परिवहन

प्रस्तावना

7.1 अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) मोड को विशेष रूप से भारी मात्रा में माल, ओवर-डायमेंशनल कार्गो और जोखिमपूर्ण वस्तुओं के लिए ईंधन दक्षता, पर्यावरण के अनुकूल और किफायती होने के कारण व्यापक रूप से जाना जाता है। इस मोड को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, आईडब्ल्यूटी अवसंरचना (फेयरवे, टर्मिनल और नौचालन सहायता) को विकसित करना और निजी क्षेत्र के बेड़े के विस्तार के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है।

आईडब्ल्यूएआई की स्थापना और भूमिका

7.2 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत नौवहन और नौचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को विनियमित और विकसित करने के लिए की गई थी। आईडब्ल्यूएआई राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने पर फोकस करता है, ताकि भीड़भाड़ वाले सड़क और रेल नेटवर्क की अनुपूर्ति की जा सके।

विधायी रूपरेखा में उन्नति

7.3 अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के तहत, प्रमुख सुधारों ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्रचालनों को आधुनिक बना दिया है। वर्ष 2024 में, जलयान डिजाइन को मानकीकृत करने, सुरक्षा में सुधार करने और डिजिटल एकीकरण को सक्षम करने के लिए दो नए नियम – परिकल्पना और संनिर्माण नियम (28 मई 2024) और केंद्रीय डाटाबेस और संबद्ध मामले नियम (29 अक्टूबर 2024) अधिसूचित किए गए। वर्ष 2025 में, राज्य विनियमों को एकीकृत करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए 7 मौजूदा नियमों में संशोधन (मई और अगस्त में) किया गया । इसके अतिरिक्त, निजी भागीदारी, अवसंरचना के विकास और संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 पेश किए गए थे।

चालू राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)

7.4 वर्ष 2016 में, भारत में घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो मात्र 5 से बढ़कर 111 हो गई, जिनकी कुल लंबाई 20,375 किलोमीटर है। देश भर में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास में योगदान देते हुए, चालू जलमार्गों की संख्या भी वर्ष 2013-14 में 3 से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 32 हो गई है। आईडब्ल्यूएआई देश में माल और यात्री परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और अधिक समुद्री जलमार्गों को चालू करने की योजना बना रहा है। ये लक्ष्य समुद्री अमृत काल विजन (एमएकेवी) 2047 में बताए गए उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं।

राष्ट्रीय जलमार्गों में माल की आवाजाही

7.5 राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल की आवाजाही में वित्त वर्ष 2013-14 में 18.07 मिलियन मीट्रिक टन से वित्त वर्ष 2024-25 में 146 मिलियन मीट्रिक टन तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो इस अवधि में लगभग 21% की मजबूत सीएजीआर को दर्शाती है। वर्ष 2025-26 में, दिसंबर, 2025 तक 160.8 मिलियन मीट्रिक टन माल की आवाजाही हो चुकी है। वर्तमान में, 32 चालू राष्ट्रीय जलमार्गों में से 29 कार्गो सेवाओं को वहन करते हैं।

इस यातायात का लगभग 85% हिस्सा पाँच प्रमुख जलमार्गों - राष्ट्रीय जलमार्ग-100, राष्ट्रीय जलमार्ग-91, राष्ट्रीय जलमार्ग-10, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 और राष्ट्रीय जलमार्ग-97 पर केंद्रित है। कार्गो प्रहस्तन के आधार पर भारत के शीर्ष पाँच जलमार्ग देश के अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- राष्ट्रीय जलमार्ग-100 (शास्त्री नदी-जयगढ़ क्रीक) मुख्य रूप से सीमेंट, कोयला, कोल फाइन्स, कोक, लौह अयस्क और इस्पात के परिवहन को सुगम बनाता है, जो औद्योगिक और निर्माण क्षेत्रों के काम आते हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-91 (तापी) कोयला, कोकिंग कोयला, फ्लाई ऐश, लौह अयस्क फाइन्स और पेट कोक का प्रहस्तन करता है, जो ऊर्जा और धातुकर्म उद्योगों के आधार है।

- राष्ट्रीय जलमार्ग-10 (अंबा) इस्पात विनिर्माण के लिए आवश्यक इस्पात कार्गो और स्लैग के परिवहन के लिए समर्पित है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली) सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो फ्लाई ऐश, कोयला, कोकिंग कोयला, उर्वरक और हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) का परिवहन करता है, जो कृषि और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-97 (कृष्णा गोदावरी) सीमेंट, फ्लाई ऐश, ग्रेनाइट और रेत की व्यवस्था करता है, जिससे अवसंरचना के विकास में योगदान मिलता है। ये जलमार्ग सामूहिक रूप से भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली के माध्यम से माल ढुलाई की रीढ़ हैं।

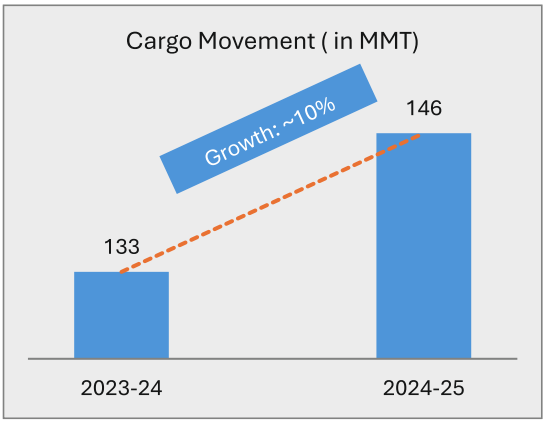

कार्गो मिक्स में कोयला, लौह अयस्क फाइन्स, लौह अयस्क, कोक और कोयले से बने उत्पादों, रेत, फ्लाई ऐश, वाहन, यात्री वाहन, चूना पत्थर, क्लिंकर और सीमेंट प्रमुख हैं।

7.6 जलवाहक योजना, जिसे कार्गो प्रोत्साहन योजना भी कहा जाता है, 15 दिसंबर 2024 को शुरू की गई थी, जो रसद लागत में कमी, सड़क और रेलवे नेटवर्क की भीड़भाड़ को कम करने और परिवहन के एक संधारणीय तरीके को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। कार्गो स्वामियों को आईबीपी मार्ग से होते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग-1, राष्ट्रीय जलमार्ग-2 और राष्ट्रीय जलमार्ग-16 पर जलमार्ग यात्राओं पर किए गए वास्तविक परिचालन व्यय के 35% तक के प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के प्रमुख घटकों में कार्गो स्वामियों को रेल/सड़क से आईडब्ल्यूटी में माल ढुलाई के स्थायी मॉडल-शिफ्ट के लिए सीधे प्रोत्साहन प्रदान करना और आईसीएसएल द्वारा निर्धारित सेवाओं के संचालन के लिए वित्तपोषण करना शामिल है। जलवाहक योजना के तहत दिसंबर 2025 तक कुल 12.38 मिलियन टीकेएम कार्गो के साथ 20 निर्धारित परिवहन पूरे किए गए। इसके अलावा, दिसंबर 2025 तक इस योजना के तहत कुल कार्गो परिवहन 17.29 मिलियन टीकेएम था।

राष्ट्रीय जलमार्गों में यात्रियों की आवाजाही

7.7 हाल के वर्षों में भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्री यातायात में लगातार वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से असम, पश्चिम बंगाल, केरल और गोवा जैसे क्षेत्रों में, जहां नौकाएं दैनिक आवागमन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। पिछले कुछ वर्षों में यात्री आवागमन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2023-24 में 1.61 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 7.06 करोड़ हो गया है। वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्गों पर लगभग 7 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है।

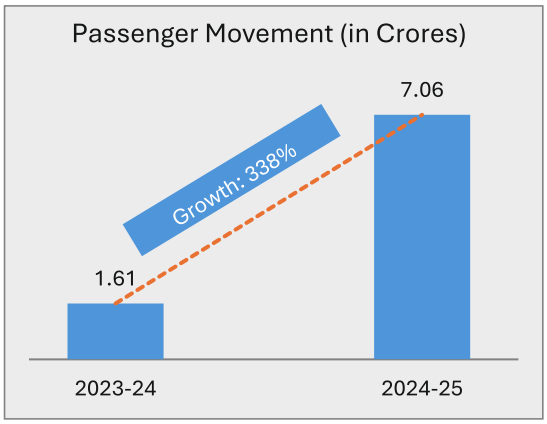

कोच्चि वाटर मेट्रो जैसी शहरी परिवहन व्यवस्थाएं नौका-आधारित परिवहन की क्षमता को दर्शाती हैं, वहीं आईडब्ल्यूटी की ईंधन दक्षता और कम उत्सर्जन भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हैं। यह मंत्रालय भारत के 18 शहरों में वाटर मेट्रो प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर नदी क्रूज

7.8 राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) पर नदी क्रूज क्षेत्र ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुल 443 नदी क्रूज यात्राएं की गईं। 9 राज्यों में फैले 13 राष्ट्रीय जलमार्गों पर 17 नदी क्रूज सर्किट चालू किए गए हैं, जिससे संपर्कता और पर्यटन के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, नदी क्रूज के लिए नामित राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 2013-14 में मात्र 3 से बढ़कर 2024-25 में 13 हो गई है, जो भारत के जलमार्गों के माध्यम से टिकाऊ और अनुभवात्मक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास को दर्शाता है। देश में क्रूज पर्यटन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी, पटना, गुवाहाटी और कोलकाता में क्रूज पर्यटक टर्मिनल विकसित करने का भी प्रस्ताव है।

देश के प्रमुख स्थानों भी पर नदी क्रूज सेवाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें दिल्ली में यमुना नदी, जम्मू और कश्मीर में चिनाब और झेलम नदियाँ, और ओडिशा में महानदी नदी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र विभिन्न राज्यों में क्रूज सर्किट के विकास के लिए राज्य सहायता समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहा है।

डिजिटल पहलें

7.9 मंत्रालय ने अंतर्देशीय जल परिवहन के आधुनिकीकरण के लिए कई परिवर्तनकारी पहलें शुरू की हैं।

i. **केंद्रीय डाटाबेस –** "जलयान और नाविक" प्लेटफॉर्म जलयानों और कर्मीदल के लिए एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है, जिससे सिंगल-विंडो प्रणाली के माध्यम से "एक राष्ट्र - एक पंजीकरण" सक्षम हो पाता है। अब तक 8625 जलयानों का पंजीकरण हो चुका है। आज तक 8625 जलयानों का पंजीकरण हो चुका है। दिसंबर 2025 तक, असम, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, बिहार, गुजरात, गोवा, ओडिशा, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, केरल, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान सहित 16 राज्यों को पोर्टल पर शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा, दिसंबर 2025 तक पोर्टल पर 3448 उपयोगकर्ता और 8627 जलयान पंजीकृत हो चुके हैं। साथ ही, प्रशिक्षण संस्थानों में 916 चालक दल पंजीकृत हो चुके हैं और 184 जलयानों का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है।

ii. **जल समृद्धि पोर्टल,** राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 के तहत शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य एनओसी आवेदनों को सुव्यवस्थित करना और नदी अवसंरचना में निजी निवेश को आकर्षित करना है। दिसंबर 2025 तक, पोर्टल पर 37 उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं और मेसर्स मैरिनइटेक और योगायतन पत्तन को 2 एनओसी जारी की गई हैं।

iii. **नौदर्शिका,** राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली, को न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) पर वास्तविक समय डाटा के साथ सुरक्षित, कुशल और सतत जलयान आवागमन सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

iv. **कार डी** एक वेब-आधारित पोर्टल है जो कार्गो और क्रूज परिवहन से संबंधित सभी आंकड़ों के संग्रहण व संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए बनाया गया है। यह पोर्टल जनता को डेटा तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) की क्षमताओं और संभावनाओं का पता चलता है।

v. **पानी (पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन)** एक एकीकृत समाधान है जो नदी नौचालन और अवसंरचना की जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। यह माल परिवहन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों की विभिन्न विशेषताओं और संपत्तियों जैसे कि जलमार्ग, अवसंरचना संबंधी सुविधाएं, नदी पार संरचनाएं, घाटों पर संपर्कता, आपातकालीन सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

vi. **न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली (एलएडीआईएस)** पोर्टल न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) पर रियल टाइम डाटा सुनिश्चित करता है, जिसे पोत/बार्ज और कार्गो स्वामियों तक पहुंचाया जाता है, ताकि वे समुद्री जलमार्गों पर परिवहन, अधिक योजनाबद्ध तरीके से कर सकें और सेवा एवं प्रचालन में किसी भी प्रकार की बाधा से बच सकें।

प्रमुख पहलें

i. **वाराणसी, पटना और पांडू में पोत मरम्मत की सुविधाएं**

उत्तर प्रदेश को समुद्री सेवाओं के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की महत्वपूर्ण पहल के तहत, वाराणसी में एक अत्याधुनिक पोत मरम्मत सुविधा विकसित की जा रही है। यह सुविधा अंतर्देशीय जलयानों के लिए आवश्यक अवसंरचना और उपयोगिता सहायता प्रदान करेगी। पटना में भी इसी प्रकार की एक सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव है। वहीं, पांडू, गुवाहाटी (असम) में पोत मरम्मत सुविधा केंद्र का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरा होने के समीप है।

ii. **यमुना में आईडब्ल्यूटी (राष्ट्रीय जलमार्ग-110) का विकास**

यमुना (राष्ट्रीय जलमार्ग-110) के साथ-साथ अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास मथुरा-वृंदावन, आगरा, दिल्ली और प्रयागराज के प्रमुख विस्तार क्षेत्रों में प्रगति पर है, जिसमें जेट्टी स्थापित की गई हैं, गाद निकालने का काम शुरू किया गया है और तटवर्ती अवसंरचना कार्यान्वयन के अधीन है। मथुरा-वृंदावन में, आठ घाटों और जलमार्ग विकास का कार्य चल रहा है, जबकि आगरा में, डीपीआर की तैयारी और सर्वेक्षणों ने नौवहन को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण सीवेज प्रबंधन आवश्यकताओं को उजागर किया है।

दिल्ली में स्थित इस जलखंड में चालू जेट्टी विद्यमान हैं और तटवर्ती सुविधाओं के पूरा होने के साथ ही क्रूज सेवाएं भी शुरू होने वाली हैं। प्रयागराज में संगम पर दो जेट्टी स्थापित की जा चुकी हैं और पर्यटन गतिविधियों के लिए अन्य स्थानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। घाघरा के निकटवर्ती इलाकों (रा.ज.-40) में संपूरक विकास - जिसमें गाद निकालना, जेटी की संस्थापना और एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरान की तैनाती शामिल है - ने नदी आधारित संपर्कता और पर्यटन को और अधिक सुदृढ़ किया है। ये सभी पहलें मिलकर यमुना कॉरिडोर के साथ एक कार्यात्मक, पर्यटन-अनुकूल और सतत् प्राकृतिक आईडब्ल्यूटी पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख रही हैं।

iii. **झेलम नदी पर क्रूज यात्रा**

झेलम नदी के 76 किलोमीटर लंबे पंथा चौक-वुलर झील खंड पर नदी आधारित यात्री और क्रूज परिवहन का विकास लगातार प्रगति पर है, जिसमें तटवर्ती सुविधाओं के साथ-साथ सात तैरते हुए जेट्टी विकसित किए जा रहे हैं। दिसंबर, 2025 तक नौचालन सहायक उपकरण भी लगभग पूरे हो चुके हैं, और फेयरवे का रखरखाव आईडब्ल्यूएआई और जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा विभागीय ड्रेजरों का उपयोग करके संयुक्त रूप से किया जा रहा है। शहरी जल परिवहन और क्रूज प्रचालन के प्रबंधन के लिए आईडब्ल्यूएआई और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच एक एसपीवी का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा क्रूज नाव संचालक की नियुक्ति पर कार्रवाई की जा रही है। सेवा की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए, दस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाओं की खरीद का भी प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर, इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप कश्मीर घाटी में एक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल नदी-क्रूज प्रणाली की स्थापना संभव हो पा रही है।

iv. **क्यूपीओएम**

जलयानों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, नवीन क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (क्यूपीओएम) को लागू किया गया है, जिससे देरी समाप्त हो गई है और व्यापार दक्षता में सुधार हुआ है। क्यूपीओएम जलयानों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करते हैं और प्रतीक्षा समय को काफी कम करते हैं, जो पहले 1-2 दिन था, अब घटकर 10 मिनट से भी कम हो गया है। क्यूपीओएम आवश्यकता पड़ने पर यात्री आरओ-आरओ फेरी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। दो क्यूपीओएम चालू हो चुके हैं, एक मझुआ, बिहार में और दूसरा नौरंगा, उत्तर प्रदेश में; दोनों रा.ज.-1 मार्ग पर स्थित हैं। इन क्यूपीओएम की सफलता को देखते हुए, इन्हें उत्तर प्रदेश में 4 और बिहार में 4 सहित सभी राष्ट्रीय जलमार्गों तक विस्तारित किया जा रहा है।

क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म

v. **राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौचालन संस्थान (एनआईएनआई)**

अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकसित करने हेतु राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौचालन संस्थान (एनआईएनआई) की स्थापना की गई है। यह संस्थान अंतर्देशीय जलयानों के प्रचालन और मैनिंग के लिए कार्मिकों को प्रवेश, उन्नयन और व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है, साथ ही जलमार्गों के विकास और जलयानों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आईडब्ल्यूएआई कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है।

vi. **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन**

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जनता को परिवहन का एक पर्यावरण-अनुकूल साधन उपलब्ध कराने की एक पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली सीएसएल) द्वारा जलयानों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में, 4 जलयानों को वाराणसी, अयोध्या, पटना और कोलकाता में तैनात किया गया

हैं (जिनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18 जनवरी 2026 को किया गया था)। भारत के विभिन्न स्थानों पर 4 और जलयानों की तैनाती निर्धारित है। इन जलयानों का प्रचालन भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी इनलैंड कोस्टल एंड शिपिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

vii. **नेमाटी घाट और बिश्वानाथ घाट**

मंत्रालय ने असम में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर स्थित बिश्वनाथ घाट पर एक पर्यटक टर्मिनल और नेमाटी में एक संयुक्त पर्यटक-सह-मालवाहक टर्मिनल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें अनुमानित 158 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

viii. **सामुदायिक जेट्टी**

तटीय समुदायों के लिए मछली उतारने के प्लेटफार्मों के रूप में जेट्टियां उपयोगी होती हैं। जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए रा.ज.-1 पर 60 नई सामुदायिक जेटी के निर्माण का कार्य शुरू किया है। नदी और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय इन जेट्टियों का उपयोग अपने माल के परिवहन, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने, आजीविका सहायता, पर्यटन, नौका संचालन आदि के लिए करते हैं। रा.ज.-1 पर कुल 58 सामुदायिक जेट्टियों पहले ही चालू हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में विभिन्न स्थानों पर जल्द ही 33 और जेट्टियों चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

ix. **रेनस लॉजिस्टिक्स के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन**

रेनस लॉजिस्टिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत रा.ज.-1, 2, 16 और आईबीपी मार्गों पर चरणबद्ध तरीके से 100 मालवाहक जलयानों/ पुशर टग तैनात किए जाएंगे। पहले चरण में 20 बजरा और 6 पुशर टग तैनात किए जाने का प्रस्ताव है।

रेनस लॉजिस्टिक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

x. **नदी क्रूज का विकास**

एक प्रसिद्ध लक्जरी क्रूज संचालक, वाइकिंग क्रूज़, ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी क्रूज़ सेवाएं शुरू करने जा रहा है, जो भारत में नदी पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान साबित होगा।

रॉयल कैरिबियन क्रूज ने भारत में नदी क्रूजिंग के लिए 2 लग्जरी जलयान शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय जलमार्गों पर विश्व स्तरीय क्रूजिंग अनुभव प्रदान करना है।

xi. **वाराणसी में वाराणसी फ्रेट विलेज (एफवी)**

वाराणसी में 70 एकड़ भूमि पर एक फ्रेट विलेज विकसित किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में कार्य

वाराणसी में फ्रेट विलेज का स्थान

एनएचएलएमएल और आईडब्ल्यूएआई ने वाराणसी में अत्याधुनिक एमएमएलपी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सहायक कंपनी, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) को इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए एफवी के विकास का जिम्मा सौंपा गया है। इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया है। इस पहल से वाराणसी क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय कमी आने और बहुआयामी एकीकरण में सुधार होने की उम्मीद है।

जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी)

7.10 जेएमवीपी को 3 जनवरी, 2018 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था। आरंभ में इस परियोजना की अनुमानित लागत 5,061 करोड़ रुपये थी, जिसे 13 नवंबर, 2025 को विश्व बैंक की पर्याप्त वित्तीय सहायता से संशोधित करके 4,600.58 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण निवेश व्यापार, संपर्कता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले आधुनिक, टिकाऊ और कुशल जलमार्ग नेटवर्क के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जेएमवीपी परियोजना में आईडब्ल्यूटी अवसंरचना व संपर्कता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) मल्टी-मोडल टर्मिनलों (एमएमटी), इंटरमोडल टर्मिनलों (आईएमटी), सामुदायिक जेट्टी, नौचालन लॉक और जलमार्ग विकास करने पर फोकस किया गया है। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर करता है।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक अवसंरचना विकसित की गई है। कालूघाट में एक इंटरमोडल टर्मिनल (आईएमटी) के साथ-साथ वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी-मोडल टर्मिनल (एमएमटी) स्थापित किए गए हैं। जलयानों की सुगम आवाजाही के लिए फरक्का में एक नया नौचालन लॉक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, 58 सामुदायिक जेट्टी चालू की गई हैं, जिससे संपर्कता में सुधार हुआ है और स्थानीय व्यापार एवं यात्री आवागमन को बढ़ावा मिला है।

वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल

7.11 मजबूत बहुविध संपर्कता सुनिश्चित करते हुए टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इसकी वार्षिक संचालन क्षमता 1.26 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। सड़क मार्ग से यह कार्यनीतिक रूप से रा.रा.-7 से जुड़ा हुआ है, जबकि आईपीआरसीएल द्वारा रेल संपर्कता को सुगम बनाया जा रहा है। यह टर्मिनल कंटेनर, निर्माण सामग्री, अनाज, खाद्य तेल, उर्वरक और थोक माल सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह माल ढुलाई दक्षता बढ़ाने और क्षेत्रीय व्यापार को सहायता देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है।

साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल

7.12 मजबूत बहुविध संपर्कता प्रदान करते हुए टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसकी वार्षिक संचालन क्षमता 3.03 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। सड़क मार्ग से यह रा.रा.-80 से जुड़ा हुआ है, जबकि आईपीआरसीएल द्वारा रेल संपर्कता विकसित की जा रही है। यह टर्मिनल बल्क कार्गो, कोयला और स्टोन चिप्स जैसी प्रमुख वस्तुओं को संभालने के लिए बनाया गया है, और परिचालन गतिविधि पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसमें 26 अक्टूबर 2025 को मल्टीमॉडल टर्मिनल (एमएमटी) से 1,040 मीट्रिक टन स्टोन चिप्स लोड किए गए थे, जो कार्गो आवागमन दक्षता में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान है।

एमएमटी वाराणसी

एमएमटी साहिबगंज

हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल

7.13 टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसकी संचालन क्षमता 3.08 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। यह कार्यनीतिक रूप से रा.रा.-41 से सड़क संपर्क के लिए जुड़ा हुआ है, और आईपीआरसीएल द्वारा रेल संपर्क की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह टर्मिनल कंटेनर, फ्लाई ऐश, उर्वरक और खाद्य तेल जैसी प्रमुख वस्तुओं का प्रबंधन करता है, जिससे विविध व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी होती है। अक्टूबर, 2025 में इस टर्मिनल को पीपीपी प्रचालक को सौंप दिया गया, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीपीपी के तहत प्रचालन गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जो माल ढुलाई दक्षता में टर्मिनल की बढ़ती भूमिका को दर्शाती हैं।

एमएमटी हल्दिया

कालूघाट में इंटर-मॉडल टर्मिनल (आईएमटी)

7.14 टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसकी संचालन क्षमता 77,000 टीईयू है, जिससे यह कंटेनरीकृत कार्गो परिवहन का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। यह कुशल सड़क संपर्क के लिए रा.रा.-27 से भलीभांति जुड़ा हुआ है और अक्टूबर, 2025 में इसे एक पीपीपी संचालक को सौंप दिया गया है, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान है। यह टर्मिनल मुख्य रूप से कंटेनरीकृत कार्गो को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और कार्गो आवागमन के लिए प्रचालन योजना वर्तमान में चल रही है, जो इसे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

आईएमटी कालूघाट

फरक्का में नौचालन लॉक

7.15 फरक्का में एक नए नौचालन लॉक का निर्माण किया जा रहा है, और फरक्का में मौजूदा लॉक का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यह और इसी तरह के अन्य लॉक, यात्रा के समय को कम करके जलयानों की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवाजाही को सुगम बनाते हैं। इन विकास कार्यों का उद्देश्य स्थल पर नौचालन दक्षता और अवसंरचना को बढ़ाना है।

नया नौचालन लॉक गेट, फरक्का, पश्चिम बंगाल

फेयरवे का विकास/रखरखाव

7.16 जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) पर सुगम नौचालन सुनिश्चित करने के लिए जलमार्ग विकास में पर्याप्त प्रगति हुई है। जलमार्ग को हल्दिया से वाराणसी तक 1,390 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 11 खंडों में विभाजित किया गया है, ताकि जलयानों की निर्बाध आवाजाही को सक्षम बनाने के लिए एक समर्पित जलमार्ग कॉरिडोर

बनाया जा सके। वर्तमान में, टीएसएससी द्वारा तृतीय पक्ष की देखरेख में, ग़ाज़ीपुर-वाराणसी, मझुआ-गाजीपुर, दीघा-मझुआ, बार्ह-दीघा, महेंद्रपुर-बार्ह, सुल्तानगंज-महेंद्रपुर, फरक्का-कल्हगांव, कटवा-फरक्का, त्रिवेणी-कटवा और कालूघाट एक्सेस चैनल सहित सभी प्रमुख हिस्सों में फेयरवे विकास कार्य चल रहा है। हल्दिया एक्सेस चैनल का कार्य एसएमपीके को दिया गया है, और ड्रेजिंग की निगरानी एनटीसीपीडब्ल्यूसी द्वारा की जाएगी। इन प्रयासों का उद्देश्य आवश्यक न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) को बनाए रखना और मालवाहक जलयानों के लिए निर्बाध नौचालन सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आरसीओई) का विकास

7.17 भारतीय आईडब्ल्यूटी क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए डिब्रूगढ़, असम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश और बिहार के पटना में कई क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव है।

क्रूज टर्मिनलों का विकास

7.18 वाराणसी के अस्सी घाट और पटना के कंगन घाट और दीघा घाट पर क्रूज टर्मिनल के विकास की योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों के आवश्यक सहयोग से प्रगति पर है। इस पहल से देश में नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7.19 क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड (आरडब्ल्यूजी) परियोजना का उद्देश्य भारत और पड़ोसी देशों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जलमार्ग आधारित मल्टी-मॉडल संपर्क विकसित करना है। इसका लक्ष्य आईबीपी मार्ग के माध्यम से वाराणसी से डिब्रूगढ़/करीमगंज/बदरपुर तक जलयानों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है, जिससे 4,067 किलोमीटर का एक आर्थिक कॉरिडोर बनेगा। प्रारंभिक परियोजना तैयारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2033 तक आईडब्ल्यूटी के लिए कुल परिवर्तनीय कार्गो क्षमता 32.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के संबंध में, 1972 से लागू अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल (पीआईडब्ल्यूटी एंड टी), भारत और बांग्लादेश से होते हुए 2,704 किमी की दूरी को कवर करते हुए, दोनों ओर से 10 प्रोटोकॉल मार्गों और 13 पोर्ट ऑफ कॉल को शासित करता है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अनुरूप यह प्रोटोकॉल स्वत: पांच साल के लिए नवीनीकृत हो जाता है। भारत 80% वित्तपोषण के साथ बांग्लादेश में सिराजगंज-दैखोवा और आशुगंज-जाकीगंज मार्गों पर जलमार्ग विकास के लिए सहायता जारी रखे हुए है, हालांकि विदेश मंत्रालय ने 31 मई 2025 से आईबीपी मार्गों पर ड्रेजिंग बंद करने का निर्देश दिया है। दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार मैया-अरिचा मार्ग पर परीक्षण रन पूरा हो चुका है, और बांग्लादेश की सहमति मिलने पर नियमित प्रचालन शुरू हो जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जलमार्गों का विकास

7.20 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को 1665 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) सहित 20 राष्ट्रीय जलमार्ग शामिल हैं, जो बांग्लादेश सीमा से सादिया तक 891 किमी तक फैला हुआ है। अवसंरचना विकास में धुबरी, जोगीघोपा, पांडू और बोगीबील में 4 स्थायी टर्मिनल हैं और साथ ही कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए 13 फ्लोटिंग टर्मिनल भी शामिल हैं। पांडू (गुवाहाटी) में एक पोत मरम्मत सुविधा का निर्माण कार्य चल रहा है और पांडू तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक सड़क भी बनाई जा रही है। पांडू और धुबरी टर्मिनलों के संचालन और रखरखाव का कार्य एक निजी

पांडू, गुवाहाटी (राष्ट्रीय जलमार्ग-2) में पोत मरम्मत सुविधा केंद्र में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ऑपरेटर को आउटसोर्स कर दिया गया है। बी'बॉर्डर-जोगीघोपा (108 किमी) और जोगीघोपा-पांडू (147 किमी) खंडों में डीसीआई ड्रेजिंग के माध्यम से 2.5 मीटर की निश्चित गहराई सुनिश्चित करने के लिए फेयरवे विकास कार्य प्रगति पर है, जिसकी निगरानी एनटीसीपीडब्ल्यूसी द्वारा एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी के रूप में की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पांडू से डिब्रूगढ़ (513 किमी) तक न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) को सात विभागीय ड्रेजरों का उपयोग करके बनाए रखा जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में निर्बाध नौचालन और बेहतर संपर्कता सुनिश्चित हो रहा है।

केरल राष्ट्रीय जलमार्ग

7.21 केरल राज्य में 5 घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग अर्थात् राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (पश्चिमी तट नहर (कोट्टापुरम - कोल्लम), चंपकारा और उद्योगमंडल नहरें), राष्ट्रीय जलमार्ग-8 (अलाप्पुझा-चंगनास्सेरी नहर), राष्ट्रीय जलमार्ग-9 (अलाप्पुझा- कोट्टायम- अथिरामपुझा नहर), राष्ट्रीय जलमार्ग-59 (कोट्टायम-वैकोम नहर) और राष्ट्रीय जलमार्ग-13 (एवीएम नहर) हैं। इनमें से वर्तमान में 3 राष्ट्रीय जलमार्ग जिनके नाम हैं राष्ट्रीय जलमार्ग-3, राष्ट्रीय जलमार्ग-8 और राष्ट्रीय जलमार्ग-9 चालू हैं। इन पर 9 स्थायी टर्मिनल और 2 रो-रो टर्मिनल चालू हैं। इसके परिणामत:, त्रिकुन्नपुझा और कोविलथोट्टम फुट ओवरब्रिज पर लॉक गेट के काम भी चल रहे हैं।

तमिलनाडु राष्ट्रीय जलमार्ग

7.22 तमिलनाडु में कुल 10 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें से वर्तमान में कोई भी चालू नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग-107 (वैगई नदी) को धार्मिक क्रूज पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है, जो पूवर झील को मीनाक्षी अम्मन मंदिर के पास समुद्र संगम से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त, बकिंघम नहर, जो राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (काकीनाडा नहर) का हिस्सा है, को महाबलीपुरम से एडियूर ब्रिज तक, मरीना बीच के पास कूउम नदी के हिस्से और पुलिकट झील सहित कई खंडों के साथ क्रूज और कार्गो संचालन के लिए प्रस्तावित किया गया है। एन्नोर पत्तन से ईटीपीएस तक माल ढुलाई की भी योजना है, जिससे संपर्कता बढ़ेगी और क्षेत्रीय व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय जलमार्ग

7.23 आंध्र प्रदेश में तीन राष्ट्रीय जलमार्ग-हैं, जिनमें से केवल राष्ट्रीय जलमार्ग--4 (काकीनाडा नहर) ही चालू है। यह नहर काकीनाडा नहर, एलुरु नहर, कोम्मामुरु नहर और बकिंघम नहर और कृष्णा और गोदावरी नदियों के कुछ हिस्सों से भी होकर कोरोमंडल तट के समानांतर चलती है। इसे प्रारंभ में 24 नवंबर 2008 को 1078 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था।

महाराष्ट्र राष्ट्रीय जलमार्ग

7.24 महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत घोषित 15 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें से 8 राष्ट्रीय जलमार्ग परिचालन में हैं, जिनके नाम हैं: राष्ट्रीय जलमार्ग 4 (काकीनाडा नहर), राष्ट्रीय जलमार्ग 10 (अंबा नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग 53 (कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी प्रणाली), राष्ट्रीय जलमार्ग 73 (नर्मदा नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग 83 (राजपुरी क्रीक), राष्ट्रीय जलमार्ग 85 (रेवादांडा क्रीक - कुंडलिका नदी प्रणाली), राष्ट्रीय जलमार्ग 91 (शास्त्री नदी - जयगढ़ क्रीक प्रणाली), राष्ट्रीय जलमार्ग 100 (तापी नदी)। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय जलमार्ग में परिवहन किए जाने वाले मुख्य उत्पाद लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और डोलोमाइट हैं। आईडब्ल्यूएआई ने शेष राष्ट्रीय जलमार्ग को परिचालन में लाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है।

ओडिशा जलमार्ग

7.25 ओडिशा में वर्तमान में 6 घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें से 3, अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (ब्राह्मणी-खरसुआ-धमरा नदियाँ, महानदी डेल्टा नदियाँ), राष्ट्रीय जलमार्ग-14 (बैतरणी नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग-64 (महानदी नदी) चालू हैं, जबकि शेष तीन, अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग-22 (बिरूपा-बड़ी गेंगुटी-ब्राह्मणी नदी प्रणाली), राष्ट्रीय जलमार्ग-23 (बुद्ध बलंगा) और राष्ट्रीय जलमार्ग-96 (सुवर्णरेखा नदी) को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

गुजरात और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय जलमार्ग

7.26 इस क्षेत्र में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें से 3, अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग-48 (जवाई नदी-लूणी नदी-कच्छ का रण), राष्ट्रीय जलमार्ग-100 (तापी नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग-73 (नर्मदा नदी) प्रचालित हैं। शेष दो अर्थात् राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग-66 (माही नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग-87 (साबरमती नदी), को जल्द ही चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

कर्नाटक राष्ट्रीय जलमार्ग

7.27 कर्नाटक में 12 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें से केवल राष्ट्रीय जलमार्ग-52 (काली नदी) ही चालू है। इसके अलावा, दो अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों, अर्थात् राष्ट्रीय जलमार्ग-51 (काबिनी नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग-90 (शरावती नदी), राज्य सरकार के परामर्श से चालू किए जा रहे हैं।

गोवा राष्ट्रीय जलमार्ग

7.28 गोवा में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें से 3, अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग-27 (कंबरजुआ नहर), राष्ट्रीय जलमार्ग-68 (मोंडोवी नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग-111 (जुआरी नदी) चालू हैं। शेष 3 जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग-25 (चपोरा नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग-71 (मापुसा-मोइड नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग-88 (साल नदी) को अगले चरण में चालू करने का प्रस्ताव है।

जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय जलमार्ग

7.29 जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय जलमार्ग-49 (झेलम नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग-26 (चिनाब नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग-84 (रावी नदी) पर आईडब्ल्यूटी का विकास प्रगति पर है, जिसमें क्रूज पर्यटन, शहरी जल परिवहन और नौचालन अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर फोकस किया जा रहा है। भविष्य में राष्ट्रीय जलमार्ग-46 (सिंधु नदी) पर भी विकास कार्य करने का प्रस्ताव है।

आईडब्ल्यूएआई ने क्रूज पर्यटन विकसित करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय जलमार्ग

7.30 राष्ट्रीय जलमार्ग 4 (काकीनाडा नहर) की एक घटक, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 के भद्रकाली-तरलागुडा खंड को नदी क्रूज सेवाओं के प्रस्तावित संचालन के लिए चिह्नित किया गया है।

तेलंगाना राष्ट्रीय जलमार्ग

7.31 क्षेत्र में विकास के लिए कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) है, अर्थात् राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (काकीनाडा नहर), राष्ट्रीय जलमार्ग-21 (भीमा नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग-70 (मंजरा नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग-78 (पेंगानागा - वर्धा नदी प्रणाली), राष्ट्रीय जलमार्ग-104 (तुंगभद्रा नदी), और राष्ट्रीय जलमार्ग-109 (वेनगंगा - प्राणहित नदी प्रणाली) की पहचान की गई। कृष्णा नदी के किनारे क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन नोंडा और श्रीशैलम बांध के अपस्ट्रीम में तैरते हुए घाटों की योजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, श्रीराम सागर (तेलंगाना), श्रीपदा येलमपल्ली और कालेश्वरम में गोदावरी नदी के किनारे फ्लोटिंग जेटी प्रस्तावित हैं।

हिमाचल प्रदेश और पंजाब राष्ट्रीय जलमार्ग

7.32 इस क्षेत्र में विकास के लिए तीन राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग-84 (रावी नदी), रणजीत सागर बांध से लेकर गांधीआर स्थित चमेरा बांध तक, को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और यह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों से होकर गुजरती है। इस मार्ग पर नदी में क्रूज पर्यटन का प्रस्ताव है। पंजाब के चार गुरुद्वारों को जोड़ते हुए धार्मिक परिपथ के विकास के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 17 (ब्यास नदी) का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय जलमार्ग-98 (सतलुज नदी) को दो प्रमुख सर्किट हिमाचल प्रदेश में तातापानी से नैना देवी मंदिर तक और आनंदपुर साहिब से किरतपुर साहिब तक के विकास के लिए प्रस्तावित किया गया है।

राजस्थान राष्ट्रीय जलमार्ग

7.33 राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य में तीन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय जलमार्ग-45 (इंदिरा गांधी नहर), राष्ट्रीय जलमार्ग-48 (जवाई नदी-लूणी नदी-कच्छ का रण) और राष्ट्रीय जलमार्ग-63 (लूणी नदी) शामिल हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग-48 को लगभग 14,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चालू करने का प्रस्ताव है।

परिवहन अनुसंधान स्कंध एवं विकास स्कंध

8.1 परिवहन अनुसंधान स्कंध (टीआरडब्ल्यू) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को योजना और नीति निर्माण के लिए आंकड़े, विश्लेषणात्मक और अनुसंधान सहायता प्रदान करता है। टीआरडब्ल्यू राष्ट्रीय स्तर पर पत्तनों, पोत परिवहन, पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) पर आंकड़े एकत्र करने, संकलन और प्रसार के लिए नोडल स्कंध है। यह महापत्तनों, गैर-महापत्तनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, राज्य समुद्री बोर्डों और पत्तन निदेशालयों (राज्य सरकारों) आदि से आंकड़े एकत्र करता है। यह संगतता और तुलनीयता के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की जांच और पुष्टि करता है और मंत्रालय के लिए आंकड़े संग्राहक के रूप में काम करता है। यह मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों को आवश्यकतानुसार और अन्य एजेंसियों/कार्यालयों को आवश्यकता या अन्यथा एक मानक प्रक्रिया के रूप में आंकड़े प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त टीआरडब्ल्यू, मंत्रालय की पत्तन, पोत परिवहन एवं आईडब्ल्यूटी क्षेत्र से संबंधित नीति के निर्माण/ संशोधन प्रक्रिया से भी जुड़ा है।

8.2 टीआरडब्ल्यू वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) जैसी भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों/कार्यालयों/ मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अन्य एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है।

8.3 टीआरडब्ल्यू निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्षिक, अर्धवार्षिक और मासिक प्रकाशन निकालता है और कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए गए हैं: -

- भारत के बुनियादी पत्तन सांख्यिकी 2023-24

- भारतीय नौवहन सांख्यिकी 2024
- भारत के पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग सांख्यिकी 2023-24
- अंतर्देशीय जल परिवहन सांख्यिकी 2023-24
- 30 सितंबर 2024 और 31 मार्च 2025 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारतीय पत्तन क्षेत्र पर अर्ध-वार्षिक अपडेट
- महापत्तनों पर हैंडल किए गए मासिक कार्गो यातायात
- गैर-महापत्तनों पर हैंडल किए गए मासिक कार्गो यातायात
- राज्य समुद्री बोर्डों द्वारा हैंडल किए गए मासिक कार्गो यातायात

8.4 आंकड़े और प्रकाशन इस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.shipmin.gov.in पर 'परिवहन अनुसंधान स्कंध' के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

8.5 इसके अलावा, टीआरडब्ल्यू मंत्रालय के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्रक अवसंरचना परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है और सूचना को आईआईजी-पीएमजी-ओसीएमएस/आईपीएम पोर्टल पर अद्यतन करता है। इसके अतिरिक्त, टीआरडब्ल्यू पत्तन क्षेत्र के लिए सेवा मूल्य सूचकांक भी संकलित करता है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को लाइनर शिपिंग कनेक्टिविटी सूचकांक जैसे वैश्विक सूचकांकों के संकलन के लिए आंकड़े प्रदान करता है।

8.6 उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभास/नाविक प्रकोष्ठ #18 "डाटा एनालिटिक्स और सांख्यिकी, ज्ञान भंडार" के लिए कार्य-योजना के तहत एनआईसी द्वारा विकसित सागरज्ञानकोश (एसजीके) और सागरविद्याकोश (एसवीके) प्लेटफार्म विकसित किया गया है जिसका उद्घाटन माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा 27 सितंबर 2025 को किया गया।

विकास स्कंध

8.7 विकास स्कंध मंत्रालय का शीर्ष तकनीकी संगठन है, जिसके अध्यक्ष विकास सलाहकार (पत्तन) है। यह स्कंध पत्तन विकास विषय से संबंधित है और महापत्तनों, अंडमान और लक्षद्वीप हार्बर संकर्म (एएलएचडब्ल्यू), ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) आदि की विशिष्ट परियोजनाओं पर तकनीकी सलाह देता है। यह स्कंध गैर-महापत्तनों के संबंध में अनुरोध करने पर फिशिंग हार्बर और समुद्री राज्य सरकारों के मामले में अन्य मंत्रालयों को तकनीकी सलाह भी देता है। आवश्यकता पड़ने पर पत्तनों और संविदा फर्मों के बीच तकनीकी-वाणिज्यिक विवाद पर सलाह देता है। यह स्कंध पत्तन और हार्बर इंजीनियरिंग और उपकरणों और फ्लोटिंग क्राफ्ट पर भारतीय मानकों के निर्माण/उन्नयन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से जुड़ा हुआ है।

8.8 विकास स्कंध, भारतीय राष्ट्रीय खंड– नौचालन कांग्रेस हेतु स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएनए- पीआईएएनसी) से संबंधित मामलों के प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार पीआईएएनसी का सदस्य देश है। विकास स्कंध महापत्तनों पर "राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना" के कार्यान्वयन के लिए भारतीय तटरक्षक बल की सहायता कर रहा है। यह स्कंध मंत्रालय के पत्तन क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान समिति के कार्यों का समन्वय भी करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, सागरमंथन, 2025 कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए

प्रस्तावना

9.1 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को भारत में समग्र रूप से पोत परिवहन उद्योग से संबंधित नीतिगत ढांचा तैयार करने और नीति के अनुरूप कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित वितरण तंत्र के माध्यम से कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पोत परिवहन, एक वैश्विक उद्योग होने के नाते, भारतीय समुद्री हितों की रक्षा और प्रचार के लिए विश्व समुदाय के साथ सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है।

9.2 यह अधिदेश पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग से संबंधित विभिन्न पहलुओं में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग समुद्री क्षेत्र में देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों/एमओयू आदि, अन्य देशों के साथ सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) की पारस्परिक और एकतरफा मान्यता, बिम्सटेक, आसियान, एससीओ, ब्रिक्स, आईपीईएफ, सीएलडीपी, आईपीओआई, आईओआरए आदि सहित विभिन्न क्षेत्रीय समूहों और बहुपक्षीय मंचों के साथ जुड़ाव, उत्तरी सागर मार्ग, पूर्वी समुद्री कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय फेरी सेवाओं का समन्वय कार्य, संयुक्त कार्य समूह बैठकें, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ चर्चा, आधिकारिक विदेशी यात्राएं, सागरमंथन: महान महासागर सम्मेलन, क्षमता-निर्माण कार्यशालाएं आदि सहित व्यापक गतिविधियों को संभालने के लिए जिम्मेदार है।

बहुपक्षीय संगठनों के साथ सहयोग

9.3 भारत 1959 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) का सदस्य बन गया, जो पोत परिवहन की सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय निष्पादन के लिए वैश्विक मानक निर्धारण प्राधिकरण है तथा यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मानक निष्पक्ष और प्रभावी हों तथा सर्वत्र अपनाए और कार्यान्वित किए जाएं। भारत आईएमओ में सक्रिय भागीदार रहा है। वास्तव में, आईएमओ के कामकाज में भारत की

भागीदारी से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय के समक्ष अपनी विकास संबंधी सरोकारों को व्यक्त करने में मदद मिली है। भारत आईएमओ परिषद की स्थापना के केवल दो वर्ष (1983-1984) के बाद से ही इस का सदस्य रहा है।

9.4 भारत को श्रेणी 'बी' के तहत द्विवार्षिक 2026-27 के लिए पुन: आईएमओ परिषद का सदस्य चुना गया है, जो 28 नवंबर, 2025 को आईएमओ मुख्यालय, लंदन में आईएमओ की सभा के 34वें नियमित सत्र के दौरान आयोजित आईएमओ परिषद चुनाव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि रखने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता है और इस श्रेणी में उसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए।

9.5 आईएमओ सम्मेलनों प्रोटोकॉल, परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों के रूप में विभिन्न संधियों को अपनाता और क्रियान्वित करता है। समय-समय पर, हमारे राष्ट्रीय हितों और आईएमओ द्वारा अपनी संधियों के माध्यम से विकसित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए, भारत आईएमओ द्वारा अपनाई गई संधियों का पक्षकार बनता रहा है। आज तक, आईएमओ ने 59 संधियों को अपनाया है, जिनमें देश पक्षकार बन सकते हैं। इन 59 संधियों में से भारत 35 संधियों (सम्मेलन/प्रोटोकॉल) का पक्षकार है, जिन्हें भारतीय घरेलू कानून अर्थात् वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 और नियम आदि में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के दो कन्वेंशनों का भी पक्षकार है।

9.6 भारत ने ऐतिहासिक पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 पारित कर दिया है। नया अधिनियम हांगकांग कन्वेंशन के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक विधायी ढांचा प्रदान करता है। इसमें कन्वेंशन के ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जो शिप ब्रेकिंग कोड (संशोधित), 2013 में शामिल नहीं हैं। इस अधिनियम के अधिनियमन से जून 2025 के बाद, जब कन्वेंशन और अधिनियम लागू हो जाएंगे, पोतों के पुनर्चक्रण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है । इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया है। नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।

9.7 भारत ने नवंबर, 2019 में पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही पुनर्चक्रण के लिए आईएमओ के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन को भी स्वीकार कर लिया है। आईएमओ के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन के परिग्रहण से भारत में घरेलू पोत पुनर्चक्रण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जो दुनिया के पांच प्रमुख पोत पुनर्चक्रण देशों में से एक है।

9.8 भारत नाविकों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के दो महत्वपूर्ण कन्वेंशनों का भी पक्षकार है, अर्थात् समुद्री श्रम कन्वेंशन और नाविक पहचान दस्तावेज़ कन्वेंशन । भारत शिपिंग उद्योग में कुल कार्यबल का लगभग 12 प्रतिशत योगदान देता है। फिलीपींस के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में नाविक रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने समुद्री उद्योग के लिए भी मानक अनिवार्य कर दिए हैं। समुद्री श्रम कन्वेंशन एक एकल, सुसंगत तंत्र है जो 1920 से अपनाए गए 37 अलग-अलग आईएलओ समुद्री श्रम कन्वेंशन को प्रतिस्थापित और समेकित करता है।

9.9 आईएमओ के अलावा, भारत अन्य बहुपक्षीय संगठनों/समझौतों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जैसे कि आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ); बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक); भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए); क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम-एसोसिएशन (आईओआरए); अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरीडोर (आईएनएसटीसी), हिंद प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरीडोर (आईएमईसी) आदि।

मैरीटाइम पर द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग समझौते/समझौता ज्ञापन

9.10 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय समुद्री क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए समझौतों या समझौता ज्ञापनों आदि के माध्यम से निम्नलिखित 37 देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग तंत्रों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं: -

अफ़ग़ानिस्तान	मिस्र	नीदरलैंड्स	श्रीलंका
ऑस्ट्रिया	फ़िनलैंड	ओमान	थाईलैंड
बांग्लादेश	जर्मनी	पाकिस्तान	तुर्की
बेल्जियम	ईरान	पोलैंड	संयुक्त अरब अमीरात
भूटान	जॉर्डन	पुर्तगाल	यूक्रेन
ब्राज़ील	मालदीव	कोरिया गणराज्य	संयुक्त राज्य अमेरिका
बुल्गारिया	माल्टा	रूस	वियतनाम
चीन	मोरक्को	सिंगापुर	
साइप्रस	म्यांमार	दक्षिण अफ्रीका	
डेनमार्क	नेपाल	स्पेन	

नाविकों के प्रमाणपत्रों की मान्यता पर पारस्परिक और एकपक्षीय समझौते

9.11 भारत ने फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, नॉर्वे और दक्षिण कोरिया के साथ नाविकों के सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भारत ने 34 देशों के साथ एकपक्षीय मान्यता के लिए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। चूंकि यह एक बड़ी जनसंख्या/नाविकों वाला श्रमशक्ति की आपूर्ति करनेवाला राष्ट्र है, इसलिए इस प्रकार के एकपक्षीय समझौते भारतीय नाविकों के रोजगार को बढ़ाने के लिए लाभदायक हैं। निम्नलिखित 34 देश भारतीय प्रमाणपत्र को मान्यता देते हैं:-

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
1	एंटीगुआ	18	जमैका
2	ऑस्ट्रेलिया	19	जापान
3	बांग्लादेश	20	कुवैत
4	बारबाडोस	21	लातविया
5	बेलीज़	22	लाइबेरिया
6	बहामास	23	लक्जमबर्ग
7	कुक आइलैंड	24	मलेशिया
8	साइप्रस	25	माल्टा
9	डेनमार्क	26	मार्शल द्वीप
10	डोमिनिका	27	मॉरीशस
11	फ्रांस	28	नीदरलैंड
12	घाना	29	पनामा
13	जॉर्जिया	30	कतर
14	हेलेनिक गणराज्य	31	सिंगापुर
15	हांगकांग	32	वानुअतु
16	आयरलैंड	33	वियतनाम
17	आइल ऑफ मैन	34	विंसेंट

सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग

9.12 एमओपीएसडब्ल्यू ने ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के सहयोग से, 27-29 अक्टूबर 2025 को मुंबई, भारत में सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग का दूसरा संस्करण आयोजित किया। यह आयोजन ब्लू इकॉनमी, समुद्री लॉजिस्टिक्स, पत्तनों, शिपिंग, जलमार्ग क्षेत्र और वैश्विक महासागर अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के लीडर्स, विद्वानों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों, मीडिया और बहुपक्षीय संगठनों सहित विभिन्न भौगोलिकों और क्षेत्रों से प्रासंगिक वैश्विक हितधारकों को एक साथ लाया गया है। चर्चाओं और विचार-विमर्श के माध्यम से, सागरमंथन विचारों, गहन जानकारी और ऐसे मार्गों का आदान-प्रदान आगे बढ़ता है, जिससे वैश्विक समुद्री नीतिगत संवाद के बारे में जानकारी मिलती है और अधिक लचीला, समावेशी और सतत मैरीटाइम भविष्य के लिए सार्थक साझेदारियों को बढ़ावा मिलता है।

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, सागरमंथन कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ।

9.13 **सागरमंथन:** द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2025 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्विवार्षिक इंडिया मैरीटाइम वीक (आईएमडब्ल्यू) के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जो 27 से 31 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किया गया। ढाई दिन से अधिक समय तक, सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2025 में 65 देशों के 2,000 से अधिक प्रतिभागी एकत्र हुए, जिसमें 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल थे। 2025 संस्करण निम्न पांच विषयगत स्तंभों पर केंद्रित था:

- कनेक्टिविटी पर पुनर्विचार: नई सामग्री, नए बाजार और नई राजनीति
- उदार बेड़े: महासागर का गठबंधन
- ब्लू सिटीज पैराडाइम: वित्त, सेवाएं और मानव प्रतिभा
- ब्लू पिरामिड को समतल करना: तटीय समुदायों का मूल्यांकन
- टेक फ्रंटियर्स: ग्रह, निष्पादन और लाभ

बिम्सटेक पत्तन सम्मेलन

9.14 एमओपीएस एंड डब्ल्यू द्वारा विदेश मंत्रालय और बिम्सटेक सचिवालय के समन्वय से जुलाई 2025 को विशाखापट्टणम में दूसरा बिम्सटेक पत्तन सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सामंजस्य, व्यापार सुविधा के लिए डिजिटल मंचों, क्रूज पर्यटन के अवसरों और कार्मिकों के कौशल उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने के लिए बिम्सटेक सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग लीडर्स एकजुट हुए। इस सम्मेलन में भावी कार्य बिंदु तैयार किए गए, जिनमें बिम्सटेक पोर्ट नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स के लिए डिजिटल मंच को अपनाने, सीमा शुल्क सामंजस्य और संयुक्त प्रशिक्षण पहलों की सिफारिश की गई जिससे, क्षेत्रीय समुद्री एकीकरण के सुदृढ़ीकरण की नींव तैयार होती है।

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा द्वितीय बिम्सटेक पोर्ट सम्मेलन के अवसर पर दीप प्रज्वलन

9.15 सम्मेलन का समापन क्षेत्रीय समुद्री सहयोग, स्थिरता और व्यापार सुविधा को बढ़ाने पर जोर देते हुए एक भावी नोट के साथ किया गया। इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने, सदस्य देशों के बीच नीतियों और प्रक्रियाओं को समन्वित करने, पत्तन उत्पादों व सेवाओं को मानकीकृत करने, डिजिटलीकरण में तेजी लाने और समुद्री क्षेत्र में कौशल उन्नयन पर फोकस किया गया। 2025 की शुरुआत में छठें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में अपनाए गए समुद्री परिवहन सहयोग (एएमटीसी) पर बिम्सटेक समझौते को लागू करने पर भी समुचित फोकस किया गया था। एएमटीसी पर हस्ताक्षर किए जाने को पूरे क्षेत्र में कुशल और समन्वित समुद्री व्यापार एवं परिवहन को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।

सिंगापुर मैरीटाइम वीक (एसएमडब्ल्यू 2025)

माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री एसएमडब्ल्यू, 2025 में मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के साथ

9.16 भारत ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के नेतृत्व में एक समर्पित भारतीय पवेलियन के साथ सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 (24-28 मार्च 2025) में भाग लिया। इस पवेलियन में पत्तन आधुनिकीकरण, हरित ट्रांजिशन, पत्तन प्रचालनों के डिजिटलीकरण और पत्तन अवसंरचना में विदेशी निवेश के अवसरों पर फोकस करते हुए भारत की समुद्री वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। इस कार्यक्रम की एक प्रमुख उपलब्धि, ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर स्थापित करने के लिए एमओपीएसडब्ल्यू और सिंगापुर के मैरीटाइम और पत्तन प्राधिकरण के बीच एक एक आश्य पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर करना था। भारत के केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ मंत्रियों और उद्योग नेताओं के साथ बातचीत की ताकि द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और निवेश संबंधों को सुदृढ़ किया जाए।

नॉर-शिपिंग 2025 (नॉर्वे)

9.17 भारत ने नॉर-शिपिंग 2025 (2-6 जून 2025) में एक समर्पित पवेलियन स्थापित किया। इस पवेलियन में पोत-निर्माण, पोत मरम्मत और पोत परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन में भारत की पहलों को विशेष रूप से दर्शाया गया है। बी2बी बैठकें, उद्योग संवाद और उच्च-स्तरीय सरकारी परामर्श आयोजित किए गए, जिससे समुद्री नवाचार और हरित प्रौद्योगिकियों में विश्व के अग्रणी नॉर्डिक देशों के साथ भारत की समुद्री साझेदारी और अधिक मजबूत हुई। भारतीय समुद्री कंपनियों ने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के साथ कई सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय पवेलियन का उद्घाटन माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और नॉर्वे के क्राउन प्रिंस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

नॉर्वे के क्राउन प्रिंस के साथ माननीय पत्तन,
पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

वर्ष 2025 के दौरान आयोजित संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठकें

(क) रूस

9.18 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) संबंधी विदेश मंत्रालय के भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के ढांचे के तहत उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर) पर रूस के साथ एक संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) है। जेडब्ल्यूजी - एनएसआर की दूसरी बैठक 03.07.2025 को रूस में आयोजित की गई थी। जेडब्ल्यूजी के बाद, प्रोटोकॉल में उल्लिखित सहयोग के क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए दो उप-समूह (i) "कार्गो ट्रैफिक" चेन्नै पत्तन प्राधिकर के नेतृत्व में और (ii) "आर्कटिक शिपबिल्डिंग" कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के नेतृत्व में, बनाए गए थे।

(ख) म्यांमार

9.19 भारत और म्यांमार के बीच तीसरी संयुक्त कार्यदल की बैठक 23 जुलाई, 2025 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। तटीय शिपिंग समझौता, सित्तवे पत्तन को एक ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने में सहयोग, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण, लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग (एलआरआईटी), राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल का विकास और भारत और म्यांमार के बीच प्रत्यक्ष शिपिंग सेवा पर चर्चा हुई।

(ग) नॉर्वे

9.20 नॉर्वे के साथ 10वीं संयुक्त कार्यदल की बैठक 28 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025 के दौरान आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता, भारतीय पक्ष की ओर से विशेष सचिव, एमओपीएसडब्ल्यू और नॉर्वे पक्ष की ओर से महानिदेशक, व्यापार, उद्योग और मत्स्य पालन मंत्रालय ने की। दोनों पक्षों ने आईएमओ, समुद्री और स्वायत्त पोत परिवहन, हरित पोत परिवहन, पोत निर्माण और पोत मरम्मत, हरित पोत परिवहन के निर्माण, नाविकों के प्रशिक्षण और एनएमएचसी के क्षेत्रों के तहत सहयोग को कवर किया। भारत और नॉर्वे ने जेडब्ल्यूजी तंत्र के माध्यम से साझेदारी को प्रगाढ़ करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और समुद्री स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देने में सराहना व्यक्त की।

(घ) डेनमार्क

9.21 भारत-डेनमार्क संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की समुद्री सहयोग पर छठी बैठक 29 अक्टूबर, 2025 को इंडिया मैरीटाइम वीक-2025 के दौरान आयोजित की गई। भारतीय पक्ष की ओर से विशेष सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और महानिदेशक, डेनिश मैरीटाइम प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से बैठक की सह-अध्यक्षता की। जेडब्ल्यूजी में हरित समुद्री गलियारों, हरित पोत परिवहन उत्कृष्टता केंद्र, हरित ईंधन, नाविकों के कल्याण और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल पर फोकस किया गया। दोनों पक्षों ने बैठक के दौरान हुए ठोस और परिणाम-उन्मुख चर्चाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पुष्टि की कि भारत और डेनमार्क एक हरित, सुरक्षित और डिजिटल रूप से एकीकृत समुद्री भविष्य की साझा विज़न रखते हैं।

(ङ) नीदरलैंड्स

9.22 नीदरलैंड्स के साथ समुद्री सहयोग पर दूसरी जेडब्ल्यूजी बैठक 30 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025 के दौरान आयोजित की गई। भारतीय पक्ष की ओर से विशेष सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और महानिदेशक, विमानन एवं समुद्री मामले ने जेडब्ल्यूजी बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने स्मार्ट पश्चभूमि परिवहन, पोत निर्माण योजना, हरित समुद्री कॉरिडोर और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल के तहत सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। जेडब्ल्यूजी बैठक, दोनों पक्षों द्वारा रचनात्मक और दूरदर्शी संवाद के लिए सराहना के साथ संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि भारत-नीदरलैंड्स समुद्री साझेदारी साझा स्थिरता लक्ष्यों और नवाचार, प्रौद्योगिकी और पत्तन- आधारित विकास में पारस्परिक मजबूतियों पर आधारित है।

(च) ओमान

9.23 भारत और ओमान के बीच संयुक्त समुद्री समिति की दूसरी बैठक 10 नवंबर, 2025 को वर्चुअली आयोजित की गई। पत्तन समुदाय प्रणाली (पीसीएस1x), लॉजिस्टिक्स डाटाबैंक और अन्य तकनीकी मंचों के तकनीकी विवरण साझा करने में सहयोग, समुद्री विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन, सीओसी की मान्यता पर समझौता ज्ञापन, हरित और डिजिटल पोत परिवहन कॉरिडोर (जीडीएससी), पोत परिवहन और व्यापार सुविधा और क्रूज पर्यटन तथा भारतीय पोत निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण उद्योग ओमान के लिए निवेश के अवसरों और समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) पर चर्चा की गई।

उच्च स्तरीय बैठकें

श्रीलंका के परिवहन, राजमार्ग, पत्तन और नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ बैठक

9.24 माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री ने 27 अक्टूबर, 2025 को परिवहन, राजमार्ग, पत्तन और नागरिक उड्डयन मंत्री, श्रीलंका सरकार के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की। यह बैठक इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025 के साथ-साथ आयोजित की गई थी। माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री ने विभिन्न पत्तनों, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंद्रा, विझिंजम, विशाखापत्तणम और चेन्नै में बड़ी क्षमता विस्तार परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। दोनों मंत्रियों ने रामेश्वरम, भारत और थलाईमन्नार, श्रीलंका के बीच यात्री फेरी सेवा शुरू करने में अत्यधिक रुचि दिखाई।

27 अक्टूबर, 2025 की बैठक के दौरान माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और श्रीलंका सरकार के परिवहन, राजमार्ग, पत्तन और नागरिक उड्डयन के एचई मंत्री

अवसंरचना और जल प्रबंधन मंत्री, नीदरलैंड्स के साथ बैठक

9.25 माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने नीदरलैंड्स के माननीय अवसंरचना और जल प्रबंधन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इस बात पर प्रकाश डाला कि नीदरलैंड्स भारत के लिए एक विशेष मित्र और मूल्यवान साझेदार है। दोनों मंत्रियों ने दो देशों के बीच संयुक्त कार्य समूह और समझौता ज्ञापन पर चर्चा की। इसके अलावा, मंत्रियों ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स नवाचार, स्थिरता और आपसी गरिमा पर आधारित एक प्राकृतिक सामंजस्य साझा करते हैं और दोनों पक्ष एक हरित और लचीले समुद्री भविष्य के लिए मिलकर काम करने की आशा करते हैं।

भारतीय और नीदरलैंड के प्रतिनिधिमंडल के बीच द्विपक्षीय बैठक

फिशरीज एंड ओशन पॉलिसी, नॉर्वे गणराज्य के मंत्री के साथ बैठक

9.26 दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 को, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने नॉर्वे गणराज्य के मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड ओशन पॉलिसी से मुलाकात की और मैरीटाइम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025 के साथ आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा भारत के नवीकरणीय परियोजनाओं में निवेश का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने पोत-निर्माण, नाविकों के प्रशिक्षण, हरित पोत परिवहन और पत्तन डिकार्बोनाइजेशन में मौजूदा मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। भारत ने नॉर्वेजियन मानकों के अनुरूप संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की तत्परता व्यक्त की और आगामी उच्च-स्तरीय दौरों के लिए समुद्री क्षेत्र में ठोस डिलीवरेबल्स की पहचान करने का प्रस्ताव रखा।

द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत और नॉर्वे प्रतिनिधिमंडल समूह की तस्वीर

परिवहन और अवसंरचना उपमंत्री, इटली के साथ बैठक

9.27 माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025 में इटली के परिवहन और अवसंरचना उप मंत्री महामहिम के नेतृत्व में इतालवी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 को एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की। दोनों पक्षों ने मैरीटाइम सहयोग और पत्तनों पर किए जा रहे समझौता ज्ञापन को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया। इतालवी मंत्री ने माननीय मंत्री को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए इटली की यात्रा करने का भी निमंत्रण दिया।

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और परिवहन उप मंत्री, इटली सरकार
इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025 के दौरान द्विपक्षीय बैठक में

परिवहन और कानून के लिए सीनियर स्टेट मिनिस्टर, सिंगापुर गणराज्य से मुलाकात

9.28 माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने 30 अक्टूबर, 2025 को इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025 के दौरान भारत में परिवहन और कानून के महामहिम सीनियर स्टेट मिनिस्टर, सिंगापुर गणराज्य के साथ द्विपक्षीय बैठक की और मैरीटाइम एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में निरंतर साझेदारी के लिए सिंगापुर का गर्मजोशी से शुभकामनाएं दीं। उच्च-स्तरीय सिंगापुर प्रतिनिधिमंडल का दौरा भारत के साथ मैरीटाइम सहयोग को मजबूत करने में सिंगापुर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान मार्च, 2025 में सिंगापुर मैरीटाइम वीक के दौरान माननीय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग के दौरे पर भी चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने डिजिटल नवाचार, पत्तन स्वचालन और उत्सर्जन में कमी संबंधी प्रौद्योगिकियों में उद्योग भागीदारी को प्रोत्साहन मिला।

30 अक्टूबर, 2025 को द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारतीय और सिंगापुरी प्रतिनिधिमंडल

ट्रांसपोट एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, सऊदी अरब गणराज्य के महामहिम उपमंत्री के साथ बैठक

9.29 माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री ने इंडिया मैरीटाइम वीक में सऊदी अरब प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और 27 अक्टूबर, 2025 को एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की। दोनों पक्षों ने अगस्त 2025 में भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और सऊदी अरब के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज मंत्री के बीच हुई वर्चुअल बैठक का स्मरण किया। सऊदी अरब पक्ष ने आईएमओ में भारत के समर्थन की सराहना की और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों के भीतर सतत सहयोग बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री की सउदी अरब के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

9.30 मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025 के दौरान 28 अक्टूबर, 2025 को माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री और म्यांमार के परिवहन एवं संचार उप मंत्री महामहिम के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों पक्षों ने समुद्री सहयोग के परस्पर सहमत क्षेत्रों पर चर्चा की। इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान चर्चा के प्रमुख विषय भारत-म्यांमार तटीय शिपिंग समझौता और लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग रहे।

रूस के राष्ट्रपति के सहायक से मुलाकात

9.31 दिनांक 17 नवंबर, 2025 को होटल इंपीरियल, नई दिल्ली में माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूसी राष्ट्रपति के सहायक एवं रूसी समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री निकोलाई पत्रुशेव के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक आयोजित की गई। परामर्श के दौरान, दोनों पक्षों ने सिविल मैरीटाइम क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के विकास पर चर्चा की, जिसमें पोत निर्माण, पत्तन अवसंरचना और समुद्री लॉजिस्टिक्स में सहयोग पर फोकस किया गया। चालक दल के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों तथा विश्व महासागर अन्वेषण में अनुसंधान गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया। रूसी पक्ष ने समुद्री क्षेत्रों में आगे सहयोग करने की तत्परता व्यक्त की और संयुक्त प्रशिक्षण पहलों के लिए विशिष्ट रास्तों की पहचान करने हेतु निरंतर बातचीत का प्रस्ताव रखा। रूसी प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि वे आगामी चर्चाओं के लिए भारतीय पक्ष को मास्को आमंत्रित करेंगे और रचनात्मक बैठक के लिए अपनी सराहना व्यक्त की।

भारतीय और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच द्विपक्षीय बैठक

2025 के दौरान की गई संधियाँ/समझौते/समझौता ज्ञापन आदि।

- बिम्सटेक विदेश मंत्रियों ने 04 अप्रैल, 2025 को बैंकॉक में आयोजित 20वीं बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- दिनांक 03 सितंबर, 2025 को सिंगापुर के साथ हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर (जीडीएससी) पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए1
- दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 को नीदरलैंड के साथ समुद्री सहयोग पर समझौता ज्ञापन को तीन वर्ष के लिए और बढ़ाया गया।
- 27 अक्टूबर, 2025 को हरित और डिजिटल समुद्री कॉरिडोर स्थापित करने के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच एक आश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को रूसी संघ के समुद्री बोर्ड और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीच समुद्री सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- दिनांक 04 अक्टूबर, 2025 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय, रूसी संघ के बीच "ध्रुवीय जल में प्रचालनरत पोतों के लिए विशेषज्ञों के प्रशिक्षण" पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए।

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और फिशरीज एंड ओशन पॉलिसी मंत्री,
नॉर्वे साम्राज्य एलओआई और एमओयू हस्ताक्षर समारोह के दौरान।

प्रशासन और वित्त

सीएसएस ग्राउंडस में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, 2025 पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारी एवं कर्मचारी

प्रशासन

10.1 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासन स्कंध के प्रमुख, संयुक्त सचिव(प्रशासन) हैं, जिनकी सहायता के लिए वर्तमान में उप सचिव (प्रशासन), अवर सचिव (प्रशासन) हैं, जो स्थापना अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और सामान्य अनुभाग के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। स्थापना अनुभाग को इस मंत्रालय के 272 नियमित कर्मचारियों (समूह क, ख और ग) (संस्वीकृत पदसंख्या) के सेवा और प्रशासनिक मामलों का कार्य सौंपा गया है। इसमें मंत्रालय के मुख्य सचिवालय तथा विभिन्न संवर्गों जैसे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस), केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस), भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस), भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) और विकास स्कंध में केन्द्रीय कार्मिक योजना के तहत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की सेवा का प्रबंधन शामिल हैं। स्थापना अनुभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, वित्त मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आदि द्वारा जारी किए गए सभी प्रशासनिक आदेशों को क्रियान्वित करता है।

10.2 मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने में अ.जा./ अ.ज.जा/ अन्य पिछड़े वर्गों/ पीडब्ल्यूडी के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित सूचना, सचिवालयीन तथा गैर सचिवालयीन कर्मचारियों की अलग-अलग (समूह-वार) तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना अनुबंध-III (क) में दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 41034/5/2022-स्था. (आर.-I), दिनांक 24 अक्तूबर, 2025 के संबंध में अनु.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ आ.पि.व./ पीडब्ल्यूडी के संबंध में आरक्षण कार्यान्वयन का विवरण तथा बैकलॉग रिक्तियां आदि अनुबंध- III (ख) पर संलग्न है।

कल्याण

10.3 मंत्रालय के महिला कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए गए। मंत्रालय में यौन/जेंडर आधारित उत्पीड़न के संबंध में महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए यौन उत्पीड़न संबंधी आंतरिक शिकायत समिति है तथा शी-बॉक्स पोर्टल भी प्रचालनरत है। इसके अलावा, मंत्रालय में कर्मचारियों के कल्याणकारी उपाय के रूप में, कर्मचारियों को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देने की नई पहल शुरू की गई है, ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे और वे प्रेरित हों।

10.4 मंत्रालय ने स्मार्ट वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (स्पैरो) पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय के सभी अधिकारियों के ऑनलाइन वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। मंत्रालय में नियमित तथा साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बायोमिट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) भी कार्यान्वित की गई है जिसकी मॉनीटरिंग नियमित रूप से की जा रही है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सरकारी कार्यों में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहन देते हुए सागरमंथन में हिंदी पखवाड़े, 2025 का शुभारंभ

10.5 राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण दिवसों अर्थात् आतंकवाद विरोध दिवस, सांप्रदायिक सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस, स्वच्छता दिवस, संविधान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सतर्कता जागरुकता सप्ताह, रेड क्रास दिवस, रेड क्रास रेफल ड्रा आदि आयोजित किए गए और मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा ''शपथ'' ली गई। ''झंडा दिवस'' के मौके पर सहयोग राशि एकत्र और संग्रहित की गई। इन आयोजनों को मनाने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन आयोजनों में भाग लेने वाले सहभागियों को पुरस्कृत किया गया।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारीगण, परिवहन भवन, नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा, 2025 के अंतर्गत सफाई अभियान में भाग लेते हुए

ई-ऑफिस

10.6 मंत्रालय में सभी अधिकारियों तथा उनके सहायक स्टाफ के लिए ई-आफिस प्रणाली पूरी तरह लागू कर दी गई है। इस मंत्रालय में 01 जनवरी, 2017 से ई-फाइल प्रणाली पूरी तरह से लागू कर दी गई है तथा यह उन मंत्रालयों में से एक है, जो पूरी तरह ई-फाइलिंग प्रणाली पर स्विच ओवर हो गये हैं। सभी मौजूदा भौतिक फाइलों/रिकार्डों को डिजिटल कर दिया गया है। दैनिक दिनचर्या के कागजों/प्राप्तियों/डाक आदि की स्कैनिंग के लिए सभी अनुभागों/अधिकारियों को स्कैनर उपलब्ध करवाये गये हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (मैनुअलों का प्रकाशन) में सूचीबद्ध किए गए दायित्वों से संबंधित विस्तृत जानकारी को संबंधित संगठनों की वेबसाइटों पर अपलोड/ उपलब्ध कर दिया गया है।
- मंत्रालय ने अवर सचिव तथा उप सचिव/ निदेशक एवं समकक्ष अधिकारियों को क्रमश: प्रभागों के आधार पर क्रमश: केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओएस) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त/ पदनामित किया है। विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिनियम के अंतर्गत सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचनाओं/ आदेशों को प्रकाशित किया गया है, और मंत्रालय की वेबसाईट अर्थात www.shipmin.gov.in पर अपलोड/उपलब्ध कराया गया है।
- जब कभी जनता/नागरिक से सीपीआईओ/आईएफसी को कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो उसे आरटीआई प्रकोष्ठ को भेज दिया जाता है, जहां आवेदन शुल्क जमा किया जाना सुनिश्चित करने के बाद इसको पंजीकृत किया जाता है। तत्पश्चात्, प्रथम अपील के निपटान हेतु इस अनुरोध को संबंधित सीपीआईओ/ अपीलीय प्राधिकारियों के पास आवेदनकर्ता(ओं) को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने हेतु भेजा जाता है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) को एक मासिक विवरण भेजा जाता है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रतियों और सूचना के अधिकार से संबंधित डीओपीएंडटी से प्राप्त परिपत्रों को सभी संगठनों को अनुपालन हेतु तत्काल परिचालित किया जाता है।
- सभी सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों को उपयोगी मार्गदर्शी सामग्री/अनुदेश परिचालित किए जाते हैं।
- सभी उपयोगी रिकॉर्डों का उचित रख-रखाव किया जाता है।
- 01 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक की अवधि के दौरान इस मंत्रालय द्वारा प्राप्त और निपटान किए गए आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपीलों का त्रैमासिक विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	अवधि	प्राप्त और निपटान किए गए आरटीआई आवेदन	प्राप्त और निपटान की गई आरटीआई अपील
1	जनवरी – मार्च	93	4
2	अप्रैल – जून	135	2
3	जुलाई – सितंबर	209	10
4	अक्तूबर – दिसंबर	82	5
	कुल	**519**	**21**

- आरटीआई अनुरोध का आवेदन प्राप्त हुआ तथा 519 का निपटान किया गया।
- आरटीआई अपीलें प्राप्त हुई है और 21 का निपटान किया गया।

एकीकृत वित्त स्कंध (आईएफडब्ल्यू)

10.7 मंत्रालय के प्रमुख लेखा प्राधिकारी, सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, हैं। वह अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) तथा प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.सीसीए) के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) आंतरिक वित्त स्कंध के प्रमुख है जिनकी सहायता के लिए उप सचिव (वित्त एवं बजट), अवर सचिव (वित्त एवं बजट), अनुभाग अधिकारी (वित्त) और अन्य सहायक अधिकारी है। आईएफडब्ल्यू मंत्रालय की प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों/ स्कंधों की परियोजनाओं तथा स्कीमों को सहमति प्रदान करने के साथ ही वित्तीय सलाह भी प्रदान करते हैं।

बजट

10.8 सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू), मंत्रालय के प्रधान लेखा प्राधिकारी हैं। वह अपर सचिव एवं

वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रधान सीसीए) के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) बजट प्रभाग के प्रमुख हैं जिनकी सहायता के लिए उप सचिव (वित्त एवं बजट) अवर सचिव (वित्त एवं बजट), अनुभाग अधिकारी (बजट) एवं अन्य सहायक अधिकारी है।

वर्ष के दौरान बजट की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के समन्वय से मंत्रालय की मांग संबंधी विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) तैयार करने, बजट आकलन विवरण तैयार करने, मध्यावधि व्यय फ्रेमवर्क का संकलन, सभी पुनर्विनियोजन प्रस्ताव, पूरक प्रस्ताव शामिल है।

लेखा और बजट

10.9 सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) मंत्रालय के लिए प्रधान लेखा प्राधिकारी है। वह अपने इन दायित्वों का निर्वहन अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) और मुख्य प्रधान लेखा नियंत्रक (पीआरसीसीए) की सहायता से करते हैं। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान किए जाने, मासिक और वार्षिक लेखों का संकलन करने, निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन सभी एककों की आंतरिक लेखा-परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधान सीसीए कार्यालय को वित्तीय और लेखा संबंधी मामलों, नकदी प्रबंधन में मंत्रालय को तकनीकी सलाह प्रदान करते समय बजट, केन्द्रीय लेन-देन विवरण (एससीटी), वित्तीय लेखा तथा विनियोजन लेखा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। प्रधान सीसीए का कार्यालय महालेखा नियंत्रक (सीजीए), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

10.10 प्रधान सीसीए के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 6 वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) हैं।

1. वेतन एवं लेखा कार्यालय नियंत्रण, नई दिल्ली
2. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सचिवालय, नई दिल्ली
3. वेतन एवं लेखा कार्यालय, एलएचएलएस, नोएडा (दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय)
4. वेतन एवं लेखा कार्यालय, मुंबई
5. वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, एएलएचडब्ल्यू, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म)

प्रमुख सुधार

10.11 **ई-लेखा:** दैनिक/मासिक एमआईएस/व्यय लेखा विवरण सृजित करने संबंधी एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। सभी पीएओ को लेखांकन पोर्टल ई-लेखा के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। इस पोर्टल में उनसे अपना दैनिक लेन-देन अपलोड करना अपेक्षित होता है ताकि व्यय और प्राप्ति के आंकड़ें दैनिक आधार पर उपलब्ध हो सके। इससे व्यय और प्राप्ति संबंधी रियल टाइम आंकडों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जो व्यय/प्राप्तियों और बजटीय नियंत्रणों की प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली से सृजित रिपोर्ट, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण हैं तथा मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है।

10.12 **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):** प्रारंभ में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार की योजनागत स्कीमों के तहत निधियों को जारी करने के लिए शुरू किया गया था। अब पीएफएमएस के दायरे को बढ़ाया गया है और संस्वीकृतियों बिलों और कार्य अनुदान, वेतन आदि जैसे सभी प्रकार के व्यय के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रोसेसिंग के जैसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) और पीएओ द्वारा उपयोग की जा रही मौजूदा विभिन्न स्टैंडअलोन प्रणालियों को एकीकृत किया जा सके।

सीजीए ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों में पीएफएमएस को लागू किया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सभी 6 पीएओ और सभी डीडीओ में पीएफएमएस लागू किया गया है।

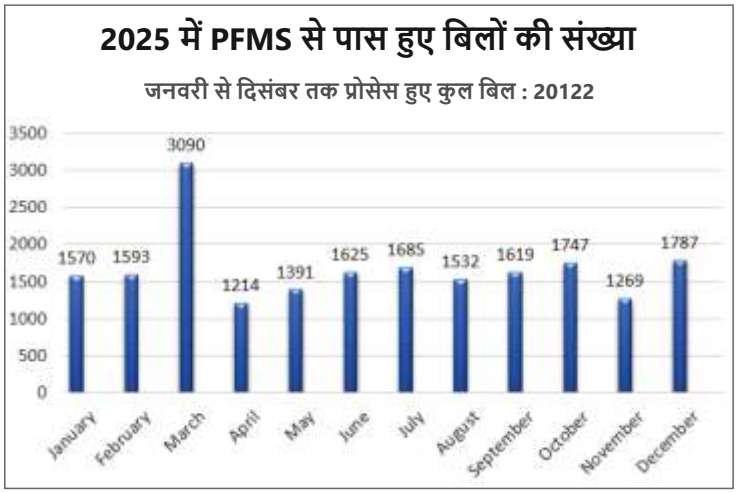

10.13 **राजकोषीय एकल खाता (टीएसए):** टीएसए एक बैंक खाता या फिर लिंकड खातों का सेट है जिसके माध्यम से सरकार अपनी सभी प्राप्तियों और भुगतानों का संव्यवहार करती है। एकता का सिद्धांत (प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी) सभी नकद की विनिमयशीलता (फजिबिलिटी), चाहे उसका अंतिम उपयोग कोई भी हो, अनुपालन किया जाता है। स्वायत्त निकाय/ कार्यान्वयन एजेंसियों (एबी/ आईए) के लिए टीएसए प्रणाली का उद्देश्य स्वायत्त निकाय/ कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सरकारी अनुदान 'समय पर' जारी करने को सुविधाजनक बनाना है तथा पीएसबी में निधि को पार्क करने या स्वायत्त निकाय/ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग न किए गए अनुदान के संचयन से बचना है।

यह एबी/ आईए को नकद के एकमुश्त हस्तांतरण से रोकता है तथा जैसा और जब अपेक्षित होहो, सरकारी खाते से आहरण को सुविधाजनक बनाता है।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निमनलिखित योजनाओं को टीएसए मॉड्यूल के तहत शुरू किया गया है।

1. सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (एसईसीएल) केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सीएनए)
2. भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण (आईडब्लयूएआई)- अन्य केंद्रीय क्षेत्रीय योजना
3. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) – अन्य केंद्रीय क्षेत्रीय योजना

10.14 **ई-बिल:** केन्द्रीय बजट 2021-22 में दावों की एंड-टू- एंड डिजीटल प्रोसेसिंग तथा उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए ई-बिल प्रणाली की घोषणा की गई थी। इस प्रणाली को पीएफएमएस, सीजीए का कार्यालय, व्यय विभाग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया तथा 2 मार्च, 2022 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। यह ई-बिल प्रणाली वेंडर/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकारों को कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आए बिना अपने बिलों/ दावों को प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, इसमें प्रत्येक चरण में लेखा परीक्षा ट्रेल्स के साथ बिल की एंड-टू- एंड त्वरित और कागज रहित प्रोसेसिंग की व्यवस्था है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में ई- बिल तंत्र के माध्यम से सभी पीएओ और डीडीओ को भुगतान को संसाधित करने में सक्षम बनाया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

10.15 मंत्रालय में विभिन्न विभागों के काम-काज में प्रणालीगत गलतियों एवं चूकों की व्यवस्थित रूप से पहचान करने और परिणामत: आवश्यक कार्रवाई/ त्रुटिसुधार के लिए संबंधित विभाग को परामर्श देने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रधान सीसीए संगठन का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध स्थापित किया गया है। प्रधान सीसीए का कार्यालय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के फील्ड यूनिट सहित मंत्रालय के सभी स्कंधों तथा प्रधान सीसीए कार्यालय के तहत पीएओ के लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा/ जांच करता है।

10.16 आंतरिक लेखापरीक्षा वित्तीय विवेकशीलता के लिए दिन- प्रतिदिन के कामकाज में विषय निष्ठता और वित्तीय औचित्य तथा अधिक संवेदनशीलता लाने के संबंध में एक प्रभावी प्रबंधन साधन साबित हुआ है। इससे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के लगभग सभी कार्यालयों में लेखों/ अभिलेखों के रख-रखाव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2025-26 के आरंभ में बकाया पैरा की सं	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उठाए गए पैरा की सं.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निपटाए गए पैरा की सं.	बकाया पैरा की सं. (31 दिसंबर 2025 के अनुसार)
आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा	454	78	126	406
सीएजी पैरा	8	21	1*	28
पीएसी पैरा	9	1	10	0

*तथापि, 30 जनवरी, 2026 को 14 सीएजी पैरा का निपटान किया गया है, केवल 14 पैराओं को शेष छोड़ा गया है।

अनुदान सं. 78 - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

10.17 वर्ष 2025-26 के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदान-सं.78 के संबंध में बचत/ अधिशेष और वर्ष 2025-26 (31 दिसंबर, 2025 तक) के वास्तविक व्यय की स्थिति **अनुबंध-IV** में दर्शाई गई है। पिछले तीन वर्षों के केन्द्रीय लेन-देन (एससीटी) के विवरण के अनुसार, प्राप्तियों का शीर्ष-वार ब्यौरा, **अनुबंध-V** पर दर्शाया गया है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 (31 दिसंबर, 2025 तक) के व्यय का शीर्षवार विवरण **अनुबंध-VI** पर दिया गया है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 (31 दिसंबर, 2025 तक) तक के लिए अन्य मंत्रालयों की ओर से पत्तन, पोत परिवहन द्वारा खर्च किए गए व्यय का शीर्ष- वार विवरण **अनुबंध- VII** पर दिया गया है। दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल), देश में परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए अपेक्षित कतिपय सेवाएं प्रदान करने के लिए दो निधियों अर्थात् मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा सामान्य आरक्षित निधि का रख-रखाव कर रहा है। विवरण **अनुबंध-VIII** पर है।

सतर्कता

10.18 मंत्रालय का सतर्कता स्कन्ध, मंत्रालय में और मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में सतर्कता गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करता है। इस स्कन्ध की अध्यक्षता विशेष सचिव रैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से की जाती है।

10.19 मंत्रालय के नियंत्रणाधीन प्रत्येक संगठन में अंशकालिक या पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श / उसकी सहमति से संबंधित संगठनों के अधिकारियों में से की जाती है। सी वी ओ के पूर्णकालिक पदों पर भर्ती, जहां कहीं इस प्रकार के पद हैं, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से संगठित सेवाओं के अधिकारियों से की जाती है।

10.20 तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई करके तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं ई-प्रौद्योगिकी आदि का प्रयोग करने सहित पारदर्शिता सुनिश्चित करके निवारक सतर्कता की भूमिका पर बल दिया गया है। मंत्रालय के विभिन्न संगठनों, विशेष तौर पर महापत्तन प्राधिकरणों में सतर्कता तंत्र को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, जहां भी आवश्यक हुआ, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई है।

10.21 सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान मंत्रालय के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को शपथ दिलायी गयी। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों में भी सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

10.22 मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों की रिपोर्टों/ विवरणियों के माध्यम से तथा आवधिक बैठकों के दौरान इन संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों/ अध्यक्षों से विचार-विमर्श करके भी उनकी सतर्कता गतिविधियों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

राजभाषा

11.1 हिंदी अनुभाग मंत्रालय में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। मंत्रालय में राजभाषा (हिंदी) नीति के कार्यान्वयन के अलावा यह सिर्फ मंत्रालय का ही नहीं बल्कि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अन्य कार्यालयों में भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करता है। हिंदी अनुभाग वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है और प्रभाग में पाँच (05) स्वीकृत पद हैं, जिनमें एक (01) संयुक्त निदेशक (राजभाषा), एक (01) सहायक निदेशक (राजभाषा), दो (02) वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और एक (01) कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी शामिल हैं। संयुक्त निदेशक के स्थान पर उप निदेशक (राजभाषा) और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के स्थान पर कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की तैनाती की गई है।

11.2 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, मंत्रालय हर वर्ष संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का प्रयास करता है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

11.3 मंत्रालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। यह समिति मंत्रालय में तिमाही आधार पर हिंदी में किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करती है। समिति मंत्रालय के शासकीय कामकाज में राजभाषा "हिंदी" के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव देती है और उपायों की सिफारिश करती है। उक्त अवधि (01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025) के दौरान समिति की दो (02) बैठकें, 21 मार्च, 2025 और 10 सितंबर, 2025 को आयोजित की गईं।

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में दिनांक 10 सितंबर, 2025 को
विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन

अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का आकलन करने के लिए निरीक्षण

11.4 सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का आकलन करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा 01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 के बीच की अवधि में पांच (05) अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण

11.5 संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति द्वारा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान हिंदी अनुभाग संबंधित कार्यालय की निरीक्षण प्रश्नावली की समीक्षा करता है तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति द्वारा दिनांक 08 जुलाई, 2025 को मुबई स्थित 05 कार्यालयों अर्थात् जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, महापत्तन न्यायनिर्णायिक बोर्ड (पहले महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के नाम से ज्ञात), भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, नौवहन महानिदेशालय, समुद्री वाणिज्य विभाग; दिनांक 29 अगस्त, 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, बिहार; और दिनांक 21 नवंबर, 2025 को इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रोजेक्ट ऑफिस, भुवनेश्वर का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया।

हिंदी पखवाड़ा

11.6 मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को प्रोत्साहित करने और हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए 14 से 29 सितंबर 2025 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया। सचिव महोदय की अध्यक्षता में हिंदी पखवाड़ा, 2025 का शुभारंभ और हिंदी संगोष्ठी अयोजन किया गया जिसमें मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों के साथ ''आपके कार्यालय में राजभाषा को कार्यभाषा बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं'' विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्मय से चर्चा-परिचर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 14-15 सितंबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित ''हिन्दी दिवस-2025 एवं पांचवा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन'' में मंत्रालय के दो अधिकारियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस वर्ष 7 प्रतियोगिताओं में कुल 141 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता में मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रचित मूल कविताओं को "नवांकुर" नामक स्मारिका में संकलित किया गया।

सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 16 सितंबर, 2025 को
सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों के साथ संगोष्ठि का आयोजन एवं हिंदी पखवाड़ा, 2025 का शुभारंभ

हिंदी कार्यशालाएँ

11.7 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान 5, 11 एवं 19 जनवरी, 2025 को "कंप्युटर/ई-ऑफिस पर हिंदी टाइपिंग/अनुवाद तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट" और दिनांक 22 दिसंबर, 2025 को "टिप्पण एवं आलेखन" विषय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में मंत्रालय के कई अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और कार्यशाला का लाभ उठाया।

मंत्रालय में कार्यशाला का आयोजन

राजभाषा शील्ड योजना

11.8 मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक आधार पर राजभाषा शील्ड योजना चलाई जा रही है, जिसमें विजेता कार्यालयों को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में क्षेत्रवार शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

हिंदी में सरकारी काम के लिए प्रोत्साहन योजना

11.9 मंत्रालय, अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में सरकारी काम करने में प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक आधार पर राजभाषा विभाग की नकद प्रोत्साहन योजना लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत कुल दस पुरस्कार (नकद पुरस्कार) दिए जाते हैं, अर्थात् 5000/- रुपये के दो प्रथम पुरस्कार, 3000/- रुपये के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000/- रुपये के पांच तृतीय पुरस्कार। कोई भी अधिकारी, जो अपने आधिकारिक कार्य एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 20,000 या अधिक हिंदी शब्द लिखता है, इस योजना के अंतर्गत भाग लेने के लिए पात्र है। गैर-हिंदी भाषी अधिकारियों के लिए शब्द सीमा प्रति वर्ष न्यूनतम 10,000 शब्द है और उन्हें शब्दों की संख्या के संबंध में 20% वेटेज दिया जाता है। इस मंत्रालय के कुल 06 अधिकारियों ने इस योजना के तहत भाग लिया और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पुरस्कार जीते।

हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए त्रैमासिक पुरस्कार योजना

11.10 मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 20 जुलाई 2021 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में तथा मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रालय में हिंदी में शासकीय कार्य को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, हिंदी में अपने शासकीय कार्य की मात्रा के आधार पर मंत्रालय के शीर्ष तीन अनुभागों/प्रभागों को त्रैमासिक आधार पर क्रमशः 5000/- रुपये, 3000/- रुपये और 2000/- रुपये के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। योजना के लिए पात्र अनुभागों/प्रभागों को रिपोर्टिंग अवधि (01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025) के दौरान नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मंत्रालय में लघु पुस्तकालय

11.11 वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और हिंदी प्रभाग के अथक प्रयासों से मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में एक लघु पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। हिंदी अनुभाग के कर्मचारी हिंदी अनुभाग के नियमित कार्य के अतिरिक्त, इस लघु पुस्तकालय का भी संचालन करते हैं। इस पुस्तकालय में प्रसिद्ध लेखकों की हिंदी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी इसका लाभ उठाते हैं।

अनुबंध सूची

अनुबंध-I
(पैरा 1.5 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

I. निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 के अन्तर्गत आते हैं:-

1. समुद्री पोत परिवहन और नौचालन; शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान, वाणिज्यिक नौ सैनिकों के लिए प्रशिक्षण
2. दीपस्तंभ और दीपपोत
3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 01) तथा पत्तन जिन्हें महापत्तनों के रुप में घोषित किया गया है, का प्रशासन
4. जहां तक यांत्रिक रुप से चालित जलयानों का संबंध है संसद द्वारा विधि के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों को ले जाने और माल की ढुलाई सहित पोत परिवहन और नौवहन, ऐसे जलमार्गों पर सडक का नियम।
5. पोत निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योग
6. मत्स्यन जलयान उद्योग
7. फ्लोटिंग क्राफ्ट उद्योग

II. संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में:

8. अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात

III. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में:

9. मुख्य भूमि, द्वीपों और अंतर-द्वीप की नौवहन सेवाओं की व्यवस्था और रखरखाव

IV. अन्य विषय जो पूर्ववर्ती भागों में शामिल नहीं किए गए हैं:

10. यांत्रिक रुप से चालित जलयानों के संबंध में अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौचालन और अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों को ले जाने और माल की ढुलाई के संबंध में विधान
11. लघु और महापत्तनों के विकास से संबंधित विधान और समन्वय
12. डॉक कार्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना, 1961 के अलावा डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) तथा इसके तहत बनाई गई योजनाओं का संचालन
13. एफओबी /एफएएस के आधार पर कार्गो के आयात और सीएंडएफ/सीआईएफ के आधार पर कार्गो के निर्यात के संदर्भ में भारत सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों/राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के लिए और उनकी ओर से पोत परिवहन संबंधी प्रबंध करना
14. पत्तनों, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति का प्रतिपादन

15. अंतर्देशीय जल परिवहन की योजना बनाना।
16. पत्तन, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निजीकरण नीति का प्रतिपादन।
17. गांधीधाम के टाउनशिप का विकास।
18. प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम: 1

(क) पत्तन क्षेत्रों सहित, पोतों, समुद्र में पोतों के अवशेष और परित्यक्त जलयानों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण और रोकथाम;

(ख) पोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और प्रतिरोध से संबंधित कानून की अधिनियमन और संचालन: और

(ग) पत्तन क्षेत्रों में तेल प्रदूषण की निगरानी और प्रतिरोध करना।

V. अधिनियम : (समय-समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता है)

1. वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025
2. तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025
3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025
4. समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 2025
5. वहन-पत्र अधिनियम, 2025
6. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021
7. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021
8. अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021
9. पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019
10. नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017
11. राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016
12. भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008
13. महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री नेविगेशन और स्थिर प्लेटफार्म की सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कार्यों का दमन अधिनियम, 2002
14. माल बहु-विध परिवहन अधिनियम, 1993
15. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985
16. नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966
17. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम,1948
18. उत्तरी भारत फैरी अधिनियम, 1878

अनुबंध-II

(पैरा 1.12 देखें)

संगठन चार्ट: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

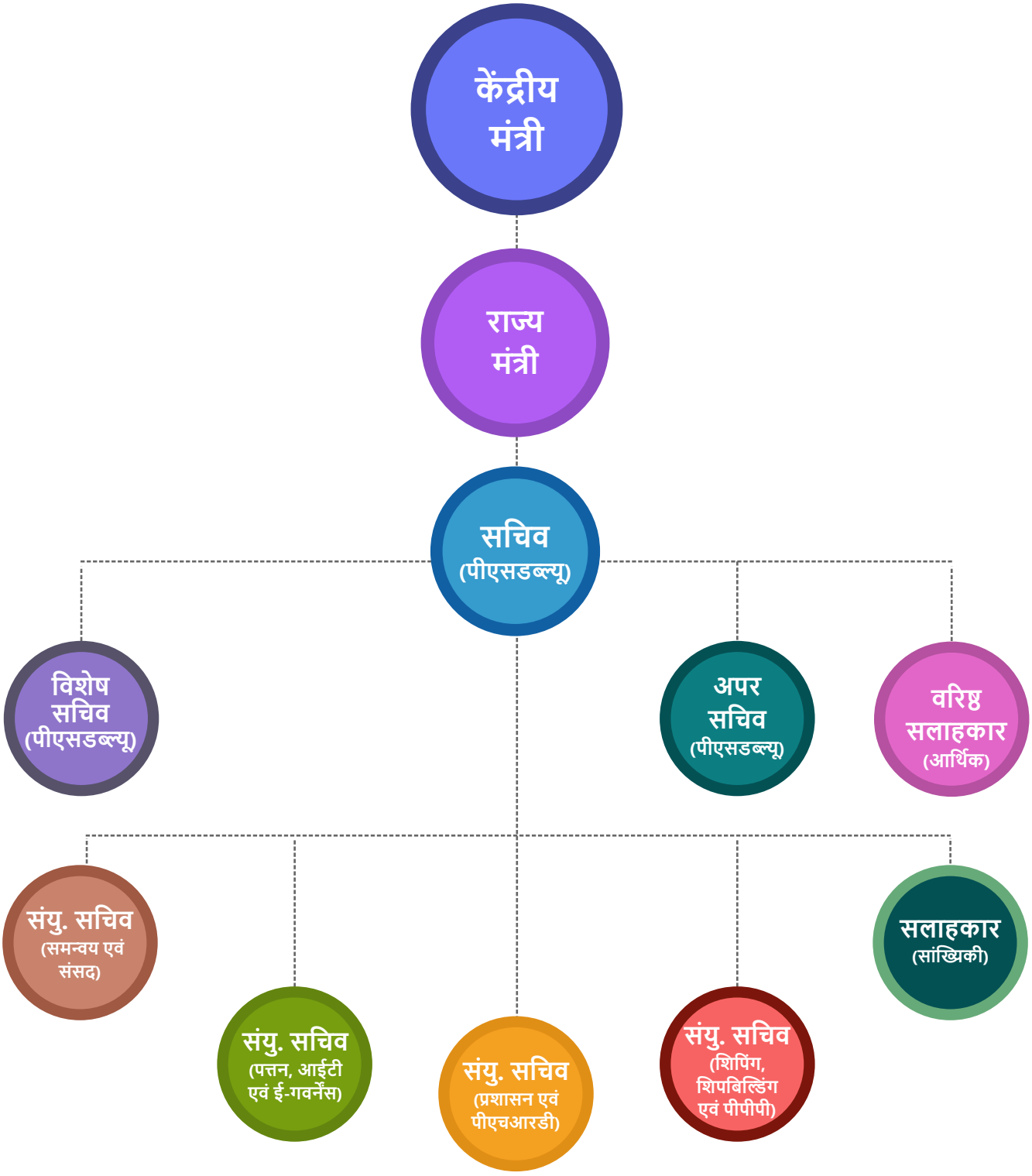

अनुबंध - III (क)

(पैरा 10.2 देखें)

31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण:

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (मुख्य सचिवालय)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का प्रतिनिधित्व (31.12.2025 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कुल कर्मचारी (तैनात)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि. वर्ग	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल
क	56	10	3	6	-	19
ख	87	27	10	25	-	65
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	40	9	3	14	1	24
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-
कुल	**183**	**46**	**16**	**45**	**1**	**108**

कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

सीधी भर्ती द्वारा					
समूह	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि. वर्ग**	**ई.डब्ल्यू.एस.**	**कुल**
क	-	-	-	-	-
ख	-	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

पदोन्नति द्वारा				
समूह	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि. वर्ग**	**कुल**
क	-	-	-	-
ख	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	**वीएच**	**एचएच**	**ओएच**	**कुल**
क	-	-	-	-
ख	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुबंध - III (ख)

(पैरा 10.2 देखें)

महापत्तन प्राधिकरण

(i) महापत्तन प्राधिकरणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस एवं पीडब्ल्यूडीएस का समूह/वर्ग-वार प्रतिनिधित्व दर्शानेवाला विवरण

क्र. सं.	समूह/वर्ग	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	कुल
1.	**नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण (एनएमपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	68	14	06	09	00	02	31
	वर्ग –II/ समूह ख	69	14	08	19	01	02	44
	वर्ग –III/ समूह ग	147	30	24	46	00	06	106
	वर्ग –IV/ समूह घ	19	07	00	06	00	03	16
	कुल	**303**	**65**	**38**	**80**	**01**	**13**	**197**
2.	**मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	266	36	16	45	00	04	101
	वर्ग –II/ समूह ख	25	01	00	04	00	00	05
	वर्ग –III/ समूह ग	1489	216	108	157	00	25	506
	वर्ग –IV/ समूह घ	758	134	38	15	00	09	196
	कुल	**2538**	**387**	**162**	**221**	**00**	**38**	**808**
3.	**जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	116	25	05	55	00	03	88
	वर्ग –II/ समूह ख	22	01	00	12	00	00	13
	वर्ग –III/ समूह ग	403	31	32	109	00	05	177
	वर्ग –IV/ समूह घ	41	03	03	07	00	03	16
	कुल	**582**	**60**	**40**	**183**	**00**	**11**	**294**
4.	**दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (डीपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	76	08	08	09	01	01	27
	वर्ग –II/ समूह ख	41	09	04	06	00	01	20
	वर्ग –III/ समूह ग	672	98	74	106	00	14	292
	वर्ग –IV/ समूह घ	314	65	29	43	00	04	141
	कुल	**1103**	**180**	**115**	**164**	**01**	**20**	**480**

5.	**पारादीप पत्तन प्राधिकरण (पीपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	102	13	11	13	00	02	39
	वर्ग –II/ समूह ख	58	11	05	08	00	06	30
	वर्ग –III/ समूह ग	268	46	79	39	00	22	186
	वर्ग –IV/ समूह घ	34	13	09	05	00	14	41
	कुल	**462**	**83**	**104**	**65**	**00**	**44**	**296**
6.	**मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (एमजीपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	64	06	05	06	00	01	18
	वर्ग –II/ समूह ख	62	09	06	07	00	00	22
	वर्ग –III/ समूह ग	650	68	61	99	00	06	234
	वर्ग –IV/ समूह घ	69	21	11	07	00	01	40
	कुल	**845**	**104**	**83**	**119**	**00**	**08**	**314**
7.	**श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता (एसएमपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	288	36	11	38	00	02	87
	वर्ग –II/ समूह ख	67	15	02	04	00	00	21
	वर्ग –III/ समूह ग	666	114	25	38	00	21	198
	वर्ग –IV/ समूह घ	212	26	04	11	00	07	48
	कुल	**1233**	**191**	**42**	**91**	**00**	**30**	**354**
8.	**कोचीन पत्तन प्राधिकरण (सीओपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	90	11	04	33	00	00	48
	वर्ग –II/ समूह ख	81	19	05	35	00	02	61
	वर्ग –III/ समूह ग	522	82	16	307	00	04	409
	वर्ग –IV/ समूह घ	22	05	01	13	00	00	19
	कुल	**715**	**117**	**26**	**388**	**00**	**06**	**537**

9.	**चैन्ने पत्तन प्राधिकरण (सीएचपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	106	18	11	32	00	01	62
	वर्ग –II/ समूह ख	86	25	05	09	00	02	41
	वर्ग –III/ समूह ग	1251	298	34	429	00	22	783
	वर्ग –IV/ समूह घ	794	220	12	184	00	17	433
	कुल	**2237**	**561**	**62**	**654**	**00**	**42**	**1319**
10.	**विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	120	26	11	25	00	00	62
	वर्ग –II/ समूह ख	90	17	11	14	00	00	42
	वर्ग –III/ समूह ग	1320	177	106	384	00	16	683
	वर्ग –IV/ समूह घ	961	88	63	423	00	04	578
	कुल	**2491**	**308**	**191**	**846**	**00**	**20**	**1365**
11.	**वी. ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण (वीओसीपीए)**							
	वर्ग –I / समूह क	65	11	00	35	00	02	48
	वर्ग –II/ समूह ख	43	08	02	26	00	02	38
	वर्ग –III/ समूह ग	188	61	09	105	00	08	183
	वर्ग –IV/ समूह घ	81	41	00	35	00	01	77
	कुल	**377**	**121**	**11**	**201**	**00**	**13**	**346**
12.	**कामराजर पत्तन प्राधिकरण (केपीएल)**							
	वर्ग –I / समूह क	64	08	02	**12**	**01**	02	25
	वर्ग –II/ समूह ख							
	वर्ग –III/ समूह ग	28	09	01	08	00	01	19
	वर्ग –IV/ समूह घ							
	कुल	**92**	**17**	**03**	**20**	**01**	**03**	**44**

(ii) (क) महापत्तन प्राधिकरणों में वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को दर्शानेवाला विवरण

वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई						
पत्तन का नाम	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.वर्ग**	**ईडब्ल्यूएस**	**पीडब्ल्यूडी**	**कुल**
एनएमपीए	01	00	07	01	00	09
एमबीपीए	00	02	00	00	00	02
जेएनपीए	01	00	00	00	00	01
डीपीए	शून्य					
पीपीए	02	04	01	00	00	07
एमजीपीए	01	00	00	00	00	01
एसएमपीए	01	01	01	00	00	03
सीओपीए	शून्य					
सीएचपीए	01	01	00	00	00	02
वीपीए	04	04	00	00	01	09
वीओसीपीए	01	00	00	00	00	01
केपीएल	कोई बैकलॉग रिक्तियां नहीं हैं।					
कुल	**12**	**12**	**09**	**01**	**01**	**35**

(ii) (ख) महापत्तन प्राधिकरणों में वर्ष 2025-26 के दौरान न भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का विवरण दर्शानेवाला विवरण

वर्ष 2025-26 के दौरान शेष न भरी गई बैकलॉग रिक्तियां						
पत्तन का नाम	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.वर्ग**	**ईडब्ल्यूएस**	**पीडब्ल्यूडी**	**कुल**
एनएमपीए	00	00	03	01	02	06
एमबीपीए	237	188	05	00	00	430
जेएनपीए	00	01	00	00	00	01
डीपीए	01	01	03	00	00	05
पीपीए	200	133	58	06	00	397
एमजीपीए	35	01	04	00	04	44
एसएमपीए	20	19	04	00	01	44
सीओपीए	04	03	00	01	00	08
सीएचपीए	02	38	00	00	00	40
वीपीए	45	34	00	00	04	83
वीओसीपीए	06	16	00	00	00	22
केपीएल	कोई बैकलॉग रिक्तियां नहीं हैं।					
कुल	**550**	**434**	**77**	**08**	**11**	**1080**

(ii) (ग) महापत्तन प्राधिकरणों में वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित रिक्तियों को भरे न जाने के कारण दर्शानेवाला विवरण

पत्तन का नाम	वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित रिक्तियों को भरे न जाने के कारण
एनएमपीए	• फीडर श्रेणी में पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता। • कार्मिकों की सही संख्या होने के कारण श्रेणी III और IV में कोई नई भर्ती नहीं • पीपीपी भागीदारी में वृद्धि और पत्तनों के भू-स्वामित्व मॉडल की ओर परिवर्तन
एमबीपीए	
जेएनपीए	
डीपीए	
पीपीए	
एमजीपीए	
एसएमपीए	
सीओपीए	
सीएचपीए	
वीपीए	
वीओसीपीए	
केपीएल	कोई बैकलॉग रिक्तियां नहीं हैं।

(iii) महापत्तनों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारियों का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

पत्तन का नाम	अ.जा./अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	पूर्व-सैनिक
एनएमपीए	श्रीमती विशालाक्षी, उप सचिव	श्री योगिन्द्र एस, अधीक्षक अभियंता (सिविल)	श्री श्रृंगेश्वर एन.एस., अधीक्षक अभियंता (यांत्रिक)	श्रीमती विशालाक्षी, उप सचिव	-
एमबीपीए	श्री पी.एच. साल्वी, वरिष्ठ उप सचिव	श्री ए.बी. जरकर, उप यातायात प्रबंधक		श्री पी.एच. साल्वी, वरिष्ठ उप सचिव	श्री पी.एच. साल्वी, वरिष्ठ उप सचिव
जेएनपीए	श्री पकंज कमल, उप महाप्रबंधक (वित्त)				
डीपीए	श्री के. श्रीनिवास राव, उप सीई	श्री बी. राजेंद्र प्रसाद, उप सीई	श्री दीपक राणे, उप सचिव	श्री के. श्रीनिवास राव, उप सीई	श्री दीपक राणे, उप सचिव
पीपीए	श्री मानस कुमार सेठी, अधीक्षक अभियंता (वैद्युत), [अ.जा. के लिए] । श्री बी. एस. नाइक, अधीक्षक अभियंता (वैद्युत) [अ.ज.जा. के लिए]	श्री ए.के. साहू, वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक	रिक्त	श्री बी.एस. नाइक, अधीक्षक अभियंता (वैद्युत)	डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा. के संपर्क अधिकारी, सेवानिवृत्त के आरक्षण मामलों के लिए भी संपर्क अधिकारी के तौर पर काम करेगा।
एमजीपीए	श्री प्रकाश कावलेकर , सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी)	श्री रवींद्र चोपड़ेकर, उप सीएओ	श्री रवींद्र चोपड़ेकर, उप सीएओ	श्री प्रकाश कावलेकर, सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी)	श्री प्रकाश कावलेकर , सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी)
एसएमपीए	श्री जॉय विस्वास, उप अभियंता अधीक्षक	डॉ. एस. बिसुई, वरिष्ठ एमओ	-	जीएडी में रोस्टर को केंद्र में रखा जाता है	-
सीओपीए	श्री सुधीर. जे. सावंत, अधीक्षक अभियंता	श्री. भागवत सिंह. के.वी., उप. सीएमई	-	श्री सुधीर जे सावंत, अधीक्षक अभियंता (सिविल)	श्री सुधीर जे सावंत, अधीक्षक अभियंता (सिविल)
सीएचपीए	श्री एसडी सदीश कुमार, मुख्य समुद्री अभियंता (जलयान), [अ.जा. के लिए]। श्रीमती वी. विजयलक्ष्मी, उप सीएमई, [अ.ज.जा. के लिए]	श्री जी. विनोद कुमार, डॉक मास्टर, समुद्री विभाग।	-	श्रीमती वी. विजयलक्ष्मी, उप सीएमई, एमएंडईई विभाग	-
वीपीए	श्री जी. राम शेखर याजी, यातायात प्रबंधक [अ.जा. के लिए] श्री वी. साम्बा मूर्ति, वरिष्ठ पीओ और सचिव आई/सी [अ.ज.जा. के लिए]	श्री एस. शिव कुमार, वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी	-	श्री वी. साम्बा मूर्ति, वरिष्ठ पीओ और सचिव आई/सी [अ.ज.जा. के लिए]	-
वीओसीपीए	श्रीमती एस. सेल्वी मीणा, हिंदी अधिकारी सह वरिष्ठ सहायक सचिव	श्री आर. बालाजी रत्नम	-	-	-
केपीएल	श्रीमती कविता सात्वी, महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ	कैप्टन जी.एम. बालन, जी.एम. (समुद्री सेवाएँ)	श्री यतिन पटेल, महाप्रबंधक, (सीएसएंडबीडी)	श्रीमती कविता सात्वी, महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ	-

(iv) महापत्तन प्राधिकरणों में आरक्षण प्रकोष्ठ का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

पत्तन का नाम	आरक्षण प्रकोष्ठ का ब्यौरा
एनएमपीए	अ. पि. वर्ग प्रकोष्ठ अधिकारी - श्री दीक्षित, एईई (यांत्रिक) [प्रकोष्ठ अधिकारी]; श्रीमती सुमंगला, एएओ [सदस्य]; श्री रविराज पी. सालियान [सदस्य]
	अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ - श्री सोमय्या नियाक [प्रकोष्ठ अधिकारी]; श्रीमती लीला, एईई (एम) [सदस्य]; श्री गुणशेखर [सदस्य]
एमबीपीए	मुंबई पत्तन के मानव संसाधन प्रभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण प्रकोष्ठ मौजूद है। यह प्रकोष्ठ संपर्क अधिकारी/स्थापना अधिकारियों के साथ समन्वय में काम करता है। [पदनामित अधिकारी- श्री बी.बी. रतूड़ी, वरिष्ठ सहायक सचिव]
जेएनपीए	अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें संपर्क अधिकारी [श्री पंकज कमल] की सहायता के लिए पांच (5) सदस्य हैं।
डीपीए	अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ - श्रीमती रीना रोसिया, वैज्ञानिक अधिकारी [प्रकोष्ठ अधिकारी]
पीपीए	अ.जा. प्रकोष्ठ - श्री मानस कुमार सेठी, अधीक्षक अभियंता (वैद्युत) अ.ज.जा. /पीडब्ल्यूबीडीएस प्रकोष्ठ - श्री बेलासेन नाइक, अधीक्षक अभियंता (वैद्युत) अ. पि. वर्ग प्रकोष्ठ - श्री अक्षय कुमार साहू, वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक
एमजीपीए	संपर्क अधिकारी को सहायता प्रदान करने के लिए आरक्षण प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।
एसएमपीए	कोई विशिष्ट आरक्षण प्रकोष्ठ नहीं है। विभिन्न विभागों के स्थापना अधिकारी संबंधित विभाग / प्रभाग की रोस्टर स्थिति बनाए रखते हैं।
सीओपीए	अ. पि. वर्ग प्रकोष्ठ - – श्री मैथ्यू पॉल, सहायक कार्यकारी अभियंता (वैद्युत) [प्रकोष्ठ अधिकारी]
	अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ। - श्री कार्तिकेयन, सीआई, सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक) [प्रकोष्ठ अधिकारी]
सीएचपीए	सामान्य प्रशासन प्रभाग में 'एससीटी' अनुभाग के नाम से एक अलग स्कंध एक उप एचओडी स्तर के अधिकारी की देखरेख में काम कर रहा है।
वीपीए	जीएडी के तहत 'एन' समूह के रूप में एक समर्पित प्रकोष्ठ कार्यात्मक हैं जिसके अध्यक्ष सचिव हैं।
वीओसीपीए	अ.जा./अ.ज.जा. और अ. पि. वर्ग के लिए आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं और संबंधित संपर्क अधिकारी इनके अध्यक्ष हैं।
केपीएल	अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ- श्री जी. विश्वनाथ और श्री के. कमलाकनन

भारतीय नौवहन निगम:

I. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम का प्रतिनिधित्व (तट कार्मिक)

01.01.2026 की स्थिति के अनुसार सूचना								
श्रेणी	**संख्या**	**प्रतिशत (%)**	**पीडब्ल्यू बीडी**	**पीडब्ल्यूबीडी प्रतिशत (%)**	**ईडब्ल्यू एस**	**ईडब्ल्यूएस प्रतिशत (%)**	**ईएसएम**	**ईएसएम प्रतिशत (%)**
अ. पि. वर्ग	91	20.04	6	1.32	1	0.22	4	00.88
अ.जा.	108	23.79						
अ.ज.जा.	45	9.91						
अनारक्षित	210	46.26						
कुल योग	**454**		**6**		**1**		**4**	

II. अ.जा./अ.ज.जा./अ. पि. वर्ग का प्रतिनिधित्व – फ्लोटिंग स्टाफ (नाविक)

श्रेणी	संख्या	प्रतिशत (%)
सामान्य (अनारक्षित)	594	61.62
अ.पि.वर्ग	219	22.72
अ.जा.	114	11.83
अ.ज.जा.	37	3.84
कुल योग	964	100

III. पिछले दस वर्षों के लिए बैकलॉग स्थिति, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, प्रस्तुत की जा रही है। वर्तमान रोस्टर स्थिति के अनुसार सहायक प्रबंधक (ई2) संवर्ग में दो (02) अ.ज.जा. बैकलॉग रिक्तियां और वर्तमान रोस्टर स्थिति के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधक (ई5) संवर्ग में दो (02) अ.जा. बैकलॉग रिक्तियां दर्शाई गई हैं।

(तट कार्मिक)

पद का स्तर	बैकलॉग रिक्तियों की संख्या
समूह 'क'	04
समूह 'ख'	लागू नहीं
समूह ग' (जिसमें पूर्ववर्ती समूह 'घ' भी शामिल है)	लागू नहीं

संबंधित स्तर पर उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण बैकलॉग का सृजन हुआ था। सहायक प्रबंधक (ई2) के स्तर पर, वर्तमान में भर्ती प्रक्रियाधीन है और बैकलॉग के बंद होने की उम्मीद है। वरिष्ठ प्रबंधक (ई5) के स्तर पर भर्ती आवश्यकता आधारित है, और बैकलॉग को उचित समयावधि में और जब अगली भर्ती आयोजित की जाती है, पूरा किया जाएगा।

फ्लोटिंग स्टाफ (नाविकों) के लिए, पोतों को सांविधिक कार्मिक पूरक के बिना नहीं चलाया जा सकता है, और इसलिए आरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रिक्तियों को विस्तारित अवधि के लिए नहीं रखा जा सकता है

IV. अ.जा./अ.ज.जा. के लिए उप महाप्रबंधक (ई7 ग्रेड) के रैंक में एक संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया गया है - कैप्टन पी. के. प्रचेता, डीजीएम

अ. पि. वर्ग मुख्य प्रबंधक (ई6 ग्रेड) के रैंक में एक संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया गया है- श्री वाई. डी. श्रीस्वामी, सीएम

पीडब्ल्यूबीडी और ईडब्ल्यूएस के लिए उप महाप्रबंधक (ई7 ग्रेड) रैंक के एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है- सुश्री मीना कराई, डीजीएम

ईएसएम के लिए उप महाप्रबंधक (ई7 ग्रेड) के रैंक में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो वर्तमान में महाप्रबंधक (ई8) - के रैंक में है- कमां. फणीन्द्र येल्लाप्रगडा, जीएम

V. संगठन द्वारा किसी आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया है।

दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय:

(i) 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार डीजीएलएल में अन.जा./ अनु. ज.जा./अ. पि. वर्ग/ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी का समूह/वर्ग-वार प्रतिनिधित्व दर्शानेवाला विवरण

क्र. सं.	समूह/वर्ग	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि. वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	कुल
1.	**डीजीएलएल**							
	वर्ग –I / समूह क	58	11	4	15	1	3	34
	वर्ग –II/ समूह ख	274	43	19	84	1	6	153
	वर्ग –III/ समूह ग	246	59	15	83	4	11	172
	वर्ग –IV/ समूह घ	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**578**	**113**	**38**	**182**	**6**	**20**	**359**

(ii) (क) डीजीएलएल में वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को दर्शानेवाला विवरण

वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई						
संगठन का नाम	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.वर्ग**	**ईडब्ल्यूएस**	**पीडब्ल्यूडी**	**कुल**
डीजीएलएल	शून्य					

(ii) (ख) डीजीएलएल में वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

वर्ष 2025-26 के दौरान शेष न भरी गई बैकलॉग रिक्तियां						
संगठन का नाम	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.वर्ग**	**ईडब्ल्यूएस**	**पीडब्ल्यूडी**	**कुल**
डीजीएलएल	शून्य					

(ii) (ग) डीजीएलएल में वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित रिक्तियों को भरे न जाने के कारण दर्शानेवाला विवरण

संगठन का नाम	**वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित रिक्तियों को भरे न जाने के कारण**
डीजीएलएल	शून्य

(iii) डीजीएलएल में अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

संगठन का नाम	**अ.जा./अ.ज.जा.**	**अ.पि.वर्ग**	**ईडब्ल्यूएस**	**पीडब्ल्यूडी**	**पूर्व-सैनिक**
डीजीएलएल	श्री जितेंद्र कुमार, एईई (सी)	श्री कानन सिंह, उप निदेशक	श्री विनोद पाटिल, एईई (ई)	श्री जितेंद्र कुमार, एईई (सी)	--

(iv) डीजीएलएल में आरक्षण प्रकोष्ठ का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण -

संगठन का नाम	**आरक्षण प्रकोष्ठ का ब्यौरा**
डीजीएलएल	शून्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड:

i. अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.वर्ग/ ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी का समूह/वर्ग-वार प्रतिनिधित्व दर्शानेवाला विवरण

क्र. सं.	समूह/वर्ग	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	कुल (अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी)
1	वर्ग –I / समूह क	385	49	20	115	1	8	193
	वर्ग –II/ समूह ख	175	19	8	82	2	1	112
	वर्ग –III/ समूह ग	1159	154	15	614	1	28	812
	वर्ग –IV/ समूह घ	419	50	5	293	1	11	360
	कुल	**2138**	**272**	**48**	**1104**	**5**	**48**	**1477**

ii. क) वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को दर्शानेवाला विवरण

वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई (दिनांक 01.01.2026 तक)					
अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	कुल
शून्य					

ii. ख) वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

वर्ष 2025-26 के दौरान शेष न भरी गई बैकलॉग रिक्तियां					
अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	कुल
3	3	-	-	-	6

ii. ग) वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित रिक्तियों को भरे न जाने के कारण दर्शानेवाला विवरण

वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित रिक्तियों को भरे न जाने के कारण	
i.	अधिकारी श्रेणी में अनुसूचित जाति का 1 पद उम्मीदवारों की कमी के कारण 2020 से खाली हैं और इसे पुन: अधिसूचित किया जाएगा।
ii.	पर्यवेक्षण संवर्ग में अनुसूचित जाति के 2 पद उम्मीदवारों की कमी के कारण 2019 से रिक्त हैं और इन्हें पुन: अधिसूचित किया जाएगा।
iii.	पर्यवेक्षण संवर्ग में अनुसूचित जनजाति का 1 पद उम्मीदवारों की कमी के कारण 2018 से रिक्त हैं और इसे पुन: अधिसूचित किया जाएगा।
iv.	वर्कमैन संवर्ग में अनुसूचित जनजाति के 2 पद उम्मीदवारों की कमी के कारण 2017 से रिक्त हैं। वर्तमान में, इन्हें पुन: अधिसूचित किया जाएगा तथा भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

iii. अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण.

अ.जा./अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	पूर्व-सैनिक
श्री. जयन के थम्पी, महाप्रबंधक (पोत निर्माण)-अ.जा. श्री. मधु पी के, उप महाप्रबंधक (आउटसोर्सिंग)-अ.ज.जा.	श्रीमती दर्साना ए आर, उप महाप्रबंधक (डिज़ाइन-सीपी)	श्री नागेश कृष्ण मूर्ति, महाप्रबंधक (बीडी-एसबी)	श्री. विग्नेश वी, प्रबंधक (यांत्रिक)	श्री नागेश कृष्ण मूर्ति, महाप्रबंधक (बीडी-एसबी)

iv. आरक्षण प्रकोष्ठ का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

आरक्षण प्रकोष्ठ का ब्यौरा
(i) श्री. किरण टी राज, एसएम (एसएपी-एचसीएम)
(ii) श्रीमती क्रिस्टीना सोसा अब्राहम, डीएम (एचआर)
(iii) श्री. विष्णु शाजी, एएम (एचआर)
(iv) श्रीमती अथिरा एस आर, एएओ (एचआर)
(v) श्री. जिज़ो जोसेफ, एएओ (टीओ)
(vi) श्रीमती गीता के एन, सीए-एसजी
(vii) श्रीमती आशा टी एन, सीए-एसजी
(viii) श्रीमती राजी आर, जेसीए

अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म में:

(i) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म में अन.जाति/ अनु. जनजाति/अ. पि. वर्ग/ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी का समूह/वर्ग-वार प्रतिनिधित्व दर्शानेवाला विवरण

क्र. सं.	समूह/वर्ग	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि. वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	कुल
1.	अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म							
	वर्ग –I / समूह क	10	4	1	0	0	0	05
	वर्ग –II/ समूह ख	123	18	17	30	2	0	67
	वर्ग –III/ समूह ग	105	15	38	13	0	0	66
	वर्ग –IV/ समूह घ	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**238**	**37**	**56**	**43**	**2**	**0**	**138**

(ii) (क) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म में वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई						
संगठन का नाम	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.वर्ग**	**ईडब्ल्यूएस**	**पीडब्ल्यूडी**	**कुल**
एएलएचडब्ल्यू	शून्य					

(ii) (ख) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म में वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

वर्ष 2025-26 के दौरान शेष न भरी गई बैकलॉग रिक्तियां						
संगठन का नाम	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.वर्ग**	**ईडब्ल्यूएस**	**पीडब्ल्यूडी**	**कुल**
एएलएचडब्ल्यू	शून्य					

(ii) (ग) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म में वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित रिक्तियों को भरे न जाने के कारण का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

संगठन का नाम	वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित रिक्तियों को भरे न जाने के कारण
एएलएचडब्ल्यू	शून्य

(iii) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म में अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

संगठन का नाम	अ.जा./अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	पूर्व-सैनिक
एएलएचडब्ल्यू	श्री अभय जनार्दन सिरसीकर, डीसीई (सिविल) को दिनांक 23.04.2025 के कार्यालय आदेश संख्या 227 / 2025 के तहत अ.जा. / अ.ज.जा. / पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है				
	श्री डी. सत्यमूर्ति, डीसी.ई.(मेक.) को दिनांक 18.12.2024 के कार्यालय आदेश संख्या 787 / 2024 के अनुसार अ. पि. वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है				

(iv) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म में आरक्षण प्रकोष्ठ का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

संगठन का नाम	आरक्षण प्रकोष्ठ का ब्यौरा
एएलएचडब्ल्यू	दिनांक 04.01.2013 के का. ज्ञा. सं. 43011 / 153 / 2010-स्थ. (आर.) के अनुसार, एएलएचडब्ल्यू के अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के कल्याण/ सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए दिनांक 23.04.2025 के कार्यालय आदेश संख्या 227 / 2025 (प्रति संलग्न) के जरिए अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूडी के लिए एक आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसकी संरचना निम्नलिखित है :- 1. श्री अभय जनार्दन सिरसीकर, डीसीई (सिविल) - संपर्क अधिकारी। 2. श्री आर. प्रभाकरन, ए.ई. (सिविल) - सदस्य 3. श्री पी. श्रीनिवास राव, सहायक - सदस्य
	दिनांक 04.01.2013 के का. ज्ञा. सं. 43011 / 153 / 2010-स्था. (आर.) के अनुसार, एएलएचडब्ल्यू के अ. पि. वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण/ सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए दिनांक18.12.2024 के कार्यालय आदेश सं. 787 / 2024 (प्रति संलग्न) के जरिए अ. पि. वर्ग के लिए एक आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसकी संरचना निम्नलिखित है :- 1. श्री डी. सत्यमूर्ति, डीसीई (मेक) - संपर्क अधिकारी। 2. श्री एम. सुकेश, ए.ई. (मेक) - सदस्य 3. श्रीमती ए. सुधा मैरी, सहायक - सदस्य

नौवहन महानिदेशालय:

समूह क पदों / अधिकारियों के लिए								
		1	2	3	4	5	6	7
(क)	01/01/2026 को कुल प्रतिनिधित्व	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ख (अराजपत्रित)
		17	5	20	0	35	77	
(ख)	2025 के दौरान सीधी भर्ती	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ख (अराजपत्रित)
		2	0	2	0	7	11	
(ग)	2025 के दौरान प्रोन्नति द्वारा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ख (अराजपत्रित)
		4	1			7	12	
(घ)	2025 के दौरान प्रतिनियुक्ति द्वारा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ख (अराजपत्रित)
		0	0	1		1	2	
(ड़)	(ख+ग+घ)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ख (अराजपत्रित)
		6	1	3	0	15	25	
		(ख1+ग1+घ1)	(ख2+ग2+घ2)	(ख3+घ3)	(ख4)	(ख5+ग5+घ5)	(ख6+ग6+घ6)	(ख7+ग7+घ7)
समूह ख पदों / अधिकारियों के लिए								
		1	2	3	4	5	6	7
(क)	01/01/2026 को कुल प्रतिनिधित्व	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ख (अराजपत्रित)
		13	6	15	0	37	71	
(ख)	2025 के दौरान सीधी भर्ती	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ख (अराजपत्रित)
		0	0	0	0	0	0	
(ग)	2025 के दौरान प्रोन्नति द्वारा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ख (अराजपत्रित)
		3	2			13	18	
(घ)	2025 के दौरान प्रतिनियुक्ति द्वारा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ख (अराजपत्रित)
		0	0	0		0	0	
(ड़)	(ख+ग+घ)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ख (अराजपत्रित)
		3	2	0	0	13	18	
		(ख1+ग1+घ1)	(ख2+ग2+घ2)	(ख3+घ3)	(ख4)	(ख5+ग5+घ5)	(ख6+ग6+घ6)	(ख7+ग7+घ7)
समूह ग पदों / अधिकारियों के लिए								
		1	2	3	4	5	6	7
(क)	01/01/2026 को कुल प्रतिनिधित्व	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ग
		32	14	51	0	64	161	
(ख)	2025 के दौरान सीधी भर्ती	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ग
		1	0	1	0	1	3	
(ग)	2025 के दौरान प्रोन्नति द्वारा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ग
		2	1	0	0	3	6	
(घ)	2025 के दौरान प्रतिनियुक्ति द्वारा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ग
		0	0	0	0	0	0	
(ड़)	(ख+ग+घ)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल (क1+क2+क3+क4+क5)	समूह ग
		3	1	1	0	4	9	
		(ख1+ग1+घ1)	(ख2+ग2+घ2)	(ख3+घ3)	(ख4)	(ख5+ग5+घ5)	(ख6+ग6+घ6)	(ख7+ग7+घ7)

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण:

(i) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) में अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.वर्ग/ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी का समूह/वर्ग-वार प्रतिनिधित्व दर्शानेवाला विवरण :

क्र. सं.	समूह/वर्ग	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि. वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	कुल
1.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई)							
	वर्ग –I / समूह क	61	9	3	11	--	--	23
	वर्ग –II/ समूह ख	113	13	6	24	10	3	56
	वर्ग –III/ समूह ग	107	11	3	30	4	4	52
	वर्ग –IV/ समूह घ	--	--	--	--	--	--	--
	कुल	**281**	**33**	**12**	**65**	**14**	**7**	**131**

(ii) (क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) में वर्ष 2025-26 के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को दर्शानेवाला विवरण : शून्य

(ii) (ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) में वर्ष 2025-26 के दौरान न भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण : शून्य

(ii) (ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) में वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित रिक्तियों को भरे न जाने के कारण : शून्य

(iii) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) में अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण :

संगठन का नाम	अ.जा./अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	पूर्व-सैनिक
आईडब्ल्यूएआई	श्री राकेश कुमार, निदेशक		श्री वी. मुरुगेसन, निदेशक		

(iv) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) में आरक्षण प्रकोष्ठ का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण : आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ. पि. वर्ग और पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी नामित किए गए हें जिनमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि चयन समिति / डीपीसी का गठन किया जाए जिसमें आरक्षित श्रेणियों के सदस्य हों जो अ.जा./अ.ज.जा./अ. पि. वर्ग और पीडब्ल्यूडी से प्राप्त अभ्यावेदनों/ शिकायतों का सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आंतरिक निवारण समिति द्वारा मामले के आधार पर समाधान किया जाए।

अनुबंध-IV

(पैरा 10.17 देखें)

वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का अनुदान (निवल आधार)

(करोड़ रु. में)

अनुदान सं. और नाम		बजट अनुमान	अनुपूरक	संशोधित अनुमान	31.12.2025 तक वास्तविक व्यय
अनुदान सं. 78	राजस्व लेखा	1709.23	0.02	1700.13	931.51
	पूंजीगत लेखा	1761.35	0	1198.98	1125.60
कुल		**3470.58**	**0**	**2899.11**	**2057.11**

स्रोतः डीडीजी, ई-लेखा तथा अनुपूरक अनुदान मांग

अनुबंध-V

(पैरा 10.17 देखें)

विगत 3 वर्षों के लिए केन्द्रीय लेन-देन के विवरण (एससीटी) के अनुसार प्राप्तियों का शीर्ष-वार ब्यौरा

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**मुख्य शीर्ष**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (31.12.2025 तक)**
1.	0021- आय पर निगम कर को छोड़कर अन्य कर	25.03	30.51	17.55
2.	0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	0.00	0.00	0.00
3.	0049- ब्याज प्राप्तियां	10.17	12.06	10.06
4.	0050-लाभांश और लाभ	185.58	215.08	428.66
5.	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
6.	0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	13.12	13.15	14.87
7.	0075 विविध सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.00
8.	0210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0.42	0.43	0.36
9.	0216-आवास	0.30	0.33	0.48
10.	1051-पत्तन तथा दीपस्तंभ	441.84	451.89	390.22
11.	1052-पोत परिवहन	107.92	116.27	94.97
12.	1054-सड़क और सेतु	0.00	0.00	0.00
13.	1056-अंतर्देशीय जल परिवहन	13.97	20.13	0.00
14.	1401- परमाणु उर्जा अनुसंधान	0.00	0.00	0.00
15.	1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.02	0.02	0.03
क	**राजस्व प्राप्तियां**	**798.37**	**859.87**	**957.20**

पूंजीगत प्राप्तियां

क्र. सं.	**मुख्य शीर्ष**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (31.12.2025 तक)**
1.	4000 विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
2.	6858-अभियांत्रिकी उद्योग के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
3.	7051-पत्तन और दीपस्तंभ के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
4.	7056-अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
5.	7601-राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00	0.00
6.	7610- सरकारी कर्मचारियो को ऋण	0.28	0.22	0.12
	पूंजीगत प्राप्तियां	**0.28**	**0.22**	**0.12**

अनुबंध-VI

(पैरा 10.17 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

विगत 3 वर्षों अर्थात् 2023-24 से 2025-26 (31/12/2025 तक) के लिए व्यय का शीर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

मुख्य शीर्ष-वार विवरण	2023-24	2024-25	2025-26 (31.12.2025 तक)
राजस्व खण्ड			
2852-उद्योग (पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास, ई गवर्नेंस में सहायता	99.12	150.39	125.32
3051 पोत और दीपस्तंभ			
3051-.01 महापत्तन (सागरमाला)	637.65	779.47	475.70
3051-.02 लघु पत्तन (एएलएचडब्लू)	68.76	62.94	45.09
3051-.03 दीपस्तंभ और दीपपोत (डीजीएलएल)	373.43	508.37	357.89
3051-.80 सामान्य (आरएंडबी)	9.71	11.38	8.49
3052-पोत परिवहन (डीजी शिपिंग)	214.01	298.29	178.98
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	76.50	76.50	62.99
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	61.15	67.59	52.74
3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान	0.00	3.71	5.20
कुल राजस्व व्यय (सकल)	**1540.33**	**1958.64**	**1312.40**
वसूली घटाएं	**-32.36**	**-35.32**	**-23.00**
डीजीएलएल प्राप्तियों से पूरा किया गया व्यय	**-373.43**	**-425.13**	**-357.89**
कुल राजस्व व्यय (निवल)	**1134.54**	**1498.19**	**931.51**
पूंजीगत खण्ड			
5051- पत्तनों और दीपस्तंभ पर पूंजीगत व्यय			
5051-.01 महापत्तन (सागरमाला)	123.02	23.82	11.20
5051-.02-लघु पत्तन (एएलएचडब्लू)	0.00	0.00	0.00
5051-.03 दीपस्तंभ और दीपपोत (डीजीएलएल)	99.89	80.23	70.93
5052- पोत परिवहन पर पूंजीगत व्यय	13.19	37.59	22.09
5056-अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत व्यय	1010.50	1127.23	1090.50
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	2.84	4.05	1.81
7051-पत्तनों और दीपस्तंभों के लिए ऋण	0.00	146.72	0.00
कुल पूंजीगत व्यय (सकल)	**1249.44**	**1419.64**	**1196.53**
वसूलियां घटाएँ	**-100.81**	**-80.23**	**-70.93**
कुल पूंजीगत व्यय (निवल)	**1148.63**	**1339.41**	**1125.60**
राजस्व +पूंजी का कुल योग (निवल)	**2283.17**	**2837.60**	**2057.11**

स्रोत: अनुदान संव्यवहार का विवरण (एसजीटी)

अनुबंध-VII

(पैरा 10.17 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के पक्ष में किया गया व्यय

विगत 3 वर्षों अर्थात् 2023-24 से 2025-26 (31/12/2025 तक) के लिए

(करोड़ रु. में)

मुख्य शीर्ष, अनुदान सहित	2023-24	2024-25	2025-26 (31.12.2025 तक)
राजस्व खण्ड			
2049- ब्याज भुगतान (अनु. सं. 39)	10.58	10.95	0.30
2071-पेंशन भुगतान (अनु. सं. 41)	35.33	48.27	31.55
2235- सामाजिक, सुरक्षा और कल्याण (अनु. सं. 41)	0.04	0.04	0.03
3051- पत्तन और दीपस्तंभ अंडमान और निकोबार प्रशासन (अनु. सं. 52)	3.68	6.05	1.88
3051- लक्षद्वीप (अनु. सं. 56)	-0.01	0.00	0.00
3605- अन्य देशों से तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अनु. सं. 29)	100.00	400.00	400.00
कुल (राजस्व व्यय)	**149.62**	**465.31**	**433.76**
पूंजीगत खण्ड			
4405- मत्स्यपालन पर पूंजीगत परिव्यय (अनुदान सं. 52)	0.18	0.28	0.15
5051- पत्तन और दीपस्तंभ, अंडमान और निकोबार प्रशासन लक्षद्वीप पर पूंजीगत परिव्यय (अनुदान सं. 52)	3.45	4.00	2.64
5052-पोत परिवहन, अंडमान और निकोबार प्रशासन पर पूंजीगत परिव्यय (अनुदान सं. 52)	0.00	1.61	0.00
5052- लक्षद्वीप (अनुदान सं. 56)	0.00	0.00	0.00
5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	0.00	0.00	0.31
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, अंडमान और निकोबार प्रशासन (अनुदान सं. 52)	0.00	0.00	0.00
7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण (अनुदान सं. 30)	0.09	0.14	0.10
योग (पूंजीगत व्यय)	**3.72**	**6.03**	**3.20**
कुल योग (राजस्व+पूंजीगत)	**153.34**	**471.34**	**436.96**

स्रोत: अनुदान संवितरण का विवरण (एसजीटी)

अनुबंध-VIII
(पैरा 10.17 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मूल्यह्रास आरक्षित निधि (8115)	**(करोड़ रु)**
01.04.2025 को प्रारंभिक शेष	327.63
अप्रैल से नवंबर, 2025 के दौरान प्राप्तियां	48.00
अप्रैल से नवंबर, 2025 के दौरान भुगतान	2.13
30.11.2025 को अंतिम शेष	**373.50**
सामान्य आरक्षित निधि (8121)	
01.04.2025 को प्रारंभिक शेष	1122.39
अप्रैल से नवंबर, 2025 के दौरान प्राप्तियां	166.06
अप्रैल से नवंबर, 2025 के दौरान भुगतान	68.81
31.11.2025 को अंतिम शेष	**1219.64**

स्रोत: वर्गीकृत समेकित संक्षिप्त विवरण

एससीआई मुंबई
SCI MUMBAI

सत्यमेव जयते

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

भारत सरकार

1, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

www.shipmin.gov.in

Design & layout by MoPSW Media Hub